पंचम माला, खंड 15, अंक 41
Fifth Series, Vol. XV, No. 41

बुधवार, 10 मई, 1972/20 वैशाख, 1894 (शक)
Wednesday, May 10, 1972/Vaisakha 20, 1894 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

[खंड 15 में अंक 41 से 50 तक हैं
Vol. XV contains Nos. 41 to 50]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 41, बुधवार, 10 मई, 1972/20, वैशाख 1894 (शक)
No. 41, Wednesday, May 10, 1972/ Vaisakha 20, 1894 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता.प्र. संख्या S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
761	मशीनी औजारों के विकास के लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संबंधी राष्ट्रीय समिति की आपात योजना।	Emergency Plan of National Committee on Science and Tachnology for the Development of Machine Tools	—1
762	भूतपूर्व शासकों द्वारा हथियारों की वापसी	Surrender of Arms by Former Rulers	—2
763	सीमा सुरक्षा दल द्वारा भारत बंगला देश सीमा पर गश्त	Patrolling of Indo Bangladesh Border by BSF	—4
764	प्रशासनिक तंत्र में सुधार के उपाय	Measures for improvement of Administrative Machinery	—5
765	नेताजी जांच आयोग द्वारा साक्ष्य का रिकार्ड	Record of Evidence by Netaji Enquiry Commission	—6
767	कुमारघाट (त्रिपुरा) में कागज का कारखाना	Paper Mill at Kumarghat (Tripura)	—10
768	समस्त देश में टेलिफोन की व्यवस्था के लिए योजना	Scheme for Provision of Telephones all over the Country	—11
769	भारत में गुप्तचरों को प्रशिक्षण	Training of Detectives in India	—12
770	समाचारपत्रों पर दस पृष्ठों सम्बन्धी प्रतिबन्ध	10-Page Restriction on Newspapers	—13
771	पूर्व-यूरोपीय देशों और गैर-सरकारी क्षेत्र के बीच सहयोग करार	Collaboration Agreements between Eest European Countries and Private Sector	—15

किसी नाम पर अंकित यह+इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign+marked above the name of Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता.प्र. संख्या S.Q. No.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
772	कोका-कोला बाटलिंग प्लाटों का विस्तार तथा उनको लाइसेंस किया जाना / Expension and Licensing of Coca Cola Bottling Plants	—16
773	इन्दौर बम्बई अहमदाबाद सूक्ष्मतरंग टेलीफोन सेवा / Indore Bombay Ahmedabad Microwave Telephone Service	—18
	तारांकित प्रश्न संख्या 765 के बारे में / Re S. Q. No. 765	
	प्रश्नों के लिखित उत्तर / Written Answers to Questions	
766	उद्योगपतियों द्वारा कलकत्ता में बन्द पड़े कारखानों का पुनः खोला जाना / Re-opening of closed Units in Calcutta by Industialists	
774	मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में डाकुओं के उत्पात को रोकने के लिए तैनात विशेष पुलिस का वापिस बुलाया जाना / Withdrawal of Special Police Deployed to Tackle Dacoit Menance in Border Areas of M.P., U.P. and Rajasthan	—19
775	शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिए अणुशक्ति का प्रयोग / Use of Atomic Energy for Peaceful Purposes	—20
776	केरल में 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते / Pay and Allowances for 1968 Strike-Affected Central Govt. Employees in Kerala	—20
777	कृषि के लिए परमाणु शक्ति का प्रयोग करने हेतु अनुसन्धान केन्द्रों का निर्माण / Building of Research Centres to Harness Nuclear Power for Agriculture	—21
778	चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से सेन्टरलैस ग्राइंडिग मशीनों का निर्माण / Manufacture of Centreless Grinding Machines with Czech Collaboration	—21
779	आयोजना का विकेन्द्रीकरण / Decentralisation of Planning	—21
780	अमरीकी दूतावास के एक अधिकारी द्वारा चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश का दौरा करने के बारे में केन्द्रीय जाँच ब्योरो से जांच कराने की मांग / Demand for CBI Inquiry into the Visit of an Officer of American Embassy to Madhya Pradesh during Elections	—22
	अता. प्र. संख्या U.S.Q. No.	
5588	नेपा मिल्स के कारण ताप्ती के जल का दूषण / Population of Tapti Water due to Nepa Mills	—23

अता. प्र. संख्या U. S. Q. No.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
5589	केरल और कालीकट विश्वविद्यालयों द्वारा प्राप्त सहायता Assistance received by Kerala and Calicut Universities	—23
5590	मध्य प्रदेश के पूर्व निमार्ड जिले में टेलीफोन कनेक्शनों की व्यवस्था Provision of Telephone Connection in East Nimar District, M.P.	—23
5591	मोटर तथा ट्रक के टायरों की कमी Shortage of Motor and Truck Tyres	—24
5592	1972-73 के लिए राज्य की वार्षिक योजनाओं में मध्यप्रदेश का हिस्सा Madhya Pradesh Share in the Annual Plans for States for 1972-73 ...	—24
5594	हौशंगाबाद जिले (मध्य प्रदेश) में औद्योगिक प्रतिष्ठान Industrial Establishments in Hoshangabad District Madhya Pradesh	—24
5595	मध्य प्रदेश में डाक तथा तार कार्यालय P & T Offices in Madhya Pradesh	—25
5596	फिल्म वित्त निगम द्वारा वित्तीय सहायता Film Finance Corporation's Financial Assistance ...	—25
5597	न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य States having lowest per capital Income ...	—25
5598	अनुभाग अधिकारी की परीक्षा के माध्यम से अवर सचिव के रूप में पदोन्नत किये जाने के बारे में प्रशासुधार आयोग की सिफारिश A. R. C's Recommendation for Promotion of Section Qfficers as Under Secretariates through Examination ...	—26
5599	थुम्बा से उपग्रह प्रणाली के डिवीजन का अन्यत्र ले जाया जाना Shifting of Satellite Systems Division from Thumba ...	—27
5600	भारतीय परमाणु बिजली घर, हैदराबाद के लिये स्टील ट्यूब के निर्माण के लिये फ्रांस से करार Agreement with France for Manufacturing Steel Tubes for Indian Atomic Energy Plant Hyderabad ...	—27
5601	भारत सरकार में अनुसंधान अधिकारियों के पदों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता Academic qualification prescribed for the Posts of Research Officers and Senior Research Officers in Government of India	—28
5602	उड़ीसा में स्नेहक, पेंसिलें और सीसा संयंत्रों की स्थापना Setting up of Lubricant, Pencils and Lead Plants in Orissa ...	—28
5603	आकाशवाणी, कड़प्पा के लिए फार्म तथा होम यूनिट Farm and Home Unit for A.I.R. Cuddapah ...	—29
5604	आँध्र प्रदेश में फील्ड पब्लिसिटी यूनिट Field Publicity Units in Andhra Pradesh ...	—29
5605	आकाशवाणी, कड़प्पा से दिन के समय के प्रसारण के बारे में निश्चय करने में विलम्ब Delay in talking decision for Day time Transmission from AIR. Cuddappah ...	—29

अता.प्र. संख्या U.S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
5606	केन्द्रीय सूचना सेवा में मानिटरों का शामिल किया जाना	Inclusion of Monitots in CIS	—30
5607	केन्द्रीय सूचना सेवा में ग्रेड चार में तदर्थ आधार पर काम कर रहे व्यक्ति	Persons working on ad hoc basis in grade IV in CIS ...	—30
5508	रूरकेला में आग से पीड़ित व्यक्तियों को राहत	Relief to Fire Victims in Rourkela ...	—31
5509	बंगला देश में रह रहे पटना के मुस्लिम परिवार	Muslim family of Patna living in Bungladesh (East Pakistan)...	—31
5510	विदेशियों सम्बन्धी अधिनियम के अन्तर्गत नजरबन्द गैर बंगाली महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध मामलों का वापस लिया जाना	Request for Withdrwal of cases against non-Bengali women, Children detained under foreigners Act ...	—31
5611	विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में जांच पड़ताल	Enquires for Foreign Exchagne ...	—32
5612	साम्प्रदायिक संगठनों पर कड़ी निगरानी के बारे में प्रधान मंत्री का वक्तव्य	P.M's statement regarding strict watch on communal bodies ...	—32
5613	राँची स्थित डाक व तार कर्मचारियों को परियोजना भत्ता	Project allowance for P & T Staff at Ranchi ...	—32
5614	मैसूर केरल सीमा पर मलयाली लोगों के घरों का जलाया जाना	Burning houses of Malayalees on Mysore Kerale Border ...	—33
5615	सुरक्षित स्मारकों से मूर्तियों की चोरी करने वाले अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह	International Ganges engaged in stealing Idols form Protected Monuments ...	—34
5616	प्रशासनिक ढाँचे में सुधारों के बारे में नीतियों की क्रियान्वित	Implementation of Politicies regarding reforms in Administrative set up ...	—34
5617	आकाशवाणी के ड्रामा कलाकारों की बुकिंग	Booking of drama artistes of AIR ...	—34
5618	मोती नगर, नई दिल्ली में सार्वजनिक टेलीफोन लगाने के लिए अनुरोध	Request for P. C. O. at Moti Nagar, New Delhi ...	—35
5619	डाक घरों में जाली डाक टिकटों की बिक्री	Sale of fake postal stamps in Post Offices ...	—35
5620	राज्य केन्द्र सहयोग के बारे में उप समिति	Sub Committee on State Centre Cooperation ...	—36

अता.प्र. संख्या U.S.Q. No.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
5621	केरल में डाक तथा तार कर्मचारी — P & T employees in Kerala ...	—36
5622	अखबारी कागज की आयात नीति का पुनरीक्षण — Revision of Newsprint import Policy ...	—37
5623	नियंत्रित वस्तुओं की चोर बाजारी — Black marketing in controlled Items ...	—37
5624	सेंट्रल इलैक्ट्रो कैमीकल इंस्टीट्यट (तमिलनाडु) द्वारा लोह चूर्ण बनाने की प्रक्रिया — Process to develop Iron Powder developed by Central Electric Chemical Institute (Tamil Nadu) ...	—38
5625	भूतपूर्व शासकों द्वारा भूमि और सम्पत्ति का बेचा जाना — Sale of Land and Property by former Rulers ...	—38
5626	केन्द्रीय सरकार के सेवा निवृत होने वाले कर्मचारी — Central Govetnment Employee Attaining Age of Superaun-aton after Appointment of Third Pay Commission ...	—39
5627	मूल्य सूचकांक तैयार करने का आधार — Basis for preparation of price Index ...	—39
5628	जर्मन मामलों संबंधी भारीय संस्थान — Indian Institute for German Affairs ...	—39
5629	कृषि तथा उद्योग निगम द्वारा ट्रेक्टरों का उत्पादन — Manufacture of Tractors by Agro-Industries Corporation...	—40
5632	हाल ही में आत्म समर्पण करने वाले डाकुओं के परिवारों के पुनर्वास के लिए केन्द्रीय सहायता की व्यवस्था — Central Assistance Provided for Rehabilitation of Famillies of Dacoits Surredered recently ...	—40
5633	दिल्ली में उत्पादन शुल्क विभाग मे सुधार करना — Streamlining of Excise Depart-ment Delhi ...	—40
5634	देश में हिरासत में राजनीतिक बन्दी — Political Detenues under Custody in the country ...	—42
5635	दिल्ली प्रशासन द्वारा राजधानी में शराब की दुकानें चलाना — Running of liquor shops in Capi-tal by Delhi Adminlstration ...	—43
5636	मांदर (मध्य प्रदेश) में सीमेंट फैक्टरी की चिमनी का गिर जाना — Collapse of Chimniey of Cement Factory at Mandhar (M.P.) ...	—43
5637	नेताजी जाँच आयोग द्वारा की गई प्रगति — Progress made by Netaji Enquiry Commission ...	—44
5638	नेताजी जांच आयोग की सहायता के लिये कानूनी सलाहकार — Counsel for Assisting Netaji Enquiry Commission ...	—45
5639	कागज की किस्म और उत्पादन — Quality and production of paper ...	—45
5640	औद्योगिक बस्तियों का कार्यकरण — Working of Industrial Estates	—45

अता. प्र. संख्या U.S.Q. No.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
5641	सदर बाजार, दिल्ली में 16 अप्रैल, 1972 को आग लगने के कारण Causes of outbreak of Fire in Sadar Bazar, Delhi on 16th April, 1972 ...	—46
5642	बिहार राज्य में डाक और तार कार्यालय Posts and Telegraphs Offices in Bihar State ...	—46
5643	भारत को रूस से तकनीकी सहायता Techical Assistance to India from USSR ...	—47
5644	इंजीनियरिंग सेवा की परीक्षाओं के लिए अधिकतम आयु की सीमा में वृद्धि करना Raising of Upper Age Limit for Engineering Services Examination ...	—47
5645	सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास की व्यवस्था करने के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश Recommendation of ARC for providing Accommodation to Government Employees ...	—48
5646	भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम Refreshers Course for IAS Offiicers ...	—48
5647	भारत और भूटान के बीच तार मनी-आर्डर प्रणाली आरम्भ करना Introduction of Telegraphic Money Orders between India and Bhutan ...	—49
5648	दिल्ली में सीमेंट की कमी और इस की काला बाजारी Shortage and Blackmarketing of Cement in Delhi ...	—49
5649	आई.टी.आई. के उत्पादों पर हिन्दी में नाम Hindi Names on ITI Products	—50
5650	ग्वालियर में आक्सीजन गैस संयंत्र स्थापित करना Settingup of Oxygen Gas Plant at Gwalior ...	—50
5651	डाकुओं द्वारा आत्म समर्पण और उन से हथियार बरामद होना Surrender by Dacoits and Recovery of Arms from Them ...	—50
5652	दस पैसे के पुराने सिक्कों की कमी और नये सिक्कों के प्रचलन के कारण सार्वजनिक टेलीफोन की घरों पर कठिनाईयाँ Difficulty experienced at Public Call Office owing to Shortage of old ten paise coins and introduction of New Coins ...	—51
5653	दुर्ग जिले में टेलीफोन की सुविधा Telephone Facilities in Durg District ...	—51
5654	शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए ऊर्जा का प्रयोग Use of Atomic Energy for Peaceful Purposes ...	—52
5655	सरकारी उपक्रमों में मजदूर संघों की मान्यता के लिए नियम Rules for Recognition of Trade Unions in Public Undertakings ...	—52
5656	ठुमरी गायिका श्रीमती रसूलन बाई की दयनीय दशा Plight of Shrimati Rusoolan Bai exponent of Thumari ...	—53

अता. प्र. संख्या U.S.Q. No.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
5657 देश में निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत व्यक्तियों को नजरबन्द करना	Detewtion of persons under P.D. Act in the Country ...	—53
5658 भारतीय सीमान्य प्रशासनिक सेवा	Indian Frantier Administrative Service ...	—55
5659 राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लि० को लीबियन अरब रिपब्लिक द्वारा सौंपा गया कार्य	Assignment received from Libyan Arab Republic by NIDC Ltd....	—55
5660 ट्रेक्टरों की ऊंची कीमतें	High Prices of Tractors	—56
5661 उप-सचिवों के रूप में नियुक्ति के मामले में भारतीय प्रशासन सेवा अधिकारियों और केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों में भेदभाव किया जाना	Discrimination between IAS Officers and Central Sectt. Service Officers in the matter of appointment as Deputy Secretaries ...	—56
5662 उच्चतर ग्रेडों में पदोन्नति के लिए सूचियों का बनाया जाना	Formation of panels for promotion to higher grades ...	—57
5663 उच्चतर ग्रेडों में पदोन्नति के लिए केन्द्रीय सचिवालयों सेवा के अधिकारियों तथा अन्य सेवा के अधिकारियों की संख्या निर्धारित करने की प्रक्रिया	Procedure for determining strength of Central Secretariat Service Officers and Officers of other services for promotion to higher grades ...	—58
5665 आवश्यक डाक पर विलम्ब शुल्क	Late Fee for urgent Mail ...	—60
5666 उद्योगों के विस्तार के लिए आवेदन पत्र	Applications for expansion of Industries ...	—60
5667 कोटा में परमाणु शक्ति केन्द्र में आग लगना	Fire in Atomic Power Station at Kotah ...	—60
5668 नौगछिया टेलीफोन केन्द्र, जिला भागलपुर, बिहार	Telephone Exchange Naugachia, Bhagalpus District, Bihar ...	—61
5669 ग्रामीण क्षेत्रों में संचार साधनों में सुधार की योजना	Scheme for improving means of communications in rural areas ...	—61
5670 सरकार द्वारा औद्योगिक उपक्रमों में शेयरों की खरीद	Acquisition of shares in Industrial undertakings by Government ...	—62
5671 ट्रेक्टरों के मूल्य	Prices of Tractors	—62
5672 गुजरात में दस ग्रामीण डाकखानों का बन्द होना	Closure of Ten Rural Post Offices in Gujarat ...	—63

अता.प्र. संख्या U.S.Q. No.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
5673	गुजरात के प्लास्टिक उद्योग में कच्चे माल की कमी — Shortage of Raw Materials in Plastic Industry in Gujarat ...	—64
5674	कलपक्कम स्थित रिएक्टर अनुसंधान केन्द्र — Reactor Research Centre at Kalpakka ...	—65
5675	यूरेनियम के बारे में आत्म निर्भरता — Self Reliance in Uranium	—65
5676	परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए जनशक्ति की आवश्यकताओं का मूल्यांकन — Assessment of Manpower needs for Atomic Energy Programme ...	—65
5677	राकेट छोड़ने वाली मशीनों का निर्माण करने के लिए फ्रांस से तकनीकी जानकारी का आयात — Import of Technical know-how from France for Manufacturing Rocket-Propeliants ...	—66
5678	भारतीय सांख्यिकी संस्थान के कर्मचारियों का राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन में खपाया जाना — Absorption of Indian Statistical Institute staff in National Sample Survey Organisation ...	—66
5679	दिल्ली में अश्लील साहित्य बेचने वाले एक व्यक्ति की गिरफतारी — Arrest of a person in Delhi for selling obscene literature ...	—67
5680	ग्रामीण क्षेत्रों में तार व्यवस्था आरम्भ करना — Introduction of Telegraph Scheme in Rural Areas ...	—68
5681	दिल्ली में अनैतिक व्यापार के आरोप में महिलाओं को गिरफतार करना — Arrest of women on the charge of Immoral Traffic in Delhi ...	—68
5682	दिल्ली में बेरोजगार इंजीनियरों को भूमि का आवंटन — Allotment of Land to Unemployed Engineers in Delhi ...	—68
5683	वाराणासी (उत्तर प्रदेश) में इंजीनियरिंग परियोजना की स्थापना — Setting up of Engineering Project in Varantsi (U.P.) ...	—68
5684	मध्य प्रदेश में पिछड़े क्षेत्र — Backward Areas in Madhya Pradesh ...	—69
5685	मध्य प्रदेश में पिछड़े आदिवासी क्षेत्रों में सड़कों की व्यवस्था करने की योजना — Scheme for Providing Roads to Back ward Adivasi Regions in Madhya Pradesh ...	—70
5686	भारतीय सिविल सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों को पुनः रोजगार देने के बारे में नीति — Policy regarding re employment of retired ICS and IAS Officers ...	—70
5687	समाचार पत्र के नाम का अनुमोदन — Approval of Newspaper Title	—71

प्र. संख्या U.S,Q. No.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
5688	राज भवनों पर होने वाले व्यय की जांच करने सम्बन्धी समिति Committee to examine Expenditure on Raj Bhavans ...	—71
5689	रतलाम जिले की हिन्दी साप्ताहिक पत्र-पत्रिकाओं के नाम की स्वीकृति के लिए आवेदन पत्र Approval of title of Ratlam District Hindi Weeklies ...	—72
5691	हिमाचल प्रदेश के कारखाने में उत्पादित होने वाले अखबारी कागज का मूल्य Price of Newsprints Manufactured in Himachal Factory ...	—72
5692	देश में भूमिगत पाकिस्तानी नागरिक Pak Nationals gone Underground in the country ...	—73
5693	वैध पारपत्रों पर हरियाणा में आए और भूमिगत हो गये पाकिस्तानी नागरिक Pak Nationals came to Haryana on valid passports and gone underground ...	—73
5694	वैध पारपत्रों पर पंजाब में आये पाकिस्तानी नागरिक Pak Nationals came Punjab on valid Passports ...	—74
5695	राजस्थान के जिला बाड़मेर सहकारी बैंक से भारी रकम लेकर पाकिस्तान भाग जाने वाले व्यक्ति Persons escaped to Pakistan with huge amount from District Barmer Co-operative Bank, Rajasthan ...	—74
5696	पुलिस बल का आधुनिकीकरण करने के लिए मध्य प्रदेश को धन का आवंटन Allocation to Madhya Pradesh for modernisation of Police Force ...	—75
5697	डाक व तार विभाग के तकनीकी तथा विकास सर्किल में विकेन्द्रीकरण की योजना Scheme of decensralisation in technical and development circle of P & T Department ...	—75
5698	तारापुर परमाणु संयंत्र के कार्य की समीक्षा Review of Working of Tarapur Atomic Plant ...	—75
5699	विकास कार्य के लिए गुजरात को धन का आवंटन Provision of funds to Gujarat for Development ...	—76
5700	गुजरात में दोषपूर्ण टेलीफोन लाइनें Defective Telephone lines in Gujarat ...	—77
5701	विदेशी तम्बाकू और सिगरेट उद्योगों द्वारा लाभ आदि बाहर भेजा जाना Profits etc. repatriated by foreign Tobacco and Cigarette Industries ...	—77
5702	बिहार और पश्चिम बंगाल में बन्द पड़े औद्योगिक एकक Idle Industrial Units in Bihar and West Bengal ...	—78
5703	राज्यों में योजना बोर्ड Planning Boards in States	—78

अता.प्र. संख्या U.S.Q. No.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
5704	भुवनेश्वर स्थित उड़ीसा अनुसंधान परियोजना के राष्ट्रविरोधी क्रिया-कलाप	Anti natonal activity of Orissa Research Project at Bhubaneswar ... —79
5705	जिला मुख्यालयों और राज्य की राजधानियों के बीच सीधी ट्रंक लाइनें	Direct trunk lines between District H.Qs. and state Capitals ... —79
5706	विभिन्न बोलियों और भाषाओं में आकाशवाणी कार्यक्रम	A. I. R. Programmes in various dialects and languages ... —79
5708	अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को सेवा में निश्चित अवधि तक रहने के बाद उच्चतर वेतनमान	Higher pay Scales Payable to Officers of All India Services after putting in specified number of years in service ... —80
5709	हिन्दी शिक्षण योजना	Hindi Teaching Scheme —81
5710	ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन में बाजोरिया बन्धुओं के शेयर	Bajorias share in BIC —82
5711	ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन के निदेशक मंडल में श्रम प्रतिनिधि की नियुक्ति	Appointment of Labour Representative on Board of Directors of BIC ... —82
5712	ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन द्वारा सरकारी निदेशों को क्रियान्वित किया जाना	Implementation of Government directives by BIC —83
5713	ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन द्वारा कम्बलों की बिक्री	Sale of Blankets by BIC —83
5714	डाक कर्मचारियों द्वारा त्रिवेंद्रम के पोस्ट मास्टर की पिटाई	Post Master Trivandrum beaten up by Postal employees —84
5715	मजदूरों और कामिकों के लिये आकाशवाणी के कार्यक्रम	AIR programme concerning labourers and workers —84
5716	सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड को कट्टों की सप्लाई	Supply of Gunny Bags to Cement Corporation of India Limited —84
5717	राजस्थान में उद्योगों की स्थापना के लिए लाइसेंस जारी करना	Issue of Licences for setting up of industries in Rajasthan —85
5718	भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग द्वारा लद्दाख क्षेत्र का सर्वेक्षण	Survay of Ladakh region by Botanical Survey of India —86
719	भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग द्वारा वनस्पति खोज सम्बन्धी दौरे	Botanical exploration tours conducted by the Botanical Survey of India —86

अता.प्र. संख्या U.S.Q. No,	विषय Subject	पृष्ठ Pages
5720 देश में अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को जिन्दा जला देने और उनके मकानों को जलाने की घटनाएं	Incidents of burning alive of Scheduled Castes people and setting their houses on fire in the country	—87
5721 आकाशवाणी केन्द्रों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के कर्मचारियों की सख्या	SC and ST Employees in AIR Stations	—87
5722 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों की पदोन्नति के लिये पृथक बरीयता सूची	Separate Seniority Lists for promotion of Scheduled Castes and Schduled Tribes	—88
5723 केन्द्रीय सरकार का उड़ीसा सरकार की केन्द्रीय सरकार की सहमति के बिना आरक्षित रिक्त स्थान को अनारक्षित मानने का आदेश	Central Government's Directive to Government of Orissa to treat Reserved Vacancy as Unreserved without Centre's concurrence	—88
5724 दिल्ली और रांची के बीच सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था	Delhi Ranchi STD System	—88
5726 केन्द्रीय जाँच ब्यूरो और सतर्कता आयोग का क्षेत्राधिकार	Jurisdiction of CBI and of Vigilance Commission	—89
5728 राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड में प्रतिनियुक्ति पर गये कर्मचारी	Deputation in NIDC Limited	—89
5729 गृह मंत्रालय में हिन्दी अनुवादकों को स्थायी बनाना	Confirmation of Hindi Translators in Home Ministry	—90 —90
5730 सरकारी क्षेत्र के आयात कर्ताओं द्वारा लघु औद्योगिक इकाइयों को कच्चे माल की सप्लाई	Supply of Raw Materials to Small Scale Industrial Units by Public Sector Importers	—90
5731 मौलिन्स (इन्डिया) प्राइवेट लिमिटेड का उत्पादन कार्यक्रम	Manufacturing programme by Molins (India) Pvt. Ltd.	
5732 मौलिन्स (इन्डिया) प्राइवेट लिमिटेड को लाइसेंस देना	Issue of Licences to Molins (India) Private Ltd.	—91
5733 केरल में नई कम्पनियों के लिए लाइसेंस	Licences for New Companies in Kerala	—92
5734 केन्द्रीय सचिवालय सेवा के राज्यों में अनुभाग अधिकारियों को कार्यकारी प्रशिक्षण	Executive Training to Section Officers of Central Secretariat Service in States	—93

अता.प्र. संख्या U.S.Q. No.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
5737	केन्द्रीय सचिवालय सेवा में उपसचिव के पदों पर नियुक्त के लिए चयन सूची — Select List for Appointment as Deputy Secretaries CSS	
5738	पंजाब और हरियाणा से उद्योग स्थापित करने के लिए आवेदन पत्र — Applications from Punjab and Haryana for setting up of Industries	—94
5739	सीमेंट की कमी और उसकी चोर बाजारी — Shortage and Black Market of Cement	—95
5740	पहाड़गंज, नई दिल्ली में दिल्ली दुग्ध योजना के एक कर्मचारी से नकदी का कथित लूट लिया जाना — Alleged looting of Cash from a Delhi Milk Scheme Employee in Paharganj, New Delhi	—95
5741	कार्मिक दल (टास्क फोर्स) का मध्यप्रदेश के डाकू ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा — Visit of Dacoit infested Areas in Madhya Pradesh by the Task Force	—96
5442	डाक विभाग के व्यस्त डाक अनुभाग (पोस्ट रेस्टैन्टे सेक्शन) का विस्तार — Expansion of Post Restante Section of Postal Depar tment	—96
5743	साधारण डाक से डालर और स्टर्लिग का प्राप्त होना — Dollars and Sterlings in Ordinary Mail	—97
5744	अखबारी कागज के नियतन की नीति के बारे में इण्डियन एण्ड ईस्टर्न न्यूज पेपर्स सोसायटी के अध्यक्ष का वक्तव्य — Statement by President of Indian and Eastern Newspapers Society on Newsprint allocation Policy	—97
5 45	तामिलनाडू में मध्यम दर्जे के उद्योग — Medium Scale Industries in Tamll Nadu	—97
5746	बम्बई और महद के बीच तार और टेलीफोन लाइनें — Telegraph and Telephone Lines between Bombay and Mahad	—98
5747	ग्रामीण क्षेत्रों के लिये टेलिफोन सलाहकार समितियां — Telephone Advisory Committee for Rural Areas	—98
5748	नया टेलीफोन प्राप्त करने के लिए तीन सौ रुपये जमा करवाना — Deposit of Three Hundred Rupees for New Telephone	—98
5749	उत्तर प्रदेश के टेलिफोन और डाक डिविजनों के कर्मचारियों की कमी — Under Staffed Telephone and Postal Divisions of U. P.	—99
5750	दिल्ली में पकड़े गये निषिद्ध सोने के बिस्कुटों को बनाने वाली फैक्टरी — Factory Manufacturing Fake Gold Biscuits Unearthed in Delhi	—100
5751	भारी पानी (हैवी वाटर) का निर्यात — Export of Heavy Water	—100
5752	औद्योगिक क्षेत्रों में उत्पादन — Production . in Industrial Sectors	—100

अता.प्र. संख्या U.S.Q. No.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
5753	निर्यात किये जाने वाले चलचित्रों पर कड़ा सेंसर — Strict Censorship of Films for Export	—101
5754	आकाशवाणी से व्यापारिक प्रसारण — Commercial Broadcasting over AIR	—101
5755	नेफा में रेड़ियो स्टेशनों की स्थापना — Location of Radio Stations in NEFA	—101
5756	आर० एम० एस० क्लास 111 एम्पलाइज यूनियन, मदुरै — R.M.S. Class III Employees Union, Madurai	—102
5757	इलैक्ट्रिकल वायलिंग स्पिरिट का भण्डार बनाने के लिए केरल,तमिलनाडु और मैसूर से प्राप्त विचाराधीन आवेदन पत्र — Pending Applications for Storage of Electrical Boiling Sprit from Kerala, Tamil Nadu and Mysore	—102
5758	चौथी पंचवर्षीय योजना में केरल में उद्योगों की स्थापना — Setting up of Industries in Kerala during Faurth Plan	—103
5759	चौथी पंचवर्षीय योजना में केरल में लघु उद्योगों के लिए धन की व्यवस्था — Funds for small Scale Industries in Kerrla during Fonrth Plan	—104
5760	बिहार में वन क्षेत्र के निकट कारखाने की स्थापना — Setting up of Factory near Forest Area in Bihar	—105
5761	उत्तर प्रदेश में सेन्चुरी पल्य द्वारा कागज बनाने के कारखाने लगाना — Setting up of a Paper Unit by Century Pulp in U.P.	—105
5762	चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान आन्ध्र प्रदेश में लघु उद्योगों की स्थापना — Setting up of a Smallscale Industries in Andhra Pradesh during Fourth Plan	—105
5763	आन्ध्र प्रदेश द्वारा शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों के लिए मांगी गई वित्तीय सहायता — Financial Assistance sought by Andhra Pradesh for Educated Unemployed	—106
5764	सैंट्रल इलैक्ट्रानिक्स एण्ड इन्जीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट पिलानी द्वारा अर्जित रायल्टी का वितरण — Distribution of Royalty earned by Central Electronics Engineering Research Institute, Pilani	—107
5765	वर्ष 1970 और 1971 में उत्तर प्रदेश के डाक कर्मचारियों का मुअत्तिल किया जाना — Suspension of Postal Employees of Uttar Pradesh in 1970 and 1971	—108
5766	राजनीतिक दलबदल रोकने के लिये कानून बनाया जाना — Legislation to Curb Political Defections	—109

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	—109
नागार्जुन सागर परियोजना के परिव्यय में कटौती	Curtailment in Outlay on Nagarjunasagar Project	—109
श्री पी० नरसिन्हा रेड्डी	Shri P. Narasimha Reddy	
डा० के० एल० राव	Dr. K.L. Rao	—109
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	—111
कराधान विधि (संशोधन) विधेयक	Taxation Laws (Amendment) Bill	—113
प्रवर समिति का प्रतिवेदन तथा साक्ष्य	Report of Select Committee and Evidence	—113
वियतनाम की हाल की घटनाओं के बारे में वक्तव्य	Statement on Recent Devlopments in Vietnam	—113
श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh	—113
कार्य मंत्रणा समिति	Business Adivsory Committee	—114
11 वां प्रतिवेदन	Eleventh Report	—114
अनुदानों की मांगें, 1972-73	Demands for Grants. 1972-73	—115
नौवहन और परिवहन मंत्रालय	Ministry of Shipping and Transport	—115
श्री एस० एल० पैंजे	Shri S. L. Peje	—115
श्री इस्हाक सम्भली	Shri Ishaq Sambhali	—116
श्री सुबोध हंसदा	Shri Subodh Hansda	—116
श्री पी० के० देव	Shri P. K. Deo	—118
श्री मोहनराज कलिंगा रामर	Shri Mohanraj Kalingarayr	—119
श्री शिव चन्डिका	Shri Shiv Chandika	—120
श्री सुरेन्द्र मंहती	Shri Surendra Mohanty	—121
श्री कृष्ण चन्द्र पांडे	Shri Krishna Chandra Pandey	—122
श्री भागीरथ भंवर	Shri Bhagirath Bhanwar	—123
श्री चन्द्रिका प्रसाद	Shri Chandrika Prasad	—123
श्री शंकर देव	Shri Shankar Dev	—124
श्री राज बहादुर	Shri Raj Bahadur	—124
निर्माण और आवास मंत्रालय	Ministry of Works and Housing	—130
डा० सरदीश राय	Dr. Sardish Roy	—130
श्री टी० सोहन लाल	Shri T. Sohan Lal	—132

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
श्री झारखंडे राय	Shri Jharkhande Rai	—132
श्री वसंतराव पुरषौत्तम साठे	Shri Vasant Sathe	—133
श्री ई० आर० कृष्णन	Shri E. R. Krishnan	—133
श्री दलीप सिंह	Shri Dalip Singh	—138
श्री लालजी भाई	Shri Lal Ji Bhai	—138
श्री मूल चन्द डागा	Shri M. C. Daga	—139
श्री एच० के० एल० भगत	Shri H. K. L. Bhagat	—139
श्री नागेश्वर द्विवेदी	Shri Nageshwar Dwivedi	—139
श्री आर० डी० भंडारे	Shri R. D. Bhandare	—139
श्री अमरनाथ विद्यालंकार	Shri Amarnath Vidya-lankar	—140
श्री विभूति मिश्र	Shri Bibhuti Mishra	—140
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	—140
श्री शशि भूषण	Shri Shashi Bhushan	—141
श्री आई० के० गुजराल	Shri I. K. Gujral	—141
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री	Ministry of Health and Family Planning	—147
श्री ई० आर० कृष्णन	Shri E. R. Krishnan	—148
डा० जी० एस० मेलकोटे	Dr, G.S. Melkote	—153
श्रीमती भार्गवी तनकप्पन	Shrimati Bhargavi Thank-appan	—154
डा० कैलाश	Dr. Kailas	—155
श्री माधुर्य्य हाल्दार	Shri Madhurya Haldar	—155
श्री शिवनाथ सिंह	Shri Shivnath Singh	—157

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 10 मई, 1972/20 वैशाख, 1894 (शक)
Wednesday, May 10, 1972/Vassaka 20, 1894 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए** / **Mr. Speaker** *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
Oral Answers to Questions

मशीनी औजारों के विकास के लिये विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संबंधी राष्ट्रीय समिति की आपात योजना

***761. श्री बो० के० दास चौधरी:** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति ने मशीनी औजारों के विकास के बारे में कोई आयात योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और इस बारे में क्या प्रगति हुई है ?

योजना मन्त्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम्) : (क) जी हां।

(ख) मशीनी औजारों के विकास सम्बन्धी आपात योजना का उद्देश्य लगभग 50 प्रकार के आयात मशीनी औजारों का स्वदेशी विकास करना है, ताकि उस 5 वर्ष की अवधि में आत्म-निर्भर बना जा सके।

श्री बो० के० दास चौधरी: मंत्री महोदय के उत्तर से स्पष्ट है कि केवल 50 प्रकार के मशीनी औजारों के निर्माण हेतु विकास किया जा रहा है तो क्या सरकार ने उन औजारों का विकास करने की भी कोई योजना बनाई है जिनका आयात अब नहीं किया जा रहा है ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : मै यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इन 50 किस्मों का केवल विकास ही किया जा रहा है और यह आवश्यक नहीं है कि हम इन सभी का निर्माण भी करेंगे इसका अनुमान विकास के बाद ही लगाया जाएगा।

इस समय आयात न किए जाने वाले औजारों के सम्बन्ध में यदि आवश्यक हुआ तो यह कार्य लम्बी अवधि की योजना और शायद चौथी योजना में शामिल किया जायेगा।

श्री बी० के० दास चौधरी : विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना के प्रतिवेदन में कहा गया है कि 50 किस्म के मशीनी औजार बनाने के लिए आपात कालीन योजना बना ली गई है और इस के लिए केन्द्रीय मशीनी औजार संस्था और हिन्दुस्तान मशीन टूल्स को पहले ही इनका उत्पादन करने के लिए कहा जा चुका है जिसके लिए इन्होंने क्रमशः 4.8 करोड़ और 2.35 करोड़ रुपये की मांग की है। क्या सरकार ने इनका उत्पादन तुरन्त आरम्भ करने के लिए इन राशियों की मंजूरी दे दी है ?

श्री सी० सुब्रहमण्यम् : मैं माननीय सदस्य को पुनः बता देना चाहता हूं कि बात इन के उत्पादन की न होकर विकास की है और ये दोनों संस्थाएं यही कार्य करेंगी। दोनों क्षेत्रों में अन्य संस्थाएं भी यही कार्य करेंगी। हम इस बात का पता लगा रहे हैं कि कौन सी संस्था किस औजार का विकास कर सकती है और विकास-कार्य पर कितना व्यय होगा। इस कार्य के लिए चुनी गई संस्थाओं को विकास-लागत हम देंगे।

श्री बी० के० दास चौधरी : क्या सरकार ने धन की स्वीकृति दे दी है ?

श्री सी० सुब्रहमण्यम् : इस के लिए बातचीत चल रही है।

भूतपूर्व शासकों द्वारा हथियारों की वापसी

+
***762. श्री पम्पन गौडा :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूतपूर्व शासकों को अपने हथियार वापस करने के आदेश दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो जिन भूतपूर्व शासकों ने अपने हथियार सरकार को सौंप दिये हैं उनके, राज्यवार, नाम क्या हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) (क) : जी नहीं, श्रीमान। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि भूतपूर्व नरेशों और उन के परिवारों के सदस्यों से कहा जाये कि वे अपने समस्त हथियारों की श्रेणीवार पूर्ण सूची प्रस्तुत करें तथा उन को यह भी सलाह दी जाये कि वे उन हथियारों का निपटान, बिक्री, भेंट इत्यादि द्वारा न करें।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री पम्पन गौडा : क्या राज्य सरकारों ने भूतपूर्व नरेशों से प्राप्त किसी सूचना के बारे में आपको बताया है ? यदि हां, तो उनके शस्त्रों की संख्या कितनी है ?

श्री राम निवास मिर्धा : अब तक केवल 76 भूतपूर्व नरेशों ने अपने शस्त्रों की सूची भेजी है।

हमने राज्य सरकारों को ये सूचना देने हेतु 10 अप्रैल, 1972 की अन्तिम तारीख दी थी, परन्तु उन्होंने इन 76 को छोड़कर यह सूचना अभी तक नहीं भेजी है। हम राज्य सरकारों को पुनः स्मरण करा रहे हैं कि वे यह सूचना शीघ्रताशीघ्र भेज दें।

श्री इन्द्र जीत गुप्त : भूतपूर्व नरेशों के पास ये शस्त्र उनके विशेषाधिकार स्वरूप थे और मेरे विचार में इनके लिए लाइसेंस की कोई आवश्यकता नहीं थी। परन्तु अब ये अधिकार समाप्त कर दिए जाने पर वे देश के साधारण नागरिक ही हो गये हैं। अतः मंत्री महोदय बताएं कि वह उनसे सूचियां प्राप्त करके ही क्यों संतुष्ट हो जाना चाहते हैं जबकि उन्हें पता है कि ये सभी शास्त्र बिना लाइसेंस के उनके पास हैं ? उन्हें साधारण नागरिकों के समान ये शस्त्र सरकार को सौंप देने के लिए क्यों नहीं कहा जा सकता ? उत्तर में बताया गया है कि उन्हें ये शस्त्र बिक्री या भेंट स्वरूप न देने की भी सलाह दी गई है—सलाह ही तो दी गई है उन पर कोई रोक या प्रतिबन्ध तो नहीं लगाया गया। सरकार यह कैसे सुनिश्चित करेगी कि इस बीच वे अपने शस्त्र मनमाने ढंग से ठिकाने न लगा पाएं।

श्री राम निवास मिर्धा : शस्त्र सरकार को सौंप देने का तो प्रश्न ही नहीं है क्योंकि हो सकता है कि वे सभी या कुछ शस्त्रों के लिए नियमित लाइसेंस लेने के लिए आवेदन करें। अभी तो हम उनसे अपने शस्त्रों की सूची देने को ही कह रहे हैं, बाद में यह निश्चय किया जाएगा कि कौन-कौन से शस्त्र वे अपने पास रख सकते हैं और उन्हें किस प्रकार के लाइसेंस दिये जाने हैं और इन शस्त्रों का रखा जाना कैसे विनियमित किया जाये। जैसा सभी जानते हैं, शस्त्रों की बिक्री या उपहार में देना शस्त्रास्त्र अधिनियम के अधीन वर्जित है। अतः सरकारी जानकारी के बिना बड़े पैमाने पर इनकी बिक्री संभव नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर तो दिया ही नहीं गया। मैंने पूछा था कि जब तक वे लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं करते और उनके पास बिना लाइसेंस शस्त्र हैं, वे शस्त्र बिना लाइसेंस के ही हैं और अब जबकि नरेशों के पास विशेषाधिकार नहीं हैं तो उनके साथ साधारण नागरिकों का सा व्यवहार क्यों नहीं किया जाता और उन्हें शस्त्र लौटाने के लिए क्यों नहीं कहा जाता ?

श्री राम निवास मिर्धा : उन्हें साधारण नागरिक ही समझा जाता है। इस बीच हमने उन्हें सूची देने के लिए कहा है। पहले ही उन्हें शस्त्र लौटाने के लिए कहने से बहुत सी कठिनाइयां पैदा हो जाएंगी और इससे कोई लाभ भी नहीं होगा। शस्त्रों के बारे में हमें पता है। अन्य मामलों के बारे में हमें ये सूचियां प्राप्त होने पर पता चल जाएगा। अतः, चोरी-छुपे किसी बिक्री की कोई संभावना नहीं है और हमने आवश्यक सावधानी बरत ली है।

श्री इन्द्र जीत गुप्त : मैं आपकी सहायता चाहता हूँ। क्या मंत्री महोदय के उत्तर से हम यह समझें कि यदि किसी साधारण नागरिक के पास बिना लाइसेंस शस्त्र हों तो क्या सरकार इन्हें लौटाने के लिए कहेगी या उससे इनकी सूची मांगी जाएगी ?

श्री राम निवास मिर्धा : शस्त्रास्त्र अधिनियम के अनुसार भी यह उपबन्ध है कि केन्द्रीय

सरकार कतिपय वर्ग को शस्त्र रखने की अनुमति दे सकती है। अब भी उनके पास शस्त्र हैं जिनका हमें पता है और यह अवैध नहीं है क्योंकि इससे उपरोक्त अधिनियम का उल्लंघन नहीं होता। अतः हमें उनसे शस्त्रों की घोषणा करने के लिए कहा जा रहा है।

श्री तरुण गोगोई : सरकार द्वारा लोगों के किस वर्ग को बिना लाइसेंस शस्त्र रखने की अनुमति दी गई है ?

अध्यक्ष महोदय : यह अलग प्रश्न है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या इन राजा-महाराजाओं के पास शस्त्रों की कुल संख्या के बारे में सरकार को पता है।

श्री रामनिवास मिर्धा : कुल संख्या के बारे में तो विभिन्न राज्यों से ये सूचियां प्राप्त होने पर ही पता चलेगा।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : इस बीच यदि वे चोरी-छिपे इन्हें बेच दें या दूसरों को दे दें तो उन्हें कैसे पकड़ा जाएगा ?

श्री राम निवास मिर्धा : राज्य सरकारें इस बारे में बहुत सतर्क हैं और हमें उनसे ऐसी किसी घटना की सूचना अभी तक नहीं मिली है।

सीमा सुरक्षा दल द्वारा भारत-बंगला देश सीमा पर गश्त

*763. **श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सीमा सुरक्षा दल द्वारा भारत-बंगला देश सीमा पर अभी भी गश्त लगाई जा रही है या उसे वापस बुला लिया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : सीमा सुरक्षा बल पर भारत-बंगला देश सीमा की सुरक्षा तथा निगरानी का उत्तरदायित्व बना हुआ है। उनके कर्तव्य के प्रभावी निर्वहन के लिए जब कभी आवश्यक होता है तो वे गश्त लगाते हैं।

श्री प्रिय रंजनदास मुन्शी : बंगला देश को जब पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था और जब वह क्षेत्र पाकिस्तान के अधीन था, तब सीमा सुरक्षा दल का कार्य बिल्कुल भिन्न प्रकार का था। जबकि बंगला देश स्वतन्त्र देश बन जाने पर यह कार्य भिन्न है तो क्या यह सच है कि कुछ शस्त्रास्त्र जो सीमाओं पर मिले हैं और जो मुक्तिवाहिनी या भारतीय सेना या किसी अन्य द्वारा वहां फेंक दिये गये थे, तो क्या इस दल ने उन्हें पूरी तरह ढूंढ़कर अपने कब्जे में कर लिया है या क्या उन्हें भारत-बंगला देश सीमा पर यहां वहां समाज-विरोधी तत्वों द्वारा किये जा रहे अवैध व्यापार रोकने का कार्य सौंपा गया है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : सीमा सुरक्षा दल के चार्टर में शस्त्रों की तस्करी तथा अन्य अवैध कार्यवाहियों को रोकना शामिल है। जहां कहीं भी यह दल तैनात किया जाता है यह कार्य उनके कर्तव्यों में शामिल होता है। बंगला देश की स्वतन्त्रता के बाद सीमा सुरक्षा दल ने सीमा पर अनेक शस्त्र पकड़े हैं और कई तस्करों को गिरफ्तार किया है।

Shri Hukam Chand Kachwai : I want to know whether the arrested smugglers belong to India or Bahgla Desh and what is the make of the weapons siezed ?

Shri K. C. Pant : If the hon. Members want details of weapons, there are 303 rifls 7.62 rifls, revolvers, pistols, LMGs, Stenguns, Bayonets, Scaffords and different typs of ammunitions.

Shri Hukam Chand Kachwai : What about their make ?

Shri K. C. Pant : I do not have that Information. The nationality of the Smugglers has also not been given.

श्री सुबोध हंसदा : क्या ये शस्त्र तस्करों से पकड़े गए हैं या समाज-विरोधो तत्वों से ।

Shri K. C. Pant : I do not have the break-up However, what is the difference between the two. A large number of smugglers have been arrested ie, 547 in January, February and March last.

श्री समर गुह : क्या पकड़े गए तस्करों की उन राजनीनिक तत्वों से सांठ-गांठ है जो बंगला देश से शस्त्र लाना चाहते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन तत्वों का ब्यौरा देगी ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है । वे तो खपत की साधारण वस्तुयें जैसे सरसों का तेल, मिट्टी का तेल, साबुन, सिग्रेट-बीड़ी आदि की तस्करी करने का प्रयत्न करते हैं । वे अपराधी प्रवृत्ति के हैं और उनके साथ कठोर व्यवहार करना पड़ेगा ।

प्रशासनिक तन्त्र में सुधार के उपाय

*764. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रशासनिक सुधार आयोग की उस सिफारिश को क्रियान्वित करने का अभी हाल में निर्णय किया है, जिसके अनुसार प्रगति, नीतियों एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन और प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि करने के उपायों पर चर्चा करने के लिए प्रधान मन्त्री हर महीने सभी मंत्रियों से व्यक्तिगत रूप में अथवा सामूहिक रूप में भेंट करेंगी; और

(ख) यदि हाँ, तो इसे कब लागू किया जायेगा और क्या इस प्रकार के परामर्श के लिए कोई मार्ग दर्शक सिद्धान्त निर्धारित किए गये हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्यमँत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्री मान् । आयोग द्वारा की गई सिफारिश को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया गया है ।

(ख) प्रधान मन्त्री मन्त्रि परिषद के सदस्यों से, जब कभी आवश्यकता होती है व्यक्तिगत रूप में और सामूहिक रूप में भेंट करती हैं । इस प्रयोजन के लिए कोई निर्देशन आवश्यक नहीं समझे जाते हैं ।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : क्या यह सच है कि नौकरशाही द्वारा उत्पन्न विभिन्न बाधाओं के कारण प्रशासनिक सुधार आयोग की कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशों पर मन्त्रिमण्डल की उप-समिति ने विचार नहीं किया ?

अध्यक्ष महोदय : यह इस प्रश्न के दायरे में नहीं आता, आप अलग से इस बारे में प्रश्न भेज सकते हैं ।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : यह प्रशासनिक सेवा के बारे में है और वह इसका उत्तर देने को तैयार हैं ।

अध्यक्ष महोदय : वह उत्तर देने के लिए तैयार हो सकते हैं। मगर मुझे भी तो कुछ देखना है।

नेताजी जांच आयोग द्वारा साक्ष्य का रिकार्ड

***765. श्री समर गुह** : क्या गह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेताजी से सम्बन्धित कथित विमान दुर्घटना के बारे में भारत सरकार के प्रतिवेदनों को, खोसला आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया है अथवा किया जायेगा जो नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के लापता हो जाने से संबंधित परिस्थितियों की जांच कर रहा है; और

(ख) क्या इससे सम्बन्धित अन्य सरकारी दस्तावेज भी आयोग के समक्ष रखे जायेंगे।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पन्त) : (क) तथा (ख). सरकार के पास उपलब्ध सारे रिकार्ड, जिन्हें आयोग ने जांच से सम्बद्ध समझा, पहले ही उन्हें उपलब्ध करा दिये गये हैं

श्री समर गुह : नेताजी के लापता होने के बारे में दूसरी जांच करने सम्बन्धी प्रधान मन्त्री और सरकार के निर्णय की भारत की देशभक्त जनता ने सराहना की है। कथित विमान दुर्घटना के 26 वर्ष पश्चत् गवाहों की जांच की उपेक्षा दस्तावेजों की जांच कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने स्वेच्छा से अथवा आयोग के अनुरोध पर निम्नलिखित दस्तावेज उसके समक्ष जांच हेतु रखे हैं :—

(1) मित्र देशों की युद्ध-अपराधी सूची जिससे यह पता लग सके कि नेताजी का नाम तो उसमें नहीं है;

(2) कथित विमान दुर्घटना के बारे में भारत की ब्रिटिश सरकार की जांच रिपोर्ट, विशेष कर 19 फरवरी, 1946 को फाइल नं० सी-5 के साथ भारत सरकार को प्रस्तुत की गई गुप्तचर ब्यूरो की रिपोर्ट (एच-डी)

(3) दो ब्रिटिश भारतीय जांच अधिकारी श्री यंग और श्री राइट द्वारा लिखे गये अति गोपनीय पत्र सं० ए आर ई-नं० एस० एन० ओ० सी० एस०/I, दिनाँक 1-3-45, सी० आई० सी० बी० से ए० डी० (जे) को;

(4) नेता जी और आजाद हिन्द फौज के बारे में संयुक्त ब्रिटिश-अमरीका सैन्य-गुप्तचर्या रिपोर्ट, विशेषकर गोपनीय मुख्यालय मुख्य फाइल नं० 10, विविध आजाद हिन्द फौज, 237 आजाद हिन्द फौज विषयः सुभाष चन्द्र बोस;

(5) ब्रिटिश अमरीकी प्रतिगामी गुप्तचर्या कोर की सुभाष बोस के बारे में रिपोर्ट जी० एच०क्यू०ए०एफ० सी०ए०सी० दिनांक 29 सितम्बर, 1945;

(6) एस०ए०सी०एस०ई०ए० कमीशन रिपोर्ट नं० I;

श्री श्याम नन्दन मिश्र: उन्हें आयोग का सदस्य क्यों नहीं नियुक्त किया ? वह इस में एक उपयोगी सदस्य होते।

श्री समर गुह :

(7) जापान के आत्म समर्पण के पश्चात् मैकार्थर और लुइस माउन्टबैटन के बीच पत्र-व्यवहार जिस में यह सूचना दी गई थी कि 'बोस फिर बच निकले'।

(8) नेता जी के बारे में जापानी युद्ध दस्तावेज और ब्रिटिश-अमरीकी सैन्य अधिकारियों द्वारा पकड़े गये दस्तावेज;

(9) नेता जी और आजाद हिन्द फौज के बारे में जापानी दस्तावेज, जो भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार के प्रतिरक्षा विभाग के इतिहास विभाग में रखे हुए हैं और एक अन्य फाइल सं० 1945-47/डैथ आफ बोस/होम पालिटिक्स सैक्शन; उसके पश्चात्

(13) पश्चिम जर्मनी से प्रकाशित सैनिक पत्रिका 'इन्टरप्रैस' का वह समाचार जिसमें यह दावा किया गया था कि उसके पास 1949 में भी नेता जी के जीवित होने सम्बन्धी दस्तावेज हैं;

(14) रूस में नेता जी को शस्त्र देने के प्रश्न पर नेता जी बोस और जैकब मलिक के बीच हुआ पत्र-व्यवहार; और तत्पश्चात् कथित विमान दुर्घटना के बाद नेता जी के बारे में 'प्रावदा' में प्रकाशित समाचार और विमान दुर्घटना के बाद नेता जी के बारे में अन्य रूसी समाचार पत्रों के समाचार।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं अपने उत्तर में पहले ही कह चुका हूं कि सरकार के पास जो भी दस्तावेज़ उपलब्ध थे और जिन्हें आयोग जांच के लिए आवश्यक समझता है, वे सब उन्हें उपलब्ध कर दिये गये हैं। जो जांच आयोग इस मामले की जाँच कर रहा है, मुझे नहीं मालूम कि सदन के प्रक्रिया नियमों के अन्तर्गत जो दस्तावेज और गवाह आदि आयोग के समक्ष हैं, उनके बारे में मुझ से कुछ पूछा जा सकता है। इस मामले पर विचार करना आयोग का काम है। अगर वे यह महसूस करते हैं कि उन्हें इन दस्तावेजों का प्राप्त करना आवश्यक है, तो हम उनकी मदद कर सकते हैं और हम निश्चित रूप से उन्हें प्राप्त करेंगे। जैसा कि मैंने बताया, जो दस्तावेज उन्होंने माँगे थे, वे हम उन्हें पहले ही उपलब्ध कर चुके है। अगर आयोग हम से अनुरोध करता है, तो हम प्रत्येक दस्तावेज प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास करने को तैयार हैं।

श्री समर गुह : क्या दूसरा जांच आयोग गठित करने का एक मुख्य कारण यह है कि ताईहोक् में हुई कथित विमान दुर्घटना के घटना-स्थल का निरीक्षण करने और कथित विमान दुर्घटना से सम्बन्धित फारमोसा सरकार के अभिलेखागार के दस्तावेजों की जांच करने में शाहनवाज समिति विफल रही थी और यदि हाँ, तो क्या कथित विमान दुर्घटना के घटना-स्थल का निरीक्षण करने, फारमोसा सरकार के अभिलेखागार में रखे दस्तावेजों की जांच करने और कथित विमान दुर्घटना के समय ताइहोक् में उपस्थित ताइपेह के भूतपूर्व मेयर, श्री हुआँग की गवाही लेने के लिए फारमोसा की यात्रा करने की जस्टिस खोसला की अध्यक्षता में गठित नेता जी आयोग को अनुमति नहीं दी है ? वह अनेक बातों को जानते हैं। वह उस समय अम्बैसेडर होटल के अध्यक्ष थे और अब भी जीवित हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या फारमोसा की यात्रा करने के लिए आयोग को अनुमति देने का सरकार का विचार है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : श्रीमान जी, मैं प्रश्न की भूमिका से सहमत हूँ। मैं यह नहीं कहूंगा कि

शाहनवाज समिति विफल रही थी अथवा उन्होंने ताइवान की यात्रा नहीं की, इस लिए किसी प्रकार से उनके निष्कर्षों को रद्द कर दिया गया। यह नया आयोग इस लिए गठित किया गया, कि इस सदन में और इसके बाहर ऐसा आयोग गठित करने के लिए मांग की गई थी।

आयोग द्वारा फारमोसा अथवा ताइवान की यात्रा करने के सम्बन्ध में कठिनाई यह है कि हम उस सरकार को मान्यता नहीं देते। हमें पता चला है कि ताइवान सरकार यह चाहती है कि हम उससे औपचारिक रूप से अनुरोध करें; अन्यथा वह आयोग को अपेक्षित सुविधायें नहीं देंगे। यह सम्भव नहीं है। क्योंकि हम उन्हें मान्यता नही देते। यही मुख्य कठिनाई है।

श्री समर गुह : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि राज। व्यापार निगम के श्री लाल इस समय फारमोसा में हैं ? भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के अधिकारियों और कृषि अनुसन्धान अधिकारी ने भी अभी हाल में फारमोसा की यात्रा की थी। अगर यह सच है··· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : उत्तर बहुत स्पष्ट है।

श्री समर गुह : जब तक आयोग फारमोसा की यात्रा नहीं करता और घटना स्थल का निरीक्षण नहीं करता, तब तक जांच करने की क्या उपयोगिता है ? क्योंकि उस स्थल का जो चित्र आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया, उसके बारे में गम्भीर विवाद है। उस स्थल पर दुर्घटना नहीं हो सकती थी। ताईपेह का समग्र चित्र पूर्णतयः भिन्न था। इसलिए, जब तक घटना-स्थल की यात्रा न की जाए, जांच की कोई उपयोगिता ही नहीं होगी। आयोग द्वारा इस स्थान की यात्रा करने में सरकार को बाधा उपस्थित नहीं करनी चाहिये। पहले से ही, वे अनेक अधिकारियों को फारमोसा की यात्रा करने की अनुमति दे रहे हैं··· (**व्यवधान**)

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं माननीय सदस्य को केवल एक बात बताना चाहता हूं कि आयोग ने अभी तक किसी प्रकार की कोई गलत धारणा व्यक्त नहीं की है (**व्यवधान**) कि विमान दुर्घटना के घटना-स्थल की यात्रा न कर सकने से किसी प्रकार की उनके कार्य में बाधा पड़ रही है या उसके बगैर उनकी जांच अधूरी रहेगी। उनकी इस प्रकार की कोई गलत धारणा नहीं है।

श्री समर गुह खड़े हुए—

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखिये।

श्री समर गुह : आपको उन्हें अनुमति देनी चाहिये···**

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। वह मेरी अनुमति के बिना बोल रहे हैं। आप कृपया बैठ जाइये।

श्री समर गुह : यह बहुत महत्वपूर्ण बात है।

अध्यक्ष महोदय : यह वाद-विवाद नहीं है। आप पहले ही अनेक प्रश्न पूछ चुके हैं।

Shri Atal Bihari Vajpayee : It has not been made clear whether the Commission has sought the permission to make necessary arrangements to visit Formosa ? Secondly, the hon'ble Minister has stated that there are no diplomatic relations with Formosa and the

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलत नहीं किया गया।
Not recorded.

question of recognition to them is also related to it. But if an Indian national meets with an accident in a country having no diplomatic relations with us, I would like to know whether inquiry into it would amount to recognition to that country and whether our Government cannot raise the issue of Netaji's accident there without formal recognition?

Shri K. C. Pant : As I have already said, we have received no communication. They have not written anything to us, but they asked informally whether they could go there or not. If they would like to go there, and if the Government there allows them to come there, we would have no objection. We would allow them to go there so that they could see the site themselves. But the difficulty is that they want a formal request which could be made only when we formally recognise them. So far as recognition is concerned, it comes within the perview of the Ministry of External Affairs. This is the exact position. Now if anything else is derived to be sought, it could be asked.

Shri Shyamnandan Mishra : So far as visit by the Commission is concerned, I would like to know whether the Commission would ask the Government of Formosa or the Government of India would write to the Government of Formosa ? As a matter of fact, the Government of India should write on behalf of the Commission. I would like to know whether Government of India is prepared to write in this connection or not ? The hon'ble Minister says that we cannot write to them as we have not recognised them. Does this mean that the Commission can not go there ? The hon'ble Minister should tell as to what action he is going to take in this connection ?

अध्यक्ष महोदय : जब श्री वाजपेयी ने यही प्रश्न पूछा था तब स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी ।

Shri Shyamnandan Mishra : The hon'ble Minister has stated that the Commission may go there if it so desires. It seems absolutely absourd that the Commision. can not go there The Government of India should asist them. For visiting that place, would the Government of India assist them or not, If so, in what manner ?

अध्यक्ष महोदय : वह वही प्रश्न फिर पूछ रहे हैं ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : उनके उत्तर से हम कतई संतुष्ट नहीं हैं । प्रश्न यह है कि उस स्थान की यात्रा करने में क्या भारत सरकार आयोग की सहायता करेगी । उन्हें 'हाँ' या 'ना' में उत्तर देना चाहिए ।

Shri K. C. Pant : I have stated all that I knew. I do not want to go into details much as a formal request-Could be sent to a State without recoginsing it or not. I am not Competent to reply this question. Only the Ministry of External Affairs Could say anything in the matter.

Shri Atal Bihari Vajpayee : The Government it jointly responsible. An enquiry is going on into an accident. Regarding visit there, he says that it should be addressed to the Ministry of External Affairs. Could they not Consult among themselves ? We have no direct connection with the Ministry of External Affairs, whereas the hon'ble Minister is-closely associated with it. I would like to submit that the Prime Minister is present here and she should tell us whether the report of the Comminion would not have any importance, if the Commission does not visit Formosa ? Whether the Ministry of External Affairs would Continue to harp upon the one thing that we have no diplomatic relations with Formosa ? I would like to say that there should be a thorough inquiry and some way out should be found for-Commission's visit to Formosa.

Shri K. C. Pant : I do not want to raise a discussion over this. I would also not like that any speculation should be made about Commission's work. If the commision arrives

at any Conclusion, it is all right; but the hon'ble Member should not arrive at any Conclusion on behalf of the Commission.

Shri Shyamnandan Mishra : He should not think that we are saying something on behalf of the Commission; we are doing our duty. He should not indulge in sermonising us.

कुमारघाट (त्रिपुरा) में कागज का कारखाना

*767. **श्री दशरथ देव** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को त्रिपुरा सरकार से त्रिपुरा में कुमारघाट में कागज का कारखाना स्थापित करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) कागज के कारखाने को स्थापित करने में प्रारम्भ में अनुमानतः कुल कितना व्यय आयेगा ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी हां। त्रिपुरा में सरकारी क्षेत्र में 100 मी० टन प्रतिदिन की क्षमता वाला लुगदी/कागज का एक कारखाना स्थापित करने के बारे में त्रिपुरा प्रशासन से अगस्त, 1963 में एक आवेदन प्राप्त हुआ था।

(ख) सक्षम औद्योगिक परियोजनाओं का पता लगाने के लिये सरकारी, वित्तीय संस्थाओं द्वारा कराये गये अध्ययन के अनुसार, त्रिपुरा में तब तक कागज कारखाना लगाने के लिये तत्काल कोई संभावना नहीं है जब तक कि बन पुनरुत्थान का वैज्ञानिक कार्यक्रम प्रारम्भ नहीं किया जाता है। आगे परिवहन की कठिनाई संयंत्र तक क्लोरीन तथा आय रसायन पहुंचाने में कठिनाई तथा राज्य के बाहर बाजार में तैयार माल भेजने में अधिक उत्पादन लागत आएगी और पूंजी पर अतिअल्प अथवा कोई लाभ नहीं होगा।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री दशरथ देव : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि एक बार यह निर्णय हो चुका था कि इस प्रकार का कागज का कारखाना वहां स्थापित किया जायेगा और वहां कागज उद्योग की स्थापना करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कुछ प्राइवेट उद्योगपतियों ने भी आवेदन किया था मगर, अन्ततोगत्वा उस पार्टी को कोई लाइसेंस नहीं दिया गया और जो मिल त्रिपुरा में स्थापित की जानी थी, उसे किसी अन्य स्थान पर, सम्भवतः अरुणाचल प्रदेश में स्थानान्तरित कर दिया गया है ? यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ? पहला तो यह कि वहाँ सरकार द्वारा कागज मिल स्थापित न करने के क्या कारण हैं ? अगर सरकार इच्छुक नहीं है, तो कागज मिल की स्थापना करने के लिये प्राइवेट उद्योगपतियों को वह लाइसेंस क्यों नहीं देती ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : यह सच नहीं है कि जो कागज मिल पहले त्रिपुरा में स्थापित की जानी थी, उसे किसी अन्य स्थान पर स्थानान्तरित कर दिया गया है और न यह बात ही सच है कि त्रिपुरा में कागज मिल स्थापित करने का निर्णय किया गया था। कच्चे माल की उपलब्धता और अन्य पहलुओं का अध्ययन किया जा रहा है और अध्ययन रिपोर्ट के प्राप्त होने पर निर्णय किया जायेगा।

श्री दशरथ देव : बांस, जो कागज उत्पादन के लिए कच्चा माल है, त्रिपुरा में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है । इसलिए, किस व्यवस्था के माध्यम से कच्चे माल की उपलब्धता के बारे में अध्ययन किया गया ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : मैंने कच्चे माल की उपलब्धता के बारे में कुछ नहीं कहा । मैंने तो केवल यही कहा है कि कच्चे माल की उपलब्धता के वैज्ञानिक अध्ययन के पश्चात ही इस मामले में अन्तिम निर्णय किया जायेगा ।

Scheme for Provision of Telephones All over the country

763. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether the demand for telephones has increased alongwith the increase in business activities;

(b) whether thousands of applications are under consideration mostly at all the places; and

(c) if so, the salient features of the scheme being formulated by the Ministry to meet this demand ?

The Minister of state in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) Yes, Sir. The demand for telephones all over the country has been generally increasing for various reasons.

(b) Yes Sir in so far as large cities and Metropolitan Centres are concerned. The position is certainly not so bad at other places. However, due to the shortage of telephones equipments, it has not been possible to meet telephone demands fully in all places.

(c) The present production capacity of the cables and switching factories is not adequate to meet the continuously rising demand. Govt. have already initiated action as indicated below to meet the demand;

(i) Production capacity of the existing telephone factories and Hindustan Cables is being increased.

(ii) A second telephone cable factory has been sanctioned at Hyderabad and the building is under construction.

(iii) Establishment of a second switching factory during the Fifth Five Year Plan has been approved in principle.

(iv) Import of telephone equipment and cables under various loans has been arranged.

Shri Shiv Kumar Shastri : I would like to know the extent to which the capacity of telephone industory and Hindustan cables is to be increased and how far will it be able to the meet the demand ?

When will the production of the factory, being set up at Hyderabad, be started ?

Pr f. Sher Singh : The capacity of Hindustan Cables is increasing. The building of the factory to be set at Hyderabad is under construction. There is good progress. As regards Naini, the work has started and the production will soon begin.

Shri Shiv Kumar Shastri : What is the total cost of the telephone equipment that is bei ⊏g imorted from abroad on the basis of loan ?

Prof. Sher Singh : We have invited global tenders. 35,000 lines cross bar telephone equipment and Cable worth Rs. 35 Crores are to be imported against the Canada and world bank laon.

Shri Shiv Kumar Shastri : From which Countries ?

Prof. Sher Singh : Some will be imported from Canada and Some from other Countries where from the tenders will be accepted.

Shri R. S. Pandey : There has been overall improvement in the installed capacity of telephones, but the people are not getting connections. The Government is unable to provide telephone connections according to the demand. I wish to knew whether he can give any assurance to this House that some day in the near future he will be able to provide telephone cennections to any body who asks for it ? Shortage of telephones is great in bigger cities than in the smaller one. Telephone is a thing of public utility under the "own your telephone" scheme, Rs. 25,000 is deposited. It is a profit-oriented concern. I want to know the time by which he will be able to meet the demand of the people ?

Prof. Sher Singh : There was a demand for 846 crores of rupees in the 4th five year plan and it was said that if that much amount was sanctioned the authorities would be able to provide telephone connections within a year to all and sundry by 1980-81. But that much amount could not be sanctioned. They agreed to give 467 crores of rupees, later on this amount was increased to 485 crores of rupees. In the absence of resources and equipment, we cannot do anything except waiting. We cannot help this situation.

Shri Ramavatar Shastri : I want to know the number of applications pending consideration in each State for telephone connections ?

Prof. Sher Singh : I can give the total number of such applications, but I cannot give the State Wise details off-hand. The number of applications on waiting list as on 1st. April, 1972 was 3 lakh 40 thousand, while the working connections were 10 lakh and 56 thousand at that time.

भारत में गुप्तचरों को प्रशिक्षण

***769 श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने भारतीय गुप्तचरों को प्रशिक्षण देने के लिये कुछ विदेशी गुप्तचरों को आमंत्रित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन गुप्तचरो ने भारत की गुप्तचरी व्यवस्था में कुछ सुधार करने का सुझाव दिया है; और

(ग) क्या निकट भविष्य में विश्व गुप्तचर सम्मेलन आयोजित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णचन्द्र पन्त) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) : प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) : जी नहीं, श्रीमान् ।

Shri Naval Kishore Sharma : The number of crimes is increasing day by day in the country and their methods are also changing. Reform is needed in the method of detection of crimes. In such a situation, are they going to reorganise criminal Intelligence Department

to improve the method of detection of crimes with scientific aids and to prevent crimes in future ?

अध्यक्ष महोदय : आपने विदेशी गुप्तचरों के बारे में पूछा है और मंत्री महोदय ने उसका उत्तर दे दिया है ।

Shri Naval Kishore Sharma : My question is very straight and simple. The methods of commission of crimes are changing. Scientific aids should be utilised for apprehending criminals.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने विदेशी गुप्तचरों के सम्बन्ध में जो प्रश्न किया है उस का उत्तर मंत्री महोदय ने नहीं में दे दिया है । अब वह अनेक सुझाव प्रस्तुत कर रहे हैं । वह इनके लिए पृथक सूचना दें ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : हो सकता है कि सरकार ने अपने गुप्तचर विभाग के लोगों को प्रशिक्षण देने हेतु विदेशी गुप्तचरों को आमंत्रित न किया हो, किन्तु क्या यह सत्य नहीं कि कुछ भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियो तथा भारतीय असैनिक सेवा अधिकारियों को इंगलैंड के स्काटलैण्ड यार्ड में प्रशिक्षण हेतु भेजा गया है ?

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न विदेशी गुप्तचरों को भारत आमंत्रित करने के बारे में है ।

समाचार-पत्रों पर दस पृष्ठों सबंधी प्रतिबंध

+

*770. **श्री भानसिंह भौरा :**

श्री हरिकिशोर सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पत्रकार संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एक संकल्प पारित किया गया है जिसमें समाचार पत्रों के पृष्ठों की संख्या 10 तक सीमित करने की सरकार की कार्यवाही को एक पक्षीय एवं मनमानी बताया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती नंदनी सत्पथी): (क) सरकार ने समाचार-पत्रों में इस आशा की कुछ रिपोर्टें देखी हैं ।

(ख) सरकार हाल ही में बने नेशनल यूनियन आफ जर्नलिस्ट्स के विचारों से सहमत नहीं है । पृष्ठों की संख्या 10 तक सीमित करने के मामले पर निर्णय विदेशी मुद्रा को बचाने के उद्देश्य से पूर्ण रूप से विचार करने के उपरान्त लिया गया था ।

Shri B. S. Bhaura : This union has dubbed the decision of the Government as unilateral and arbitrary. May I know the grounds of its arguments and its demands ?

श्रीमती नंदनी सत्पथी : मैं यह पहले ही बता चुकी हूं कि हम हाल में बनी पत्रकार यूनियन के विचार से सहमत नहीं है । यूनियन के सदस्यों के नामों की सूची हमारे पास है । यह देखना माननीय सदस्य का काम है कि वह किस दल से सम्बन्धित हैं ।

Shri B. S. Bhaura : Has any other union submitted its resolution supporting the decsion of the Government and if so what is the reasoning thereof ?

श्रीमती नंदनी सत्पथी : इस समय तो पूरे तथ्य मेरे पास नहीं हैं लेकिन मैं इतना कह सकती हूं कि हमें विभिन्न संघों, जिनमें "इण्डियन लैंगुएज न्यूजपेपर ऐसोसिएशन भी एक है, श्रमजीवी पत्रकारों तथा अन्य व्यक्तियों से ऐसे पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें सरकार के निर्णय का समर्थन किया गया है ।

श्री हरि किशोर सिंह : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि इस मामले ने देश में काफी गलतफहमी पैदा कर दी है और कुछ हद तक यह गलतफहमी जानबूझकर पैदा की गई है, क्या सरकार समाचार पत्रों की पृष्ठ संख्या को दस तक सीमित करने सम्बन्धी निर्णय के आधारों को स्पष्ट करेगी ? दूसरे क्या राष्ट्रीय समाचार पत्रों के लिए यह सीमा पर्याप्त है ?

श्रीमती नंदनी सत्पथी : जैसा कि मैंने पहले कहा, ऐसा निर्णय विदेशी मुद्रा को बचाने की दृष्टि से किया गया है । अखबारी कागज की जब तक कमी है, हमें स्वभावतः वितरण का ऐसा तरीका अपनाना होगा जो कि न्यायोचित हो अतः इन परिस्थितियों में हमें यह नीति अपनानी पड़ी ।

श्री परिपूर्णानंद पैन्यूली : क्या सरकार का विचार देश के छोटे समाचार पत्रों की सहायता करने का है और इस सम्बन्ध में क्या ठोस कार्यवाही की गई है ?

श्रीमती नंदनी सत्पथी : इस नीति का उद्देश्य विदेशी मुद्रा की बचत तथा समान वितरण करना है ।

श्री परिपूर्णानंद पैन्यूली : मैं छोटे समाचार पत्रों के बारे में जानना चाहता हूं । मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया ।

श्रीमती नंदनी सत्पथी : छोटे और मध्यम दर्जे के समाचार पत्रों की सहायता करना सरकार की स्पष्ट नीति है और मेरे विचार में इसे दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या यह सच है कि श्रमजीवी पत्रकारों को यह आशंका है कि उनकी संख्या कम कर दी जायेगी और यदि हां तो इसे रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रीमती नंदनी सत्पथी : कुछ आशंकायें व्यक्त की गई, किन्तु हमारे विचार में वे निराधार हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : पृष्ठों की सीमा निर्धारित कर देने के फलस्वरूप ऐसी सम्भावना है कि कुछ समाचारपत्रों के मालिक इसे अपने कर्मचारियों की संख्या कम करने का बहाना न बना लें, साथ ही कुछ समाचारपत्रों को अदालत ने 10 पृष्ठ से अधिक संख्या बढ़ाने की अनुमति दे दी है । इससे सरकारी निर्णय का उल्लंघन हुआ है । मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इस संबंध में पृष्ठ मूल्य तालिका का सीधा एवं सरल तरीका क्यों नहीं अपनाती ? यह स्वीकृति संवैधानिक संशोधनों के अनुरूप है तथा विधायी रूप से हानिकारक भी नहीं है । इसके द्वारा बिना किसी विवाद के समान उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकती है ।

अध्यक्ष महोदय : आप कोई कानूनी राय के बारे में पूछ रहे हैं या कि सुझाव दे रहे हैं ?

श्री इन्द्र जीत गुप्त : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होने इस विचार को अस्वीकार कर दिया है अथवा कि वे उस पर विचार कर रहे हैं ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : हमने किसी भी सुझाव को अब तक अस्वीकार नहीं किया। निश्चय ही हम इस ओर भी ध्यान देंगे।

Shri S. D. Singh : Has some newspapers violated the page limit imposed by the Government and If so what action has been taken in the matter ? Do the Government propose to impose any page limit in the case of weekly and monthly journals and magzines as has been done in the case of daily news papers ?

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न पत्रकारों की राष्ट्रीय यूनियन द्वारा स्वीकृत संकल्प के बारे में है, जिसमें सरकार की कार्यवाही को एक पक्षीय बताया गया है। माननीय सदस्य कहां संख्या के चक्करों में पड़ गए हैं।

श्री सुरेन्द्र महन्ती : क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर गया है कि उपभोक्ता सेवा के अन्तर्गत कुछ बड़े समाचार पत्र दस पृष्ठों की सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं। यदि हां तो क्या ऐसा करने से निर्धारित पृष्ठ सीमा के उद्देश्य का उल्लंघन नहीं होता ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी: हां, यह बात सरकार के ध्यान में आई है। दस पृष्ठों की औसत की गणना वर्ष के अन्त में की जाएगी और यदि कोई कार्यवाही करनी आवश्यक समझी जाएगी तो उस पर हम उस समय विचार करेंगे।

श्री सुरेन्द्र महंती : मेरा प्रश्न यह नहीं था।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी आपका प्रश्न समझ नहीं सका कृपया इसे दोहरा दें।

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए प्रश्न का उत्तर दे चुकी हूं।

पूर्व यूरोपीय देशों और गैर-सरकारी क्षेत्र के बीच सहयोग करार

***771. श्री बीरेन्द्र सिंह राव :** क्या **औद्योगिक विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी यूरोप के देशों तथा भारत के गैर-सरकारी क्षेत्र के बीच 1971 में हुए सहयोग सम्बन्धी करारों की संख्या 1969 और 1970 में हुए करारों से अधिक है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी अधिक है ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) और (ख). जी, हां। पूर्वी यूरोपीय देशों तथा भारत की गैर-सरकारी क्षेत्र की पार्टियों के मध्य 1971 में स्वीकृत किए गये विदेशी सहयोग प्रस्तावों की संख्या 10 थी जबकि 1969 तथा 1970 के वर्षों में क्रमश: 4 और 6 थी।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत तथा पूर्वी यूरोप के देशों के बीच हुए औद्योगिक सहयोग करारों की संख्या में वृद्धि के क्या कारण हैं और क्या इनके फलस्वरूप भारत तथा पश्चिमी यूरोप के देशों, विशेषकर ब्रिटेन तथा फ्रांस आदि मित्र देशों के बीच हुए औद्योगिक सहयोग करारों में कुछ कमी हुई है ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : 1971 में इन करारों की संख्या में वृद्धि का एक कारण उद्यमकर्ताओं को अधिक संख्या में आशय पत्रों का जारी किया जाना था। मैं इस सम्बन्ध में सदन में पहले जानकारी दे चुका हूं। आप देखेंगे तो पता लगेगा कि यह 1969 से लगभग तिगुना तथा

1970 से दुगुना है। जहाँ तक औद्योगिक करारों की कमी का सम्बन्ध है, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि न तो पश्चिमी यूरोप के देशों के साथ हुए करारों में काफी कमी हुई है और न ही पूर्व यूरोप के देशों के साथ हुए औद्योगिक करारों में अत्यधिक वृद्धि हुई है।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या पूर्व यूरोप के देशों के साथ हुए औद्योगिक करारों के परिणामस्वरूप कुछ अन्य यूरोपीय मित्र देशों के साथ हुए करारों में कमी हुई है ?

श्री मोइनुलहक चौधरी : मैं इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे चुका हूँ। वर्ष 1961-68 के दौरान पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ किए गए ऐसे करारों की प्रतिशतता 3.5 थी और अब यह 4.44 से लेकर 4.92 प्रतिशत है। पूर्वी यूरोपीय देशों के सम्बन्ध में कुछ वृद्धि हुई है और इनकी तुलना में अन्य देशों से हुए करारों में थोड़ी कमी आई है।

श्री एस० एन० मिश्र: मैं यह जानना चाहता हूं क्या इन सहयोग करारों के सम्बन्ध में तकनीकी जानकारी भारत में उपलब्ध थी अथवा वह केवल विदेशों में ही उपलब्ध थी ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : तकनीकी सहयोग के लिये केवल उन्हीं क्षेत्रों में विशेष अनुमति दी जाती है जहाँ हम इस बारे में पूरे सन्तुष्ट होते हैं कि यह तकनीकी जानकारी भारत में उपलब्ध नहीं है।

श्री जगन्नाथ राव : पूर्वी यूरोपीय देशों और गैर-सरकारी क्षेत्र में होने वाले सहयोग के मामलों में जहां तक भारत से बाहर पूंजी लगाने के लिए अनुमति का तथा इससे होने वाले लाभों का प्रश्न है क्या भारत सरकार इसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप करती है ?

श्री मोइनुलहक चौधरी : जब सहयोग करारों को स्वीकृत किया जाता है तब इन सब बातों को देखा जाता है कि क्या उस सहयोग में समान भागीदारी होगी और क्या भुगतान रायल्टी के रूप में अथवा एकमुश्त किया जाएगा। इन बातों की जांच करने के उपरान्त ही हम उन्हें स्वीकृत करते हैं।

कोका-कोला बाटलिंग प्लांटों का विस्तार तथा उनको लाइसेंस दिया जाना

***772. श्री के० एस० चावड़ा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यहे बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में कितने कोका-कोला बाटलिंग प्लांटों को लाइसेंस दिये गये और कितने प्लांटों को नियमित किया गया, तथा कितने प्लांटों का विस्तार किया गया; और

(ख) उक्त अवधि में लाभांश, रायल्टी और तकनीकी जानकारी के शुल्क के रूप में कितने धन को देश से बाहर भेजने की अनुमति दी गई ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) विगत तीन वर्षों में इस मामले में केवल 2 आशय पत्र जारी किए गये हैं। एक तो 6 अक्तूबर, 1970 को विस्तार करने के लिए दिया गया था तथा दूसरा 31 मार्च, 1971 को एक नये एकक के लिए दिया गया था।

(ख) चूंकि सभी **बाटलिंग संयंत्र** भारतीय पार्टियों के हैं इस लिए लाभांश रायल्टी तथा

तकनीकी जानकारी शुल्क के रूप में इन कम्पनियों द्वारा धन को देश से बाहर भेजने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री के० एस० चावड़ा : कुछ वर्ष पूर्व गांधी जी के सचिव श्री किशोरीलाल मशरूवाला ने सरकार से अनुरोध किया था कि देश में लोगों की कोका-कोला पीने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को रोकना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं देता । आप तो इसके चिकित्सीय प्रभावों की बात करने लगे हैं ।

श्री के० ए० चावड़ा : अमरीकियों ने चीनियों को अफीम खाने की आदत डाल दी । क्या अब उन्हें हमारे देशवासियों को कोका-कोला पीने की आदत डालने की अनुमति दी जानी चाहिए ?

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न असंगत है ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : यदि कोका-कोला की ही अनुमति नहीं दी जानी तो अन्य तेज पेय पदार्थों की अनुमति भी नहीं दी जा सकती ।

श्री के० एस० चावड़ा : श्रीमान जी देश वासियों को कोका-कोला पीने की अनुमति क्यों दी जानी चाहिये ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संगत ही होना चाहिए ।

श्री के० एस० चावड़ा : मेरा प्रश्न तो संगत ही था परन्तु अब आप अपना विनिर्णय दे चुके हैं । मैं क्या कर सकता हूं । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या निर्यात के नाम पर कोका-कोला पाउडर का आयात करन की अनुमति दी जाती है और यदि हां तो क्या सरकार कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र से उसका आयात आवश्यक करने जा रही है ? श्रीमानजी क्या यह प्रश्न भी संगत है या नहीं ?

श्री मोइनुलहक चौधरी : बाटलिंग संयंत्र से सम्बद्ध यह प्रश्न मेरे ही मंत्रालय से सम्बन्धित है । जहां तक कोका-कोला के आयात की क्षति पूर्ति की नीति के प्रश्न का सम्बन्ध है, इसका सम्बन्ध विदेश मंत्रालय से है । जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है कि कांडला पत्तन या किसी अन्य पत्तन से आयात किया जाये, सदस्य महोदय यह प्रश्न सहर्ष विदेश मंत्रालय से पूछ सकते हैं ।

श्री वसंत राव पुरूषोत्तम साठे : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि कोका-कोला का देशी पेय पदार्थों के छोटे व्यापारियों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या कोका-कोला को बाटलिंग के कारण उन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है ? क्योंकि मुख्य प्रश्न तो बाटलिंग से सम्बद्ध है ।

श्री वसंत राव पुरूषोत्तम साठे : आखिर बाटलिंग से ही तो वह बनता है ।

श्री मोइनुल हक चौधरी : जहां तक इन दोनों मामलों का सम्बन्ध हैं इन के बारे में मैं अपने उत्तर में यह कह चुका हूं कि केवल दो आशय-पत्र जारी किये गये थे । एक आशय-पत्र कानपुर बाटलिंग कम्पनी को विस्तार के लिए जारी किया गया था जिसके लिए उसने अक्तूबर 1970 में आवेदन पत्र दिया था । मेरा ख्याल है अभी तक उन्हें लाइसेंस नहीं दिया गया है । दूसरा आशय-पत्र श्री के० बी० नरासप्पा को 24 जनवरी 1970 को जारी किया गया था । उसे

लाइसेंस नहीं दिया गया है । इसके बाद पूरे 1971 में किसी भी पार्टी को आशय-पत्र या लाइसेंस नहीं दिया गया है क्योंकि इस प्रकार के अभ्यावेदन सरकार को प्राप्त हुए थे ।

श्री वसंतराव पुरूषोत्तम साठे : उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर तो बिलकुल ही नहीं दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : सदस्य महोदय को इसी उत्तर से ही संतोष कर लेना चाहिये, क्योंकि हमें कुछ और प्रश्न भी लेने हैं ।

Indore-Bombay Ahmedabad Microwave Telephone Service

*773. **Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether two schemes to connect Indore with Bombay and Ahmedabad by microwave telephons service are likely to be implemented soon;

(b) whether Bombay-Indore microwave telephone service would be introdueed via Dhulia; and

(c) if so, the time by which these schemes would be implemnted and the main feature in this regard ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी हाँ ।

(ग) ये योजनाएं पहले से क्रियान्वित की जा रही है । आशा है कि इन्दौर-बम्बई माइक्रोवेव योजना 1974-75 तक और इन्दौर-अहमदाबाद योजना 1975-76 तक पूरी हो जाएगी । इस योजना की खास-खास बातें ये हैं .—

(i) ये लिंक चौड़ी पट्टी की किस्म के होगे और इनकी संभाव्य क्षमता प्रति रेडियों चैनल 1800 चैनलों की होगी ।

(ii) इससे इन्दौरा से बम्बई, धूलिया, रतलाम, अहमदाबाद और अन्य ऐसे स्थानों के साथ जहां यातायात के आधार पर इसका औचित्य होगा, सीधे सर्किटों के जरिये विश्वस्त संचार संबंध स्थापित हो जाएंगे ।

Shri Phool Chand Verma : Mr. Speaker, Sir it has been stated by the hon. Minister that Indore-Bombay Scheme will be completed by 1974-75 and Indore-Ahmedabad scheme by 1975-76 Indore is a big industrial city and a good number of trunkalls are brooked for Bombay and Ahmedabad from Indore. Inview of the fact, may I know from hon. minister if any effort is being made to remove this difficulty of the people of Indore ? may I know if any alternative arrangement will be made till the Commissioning of microwave System ?

Shri Sher Singh : Mr. Speaker. Sir, the traffic is quite heavy and if we want to meet it through Channels, we will have to make constdirable increase in the number of Channels. That is why we are introducing Microwave System. This job will be started in 1972-73 and will be completed in 1974-75.

Sri Pool Chand Verma : How much amount wil be spent in implementing this Scheme ? may I know if the hon. minister is aware of the fact that the telephone line of Indore remains out of order for 15 to 20 days in a month and it takes more than I2 hours in getting a call connected ?

Shri Sher Singh : A sum of rupees ten crores will be spent on this scheme. As regards the non functioning of Indore line properly for 10-15 days, I have got no information about it.

प्रश्न संख्या 765 के बारे में

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णचन्द्र पंत) : नेता जी जांच आयोग से सम्बद्ध प्रश्न के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं। प्रश्न का उत्तर देते समय मैंने कहा था आयोग ने अपनी फारमोसा यात्रा की सभाव्यता के बारे में सरकार को अनौपचारिक रूप से सूचित कर दिया है। अभी मैंने इसके बारे ने जांच की है और मुझे यह पता लगा है कि अनौपचारिक रूप से सूचित करने से पूर्व, आयोग ने इस बारे में सरकार को एक पत्र भी लिखा था।

प्रश्नों के लिखित उतर
Written Answers to Questions

उद्योगपतियों द्वारा कलकत्ता में बन्द पड़े कारखानों का पुन खोला जाना

***766. श्री श्रीकिशन मोदी :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उद्योगपति कलकत्ता में बन्द पड़े कारखानों को पुनः खोलने और नए कारखाने चालू करने के लिए भी तैयार हैं;

(ख) क्या इन कारखानों के खोले जाने के लिए भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम ने कोई वित्तीय सहायता दी है; और

(ग) यदि हां तो कितनी।

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) इन्डस्ट्रियल रिकन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन आफ इण्डिया द्वारा पश्चिम बंगाल के 43 संकट ग्रस्त बन्द उद्योगों को 21-4-1972 तक कुल 641.12 लाख रुपये की पुर्ननिर्माण सहायता स्वीकृत की गई थी जिसमें से वस्तुतः 185.93 लाख रुपये की राशि बांटी गई थी।

Withdrawal of Special Police Deployed to Tackle Dacoit Menace in Border Areas of M. P., U. P. and Rajasthan

*** 774. Shri Chandulal Chandrakar :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) Whether the border areas of Uttar Pradesh, Rajasthan and Madhya Pradesh have been cleared off the dacoits after the surrender of some dacoits in Madhya Pradesh;

(b) if so, whether the Special police deployed to tackle the menace of dacoits in these areas would be withdrawn; and

(c) the expenditure incurred on the measures adopted to face the problem of dacoits in these border areas during the last three years ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs : (Shri K. C. Pant) (a) & (b) : No Sir.

(c) The expenditure is being incurred by the State Governments. The required information has been asked for from them and is still awaited. It will be laid on the table of the House when received.

Use of Atomic Energy for peacful Purposes

* 775 **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Atomic Energy** be pleased to state :

(a) the various fields in which the atomic energy has been used for Peaceful purposes;

(b) whether there is any scheme to use this energy for blowing up rocks and earth with a view to construct canals and roads; and

(c) if so, whether any experiment has been made in this direction ?

The Prime Minisrer, Minister of Atomic Energy. Minister of Electronics, Minister of Home Affairs and Minister of Information and Broadcasting (Shrimati Indira Gandhi) (a) The requisite information is given in the Annual Reports of the Department of Atomic Energy, which are circulated to the members of Parliament and are available in the Parliament Library.

(b) The Atomic Energy Commission is studying situations under which peaceful nuclear explosions carried out underground can be of economic benefit to India without causing environmental hazards.

(c) No, Sir.

केरल में 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को वेतन तथा भत्ते

* **776. श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या हाल ही में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आधार पर केरल में उन अस्थायी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को, जिन्होंने 1968 की हड़ताल में भाग लिया था, पूरा वेतन तथा भत्ता दे दिया गया है, और

(ख) यदि हां, तो क्या यह उन अस्थायी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को भी दिया जा रहा है जिन्होंने अन्य राज्यों में 1968 की हड़ताल में भाग लिया था ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) और (ख) इस सम्बन्ध में कार्मिक विभाग के राज्य मंत्री द्वारा 1 अप्रैल 1972 को दिए गए अतारांकित प्रश्न सख्या 2623 के उत्तर की ओर ध्यान दें। जैसा कि उसमें बताया गया है, 1971 की सिविल अपील संख्या 1706 (एन०) पर उच्चतम न्यायालय का 18 फरवरी, 1972 का निर्णय कार्यान्वित कर दिया गया है। इसके साथ-साथ अस्थायी कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने के बारे में केरल उच्च न्यायालय के निर्णय भी कार्यान्वित किए जा रहे हैं। जहां तक अन्य अस्थायी कर्मचारियों का सम्बन्ध है, संयुक्त परामर्शदातृ तंत्र के अन्तर्गत बनाई गई राष्ट्रीय परिषद की 24 मार्च, 1972 को हुई बैठक में हुए विचार-विमर्श की दृष्टि में रखते हुए कार्मिक विभाग इस मामले पर आगे विचार कर रहा है।

कृषि के लिए परमाणु शक्ति का प्रयोग करने हेतु अनुसंधान केन्द्रों का निर्माण

*** 777. श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि के लिए परमाणु शक्ति का प्रयोग करने हेतु भारत में कितने अनुसंधान केन्द्रों का निर्माण किया गया है; और

(ख) उक्त केन्द्रों का निर्माण किस-किस स्थान पर किया गया ?

प्रधान मंत्री परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिकी मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख) दो केन्द्र स्थापित किये गए है—एक भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, ट्राम्बे में तथा दूसरा न्यूक्लीयस अनुसंधान प्रयोगशाला, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली में।

चेकोस्लावाकिया के सहयोग से "सेन्टरलैस ग्राइंडिंग" मशीनों का निर्माण

*** 778. श्री पी० गंगादेव :**

श्री सी० टी० दण्डपाणि :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चेकोस्लोवाकिया की स्कोडा फर्म 'सेन्टरलैस ग्राइंडिंग' मशीनों का निर्माण करने हेतु सरकारी क्षेत्र के एक एकक, मशीन टूल्स कारपोरेशन के साथ सहयोग करने के लिए सहमत हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो किए जाने वाले समझौते की शर्तें क्या हैं और इस पर कब तक हस्ताक्षर किये जायेंगे ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) सेंटरलेस ग्राइंडिंग मशीनों (बी० बी० टाइप) का निर्माण करने के लिए मशीन टूल कारपोरेशन आफ इण्डिया ने 19 जनवरी, 1972 को चेकोसलावाकिया के मे० स्कोडाएक्सपोर्ट के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किये थे।

मशीन टूल कारपोरेशन आफ इण्डिया, अजमेर ने सेंटरलेस ग्राइंडिंग मशीनों (बी० बी०जे० 6 टाइप) का निर्माण करने के लिए मे० स्कोडाएक्सपोर्ट के साथ सहयोग करने का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिस पर विचार किया जा रहा है।

चूंकि सहयोग की शर्तें वाणिज्यिक सम्विदा के रूप में होती हैं अतः उनका विस्तृत ब्यौरा बताना उचित नहीं समझा जाता है।

आयोजना का विकेन्द्रीकरण

*** 779. श्री एस० सी० सामन्त :**

श्री राजदेव सिंह :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयोजना के विकेन्द्रीकरण की दिशा में क्या प्रगति हुई है और यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा;

(ख) पर्वतीय क्षेत्रों की विशेष समस्याओं का समाधान करने के लिए पिछड़े क्षेत्र विकास निगम और विशेष सैल द्वारा कब तक अपना कार्य प्रारम्भ कर दिए जाने की सम्भावना है; और

(ग) आयोजना के विकेन्द्रीकरण के पश्चात् केन्द्रीय सरकार द्वारा किए जाने वाले समग्र नियन्त्रण का स्वरूप क्या होगा ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) योजना आयोग द्वारा सुझाई गई प्रणाली के अनुसार कतिपय राज्यों ने योजना बोर्डों के गठन का काम आरम्भ कर दिया है। बाकी राज्य भी इसी प्रकार की कार्यवाही करें इस सम्बन्ध में प्रयत्न किए जा रहे हैं। योजना आयोग द्वारा अंकित तरीके के अनुसार राज्यों को अपने आयोजन तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय तथा अन्य प्रकार की सहायता देने का प्रस्ताव है, ताकि वे योजना की तैयारी की प्रक्रिया में पूरी तरह भाग ले सके। योजना आयोग द्वारा इस सम्बन्ध में जो मार्ग दर्शक सिद्धान्त जारी किए गए हैं उनके आधार पर चुने हुए जिलों में जिला योजनाएं बनाने के काम में कुछ प्रगति हुई है। योजना तैयार करने के काम में यथासम्भव अधिकाधिक विकेन्द्रीकरण करने के लिए उपयुक्त प्रक्रियाओं को शीघ्र शुरु करने के लिए निरन्तर प्रयत्न किए जा रहे हैं। आशा है कि यह काम जल्दी ही पूरा हो जायेगा, परन्तु कब तक यह पूरा होगा इस सम्बन्ध में ठीक-ठीक बताना सम्भव नहीं।

(ख) पिछड़ा क्षेत्र विकास निगम गठित करने का विचार नहीं है पहाड़ी क्षेत्रों की समस्याओं पर विचार करने के लिए शीघ्र ही योजना आयोग में विशेष सैल स्थापित किया जायेगा। विशेष सैल को जो काम सौंपा जायेगा उस पर वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत योजना आयोग में इस समय भी काम हो रहा है।

(ग) योजना तैयार करने के काम का प्रस्तावित विकेन्द्रीकरण से योजना निष्पादन तथा योजना कार्यान्वयन के सम्बन्ध में इस समय केन्द्र-राज्य सम्बन्धों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बहरहाल, परियोजनाओं या कार्यक्रमों का अच्छी तरह कार्यान्वयन हो सके इसके लिए कुशल प्रणाली विकसित करने के लिए राज्य सरकारों से सलाह मशवरा किया जा रहा है।

Demand for C.B.I. Inquiry into the Visit of an Officer of American Embassy to Madhya Pradesh during Elections

***780. Shri Ramavatar Shastri :**
Shri Devinder Singh Garcha :
Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Chief Minister of Madhya Pradesh has demanded an inquiry by the Central Bureau of Investigation into the visit of a high officer of American Embassy during the Elections in that State; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri K. C. Pant) : (a) and (b). The matter is under correspondence with the State Governments. The House is aware that the C.B.I. can only undertake investigations in regard to specific offences. The Government

keeps a continuous watch on the activities of Foreign Intelligence Organizations, including the CIA. However, Hon'ble Members will appreciate that no public interest would be served by Government disclosing what it does to counter such activities.

Pollution of Tapti Water due to Nepa Mills

5588. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) whether water of the Tapti river is badly polluted, specially during the summer season, at Burhanpur City in Madhya Pradesh due to Nepa Mills; and

(b) if so, the measures taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) There is some pollution of the Tapti river water due to effluent disposal of NEPA Mills during summer when the river discharge falls very low.

(b) The mill makes every effort to reduce the disposal of effluents into the river in summer. The company has also paid Rs. 60,000/- so far to the Burhanpur Municipality to make alternative arrangements for drinking water. The problem is also being looked into by the Central Public Health Engineering Research Institute.

केरल और कालीकट विश्वविद्यालयों द्वारा प्राप्त सहायता

5589. श्री वयालार रवि : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसन्धान योजनाओं के लिए मंत्रालय के वित्तीय सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत गत तीन वर्षों में केरल और कालीकट विश्वविद्यालयों को योजना मंत्रालय से कितनी सहायता प्राप्त हुई; और

(ख) 1972-73 में इस प्रयोजनार्थ यदि कोई सहायता दी जानी है, तो कितनी ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान सामाजिक-आर्थिक अनुसंधान स्कीमों के लिये केरल विश्वविद्यालय को 12,900 रुपये की राशि अनुदान में दी गई। कालीकट विश्वविद्यालय को इस प्रकार की कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई।

(ख) चालू अनुसन्धान स्कीम के लिये केरल विश्वविद्यालय को 1972-73 के लिये 500 रुपये का अनुदान दिये जाने की सम्भावना है।

Provision of Telephone Connection in East Nimar, District, M.P.

5590. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of applications for new telephone connections pending disposal in the East Nimar District of Madhya Pradesh for a period of more than two years;

(b) the reasons for not providing these applicants with telephone connections; and

(c) the steps being taken to improve the tele-communications system in the District ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) and (b). Seven; three at Khandwa and four at Burhanpur. The connections at Khandwa are pending for want of

cables. At Burhanpur two connections are held up for want of line stores while the other two are held up for want of completion of formalities by the applicants.

(c) Action is being taken to procure additional cables and essential line stores to meet these pending demands. Expansion of changes and carrier system between Indore and Khandwa and Indore and Burhanpur is also planned during the current Five Year Plan.

मोटर तथा ट्रक के टायरों की कमी

5591. श्री मार्तण्ड सिंह : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मोटर तथा ट्रक के टायरों की भारी कमी है; और

(ख) यदि हाँ, तो विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों के किसानों के लिये इस समस्या को हल करने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). कुछ खास साइजों के टायरों के अलावा देश में मोटर अथवा ट्रैक्टर टायरों की कमी नहीं है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में भविष्य में होने वाली इस प्रकार के टायरों सहित अन्य प्रकार के टायरों की मांग पूरी करने के लिये आटोमोबाइल टायरों की पर्याप्त अतिरिक्त उत्पादन क्षमता अधिष्ठापित करने के लिये सरकार ने अनुमति दे दी है।

1972-73 के लिए राज्य की वार्षिक योजनाओं में मध्य प्रदेश का हिस्सा

5592. श्री मार्तण्ड सिंह : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य की वर्ष 1972-73 की वार्षिक योजनाओं का परिव्यय तथा उससे मध्य प्रदेश का जिलेवार कितना हिस्सा होगा ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : इक्कीस राज्यों के लिये कुल अनुमोदित 1601.75 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना परिव्यय में से, मध्य प्रदेश राज्य की 1972-73 की वार्षिक योजना के लिये अनुमोदित परिव्यय की राशि 109 करोड़ रुपये है। राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध सूचना के अनुसार, अनुमोदित परिव्यय के वितरण का जिलावार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

Industrial Establishments in Hoshangabad District (Madhya Pradesh)

5594. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state the steps taken so for by Government set up and develop industrial establishments in Hoshangabad District (M.P.) ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : Hoshangabad is one of 219 backward districts in the country which are entitled for finance at concessional rates from financial institutions for industry to be set up in the district.

The survey staff of the State Industries Department along with the District Officers have also carried out district surveys Hoshangabad to assess the industrial potential of the district. So far as central Industrial Project is concerned a security paper mill project at Hoshangabad, has been included in the IV Five Year Plan.

Besides, the IDBI in consultation with other agencies such as Reserve Bank of India. Industrial Finance Corporation of India etc. has surveyed and submitted a report on the possibilities of promoting industries in the State of Madhya Pradesh as a whole. It expected that the State agencies and entrepreneurs would take advantage of these facilities and concessions and set up industries in various parts of the State including Hoshangabad district.

P & T Offices in Madhya Pradesh

5595. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Communications** be pleased to state;

(a) whether proposals for setting up of new posts and Telegraphs offices in Madhya pradesh state during the current Year are under the consideration of Govenment and if so, the number thereof;

(b) the time by which these new Posts and Telegraphs offices are likely to be set up, indicating the locations thereof; and

(c) the number of such Posts and Telegraphs offices proposed to be set up in Urban and rural areas, separately ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) It is proposed to open 119 Post offices and to provide telegraph facility to 27 Post Offices in Madhya pradesh state during the current financial Year.

(b) The exact number of Post Offices to be opened by the and of the current financial Year and the locations thereof will depend on such of the proposals fulfilling the departmental standard like the population to be served. distance from the nearest post Office and other financial considerations prescribed by the Department.

Telegraph facility is likely to be provided to the following post Offices by the end of the current financial Year—

(1) Dertalai (2) Rahatgaon (3) Kesla (4) Indore Rambagh (5) Buxwaha (6) Khalwa (7) Arone (8) Bakaner (9) Simrol (10) Shahgarh (11) Bazag (12) Double Chowki (13) Kalyan pura (14) Bohariband (15) Rajodi (16) Saugor city (17) Khedipura Harda (18) Umaria Pan (19) Chanderi (20) Pana Collectorate (21) Kharagpur (22) Mangalwara Piparia (23) Baroda city (24) Army Headquarters Indore (25) Bharat Alluminium Korba (26) Kalisinde (27) Boda.

	Urban	Rural
(c) Post Offices Provision of telegraphs facility to Post offices	15 6	104 21

फिल्म वित्त निगम द्वारा वित्तीय सहायता

5596. श्री पम्पन गोडा : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फिल्म वित्त निगम द्वारा वर्ष 1971-72 में फिल्मों के किन निर्माताओं को वित्तीय सहायता दी गई; और

(ख) इस बारे में दी गई सहायता की शर्तों का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) दो विवरण जिनमें जानकारी दी गई है, सदन की मेज पर रख दिये गये हैं। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1998/72]

न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य

5597. श्री वयालार रवि : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश के पांच राज्यों में प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय होने के क्या कारण है और वर्तमान मूल्यों पर उनकी प्रति व्यक्ति आय कितनी-कितनी है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : संलग्न विवरण में बताया गया है कि निम्नतम प्रति व्यक्ति आय वाले पांच राज्यों की 1969-70 के वर्ष के दौरान क्रमिक प्रति व्यक्ति आय क्या थी। इन राज्यों के सापेक्ष पिछड़ेपन के अनेक कारण हैं, जैसे (1) ऐतिहासिक घटक, (2) भौतिक भौगोलिक दशायें, (3) प्राकृतिक संसाधनों की कम उपलब्धि, (4) जनसंख्या का बहुत ज्यादा और बहुत कम घनत्व, (5) बुनियादी आधार संबंधी सुविधाओं का अभाव, और (6) कमजोर संस्थागत संरचना आदि।

विवरण

वर्तमान मूल्यों पर राज्य के शुद्ध घरेलू उत्पादन के अनुमान

राज्य	1969-70
	(रुपये)
नागालैंड	328
बिहार	402
राजस्थान	478
मध्य प्रदेश	495
उत्तर प्रदेश	497
अखिल भारतीय	590

स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन।

टिप्पणी : अभिधारणा, प्रणाली और उपयुक्त स्रोत सामग्री के बारे में ये अनुमान तुलनात्मक हैं।

अनुभाग अधिकारी को परीक्षा के माध्यम से अवर सचिव के रूप में पदोन्नति किये जाने के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश

5598. कुमारी कमला कुमारी : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग ने यह सिफारिश की है कि अनुभाग अधिकारियों को परीक्षा के माध्यम से अवर सचिव के पद पर पदोन्नत किया जाना चाहिये; और

(ख) यदि हाँ, तो इस विषय पर दी गई सिफारिश का मुख्य ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्यमन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख). प्रशासन सुधार आयोग ने कार्मिक प्रशासन विषय पर अपनी रिपोर्ट में निम्नांकित सिफारिश की है :-

"**संख्या 42(1)** : अखिल भारतीय सेवाओं सहित प्रथम श्रेणी के जो रिक्त स्थान श्रेणी-11 के अधिकारियों को पदोन्नति के लिए उपलब्ध हों, उनमें से आधे रिक्त स्थान वर्तमान तरीके से भरे जाएं, शेष आधे स्थान एक परीक्षा के आधार पर भरे जाएं। इस परीक्षा में

श्रेणी-11 के अधिकारियों को बैठने दिया जाय, बशर्ते कि उन्होंने निर्धारित न्यूनतम सेवा-अवधि, उदाहणार्थ 5 वर्ष, पूरी करली हो, और उन्हें यह ग्रेडिंग न दी गई हो कि 'वे अभी पदोन्नति के योग्य नहीं हैं।"

यह सिफारिश सरकार के विचाराधीन है।

थुम्बा से उपग्रह प्रणाली के डिवीजन का अन्यत्र ले जाया जाना

5599. श्री वयालार रवि : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को थुम्बा से उपग्रह प्रणाली के डिवीजन के अन्यत्र ले जाये जाने के बारे में केरल के मुख्य मंत्री तथा कुछ अन्य संगठनों से अभ्यवेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उन संगठनों के नाम क्या हैं और अभ्यवेदनों का सारांश क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, प्रमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिकी मंत्री गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) जी हां। अन्तरिक्ष विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी केन्द्र के उपग्रह प्रणाली प्रभाग को बंगलौर अथवा हैदराबाद को स्थानान्तरित करने की सम्भावना के बारे में केरल के मुख्य मंत्री ने प्रधान मंत्री को लिखकर चिन्ता व्यक्त की है। सरकार को इस बारे में किसी संगठन से अभ्यवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) इस विषय में कोई भी निर्णय लेने से पहले, विषय के सभी पहलुओं पर ध्यान से विचार किया जायेगा।

भारतीय परमाणु बिजली घर, हैदराबाद के लिए स्टील ट्यूब के निर्माण के लिए फ्रांस से करार

5600. श्री वयालार रवि : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा आयोग ने भारतीय परमाणु बिजली घर, जो कि इस समय हैदराबाद में बनाया जा रहा है, के लिए स्टील ट्यूबों के निर्माण हेतु फ्रांस की प्रक्रिया के प्रयोग के बारे में फ्रांसीसी कम्पनी समूह 'पेचिसे उगनि कब्लमान' के उप-प्रभाग 'सेफीलाक' के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो करार की शर्तों का संक्षिप्त विवरण क्या है; और

(ग) प्लाँट के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिकी मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हाँ।

(ख) इस करार के अन्तर्गत जो कि प्रारम्भ में दस वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा, शीशे की स्नेहक के रूप में प्रयोग में लाकर हाट एक्सट्रशन विधि द्वारा स्टील एवम् अन्य धातुओं की खोखले तथा ठोस आकार की चीजें तथा ट्यूबें बनाने की प्रक्रिया को काम में लाने का अधिकार सेलिफाक द्वारा परमाणु ऊर्जा विभाग को दे दिया जायेगा। फ्रेंच फर्म को 5,50,000 अमरीकी डालर

के बराबर राशि एक मुश्त दे दी जाएगी। वह फर्म हमें तकनीकी जानकारी प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगी। हमारे स्टाफ के कर्मचारी भी सेलिफाक की कर्मशालाओं में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। तथा प्रशिक्षण का पूरा खर्च हमें उठाना होगा।

(ग) जोड़ रहित ट्यूब बनाने वाले संयंत्र के सन् 1975 में बनकर पूरे होने की सम्भावना है।

भारत सरकार में अनुसंधान अधिकारियों और वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारियों के पदों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता

5601. कुमारी कमला कुमारी : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों में नियुक्त किये जाने वाले अनुसंधान अधिकारियों और वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारियों के पदों के लिये मंत्रालय/विभाग वार अलग-अलग शैक्षिक योग्यता क्या है;

(ख) क्या कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण डिवीजन) में वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारियों के पदों के लिये शैक्षिक योग्यता में छूट दी गई है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) जी नहीं श्रीमान्।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा में स्नेहक, पेंसिलें और 'सीसा' संयंत्रों की स्थापना

5602. श्री स्वर्ण सिंह सोखी : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या उड़ीसा राज्य के बोलनगीर, कालाहाँडी, ढेवानाल और सम्भलपुर जिलों में लगभग 125 किलोमीटर क्षेत्र में ग्रेफाइट पाया जाता है; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इन जिलों मे सरकारी क्षेत्र में स्नेहकों, पेंसिल और सीसा संयंत्र लगाने का है ताकि देश की आन्तरिक मांग को पूरा किया जा सके तथा बेरोजगारी को दूर किया जा सके ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) बोलनगीर, कालाहाँडी, थेनकानल तथा संबलपुर जिलों में कई जगह ग्रेफाइट पाया जाता है जिस का अनुमान लगाया जा रहा है। इन मिलों में ग्रेफाइट 125 किलोमीटर के सीमित क्षेत्र में ही है, ऐसी कोई विशेष सूचना नहीं मिली है।

(ख) फिलहाल, ऐसा कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन नहीं है। फिर भी ऐसा मालूम हुआ है कि राज्य सरकार ग्रेफाइट का एक अभिशोधक संयंत्र स्थापित करने का विचार कर रही है।

आकाशवाणी, कड़प्पा के लिए फ़ार्म तथा होम यूनिट

5603. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आकाशवाणी के कड़प्पा केन्द्र में एक फार्म तथा होम यूनिट स्थापित करने की मंजूरी दी गई थी जिसका आशय किसानों के लिए लाभप्रद समस्या प्रधान कार्यक्रम तथा तकनीकी जानकारी देना है; और जिसमें फार्म में काम करने वाली महिलाओं को अपने जीवनस्तर में सुधार करने की सहायता देना शामिल है, और जिसका वर्ष 1971-72 की समाप्ति से पूर्व प्रसारण शुरू करने की संभावना थी;

(ख) कार्यक्रम आरंभ करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इसको शीघ्र शुरू करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) जी, हाँ।

(ख) स्टाफ की भर्ती में विलम्ब।

(ग) स्टाफ के चयन का कार्य चालू है और शीघ्र ही मुकम्मल हो जाएगा। स्टाफ की नियुक्ति होने पर फार्म तथा गृह कार्यक्रम शुरू कर दिए जाएंगे।

आंध्र प्रदेश में फील्ड पब्लिसिटी यूनिट

5604. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आन्ध्र प्रदेश के उन जिलों के नाम क्या हैं जिन में फील्ड पब्लिसिटी यूनिट खोले गये हैं;

(ख) आन्ध्र प्रदेश के प्रत्येक जिले में कब तक फील्ड पब्लिसिटी यूनिट खुल जाने की संभावना है; और

(ग) उनकी गतिविधियों को और अधिक अच्छा बनाने तथा उनको बढ़ाने के लिए अब तक क्या प्रयास किए गए हैं।

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) (1) कुड्डपा (2) ईस्ट गोदावरी (3) गंतूर (4) हैदराबाद (5) कुरनूल (6) नाल गोंडा (7) निजामाबाद (8) ओंकुलम (9) विशाखपटनम् और (10) वारंगल

(ख) आन्ध्र प्रदेश में स्थित 10 क्षेत्रीय प्रचार यूनिटें आपस में मिल जुल कर राज्य के 21 जिलों को कवर करती है; क्षेत्रीय प्रचार यूनिटों का और विस्तार, स्रोतों की उपलब्धि पर निर्भर होगा।

(ग) गुण सम्बन्धी सुधार प्राप्त करने के प्रयत्नों में परिवार नियोजन सहित विकास विभागों से निकट सम्पर्क स्थापित करना तथा कृषि विस्तार अधिकारियों, चिकित्सकों आदि विशेषज्ञों को क्षेत्रीय कार्यक्रमों में श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आमंत्रित करना है। मात्रात्मक दृष्टि से क्षेत्रीय प्रचार यूनिटों द्वारा आयोजित फिल्म प्रदर्शनों की संख्या में उल्लेखनीय प्रगति हुई है जो कर्मचारियों तथा उपकरणों की पूर्ण उपयोगिता बताती है।

आकाशवाणी, कड़प्पा से दिन के समय के प्रसारण के बारे में निश्चय करने में विलम्ब

5605. श्री वाई ईश्वर रेड्डी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री आकाशवाणी, कड़प्पा से

दिन के समय के प्रसारणों के बारे में 19 अप्रैल, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3265 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के कड़प्पा केन्द्र से आंशिक रूप से मूल कार्यक्रमों के साथ-साथ दिन के समय प्रसारण शुरू करने के बारे में एक वर्ष में जो निर्णय लिया गया था उसको क्रियान्वित करने में विलम्ब करने के क्या कारण हैं;

(ख) निर्णय को तुरन्त क्रियान्वित करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) उक्त निर्णय की क्रियान्वित पर वार्षिक कितने व्यय का अनुमान लगाया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नंदनी सत्पथी) : (क) तथा (ख). वर्तमान वित्तीय कठिनाई के कारण नए गैर योजना पदों के बनाये जाने पर सामान्य प्रतिबन्ध के कारण, निर्णय के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति करना संभव नहीं हो सका है। इसके बारे मे प्रतिबन्ध में ढील देने का प्रश्न विचाराधीन है।

(ग) लगभग 1,20,000 रुपये।

केन्द्रीय सूचना सेवा में मानिटरों का शामिल किया जाना

5606. श्री काहनडोल : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सूचना सेवा में आश्रयीपदोन के साथ मानिटरों के पद को शामिल करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इसका किस कसौटी पर विचार किया जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके आकाशवाणी के मानीटरों जिनको अब उप-सम्पादक (मानिटरिंग) कहते हैं, के पदों को केन्द्रीय सूचना सेवा के चतुर्थ ग्रेड में सम्मिलित करने का निर्णय किया गया है।

(ख) यदि निर्णय उप-सम्पादकों (मानिटरिंग) तथा अन्य कार्यालयों की कर्मचारी संख्या में सम्मिलित केन्द्रीय सूचना सेवा के चतुर्थ ग्रेड के पदों के दायित्वों को ध्यान में रखते हुए किया गया था।

केन्द्रीय सूचना सेवा में ग्रेड चार में तदर्थ आधार पर काम कर रहे व्यक्ति

5607, श्री काहनडोल : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सूचना सेवा के ग्रेड चार में रिक्त स्थानों को भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग 1972-73 में परीक्षा लेने जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इन पदों पर तदर्थ आधार पर पहले ही काम कर रहे व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) और (ख). मामले पर संघ लोक सेवा आयोग के साथ पत्र-व्यवहार चल रहा है।

रूरकेला में आग से पीड़ित व्यक्तियों को राहत

5608. श्री स्वर्ण सिंह सोखी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरकेला (उड़ीसा) में बिसरा चौक में अस्थायी रिहायशी शेडों और दुकानों में आग लग जाने के परिणामस्वरूप हजारों लोग और बच्चे बेघर और आपातग्रस्त हो गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इन भूख से पीड़ित और बेघर व्यक्तियों को शीघ्र राहत देने और उन्हें पुनः बसाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) (क) उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है बिसरा चौक रूरकेला में आग लग जाने से कोई मकान नष्ट नहीं हुये थे ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Muslim Families o Patna Living in Bangladesh (East-Pakistan) :

5609. Shri Ramavatar Shastari : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to sta'e:

(a) whether a large number of persons belonging to the various Muslim families of Patna were living in Bangladesh.

(b) if so, whether after the launching of liberation movement there, a large number of Muslim were sent to unknown places and no intimation was given to there kitch and kins in this regard;

(c) if so whether a member of Parliament had sent a list to her containing the name of some such muslims; and

(d) if so, the action taken by Government and the present position in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin): (a) Yes, Sir.

(b) & (c). After the outbreak of the struggle for liberation in Bangladesh in March 1972 numerous enquiries were received by Government regarding the whereabouts and safty of non-Bangali residents in Bangladesh. On the 12th August, 1971 Shri Ramavatar Shastri M. P.. forwarded a pitition, enquiring the whereabouts of ten non-Bangali workers in a Chittagong factory, who were reported to have crossed over to Assam or Tripura.

(d) In all such cases, enquires were made from the Governments of our border States concerned. In regard to the pitition forwarded by Shri Ramavatar Shastri, enquires were made from the Governments of Assam and Tripura. The Governments of Tripura has reported that the persons named in the pitition have not come to notice in Tripura. The Government of Assam have also not been able to obtain any clue in regard to the whereabouts of those persons.

विदेशियों सम्बंधी अधिनियम के अंतर्गत नजरबन्द गैर-बंगाली महिलाओं और बच्चों के विरूद्ध मामलों का वापस लिया जाना

5610. श्री भोगेन्द्र झा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्याप्रधान मंत्री को एक बेबी खातून का उर्दू में लिखा हुआ एक पत्र मिला था जो उसने 1971 के बजट सैशन के दौरान लोक सभा के एक सदस्य को भेजा था और जो स्वयं

पश्चिमी बंगाल के वैस्ट दिनाजपुर जिले की एक सब जेल में कैद है और यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या प्रधान मंत्री ने संसद सदस्य को उस के अनुरोध पर पत्र लिखकर सहानुभूति पूर्वक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया था कि बंगला देश से आयी गैर-बंगाली महिला तथा बाल-बन्दियों या दोषी व्यक्तियों, जिनके परिवारों के बालिग पुरुष सदस्यों की हत्या कर दी गई थी, के विरुद्ध विदेशियों सम्बन्धी अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत मामलों को वापस ले लिया जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) (क) जून, 1971 में प्रधान मंत्री ने माननीय सदस्य से ऐसा एक पत्र प्राप्त किया।

(ख) और (ग) जुलाई, 1971 में प्रधान मंत्री को माननीय सदस्य से दूसरा पत्र प्राप्त हुआ जिसमें सुझाव दिया गया था कि विदेशियों के लिए अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने पर गिरफ्तार किये गये शरणार्थियों विशेषतः महिला और बच्चों को मुक्त किया जाय। यह समझा गया था कि पश्चिम बंगाल सरकार ने, मानवीय आधार पर, विशिष्ट व्यक्तियों को जिनके मामले माननीय सदस्य सरकार के ध्यान में लाये थे, मुक्त करने के लिए अनुदेश जारी किए थे। पश्चिम बंगाल सरकार से सहानुभूति के आधार पर उनके विरुद्ध विचाराधीन आपराधिक मामलों को वापस लेने के सम्बन्ध में भी उनके सुझाव पर विचार किया गया है और पश्चिम बंगाल सरकार से पत्र व्यवहार चल रहा है।

विदेश मुद्रा के संबंध में जांच-पड़ताल

5611. श्री राजदेव सिंह : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सब-कंट्रैक्टिग एक्सचैंज ने सरकारी विभागों. रेलवे, सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के संगठनों से 47 मामलों में यह जानने के लिए जांच पड़ताल की है कि उनकी आवश्यकताओं को स्वदेशी संसाधनों से ही वैसे पूरा किया जा सकता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या अब तक कुल 41 मामलों में ही जांच की गई या इनके अतिरिक्त विदेशी मुद्रा में और आयात लाइसेंस से सम्बन्धित किन्हीं और मामलों में भी जांच की गई है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) महाराष्ट्र सब-कॉंट्रैक्टिग एक्सचेंज जो अपनी आवश्यकता स्वयं पूर्ति कर सकने की क्षमता वाले लघु उद्योग एककों और बड़े पैमाने के एककों को एक दूसरे के निकट लाता है उसने मई 1970 में अपनी स्थापना से लेकर मार्च 1972 तक 1,849 मामलों की इस प्रकार की जांच की है।

कार्य प्रक्रिया में आयात लाइसेंसों और विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं का विश्लेषण नहीं आता है।

साम्प्रदायिक संगठनों पर कड़ी निगरानी के बारे में प्रधान मंत्री का वक्तव्य

5612. श्री एम० कल्याण सुन्दरम : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 24 मार्च, 1972 को अपने निवास स्थान पर प्रदर्शनकारियों के समक्ष बोलते

हुए प्रधान मंत्री ने यह कहा था कि साम्प्रदायिक संगठनों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और यदि वे जन-विरोधी गतिविधियाँ जारी रखते हैं तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूरा पाठ क्या है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) प्रधान मंत्री के भाषण का कोई शाब्दिक रिकार्ड नहीं रखा गया है। प्रधान मंत्री ने संसद में समय-समय पर इस विषय पर सरकार के विचार स्पष्ट किए हैं।

रांची स्थित डाक व तार कर्मचारियों को परियोजना भत्ता

5613. श्री रामावतार शास्त्री : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित डाक व तार महानिदेशक ने रांची स्थित डाक व तार कर्मचारियों को परियोजना भत्ता देने की मंजूरी दे दी थी और तदनुसार डी०ई०टी० रांची ने परियोजना भत्ता ले लिया था और उसका भुगतान रांची के टेलीग्राफ इंजीनियरिंग कर्मचारियों को कर दिया था,

(ख) क्या टेलीग्राफ इंजीनियरिंग कर्मचारियों, जिन्होंने उक्त परियोजना भत्ता ले लिया था, ने परियोजना भत्ते के लिए डी० ए० टी० रांची को आवेदन पत्र नहीं दिया था अपितु डी०जी० पी० टी० के प्राधिकार जिसकी सूचना पोस्टमास्टर जनरल बिहार द्वारा दी गई थी, पर इसका भुगतान उनको किया गया था, और

(ग) यदि भाग (क) और (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो उसकी वसूली के आदेश किस आधार पर दिये गये हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हाँ।

(ख) कर्मचारी यूनियनों ने यह भत्ता देने के लिए कहा था।

(ग) इसकी वसूली इसलिए की जा रही है क्योंकि यह पाया गया था कि राँची को परियोजना क्षेत्र नहीं माना जा सकता और इसलिए ये कर्मचारी परियोजना भत्ते के हकदार नहीं थे।

मैसूर-केरल सीमा पर मलयाली लोगों के घरों का जलाया जाना

5614. श्री ए० के० गोपालन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि मैसूर-केरल सीमा पर मैसूर पुलिस द्वारा मलयाली लोगों के घरों को जलाया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कार्यवाही की है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस उद्देश्य से क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (घ) मैसूर के आरक्षित बनों में वृक्षों को अवैध रूप से काटने में अन्तर्ग्रस्त बदमाशों द्वारा खड़े किये गये चार शेड जले पाए

गये । बदमाशों ने जिन्होंने वनों को अवैध रूप से काटा था, झाड़ झंखाड़ में आग लगाई, जिसके परिणामस्वरूप सम्भवतः 4 शेडों में भी आग लग गई । उसके लिए मैसूर पुलिस उत्तरदायी नहीं थी ।

सुरक्षित स्मारकों से मूर्तियों की चोरी करने वाले अन्तराष्ट्रीय गिरोह

5615. श्री वेकारिया :

श्री पी० गंगादेव :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सुरक्षित स्मारकों और मन्दिरों में से मूर्तियों की चोरी में अन्तर्राष्ट्रीय गिरोहों का हाथ है ; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या गत वर्षों में इस सम्बन्ध में कोई गिरफ्तारी की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहीसन) : (क) अब तक सरकार के ध्यान में यह नहीं आया है कि मूर्ति चुराने में अन्तर्राष्ट्रीय गिरोहों का हाथ है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

प्रशासनिक ढांचे में सुधारों के बारे में नीतियों की क्रियान्विति

5616. श्री कार्तिक उराव : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्मिक विभाग के संयुक्त सचिवों तथा इसके ऊपरी स्तर के पदों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को ही नियुक्त किया जाता है; और

(ख) क्या सरकार का विचार प्रशासनिक सुधारों के बारे में प्रधान मंत्री के विचारों को क्रियान्वित करने के लिए, उनकी सहायता हेतु संयुक्त सचिवों तथा इससे ऊपर के पदों पर कुछ तकनीकी अधिकारियों को नियुक्त करने का है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

आकाशवाणी के ड्रामा कलाकारों की बुकिंग

5617. श्री शशिभूषण : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी दिल्ली के ड्रामा डिवीजन के कुछ कलाकारों को प्रायः बुक किया जाता है जब कि शेष कलाकारों को पिछले अनेक महीनों से कोई कन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया है; और

(ख) ड्रामा के सभी कलाकारों को समान अवसर देने के बारे में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) (क) **तथा**

(ख) : ड्रामा आर्टिस्टों की बुकिंग के लिए कोई निश्चित आवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती, क्योंकि बुकिंग की पेशकश प्रत्येक स्क्रिप्ट की आवश्यकताओं तथा आर्टिस्ट के लिए उपयुक्त रोल की उपलब्धि के आधार पर की जाती है।

Request for P. C. O. at Moti Nagar, New Delhi

5618. Shri Ishwar Chaudhry : Will the Minister of **Communications** be pleased to State :

(a) Whether Government have received any memorandum from M/s. Milki Raj & Sons. Sudershan Park, Moti Nagar, New Delhi—15 in which it has been stated that the people of this area have been facing great difficulties in the absence of any telephone facility there and they have requested for the opening of Public Call Office there;

(b) Whether the said memorandum was also signed by fifty persons of the said area; and

(c) If so, whether Government have issued any orders for providing telephone connections there for the benefit of the people ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) (a) Yes.

(b) Yes.

(c) Three public call offices have already been provided at suitable premises in the locality for the benefit of people of this area. This request was exsamined but could not be acceded to as the Public Call Office was desired to be installed at residential premises. Departmental Rules do not allow installation of Public Call Offices at private residential premises, as such premises area not likely to be freely accessible to the general public.

डाक घरों में जाली डाक टिकटों की बिक्री

5619. **श्री बक्शी नायक** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बहुत से डाकखानों में जाली डाक टिकटें बेची जा रही हैं;

(ख) क्या सरकार को ऐसे कुछ मामलों का पता चला है,

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(घ) जाली टिकट बेचने वाले सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो वह क्या है ?

संचार मंत्री (श्री **हेमवती नन्दन बहुगुणा**) (क) जी नहीं। फिर भी कुछ ऐसे मामले देखने में आए हैं, जिनमें डाक टिकट बेचने वाले डाकघरों के कुछ कर्मचारियों के पास से जाली डाक टिकट पकड़े गए हैं। ये टिकट उन्होंने बाहर से प्राप्त किए थे।

(ख) और (ग)—इस सम्बन्ध में आपका ध्यान इस सदन में 6 अप्रैल, 1972 को इसी विषय पर एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में दिए गए अपने वक्तव्य की ओर दिलाना चाहता हूं। तथापि मैं यह बता देना चाहता हूं कि अंसारी रोड डाक घर (दिल्ली) से 20 पैसे वाले (16 अक्टूबर, 1967 को निकाली गई नैट सीरीज के) जाली डाक टिकटों की बिक्री की सूचना पाते ही डाक तार सतर्कता संगठन ने उक्त डाक घर पर छापा मारा और इस डाक घर में काम करने वाले विभागीय टिकट विक्रेता की डाक स्टेशनरी के स्टाक की जांच करने पर जाली टिकट

बरामद किए। इसलिए पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसके द्वारा दिए गए सुराग के आधार पर 30/31 मार्च, 1972 को दिल्ली में डाक-टिकटों की जालसाजी के काम का पूरी तरह पता लगा लिया।

पुलिस ने जाली डाक-टिकट छापने वाली प्रेस के मालिक को गिरफ्तार कर लिया था। डाक टिकट छापने के पूरे साज-सामान के साथ-साथ दो लाख रुपये के पूरे छपे और अध छपे डाक टिकट भी पकड़े गए। प्रेस मालिक से जो रिकार्ड पकड़ा गया उसकी सहायता से दिल्ली और देश के अन्य भागों में विभागीय कर्मचारियों के अलावा 23 अन्य व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। अब तक गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या 29 है जिसमें 6 डाक कर्मचारी भी शामिल हैं।

(घ) अब तक अंसारी रोड डाक घर (दिल्ली) के एक विभागीय डाक-टिकट विक्रेता और एक क्लर्क मुजफ्फरनगर मंडी (उत्तर प्रदेश), गोंडा कलेक्टोरेट, (उत्तर प्रदेश) और लारेन्स रोड, अमृतसर (पंजाब) के डाकघरों में काम करने वाले विभागेतर डाक टिकट बेचने वाले इस जालसाजी के सिलसिले में पकड़े गए हैं।

इन सब कर्मचारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अंसारी रोड डाकघर के दोनों कर्मचारियों को मुअत्तिल कर दिया गया है जब कि शेष चार अतिरिक्त विभागीय डाक टिकट विक्रेताओं को ड्यूटी से हटा दिया गया है।

राज्य केन्द्र सहयोग के बारे में उप-समिति

5629. **श्री आर० पी० उलगनम्बी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र और राज्यों में सहयोग और समन्वय की समस्या के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए नियुक्त की जाने वाली उपसमिति में प्रतिनिधित्व के स्तर के बारे में राज्य सरकारों में उत्पन्न मतभेद को दूर कर दिया गया है;

(ख) क्या उप-समिति ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है; और

(ग) उप-समिति द्वारा कब तक अपना कार्य पूरा किये जाने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) तथा (ग) : उप समिति ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है। उप समिति के कार्य की समाप्ति की कोई समय सीमा निश्चित नहीं की गई है।

केरल में डाक तथा तार कर्मचारी

5621. **श्री ए० के० गोपालन :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि केरल के डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों को 1968 की हड़ताल में डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों को दी गई, सामान्य राहतें नहीं दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) सरकार ने कर्मचारियों को आम राहत देने के लिए समय समय पर जो आदेश जारी किए हैं, उनके अनुसार केरल के डाक-तार कर्मचारियों को भी राहत दी गई है। ऐसी कोई आम शिकायत नहीं मिली कि केरल में डाक-तार कर्मचारियों को यह राहत देने से इनकार किया गया हो।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अखबारी कागज की आयात नीति का पुनरीक्षण

5622. श्री **बी० वी० नायक** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस समय अखबारी कागज की आयात नीति का पुनरीक्षण करने का विचार कर रही है; और

(ख) क्या नीति पुनरीक्षित की जा चुकी है और यदि हां, तो पहली नीति में किये गये महत्वपूर्ण परिवर्तनों की मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) और (ख) सम्भवतया सन्दर्भ अखबारी कागज के आवण्टन का है, न कि अखबारी कागज आयात नीति का। राजकोषीय वर्ष के लिए अखबारी कागज आवण्टन सम्बन्धी नीति सामान्यतया वर्ष के शुरू में घोषित की जाती है। चालू वर्ष 1972-73 के लिए नीति 11 अप्रैल, 1972 को घोषित की गई थी।

सार्वजनिक सूचना की एक प्रति लोक सभा की मेज पर उसी दिन रख दी गई थी। नीति की मुख्य मुख्य बातें संलग्न विवरण में दी गई है। (ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1999/72)

नियंत्रित वस्तुओं की चोर बाजारी

5623. श्री **एस० एन० मिश्र** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन वस्तुओं के मामले में हम अभी तक आत्मनिर्भर नहीं हो पाये हैं और इसी कारण से उन पर नियंत्रण लगाया गया है;

(ख) इन में से प्रत्येक वस्तु के सम्बन्ध में कब तक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की संभावना है, ताकि सरकार द्वारा उन पर से नियंत्रण हटाया जा सके;

(ग) क्या इस संबंध में कोई अध्ययन किया गया है कि ये नियंत्रित वस्तुएं इतनी अधिक मात्रा में काले बाजार में कैसे मिल जाती है; और

(घ) यदि हां, तो इन के काले बाजार को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) विभिन्न कारणों से जिनमें आत्म-निर्भरता की कमी भी सम्मिलित है, अनेक आवश्यक वस्तुओं पर मूल्य वितरण नियंत्रण लगा दिया है, कुछ नियंत्रण कानूनी हैं जैसे वनस्पति, सूती वस्त्र (चुनी हुई किस्म)

मिट्टी का तेल, औषधि और भेषज पर । टार्च के सूखे सेलों, साइकिलों, मोटर गाड़ियों के टायरों और ट्यूबों, शिशु खाद्य, साबुन, कागज तथा लेखन सामग्री जैसी वस्तुओं के मूल्य अनौपचारिक रूप से नियंत्रित किए जाते है ।

(ख) इस बात का हर प्रकार से प्रयास किया जा रहा है कि देश आवश्यक वस्तुओं में आत्मनिर्भर बने । लेकिन यह बताना सम्भव नहीं है कि कब तक देश आत्मनिर्भर होगा ।

(ग) राज्य सरकारों और अन्य संबंधित अभिकरणों से जानकारी मांगी गई है और यह सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(घ) वितरण करने में होने वाले भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत पर्याप्त शक्तियां विद्यमान हैं, अधिनियम के अन्तर्गत शक्तियां राज्य सरकारों को प्रत्यायोजित की गई है जो तलाशी लेने, अभिग्रहण करने आदि और अभियोग चलाने के लिए उन का प्रयोग कर रही है ।

सैंट्रल इलैक्टरो-कैमिकल इंस्टीट्यूट (तमिलनाडु) द्वारा लौह-चूर्ण बनाने की प्रक्रिया

5624. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैंट्रल इलैक्ट्रो-कैमिकल इंस्टीट्यूट कराइकुड़ी (तमिलनाडु) ने लौह चूर्ण के उत्पादन की प्रक्रिया निकाली है; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न क्षेत्रों में यह चूर्ण किस काम आता है ?

योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) जी, हां ।

(ख) लौह चूर्ण वैल्ड करने के इलेक्ट्रोडों और सिन्टरित धातु घटकों के उत्पादन में, विशेष लौ से काटने के कामों में और रसायनों के निर्माण में अपचयन पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है ।

Sale of land and property by former Rulers

5625. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the date from which the former Rulers are not entitled to sell their land and property: and

(b) the action proposed to be taken against those former Rulers who have sold or are selling their land and property after that date ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri K. C. Pant) : (a) and (b). Government have not put any restrictions on the disposal by sale or otherwise of the properties declared as the private properties of the former Rulers. The lands of the former Rulers are, however, subject to the laws enacted by the State legislatures.

Central Government Employees attaining Age of Superannuation after Appointment of Third Pay Commission

5626. Shri M. C. Daga : Will the **Prime Minister** be pleased to state the number of Central Government employees, category-wise, who have attained the age of superannuation since the appointment of Third Pay Commission upto the 31st March 1972 ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

Basis for Preparation of Price Index

5627. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) the basis on which price index is prepared by his Ministry;

(b) the names of commodities taken into account while preparing the price index;

(c) whether the present system of preparing price index is scientific; and

(d) if not, the steps being taken by Government to improve the sy tem ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) and (b). A copy of the publication "*A note on the Index Numbers of Wholesale Prices in India*" is available in the Parliament House Library. It provides background information on the construction of the new Series (Base 1961-62), coverage, choice of base, commodity classification, weighting system, etc.

(c) The index was prepared after detailed study of the problem, together with the availability of data, by a Working Group set up specifically for this purpose.

(d) Since all index numbers by their very nature require revision from time to time, an expert Working Group has been set up to examine various aspects relating to the revision of the current series.

जर्मन मामलों सम्बन्धी भारतीय संस्थान

5608. डा० रानेन सेन : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 जनवरी, 1972 के 'मदरलैंड' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणतंत्र को मान्यता देने के प्रश्न पर जनमत का पता लगाने के लिए दिल्ली में जर्मन मामलों संबंधी एक भारतीय संस्थान की स्थापना की गई है और यह संस्थान मार्च 1972 के अन्त तक भारत सरकार को अपने निष्कर्षों का ब्यौरा देगा; और

(ख) यदि हां, तो उक्त संस्थान का संचालन कौन कर रहा है और क्या सरकार ने इस संस्थान को उपर्युक्त उद्देश्य के लिए जनमत संग्रह करने को कहा है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख). सरकार ने जर्मन प्रजातान्त्रिक गणतंत्र को राजनयिक मान्यता देने के प्रश्न पर लोकमत का मूल्यांकन करने के लिए जर्मन कार्यों की एक भारतीय संस्था के गठन के संबंध में 20 जनवरी, 1972 के "मदरलैंड" में प्रकाशित समाचार देखा है। यह संस्था एक गैर-सरकारी अपंजीकृत सीमित है। सरकार

के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार सर्वश्री आर० हाण्डा और पी० मेहन्दी रत्ता क्रमशः इसके अध्यक्ष और सचिव हैं। सरकार ने संस्था से कोई लोकमत सर्वेक्षण करने को नहीं कहा है, जैसाकि सूचित किया गया है।

कृषि तथा उद्योग निगम द्वारा ट्रैक्टरों का उत्पादन

5629. श्री धर्मराव अफजलपुरकार : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि और उद्योग निगम द्वारा ट्रेक्टरों का उत्पादन किये जाने के बारे में कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). शायद यह प्रश्न मैसूर राज्य कृषि और उद्योग निगम लिमिटेड के संदर्भ में है। सरकार को वी०/ओ० ट्रैक्टर एक्सपोर्ट, यू० एस० एन० आर० के सहयोग से प्रतिवर्ष 1000 वाईलारस (50 से 60 अश्वशक्ति) कृषि ट्रैक्टर निर्माण हेतु मैसूर राज्य कृषि निगम लि० बंगलौर के सहयोग द्वारा बंगलौर में एक नये उपक्रम की स्थापना के लिए मै० इण्डियन इंजीनियरिंग एण्ड कोमर्शियल कारपोरेशन, नई दिल्ली का एक प्राय आवेदन पत्र 1—4—1972 को लाइसेन्स हेतु प्राप्त हुआ है। इस आवेदनपत्र पर विचार किया जा रहा है।

Central Assistance Provided for Rehabilitation of Families of Decoits Surrendered recently

5632. Shri Bhagirath Bhanwar :
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the nature of assistance provided by the Central Government for the programme announced by the Chief Minister of Madhya Pradesh for the rehabilitation of families of dacoits after their surrender in the Chambal Valley. development of said area providing irrigation facilities there and reclamation of land; and

(b) the expenditure to be incurred on the said scheme and the area to be covered thereunder and the number of persons likely to be benefited thereby ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) The Central Government have not provided any assistance for the programme annonced by the Cheif Minister of Madhya Pradesh for the rehabilitation of the families of the dacoits after their surrender in the Chambal Valley. The plans for the development of the said area are being worked out and the question of Central assirtance will be considered only when the plans are received by the Government.

(b) This information will be available only after plans have been finalised.

दिल्ली में उत्पादन शुल्क विभाग में सुधार करना

5633. श्री बनमाली पटनायक : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या जहरीली शराब के पीने के कारण बहुत बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो जाने को ध्यान में रखते हुए दिल्ली प्रशासन ने उत्पादन शुल्क विभाग में सुधार करने के लिए कुछ कार्य-वाही की है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इसके क्या परिणाम निकलने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

दिल्ली प्रशासन ने उत्पादन शुल्क के मामलों के प्रशासन सुधार लाने के लिए अनेक कदम उठाये है। इन उपायों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :—

(i) उत्पादन शुल्क विभाग को सुदृढ़ करने के लिए आरम्भिक उपाय के रूप में एक विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किया गया है।

(ii) तस्करी रोकने के उद्देश्य से उत्पादन शुल्क कर्मचारियों पर कारगर पर्यवेक्षण करने के लिए और स्टेशन हाउस अधिकारियों के स्तर पर पुलिस पर उचित नियंत्रण रखने के लिए सब डिवीजनल मजिस्ट्रेटों का उत्पादन शुल्क अधिकारी, प्रथम ग्रेड की शक्तियां प्रदान की गई हैं। उत्पादन शुल्क के मामलों के सम्बन्ध में विशेष पर्य-वेक्षण रखने के लिए उप-आयुक्त और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों से अनुरोध किया गया है।

(iii) यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि देशी शराब के सारे प्रेषित माल में कोई हानिकारक तत्व नहीं हैं उनकी बिक्री की अनुमति दिये जाने से पूर्व रासायनिक परीक्षा के लिए देशी शराब के सारे प्रेषित माल से नमूने लिए जाते हैं।

(iv) विशिष्ट विकृतिकारकों के विद्यमान होने को सुनिश्चित करने के लिए स्प्रिट, विकृत स्प्रिट, विशेष विकृत स्प्रिट के समस्त प्रेषित माल के नमूने भी उनकी बिक्री से पूर्व लिये जाते हैं।

(v) उत्पादन शुल्क तथा पुलिस विभाग के कार्य में समन्वय लाने के लिए उप-आयुक्त, तथा पुलिस अधीक्षक (अपराध) की एक तदर्थ समिति का गठन किया गया है।

(vi) चौबीस घंटे लोक शिकायतें तुरन्त सुनने के लिए उत्पादन शुल्क विभाग में एक विशेष कक्ष की स्थापना की गई है।

(vii) उत्पादन शुल्क अपराधों का पता लगाने तथा उनको रोकने के लिए उत्पादन शुल्क कर्मचारियों को उनकी गश्त बढ़ाने के लिए और अधिक वाहन दिए गये हैं।

(viii) प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करने की दृष्टि से उत्पादन शुल्क विभाग से सम्बन्धित मामलों की सम्पूर्ण देखभाल मुख्य सचिव द्वारा की जायगी और वे समय-समय पर दिल्ली के उपराज्यपाल को उसके कार्यों से अवगत करायेंगे।

(ix) उत्पादन शुल्क विभाग को आवश्यक अनुदेश दिये गये हैं कि उनको सुनिश्चित करना चाहिए कि विकृत स्प्रिट के लाइसेंस धारियों को स्प्रिट के प्रयोग का लेखा रखना होगा । उत्पादन शुल्क विभाग को आगे आदेश दिये गये हैं कि परमिटधारी जब तक स्प्रिट के प्रयोग तथा उससे बनाये गये पदार्थों के सन्तोषजनक विक्रय के लिए पर्याप्त और यथोचित प्रमाण प्रस्तुत न करें उन्हें और स्प्रिट नहीं दी जाय । इस पर भी बल दिया गया है कि ऐसे पदार्थों के विक्रय के लिए नियमित रूप से लेखा रखा जाय । इस सम्बन्ध में उत्पादन शुल्क विभाग को यह भी अनुदेश दिये गये हैं कि विकृत स्प्रिट के लाइसेंसधारियों के खुदरा विक्रय के स्टाक तथा लेखा को यह सुनिश्चित करने के लिए बार-बार जांच की जाय कि अवैध माध्यमों को स्प्रिट की बिक्री नहीं की गई है ।

(x) उत्पादन शुल्क आयुक्त, उत्पादन शुल्क के कलैक्टर और उत्पादन शुल्क निरीक्षकों द्वारा निरीक्षणों को कड़ा कर दिया गया है ।

उपरोक्त उपायों से अच्छे तथा कुशल उत्पादन शुल्क प्रशासन और उत्पादन शुल्क नियमों व विनियमों के कड़े प्रवर्तन होने की सम्भावना है ।

देश में हिरासत में राजनीतिक बन्दी

5634. श्री बी० के० दास चौधरी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 फरवरी, 1972 को देश में हिरासत में राजनीतिक बन्दियों की राज्यवार संख्या कितनी थी;

(ख) क्या उन में से कुछ को हाल ही में रिहा कर दिया गया है, और

(ग) यदि हां, तो अभी भी हिरासत में रखे गये बन्दियों को रिहा करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ०एच० मोहसिन) : (क) से (ग) : आन्तिरक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम में उपबन्ध भारत की प्रतिरक्षा, विदेशी शक्तियों से भारत के सम्बन्धों, भारत की सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा अथवा लोक व्यवस्था बनाये रखने अथवा समाज के लिए अनिवार्य सम्भरण तथा सेवाओं को बनाये रखने में किसी प्रतिकूल ढंग से कार्य करने से रोकने की दृष्टि से किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार देते हैं । उपलब्ध सूचना के अनुसार वे व्यक्ति जिनके राजनैतिक सम्बन्ध ज्ञात हैं, जो 1 फरवरी, 1972 को नजरबन्दियों के रूप में थे उनकी राज्यवार संख्या इस प्रकार है :—

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1-2-1972 को नजरबन्द ज्ञात राजनैतिक सम्बन्धों वाले व्यक्तियों की संख्या	उन में से अब तक मुक्त किए गये व्यक्तियों की संख्या
केरल	14 नक्सलपंथी	11
उड़ीसा	3 नक्सलपंथी	1
पंजाब	56 नक्सलपंथी	19
मणीपुर	1	—
दिल्ली	1 नक्सलपंथी	1
अरुणाचल प्रदेश	2 उग्रपंथी	2

पंजाब तथा मणीपुर की सरकारें उन व्यक्तियों के मामलों का पुनरीक्षण कर रही हैं जो अभी नजर-बन्द हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात तथा उत्तर प्रदेश और अण्डमान तथा निकोबार दीपसमूह, चण्डीगढ़, दादरा व नागर हवेली, गोवा, दमन व दीव, लक्कादीव, मिनीकाय व अमिनदीवी द्वीप-समूह और पांडीचेरी संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में ऐसे कोई व्यक्ति नजरबन्द नहीं हैं। आन्ध्र प्रदेश असम, बिहार मैसूर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व काश्मीर, तमिलनाडु, नागालैण्ड, राजस्थान पश्चिम बंगाल, मेघालय तथा त्रिपुरा राज्य सरकारों और मिजोरम संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से सूचना प्राप्त की जा रही है।

दिल्ली प्रशासन द्वारा राजधानी में शराब की दुकानें चलाना

5635. **श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने राजधानी में शराब की दुकानें खोलने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं और इसके क्या कारण है ?

गृह मंत्रालय में उपमन्त्री (**श्री एफ० एच० मोहसिन**) : (क) दिल्ली प्रशासन ने शाहदरा और महरोली में स्थित दो देशी शराब की दुकानों को फिलहाल 31 मई, 1972 तक विभाग की ओर से चलाने का निश्चय किया है।

(ख) जनवरी, 1972 में शराब की दुखद घटना को ध्यान में रखते हुए प्रशासन अपने आवकारी प्रबन्धों का पुनरीक्षण कर रहा है। बवेजा आयोग ने, जिसका गठन कई व्यक्तियों की जहरीली शराब पीने के कारण जनवरी, 1972 में हुई मृत्यु के कारणों की जांच करने के लिए किया गया था, कुछ वर्तमान आवकारी प्रबन्धों पर टिप्पणी भी की है और सुझाव दिया है कि शराब का मूल्य पड़ौसी राज्यों में विद्यमान मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिए। नये वित्तीय वर्ष के शुरू होने से पूर्व मार्च तक सारे वर्ष के लिए आवकारी प्रबन्धों को अन्तिम रूप दिया जाता है। किन्तु, चूंकि बवेजा आयोग की रिपोर्ट 13 मार्च 1972 को प्राप्त हुई थी और नये कार्यकारी पार्षद ने 18 मार्च 1972 को कार्यभार सम्भाला था, अतः नये वर्ष के आरम्भ होने से पूर्व आवकारी प्रबन्धों का पुनरीक्षण करना सम्भव नहीं था। अतः पुनरीक्षण के विचाराधीन होने तक कार्यकारी पार्षद ने निश्चय किया कि 31 मई 1972 तक दो महीने की अवधि के लिए उस लाइसेंसधारक द्वारा उन्हीं शर्तों पर तथा दो महीने के लिए आनुपातिक शुल्क के भुगतान पर देशी शराब की दुकानों को चलाये जाने की अनुमति दी जाये जिसको 1971-72 वर्ष में देशी शराब की फुटकर बिक्री के लिए ठेका दिया गया था। किन्तु ठेकेदार ने कुछ शर्तें रखी जो प्रशासन को मान्य नहीं थी। अतः 3 अप्रैल 1972 से प्रशासन ने शाहदरा व महरोली की दो दुकानों से शराब की फुटकर बिक्री अपने हाथ में ले ली। इन दो दुकानों को लेने में प्रशासन का दूसरा महत्वपूर्ण विचार यह था कि इन दुकानों द्वारा बेची जाने वाली शराब के स्तर के बारे में अधिक कारगर नियंत्रण रखा जा सके।

मांदर (मध्य प्रदेश) में सीमेंट फैक्टरी की चिमनी का गिर जाना

5636. **श्री वी० के० दास चौधरी** : क्या **औद्योगिक विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माँदर (मध्य प्रदेश) में भारतीय सीमेंट निगम की सीमेंट फैक्टरी की चिमनी गिर गई है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं तथा इससे सरकार को कितनी हानि हुई है;

(ग) क्या इसका उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए सरकार का इस मामले में जांच करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

नेता जी जांच आयोग द्वारा की गई प्रगति

5637. **श्री समर गुह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायाधीश जी० डी० खोसला को नेता जी की रहस्यम मृत्यु के बारे में जाँच करने के अतिरिक्त कोई और काम सौंपा गया है;

(ख) यदि हां, तो उन्हें सौंपे गये अतिरिक्त कार्य का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उक्त अतिरिक्त कार्य नेता जी जाँच आयोग के कार्य में बाधक सिद्ध होगा !

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) श्री न्यायाधीश जी० डी० खोसला क्रमशः शिक्षा मंत्रालय तथा सूचना व प्रसारण मंत्रालय द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय एकादमी तथा भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्धों के परिषद और भारतीय जाँच समिति की फिल्म संस्था सम्बन्धी पुनरीक्षण समिति के भी अध्यक्ष है।

(ग) आयोग ने ऐसी कोई कठिनाई व्यक्त नहीं की है।

नेता जी जांच आयोग की सहायता के लिये कानूनी सलाहकार

5638. **श्री समर गुह** : क्या गृह मंत्री यह बनाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेताजी जाँच आयोग की सहायता के लिए अभी तक कोई कानूनी सलाहकार नियुक्त नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त आयोग का जाँच-कार्य अपेक्षित सीमा तक नहीं हो पाया है;

(ग) क्या बहुत से गवाहों से जिनमें कर्नल हबीबर्रहमान जो इस समय पाकिस्तान में हैं तथा जो स्वयं को विमान दुर्घटना का एकमात्र प्रत्यक्ष गवाह बताते हैं, भी सम्मिलित है, से अभी तक कोई पूछताछ नहीं की गई है; और

(घ) क्या आयोग की, कार्य को पूरा करने की निर्धारित अवधि में वृद्धि की जायेगी ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ०एच० मोहसिन) : (क) नेताजी जाँच आयोग की सहायता के लिए कानूनी सलाहकार की नियुक्ति पहले ही कर दी गई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यह तय करना आयोग के ऊपर है कि गवाह के रूप में किसकी परीक्षा की जानी चाहिए। आयोग ने पहले ही उन सभी व्यक्तियों को आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया है, जिनके पास इस विषय में कोई सूचना है। समझा जाता है कि कर्नल हबीबुर्रहमान आयोग के समक्ष उपस्थित होने के इच्छुक नहीं हुए है।

(घ) आशा की जाती है कि आयोग 30 जून, 1972 तक जब उसकी अवधि समाप्त होने वाली है अपना कार्य पूरा कर लेगा।

कागज की किस्म और उत्पादन

5639. श्री श्रीकिशन मोदी :
श्री पी० गंगा देव :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कागज उद्योग में गिरावट आ रही है और क्या देश में घटिया किस्म के कागज का उत्पादन हो रहा है तथा इसका अपर्याप्त वितरण है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) यद्यपि कुछ मिलों द्वारा बनाये गये लिखाई और छपाई के कागज की किस्म और उसकी यदाकदा कमी के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं, भी स्थिति सन्तोषजनक नहीं है।

(ख) 1973 के अन्त तक कागज के उत्पादन में लगभग 1 लाख मी० टन की वृद्धि के लिए क्रेश कार्यक्रम के अन्तर्गत 20 योजनायें स्वीकृत हो चुकी हैं। लिखाई और छपाई के कागज की दीर्घावधि आवश्यकाओं की पूर्ति हेतु अतिरिक्त क्षमता की व्यवस्था के लिए 35 नई योजनायें स्वीकृत की गई हैं।

कागज की कमी और किस्म के बारे में जब कभी कोई शिकायत प्राप्त होती है, उस पर कागज उद्योग की तदर्थ समिति जो कि एक अनौपचारिक त्रिपक्षीय निकाय है, जिनमें सरकार, उद्योग और उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं द्वारा तुरन्त ध्यान दिया जाता है। शिकायतों की जांच के लिए उद्योग द्वारा एककों की भी स्थापना की गई है। कागज की साधारण किस्मों पर अभी हाल ही में भारतीय मानक संस्था ने भी मानक विकसित किये हैं। भारतीय मानक संस्था द्वारा तैयार किये गये मानकों को स्वीकार कर लेने पर मिलों में बनने वाले कागज की किस्म में सुधार होगा।

औद्योगिक बस्तियों का कार्यकरण

5640. श्री एम० कतामुतु : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में स्थापित औद्योगिक बस्तियों के कार्यकरण का पुनर्विलोकन किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) राज्य सरकारों के परामर्श से विकास आयुक्त, लघु उद्योग समय-2 पर इसकी समीक्षा करते हैं। स्थिति निम्न प्रकार से हैं :-

	31-3-1965	31-3-1971
पूर्ण औद्योगिक बस्तियों की संख्या	235	455
निर्मित शैड	5188	10317
आवंटित शैड	4892	9095
अधिकृत शैड	3794	8263
शैड जिनमें काम चल रहा है	3134	6388
नियोजित मनुष्य	46581	106102
वार्षिक उत्पादन	37.8 करोड़ रु०	154 करोड़ रु०

Causes of outbreak of Fire in Sadar Bazar, Delhi on 16th April, 1972

5641. Shri Ishwar Chaudhry : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the main causes of fire which broke out in Sadar Bazar, Delhi on the 16th April, 1972;

(b) the approximate loss suffered as a result thereof;

(c) whether Government have issued any directives to prevent the recurrence of such incidents; and

(d) if so, the nature thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin) : (a) Investigations made so far reveal that the fire was of an accidental nature and broke out due to short circuit in the electricity wire.

(b) In all 78 shops were burnt and approximate loss of goods worth Rs. 20,45,400 has been reported so far. In adition to this, the initial assessment or loss to Delhi Electric Supply Undertaking installations is of about Rs. 20,000.

(c) & (d) : No directives as such have been issued. However, copies of the reports of two Commissions of Enquiry (Fires) appointed by the Delhi Administration in 1968 and 1969, which suggest possible safeguards against such fires, were sent to the Municipal Corporation of Delhi and D.E.S.U. for processing and implementation.

Posts and Telegraphs Offices in Bihar State

5642. Shri Ishwar Chaudhry : will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration any fresh proposal to open new Posts and Telegraphs Offices in Bihar during the current year, and

(b) if so, the number and locations of Posts and Telegraphs Offices proposed to be opened ?

The Minister of Communications (Shri H.N. Bahuguna) : (a) & (b) It is proposed to open 200 branch post offices and 24 Sub post office in Bihar state during the current financial

year. The exact number of post offices to be opaned by the end of the financial year and locations thereof will, however, depend on such of the proposals fulfilling the departmental standards like population to be served, distance from the nearest post office and other financial considerations prescribed by the Government.

As regards the Telegraph Offices the information is being collected and will be laid on the table of the Lok Sabha in due course.

Technical Assistance to India from U. S. S. R.

5643. Shri Shiv Kumar shastri : Will the minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) the spheres in which the USSR has extended technical assistance to India: and

(b) the salient features of the assistance ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) & (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

इंजीनियरिंग सेवा की परीक्षाओं के लिये अधिकतम आयु की सीमा में वृद्धि करना

5644. **श्री एम० एस० शिवस्वामी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 1972 में ली जाने वाली इंजीनियरिंग सेवा की परीक्षाओं के लिए अधिकतम आयु की सीमा को 25 वर्ष से बढ़ा कर 30 वर्ष करने के प्रश्न पर सरकार ने विचार किया है; और

(ख) क्या इस अधिकतम आयु सीमा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों तथा विभागीय उम्मीदवारों के लिए और आगे छूट दी जायेगी ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमान् । संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 1972 में ली जाने वाली इंजीनियरिंग सेवा-परीक्षा के लिए अधिकतम आयु-सीमा 25 वर्ष से बढ़ाकर 30 वर्ष कर दी गई है तथा इस परीक्षा के नियमों में आवश्यक व्यवस्था कर दी गई है । संशोधित आयु सीमा 1973 की इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा पर भी लागू होगी ।

अलबत्ता, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित इंजीनियरिंग सेवा (इलेक्ट्रोनिक्स) परीक्षा के सम्बन्ध में, अधिकतम आयु-सीमा में की गई वृद्धि, सन् 1973 और 1974 में ली जाने वाली परीक्षाओं पर लागू होगी यह छूट 1972 में ली जाने वाली इंजीनियरिंग सेवा (इलेक्ट्रोनिक्स) परीक्षा के लिए इसलिए नहीं दी जा सकी क्योंकि इस परीक्षा के नियम 20 नवम्बर, 1971 को प्रसारित हो चुके थे, और उम्मीदवारों से आवेदनों की जो अन्तिम प्राप्ति तारीख (अर्थात् 17-1-72) रखी गई थी, वह आयु-सीमा को बढ़ाने का निर्णय लेने के समय तक करीब-करीब बीत चुकी थी ।

(ख) जैसा कि इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा, 1972 के नियमों में निर्धारित है, 30 वर्ष तक बढ़ायी गई अधिकतम आयु-सीमा उन सरकारी कर्मचारियों के लिए 35 वर्ष होगी जो कुछ

विशिष्ट वर्गों से सम्बन्धित है और जिन्होंने कुछ विशिष्ट सेवाओं के लिए आवेदन पत्र दिए हैं। यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति का हो तो भी अधिकतम आयु-सीमा में अधिक से अधिक 5 वर्ष की छूट दी जा सकती हैं।

सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास की व्यवस्था करने के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश

5645. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिये पांच वर्ष की सेवा के बाद आवास की व्यवस्था करने के बारे में प्रशासनिक सुधार-आयोग की सिफारिश की ओर ध्यान नहीं दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) जी नहीं श्रीमान्। सरकार प्रशासनिक सुधार आयोग की कार्मिक प्रशासन विषय पर रिपोर्ट में दी गई इस सिफारिश पर विचार कर रही है कि "सरकार को अपने सभी कर्मचारियों के लिए अच्छी-सी आवास व्यवस्था करने की जरूरत को सिद्धान्त रूप से स्वीकार करना चाहिए।"

भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम

5646. **श्री नवलकिशोर शर्मा :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए पुनश्चर्या। पाठ्यक्रम आरम्भ करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों की किन-किन श्रेणियों को इस पाठ्यक्रम से छूट दी जायेगी, और

(घ) क्या उक्त अधिकारियों की भविष्य में पदोन्नति पर इस पाठ्यक्रम का कुछ प्रभाव पड़ेगा ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा). (क) राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों तथा केन्द्रीय सेवाओं के प्रथम श्रेणी अधिकारियों के लिए सेवाकालीन-प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन करती रहती है। भारतीय प्रशासन सेवा के 6 से 10 वर्ष की वरिष्ठता वाले अधिकारियों के लिए एक सामान्य पुनश्चर्या पाठ्यक्रम पिछले साल से आरम्भ किया गया है।

(ख) पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का आयोजन, अधिकारियों की व्यवसायिक कुशलता को उन्नत करने, और विशेषकर बदलती परिस्थितियों में अधिकाधिक जिम्मेदारियों को निभाने के प्रति उन्हें कटिबद्ध रहने के लिए किया जाता है।

(ग) ये पाठ्यक्रम अनिवार्य नहीं होते । अतः इनसे छूट देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का इन अधिकारियों की पदोन्नति से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है ।

भारत और भूटान के बीच तार मनीआर्डर प्रणाली आरम्भ करना

5647. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत और भूटान के बीच तार मनीआर्डर प्रणाली आरम्भ की है और यदि हां, तो एक बार में अधिकतम कितनी धनराशि भेजी जा सकती है ।

(ख) मनीआर्डर का शुल्क किस आधार पर निर्धारित किया जाता है, और

(ग) भारत को इससे कितना लाभ हुआ और भूटान उक्त सुविधा का किस सीमा तक उपयोग करेगा ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा : (क) जी हां । भूटान के साथ तार मनीआर्डर सेवा तारीख 1-4-72 से चालू की गई है । एक मनीआर्डर से सिर्फ 1000 रुपये तक की रकम ही भेजी जा सकती है ।

(ख) भूटान के लिए जो तार मनीआर्डर भेजे जाते हैं, उन पर मनीआर्डर कमीशन और तार शुल्क अन्तर्देशीय दरों पर लिया जाता है ।

(ग) चूंकि भारत और भूटान के बीच तार मनीआर्डर सेवा अभी हाल ही में आरम्भ की गई है इसलिए फिलहाल यह बता पाना बहुत मुश्किल है कि इससे इन दोनों देशों को कितना-कितना लाभ होगा । इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि भूटान के साथ जो साधारण मनीआर्डर सेवा चालू है उसमें भूटान से भारत में अधिक संख्या में और अधिक मूल्य के मनीआर्डर आते हैं, जबकि भारत से भूटान को जाने वाले साधारण मनीआर्डरों की संख्या और रकम अपेक्षाकृत काफी कम है ।

Shortage and Blackmarketing of Cement in Delhi

5648. **Shri Phool Chand Verma :**
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that Cement is not easily available in Delhi at controlled price and that it is available in abundant quantity in black market; and

(b) if so, the action taken by the Central Goverment to stop the black-marketing the cement and ensure that it is available at controlled price ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) Cement was not available in adequate quantities in Delhi for a short period during March and April this year due to wagon shortage but the position has since improved considerably.

(b) Improvement in supply position in Delhi is being maintained by arranging supplies even from distant factories; including over dearer routes at a higher freight. The Delhi Administration has also issued an order on the 28th April, 1972, bringing cement under the

purview of the Delhi specified Articles (price control) Order, 1971. fixing the retail price of cement in the Union territory of Delhi.

Hindi Names on I. T. I. Products

5649. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether a proposal to print Hindi names on the products of I. T. I. Ltd., Bangalore is under consideration; and

(b) if so, the time by which a final decision is likely to be taken in this regard ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) Yes.

(b) Decision is likely to be taken in this regard by the Indian Telephone Industries Ltd. during the course of the next few months.

Setting up of Oxygen Gas Plant at Gwalior

5650. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) whether the Central Government have accorded their approval to the setting up of an Oxygen gas plant at Gwalior; and

(b) if so, the broad outlines of the project ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad): (a) and (b). Yes, Sir. A letter of intent No. 2(52)/71-LI(I) dated the 6th January, 1972 has been granted in the name of Shri H.L. Somani of Calcutta for production of 0.45 million cubic metres per annum of Oxygen gas and 0.10 million cubic metres of Acetylene Gas at Gwalior. The Project involves import of capital goods and empty gas cylinders and the import application is still awaited.

Surrender by Dacoits and Recovery of Arms from Them

5651. Shri Chandulal Chandrakar : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the types of arms recovered by Government from the dacoits who surrendered recently;

(b) whether Government are of the opinion that all the dacoits of this region have surrendered;

(c) if not, the number of remaining dacoits; and

(d) whether Government feel that dacoit-problem has been solved with the surrender of the dacoits of this region ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) The arms which have been surrendered by the dacoits at the time of their surrender include .303 rifles, self loading rifles. Stenguns, .12 bore guns and Thompson Machine Carbines (TCMs.)

(b) No sir.

(c) Roughly 208 registered dacoits are still at large.

(d) No sir.

Dicfficulty Experienced at Public Call Offices owing to Shortage of Old Ten Paise Coins and Introduction of new Coins

5652. Shri Chandulal Chandrakar : will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether people have to encounter a great deal of difficulty at the Public Call offices where two old 10 paise coins are required to be inserted due to the shortage of old 10 paise coins after the introduction of new 10 paise coins;

(b) whether Government propose to change these Public Call offices or instal other Public Call Offices besids those in which the new coins could be inserted; and

(c) if so, the time by which necessary steps would to be taken in this direction ?

The Minister of Communications (Shri H.N. Bahuguna) : (a) It is possible that some people might be encountering such a difficulty.

(b) Government propose to change all the coin collecting box Public Call Offices to work with new ten paise coins.

(c) This will be done as soon as sufficient number of new 10 paise coins are in circulation.

Telephone Facilities in Durg District.

5653. Shri Chandulal Chandrakar : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of towns in Durg District, where telephone facilities are available;

(b) the amount of income earned by the Telephone Department during the last two years;

(c) whether telephone arrangement have come to stand-still in 75 percent of the Telephone Exchanges there; and

(d) the action proposed to be taken by Government to improve the situation in this regard ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) Seventeen; eleven have telephone exchanges and six have long distance public Call Offices.

(b) Rs. 10,35,857

(c) No; capacity has been increasd in five exchanges during 1971-72 and is proposed to be increased in three other exchanges during 1972-73 & 1973-74.

(d) Does not arise.

शांति पूर्ण कार्यों के लिए परमाणु ऊर्जा का प्रयोग

5654. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में परमाणु ऊर्जा शांतिपूर्ण कार्यों में प्रयोग करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ख) क्या भारत के मित्र देशों से इस बारे में कोई सहायता प्राप्त की जा रही हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है !

प्रधान मंत्री परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिकी मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री, (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) परमाणु ऊर्जा विभाग के वार्षिक प्रतिवेदनों में, जो माननीय सदस्यों को प्रसारित किये जाते हैं, अपेक्षित सूचना होती है ।

(ख) परमाणु ऊर्जा के शान्तिमय अनुप्रयोगों के बारे में अनेक देशों के साथ सहयोगात्मक करार किये हैं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सरकारी उपक्रमों में मजदूर संघों की मान्यता के लिए नियम

5655 श्री एस० एम० बनर्जी : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रमों में मजदूर संघों की मान्यता के बारे में कोई नये नियम नहीं बनाये गये है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार के नियमों को बनाने से पूर्व केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी संगठन से विचार विमर्श किया जायेगा;

(ग) क्या संयुक्त परामर्शदाता तन्त्र की राष्ट्रीय परिषद में भी इस पर विचार किये जाने की सम्भावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं !

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) रेलवे और रक्षा मंत्रालय के प्रतिष्ठानों में मजदूर संघों की मान्यता के बार में नियम विद्यमान हैं । केन्द्रीय सिविल सेवाएं (सेवा संघों की मान्यता) नियम, 1959 जिसके अधीन सरकारी कर्मचारियों के सेवा संघों को मान्यता दी जा सकती थी, सर्वोच्च न्यायालय के 1962 के निर्णय के अनुसार प्रभावहीन हो गए हैं । अतः मान्यता के नए नियम बनाने का प्रश्न विचाराधीन हैं । प्रस्तावित नियमों के आधारभूत सिद्धांतों पर संयुक्त परामर्शदाता तन्त्र की राष्ट्रीय परिषद में विचार-विमर्श किया जाएगा । संयुक्त परामर्शदाता तन्त्र योजना के प्रयोजना से सरकारी कर्मचारियों के मान्यता प्राप्त संघों/संगठनों को इस तन्त्र में प्रतिनिधित्व प्राप्त है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

ठुमरी गायिका श्रीमती रसूलनबाई की दयनीय दशा

5656. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान हाल ही में "टाइम्स आफ इण्डिया" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि प्रख्यात ठुमरी गायिका श्रीमती रसूलन बाई की स्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक है और उनके सामने भुखमरी की स्थिति आ गई है;

(ख) यदि हां, तो उन्हें पेंशन देने के बारे में सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये है; और

(ग) क्या प्रधान मंत्री द्वारा उसे कुछ सहायता दी गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) जी, हां।

(ख) श्रीमती रसूलन बाई इस मंत्रालय की वित्तीय सहायता योजना के अन्तर्गत 1 मार्च, 1968 से 100 रु० प्रति माह की दर से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही है। यह राशि अब 1 अप्रैल, 1972 से बढ़ाकर 150 रुपये प्रति माह कर दी गई है जो इस योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली अधिक से अधिक राशि है।

(ग) श्रीमती रसूलन बाई द्वारा प्रधान मंत्री को दिए गए एक अभ्यावेदन के परिणाम-स्वरूप उसको शिक्षा मंत्रालय द्वारा 5,000 रुपए का एकमुश्त अनुदान दिया गया है।

देश में निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत व्यक्तियों को नजरबन्द करना

5657. श्री एस० एन० मिश्र : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत समस्त भारत में 15 अप्रैल, 1972 तक राज्यवार कितने व्यक्तियों को नजरबन्द किया गया; और

(ख) उन्हें कितने समय तक नजरबन्द रखा जायेगा ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ०एच० मोहसिन) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

राज्य का नाम	15-4-1972 को नजरबन्द व्यक्तियों की संख्या आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम 1971 के अन्तर्गत	राज्य अधिनियम जिसमें निवारक निरोध की व्यवस्था है, के अन्तर्गत	नजर बन्द रखने की अवधि
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	—	5	प्रत्येक मामले में नजरबन्द करने की तारीख से एक वर्ष
बिहार	10	—	एक नज़रबन्द को पहले ही 20-4-72 को छोड़ दिया गया है। शेष 9 नजरबन्दियों के बारे में सूचना प्राप्त की जा रही है।
गुजरात	1	—	सूचना प्राप्त की जा रही है।
केरल	4	—	—तदेव—
मध्य प्रदेश	3	—	—तदेव—
मैसूर	28	—	26 नजरबन्दियों के मामले में एक से तीन वर्ष तक, शेष दो के बारे में सूचना प्राप्त की जा रही है।
महाराष्ट्र	3	—	एक नजरबन्दी को पहले ही छोड़ दिया है शेष दो नजरबन्दियों के बारे में सूचना प्राप्त की जा रही है।
उड़ीसा	1	1	प्रत्येक मामले में नजरबन्द करने की तारीख से एक वर्ष
पंजाब	73	—	सूचना प्राप्त की जा रही है।
उत्तर प्रदेश	6	—	—तदेव—
पश्चिमी बंगाल	2,695	1272	एक से तीन वर्ष तक।
मणीपुर	1	—	नजरबन्द करने की तारीख से 1 वर्ष।

हरियाणा, तमिलनाडु और राजस्थान की राज्य सरकारों द्वारा और दिल्ली, अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह, चण्डीगढ़, गोवा, दमन व दीव, लक्कादीव, मिनीकाय व अमिनदीवी द्वीपसमूह तथा मिजोरम के संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा 'शून्य' सूचना भेजी गई है। असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व काश्मीर, नागालैण्ड, मेघालय तथा त्रिपुरा की राज्य सरकारों और दादरा व नागर हवेली, अरुणाचल प्रदेश और पाण्डिचेरी के संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से सूचना प्राप्त की जा रही है।

भारतीय सीमान्त प्रशासनिक सेवा

5658. श्री एस० एन० मिश्र : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सीमान्त प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की 1 मार्च, 1972 तक वर्तमान संख्या कितनी है;

(ख) इस संवर्ग अथवा सेवा के कितने अधिकारियों को सीमावर्ती राज्यों में नियुक्त किया गया है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) 1 मार्च, 1972 को भारतीय सीमान्त प्रशासनिक सेवा की वास्तविक संख्या 25 थी।

(ख) सीमावर्ती राज्यों में नियुक्त अधिकारियों की संख्या इस प्रकार है :—

असम	2
मणीपुर	2
नागालैण्ड	4

10 अधिकारी अरुणाचल प्रदेश प्रशासन के कार्यों के सम्बन्ध में सेवा कर रहे हैं।

(ग) भारतीय सीमान्त प्रशासनिक सेवा का गठन सीमावर्ती क्षेत्रों के प्रशासनिक के लिए किया गया था और इस सेवा के अधिकारियों से मूलतः सीमावर्ती क्षेत्रों में सेवा करने की आशा की जाती है।

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लि० को लीवियन अरब रिपब्लिक द्वारा सौंपा गया कार्य

5659. श्री एस० ए० मुरुगनन्तम् : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लीबियन अरब रिपब्लिक सरकार ने राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लि०, नई दिल्ली को कार्य सौंपा था;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) उसके लिए भारतीय तथा विदेशी मुद्रा में अलग-अलग कितना परामर्श शुल्क लिया जायेगा;

(घ) यह कार्य कब तक पूरा किया जाना था क्या उसे निर्धारित समय में पूरा कर लिया गया है; और

(ङ.) इस कार्य को पूरा करने के लिए कर्मचारियों के वेतन भत्तों और यात्राओं आदि पर व्यय पर निगम ने कुल कितनी धन राशि खर्च की ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) जी, हाँ। राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लि० नई दिल्ली को लीबिया में विलेट की ढलाई और

इस्पात स्क्रेप की गलाइ हेतु संयंत्र की स्थापना के लिए मुख्य ठेके का कार्य टन के आधार पर सौंपा गया है ।

(ग) इस कार्य के लिए शुल्क 50,000 लीबियन पौंड (लगभग 10,5000/- रुपये) है और यू०एस० के डालरों और अन्य परिवर्तनशील मुद्रा में उनका भुगतान होना है । इसके अतिरिक्त, हमारे विशेषज्ञों को उनकी सेवाओं के लिए लीबियन पक्ष द्वारा वेतनों का भुगतान भी किया जायेगा ।

(घ) परियोजना जुलाई, 1973 तक पूरी होनी है । कार्य प्रगति पर है ।

(ड.) कार्य अभी पूरा नहीं किया गया है । इस कार्य पर राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लि० द्वारा कुल खर्च की गई राशि का पता कार्य समाप्त होने पर चलेगा ।

ट्रैक्टरों की ऊंची कीमतें

5660. श्री बी० वी० नायक : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 अप्रैल, 1972 के "पैट्रियट" में 'भारत में ट्रैक्टरों की ऊंची कीमतें (हाई प्राइसिज आफ ट्रैक्टर्स इन इण्डिया)' शीर्षक से प्रकाशित लेख की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी हाँ ।

(ख) सरकार ने इसकी प्रतिक्रिया को अभी रूप नहीं दिया है ।

उप-सचिवों के रूप में नियुक्ति के मामले में भारतीय प्रशासन सेवा अधिकारियों और केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों में भेदभाव किया जाना

5661. श्री के० रामकृष्ण रेड्डी : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रशासनिक सेवा और केन्द्रीय सेवा के श्रेणी प्रथम के अधिकारियों को 9-10 वर्ष की विशिष्ट सेवा (जिसमें दो वर्ष की प्रोवेशनरी सेवा भी शामिल है) के पश्चात् उप-सचिव के पदों पर नियुक्त किया जाता है और उनकी कुल सेवा अवधि अवर-सचिव के ग्रेड 5-6 वर्ष की सेवा के बराबर होती है जबकि उतनी ही योग्यताओं के केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अवर-सचिवों को उप-सचिव के ग्रेड में पदोन्नति के लिए 12-13 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों के बारे में यह भेदभाव करने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय सचिवालय में उप-सचिव के पदों पर नियुक्त की पात्रता केन्द्रीय स्थापना बोर्ड की सलाह अनुसार समय-समय पर निर्धारित की जाती है। इस समय, उप-सचिव के पदों पर निश्चित समयावधि के आधार पर भारतीय प्रशासन सेवा और केन्द्रीय सेवाओं के प्रथम श्रेणी के उन अधिकारियों की नियुक्ति पर विचार किया जाता है जिन्होंने अपनी-अपनी सेवा में क्रमशः सेवा और 11 वर्ष की पूरी कर ली हो। जहां तक केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड 1 अधिकारियों (अवर सचिव) का सम्बन्ध हैं, उनकी सेलेक्शन ग्रेड में पदोन्नति (जो कि उप सचिव के बराबर है) केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियम, 1962 के अनुसार की जाती है। सेलेक्शनग्रेड के रिक्त स्थान ग्रेड 1 के उन स्थायी अधिकारियों की पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं जिन्होंने उस ग्रेड में कम-से-कम 5 वर्ष की मान्य सेवा पूरी कर ली हो, और जिनका नाम केन्द्रीय सचिवालय सेवा (ग्रेड 1 तथा सेलेक्शन ग्रेड में पदोन्नति) नियम, 1964 के अनुसार सेलेक्शन ग्रेड के लिए बनाई गई चयन-सूची में शामिल है। केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों का चुनाव-क्षेत्र, चयन-सूची में शामिल किए जाने वाले अधिकारियों की संख्या के 5 गुना तक रखा जाता है, और चुनाव योग्यता के आधार पर किए जाते हैं। यहां तक कि अप्रैल, 1972 में सेलेक्शन ग्रेड के 35 अधिकारियों की जो चयन-सूची जारी की गई उसमें केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड 1 में 6-7 वर्ष की सेवा वाले 8 अधिकारियों को उप-सचिव के पदों पर नियुक्ति के लिए चयन-सूची में शामिल किया गया है। इस बात को देखते हुए केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों के बारे में भेद-भाव का प्रश्न सम्भवतः उठता ही नहीं।

उच्चतर ग्रेडों में पदोन्नति के लिए सूचियों का बनाया जाना

5662 श्री के० रामकृष्ण रेड्डी : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस आशय के सरकारी आदेश है कि उच्चतर ग्रेडों में पदोन्नति के लिए सूचियां सामान्यतः प्रत्येक वर्ष तैयार की जानी चाहिए;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सचिवालय में निदेशकों और उससे ऊंचे ग्रैड में नियुक्ति के लिए केन्द्रीय सचिवालय अधिकारियों की पदोन्नति सूचियां 1966 के बाद प्रत्येक वर्ष जारी की गई थीं; और

(ग) यदि हां, तो ये चयन सूचियां किन तारीखों को तैयार की गई थीं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) इस आशय के आदेश विद्यमान है कि जिन चयन-सूचियों से उच्चतर ग्रेडों में पदोन्नतियां की जाती हैं, उन्हें तैयार करने के लिए विभागीय पदोन्नति समितियां आम तौर पर नियमित वार्षिक अन्तरालों के बाद बैठें।

(ख) तथा (ग) उपरोक्त (क) में वर्णित आदेश पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों पर लागू होते हैं। केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड 1 (अवर सचिव) तथा सेलेक्शन ग्रेड (उप

सचिव) में पदोन्नति के लिए चयन सूचियाँ बनाई जाती हैं, जैसा कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा (पदोन्नति) नियमों में अपेक्षित हैं। सचिवालय में निदेशक के पदों पर तथा उच्चतर ग्रेडों में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों की नियुक्तियों को इस सेवा के संवर्ग पदों पर नियुक्तियां नहीं माना जाता। तथापि इन पदों पर नियुक्ति के लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों पर भी विचार किया जाता है। इस प्रयोजन से समय-समय पर उपयुक्तता-सूचियाँ बनाई जाती हैं और इन सूचियों में से केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति पर विचार किया जाता है :

उच्चतर ग्रेडों में पदोन्नति के लिये केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों तथा अन्य सेवा के अधिकारियों की संख्या निर्धारित करने की प्रक्रिया

5663. श्री के० रामकृष्ण रेड्डी : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों तथा अन्य सेवाओं के अधिकारियों की अवर सचिव, उप सचिव, निदेशक और संयुक्त सचिव/अपर सचिव के ग्रेडों में पदोन्नति के लिए प्रत्येक वर्ष संख्या निर्धारित करने में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है; और

(ख) पहली जनवरी, 1972 को विभिन्न सेवाओं के अधिकारी ऐसे कितने पदों पर नियुक्त थे !

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) केन्द्रीय सचिवालय के अवर सचिव तथा उससे ऊपर के वरिष्ठ पद किसी एक विशिष्ट सेवा के अधिकारियों के लिए ही नहीं है। ये पद केन्द्रीय स्थापना बोर्ड/वरिष्ठ प्रवरण बोर्ड की सलाह के अनुसार बोर्ड द्वारा समय समय पर निर्धारित पात्रता के आधार पर भारतीय प्रशासन सेवा, केन्द्रीय प्रथम श्रेणी की सेवाओं, केन्द्रीय सचिवालय सेवा आदि के उपयुक्त अकिधारियों द्वारा भरे जाते है। क्योंकि केन्द्रीय सचिवालय में अवर सचिव और उससे ऊपर के पद किसी विशेष सेवा के लिए निर्धारित नहीं है इस लिए इन पदों पर नियुक्ति के लिए किसी वर्ष में विभिन्न सेवाओं के अधिकारियों की संख्या निर्धारित करने का प्रश्न ही नहीं उठता। जहाँ तक केन्द्रीय सचिवालय सेवा का सम्बन्ध है, इस सेवा के ग्रेड 1 के अधिकारियों को अवर सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है तथा सेलेक्शन ग्रेड के अधिकारियों को उप सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है। केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड 1 और सेलेक्शन ग्रेड की चयन सूची की संख्या निर्धारित करने तथा चयन-सूचियां तैयार करने की प्रक्रिया केन्द्रीय सचिवालय सेवा (ग्रेड 1 तथा सेलेक्शन ग्रेड में पदोन्नति, नियमों में दी गई हैं जो सन 1964 में जारी हुए। केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियम और उसके अधीन बनाए गए पदोन्नति के नियम निदेशक, संयुक्त सचिव/अपर सचिव के उच्च स्तरीय पदों पर लागू नहीं होते।

(ख) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

सेवा	अवर सचिव	उप सचिव	निदेशक	संयुक्त सचिव	अपर सचिव	सचिव
1	2	3	4	5	6	7
आई० सी० एस०/आई०ए०एस०	68	108	34	86	20	30
आई० ए० एण्ड ए० एस०	18	22	8	6	—	1
आई० डी० ए० एस०	13	11	1	7	3	1
आई० आर० एस०	35	30	6	17	2	—
आई० आर० ए० एस०	7	7	—	1	1	—
आई० आर० टी० एस०	3	4	1	2	—	—
इंडियन पोस्टल सर्विस	8	7	—	1	—	—
इंडियन इकोनोमिक सर्विस	—	2	1	—	—	1
इंडियन फारेन सर्विस	—	—	1	13	2	4
सेंट्रल लीगल सर्विस	—	—	1	9	—	1
इंजिनियरिंग सर्विस	—	5	1	2	1	1
आई० पी०/आई० पी० एस०	—	1	—	—	—	1
सी० एस० एस०	327	96	11	23	1	—
अन्य	19	7	7	2	2	5
जोड़	498	300	72	169	32	45

उपरोक्त आंकड़ों में इंडियन फारेन सर्विस के वे अधिकारी शामिल नहीं हैं जो विदेश मंत्रालय में अवर सचिव/उप सचिव/निदेशक के पदों पर कार्य कर रहे है, और सेन्ट्रल लीगल सर्विस के वे अधिकारी शामिल नहीं है जो विधि मंत्रालय में अवर सचिव/उप सचिव/निदेशक के पद पर कार्य कर रहे हैं।

Late Fee For Urgent Mail

5665. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of Communications be pleased to state :

(a) whether Late Fee is charged on urgent mail between 16.30 hrs. and 20.30 hrs. by the Post and Telegraph Department, Delhi; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) Yes; if the reference is to the procedure intoduced with effect from 15.2.72 of levying a lower rate of late fee of 15 paise on registered articles, tendered for booking in 'Night' Post Offices after 16.30 hours.

(b) 'Night' Post Offices are kept open for extended hours, and on Sundays and Post Office holidays for the facility of posting urgent correspondence. But it was found that articles which should ordinarily have been booked during the regular working hours of the post office, were being presented during the extended hours leading to heavy pressure of work and difficulties in staffing. It was, therefore, decided to levy a small late fee during the extended hours to limit the articles booked to really urgent correspondence.

Applications for expansion of industries

5666. Shri Onkar Lal Berwa ; Will the Minister of Industrial Development be pleased to state :

(a) the time by which the applications for expansion of industries are likely to be disposed of;

(b) the number of such application received; and

(c) the names of the companies which have applied for expansion ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) Consideration of industrial licence applications necessitates a fairly detailed examination of the various aspects of the proposals. It is difficult to indicate precisely the time by which the pending applications will be disposed of. However, Gavernment are conscious of the need for expeditious disposal of all licence applications and every effort is being made to ensure that as for as possible, decisions on licence applications are taken within 3 months of receipt of the applications or the receipt of full information form the applicant parties.

(b) 465 applications for substantial expansion of industrial undertakings were received in 1971, and 95 in 1972 (Upto 31-3-1972).

(c) Details of pending applications are normally not disclosed.

Fine in Atomic Power Station at Kota

5667. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of Atomic Energy be pleased to state :

(a) whether a transformer costing Rs. 20 lakhs caught fire in the atomic power station under construction at Kota.

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the action taken against the engineers responsible for it ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Electronics, Minister of Home Affairs and Minister of Information and Broadcasting (Shrimati Indira Gandhi): (a) On March

30, 1972, a 20 MVA Station service transformer at Kota, costing about Rs.6.65 lakhs. tripped when a high horse-power pump was started, causing some damage to the transformer. The transformer did not catch fire.

(b) & (c) The report of the investigating officer has been received. The explanation of the engineer to whose negligence the accident has been attributed has been called for.

Telephone Exchange Naugachia, Bhagalpur Distt. Bihar.

5668. **Shri G. P. Yadav** : Will the Minister of Communications be pleased to state :

(a) whether telephone subscribers have to face a lot of difficulties due to defects in Telephone Exchange at Naugachia in Bhagalpur District in Bihar.

(b) if so, the reasons therefore:

(c) whether because of these defects many telephone subscribers of Narayanpur have got their telephone lines disconnected; and

(d) if so, the steps Government propose to take to remove these defects :

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) & (b) Local telephone services, at Haugachia is generally Setisfectory; trunk service however, get disrupted due to extensive theft of copper wires.

(c) No.

(d) In view of (c) above, the question does not arise.

Scheme for Improving means of Communications in Rural Areas

5669. **Shri G.P. Yadav** : Will the Minister of Communications be pleased to state :

(a) whether Government have drawn up a scheme for making means of communications easily available in the rural areas and if so, the date by which Government propose to implement it;

(b) whether Government propose to provide telephone facilities in prominent villages by opening branch telephone exchanges in each block under the said schemes and if so, the date by which it would be done, and

(c) whether Government propose to provide telephone facilities in Bihpur Block office, Police Station, and Bihpur village in Bhagalpur District in Bihar State and if so, by which date ?

The Minister of Communication (Shri H. N. Bahuguna) : (a) Telecommunication facilities in the form of Public Call Offices and Telegraph Offices are normally provided at a place if the scheme works out to be remunerative. In case of loss these facilities can be provided on rent and guarantee basis if some interested party is willing to indemnify the department against the anticipated loss.

However, in order to extend telephone and telegraph facilities to undeveloped areas which cover Rural areas as well, the department has adopted a policy to provide these facilities on limited loss at certain categories of stations based on their administrative importance population and remoteness from the general telecommunication network. Limited number of Tourist centres, Pilgrim centres, Agricultural and Irrigation project sites and townships are also considered for providing telephone and telegraph facilities on loss. Action to provide these facilities in accordance with the above policy is being taken and these facilities are being provided progressively.

(b) Provision of telephone exchanges in Prominent villages, blocks, tehsils etc. is even how being done wherever the proposals are justified economically and are technically feasible. Size of the village or revenue categorisation has not been the creiterion. Provision of telephone exchange in any particular place is therefore subject only to the demands for telephones being sufficiently large to make the proposal economically viable.

(c) A public Call Office is already working in Bihpur village in Bhagalpur District. Telephone service can be availed of by Bihpur Block Office and Police Station from the same Public Call Office, since Bihpur Block office and Police Station are in the same village.

सरकार द्वारा औद्योगिक उपक्रमों में शेयरों की खरीद

5670. श्री हरि किशोर सिंह : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के बड़े उद्योग गृहों के स्वामित्व वाले औद्योगिक उपक्रमों में शेयर खरीदने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) सरकार "संयुक्त क्षेत्र" के सिद्धान्त का प्रतिपादन कर चुकी है व भविष्य में इसे अधिकाधिक लागू करने का विचार रखती है। सरकार ने यह घोषणा भी की है कि लोक वित्तीय संस्थानों की यह विकल्प प्राप्त होगा कि वे दिये गये ऋण को इक्विटी में परिवर्तित कर लें। अदायगी न होने की स्थिति में ऐसा विकल्प पिछले मामलों में भी लागू होगा। समय समय पर बड़े व्यापार गृहों पर अधिक सोशल नियन्त्रण रखने हेतु अभ्युपाय खोजने सम्बन्धी अध्ययन भी किये जा रहे हैं।

ट्रैक्टरों के मूल्य

5671. श्री मार्तण्ड सिंह : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा हाल में ट्रैक्टरों के मूल्य में वृद्धि की अनुमति से पूर्व स्वदेशी ट्रैक्टरों के मूल्य क्या थे और अब क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : देश में निर्मित ट्रैक्टरों के विक्रय मूल्य को बताने वाला विवरण संलग्न है।

देश में निर्मित ट्रैक्टरों के विक्रय मूल्य को बताने वाला विवरण

क्रम सं०	एकक का नाम और ट्रैक्टर्स का मेक और माडल	नियत किया गया मूल्य रुपयों में 3/6/1968 तक	1/10/1971 तक	11-2-72 (इसमें 10% की दर से उत्पादन शुल्क भी सम्मिलित है) रेल भाड़ा मुक्त	अधिकता कालम 3 और 5 में अन्तर
1	2	3	4	5	6
1	मै० हिन्दुस्तान ट्रैक्टर्स लि० बड़ौदा 50 हो० पा०	22,350	24,900	32,900	+10,550
	35 हो० पा०	15,710	17,470	24,100	+ 8,390

2 मैं० ट्रैक्टर्स एण्ड फार्म इक्विपमेंट लि०, मद्रास 135 हो० पा०	21,1 0	24,2^0	26,300	+ 5,160
3 मैं० इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स कं० आफ इंडिया लि० बम्बई, 35 हो० पा०	19,570	22,890	25,200	+ 5,630
4 मैं० तस्कार्टस लि० फरीदाबाद 34.5 हो० पा०	17,910	19,930	25,200	+ 7,290
5 मैं० आइसर ट्रैक्टर्स इंडिया लि०, फरीदाबाद 26.5 हो० पा०	17,480	19,^60	25,200	+ 7,720

विक्रय मूल्य में निम्नलिखित संलग्नक पुर्जों के मूल्य भी सम्मिलित हैं, जो कि प्रत्येक ट्रैक्टर के साथ मिलेंगे ।

(क) हाईड्रोलिक लिफ्ट

(ख) 3 पाइंट लिंकेज

(ग) पावर टेक आफ

(घ) लाइटिंग इक्विपमेंट, हेडलाइट सहित, पीछे वाली लाइट और प्लो लाइट

(ड) औजारों का सेट

(च) इलैक्ट्रिक हार्न ।

गुजरात में दस ग्रामीण डाकखानों का बन्द होना

5672. श्री प्रभुदास पटेल : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन महीनों में गुजरात के छोटा उदयपुर में केन्द्र सरकार ने लगभग दस ग्रामीण डाकखाने बन्द कर दिये हैं

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या केन्द्रीय मंत्री से यह अनुरोध किया गया है कि नियमों में उदारता बर्ती जाये और बन्द डाकखानों को पुनः खोला जाये ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) गुजरात के छोटा उदयपुर तालुके में अभी हाल ही में 10 देहाती डाकघर बन्द कर दिए गए हैं इनका ब्यौरा इस प्रकार है :—

डाकघर का नाम	खुलने की तारीख	बन्द कर दिए जाने की तारीख
दुमली	22-1-62	20-3-72
मीठीबोर	30-3-61	23-2-72
भोरडा	28-1-61	15-1-72

सिहाडा	13-3-61	29-2-72
रोघाडा	22-3-61	21-1-72
मोतीचिखली	19-1-61	18-1-72
नवलजा	30-3-61	1-3-72
देवलिया	21-3-61	25-2-72
घंधोडा	16-1-61	22-3-72
सैदीवसना	18-1-61	13-1-72

(ख) डाकघर खोलने, उन्हें बनाए रखने और उन्हें स्थायी बनाने के लिए जो नीति अपनाई गई है, उसका ब्यौरा संलग्न अनुबन्ध में दिया है। [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2000/72] उक्त सभी डाकघरों ने अपनी प्रयोग की अवधि पूरी कर ली है और यह पाया गया है कि वे निर्धारित सीमा से अधिक घाटे पर चल रहे हैं । हालांकि काफी पहले इच्छुक व्यक्तियों से प्रार्थना की गई थी कि वे निर्धारित सीमा से अधिक घाटा चन्दे के रूप में जमा करा दे लेकिन कोई भी व्यक्ति इसके लिए तैयार नहीं हुआ । अतएव उपलिखित मद (क) में दी गई तारीखों को ये डाकघर बन्द कर दिए गए ।

(ग) जी नहीं । इस संबंध में जो ढील दी जा सकती है, उसका उल्लेख विभागीय नीति में किया गया है । उक्त सभी डाकघर न तो नीति विषयक मानदण्डों पर पूरे उतरते हैं और न ऐसा कोई विशेष कारण ही था जिसके आधार पर ये डाकघर चालू रखे जा सकते ।

गुजरात के प्लास्टिक उद्योग में कच्चे माल की कमी

5673. श्री प्रभुदास पटेल : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के प्लास्टिक के छोटे निर्माताओं को कच्चे माल की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो अनेक छोटे कारखाने अपनी उत्पादन क्षमता का केवल 30 से 50 प्रतिशत भाग का ही उपयोग कर सके हैं; और

(ग) क्या इन लघु उद्योग कारखानों की सहायता करने के लिये कच्चे माल की सप्लाई करने का सरकार का विचार है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) इस विषय में शिकायतें प्राप्त हुई है ।

(ख) संबंधित एकक क्षमता से कम कार्य कर रहे हैं ।

(ग) वतमान लाइसेंसिंग अवधि अर्थात् वर्ष 1972-7 में, वास्तविक प्रयोग वक्ताओं को अपनी पात्रता के 25 प्रतिशत तक लो डेन्सिटी पोलीथीन् आयात करने की अनुमति दी गई है । इसके अतिरिक्त, पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय ने राज्य व्यापार निगम से निवेदन किया है कि वे रुपया अदायगी क्षेत्र से 3000 मीट्रिक टन की यह सामग्री आयात करने की संभावनाओं का पता लगाएं । इससे स्थिति सुधारने की संभावना है ।

कलपक्कम स्थित रिएक्टर अनुसंधान केन्द्र

5674. **श्री वी० एन० पी० सिंह :** क्या **परमाणु उर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कलपक्कम स्थित रिएक्टर अनुसंधान केन्द्र सामग्री विशेषकर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में फास्ट न्यूट्रानों के बम्बार्डमेंट के परिणामस्वरूप ईंधन तत्वों, संरचना सम्बन्धी मुख्य सामग्रियों और सम्बद्ध स्टेनलैस स्टील के पाइपों के फूल जाने से उत्पन्न हुई समस्या का समाधान करने में सफल हो गया है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु उर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिकी मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी) : कलपक्कम में लगाये जा रहे फास्ट ब्रीडर टैस्ट रिऐक्टर की स्थापना का मुख्य उद्देश्य उसे फास्ट रिऐक्टर के ईंधन के आवरण के फूलने की समस्या तथा रिऐक्टर के निर्माण में लगने वाली अन्य प्रकार की सामग्री के बारे में अध्ययन करने के काम में लाना है । इस प्रकार की सुविधा न होने से इस क्षेत्र में सोद्देश्य अनुसंधान नहीं किया जा सकता । फास्ट ब्रीडर टैस्ट रिऐक्टर का निर्माण रिऐक्टर रिसर्च सैन्टर में शीघ्र ही शुरू किया जायेगा । उपरोक्त समस्या का अध्ययन करने के लिए फास्ट ब्रीडर टैस्ट रिऐक्टर के अलावा एक रेडियो धातुकर्म विज्ञान प्रयोगशाला तथा सामग्री विकास प्रयोग- शाला की स्थापना की जा रही है । सन 1976 में जब ये तीनों सुविधाएं बनकर तैयार हो जायेंगी तब इनसे भारत की बढ़ती हुई बिजली सम्बन्धी माँग की पूर्ति के लिए बड़े आकार के सस्ते तथा व्यावसायिक फास्ट ब्रीडर टैस्ट रिऐक्टरों का विकास करने में सहायता मिलेगी ।

यूरेनियम के बारे में आत्म निर्भरता

5675. **श्री वी० एन० पी० सिंह** : क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत बढ़िया किस्म के यूरेनियम की सप्लाई के लिए अमरीका पर आश्रित है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में देश को आत्म निर्भर बनाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिकी मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तारापुर परमाणु बिजली घर के लिए समृद्ध यूरेनियम का आधार अमरीका से किया जा रहा है ।

(ख) इस विषय पर प्रारम्भिक अध्ययन आरम्भ किया गया है ।

परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए जनशक्ति की आवश्यकताओं का मूल्यांकन

5676. **श्री वी०एन०पी० सिंह** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू दशक के लिए अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की जनशक्ति आवश्यकताओं का सरकार ने मोटे तौर पर मूल्यांकन कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया गया है कि हमारे विश्वविद्यालय और पोलीटेक्नीक संस्थाओं में उपलब्ध संसाधन आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिकी मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रशिक्षित कार्मिकों सम्बन्धी मांग को पूरा करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालयों पोलि-टेक्नीक संस्थाओं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, भारतीय विज्ञान संस्थान इत्यादि में उपलब्ध सुविधाओं का अध्ययन किया गया है; अधिकांश विश्वविद्यालयों से पास होने वाले स्नातकों को परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों का ज्ञान कराना आवश्यक होता है । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ट्राम्बे में एक वर्षीय गहन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किया जाता है जिसके अन्तर्गत छः महीने का बुनियादी पाठ्यक्रम तथा छः महीने का प्रगत पाठ्यक्रम होगा । भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों तथा भारतीय विज्ञान संस्थान में उपलब्ध सुविधाओं तथा उनके द्वारा प्रशिक्षणार्थियों के चुनाव में अपनाये जाने वाले मापदण्ड को ध्यान में रखते हुए परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की अतिरिक्त जनशक्ति सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के हेतु हम इन संस्थानों के स्नातकों/उत्तरस्नातकों को सीधे ही नियुक्त करने के लिए परिक्षण के तौर पर इनसे सहयोग कर रहे हैं ।

राकेट छोड़ने वाली मशीनों का निर्माण करने के लिए फ्रांस में तकनीकी जानकारी का आयात

5677. **श्री वी०एन०पी० सिंह** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फ्राँसीसी सरकार से राकेट छोड़ने वाली मशीनों के निर्माण के लिए भारत ने तकनीकी जानकारी किन शर्तों पर प्राप्त की है और उनमें फ्रांसीसी सरकार के प्रति विशेष रूप से हमारे क्या दायित्व हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिकी मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : एक व्यवसायिक करार के अन्तर्गत लाइसेंस फीस देकर तथा प्रणोदकों के वास्तविक उत्पादन पर देय रायल्टी के आधार पर हमने फ्रांस की सरकार से प्रणोदकों के निर्माण के लिए तकनीकी जानकारी प्राप्त की है । इस करार के अन्तर्गत हम इस जानकारी का अन्तरण किसी तीसरी पार्टी को नहीं कर सकते ।

भारतीय सांख्यिकी संस्थान के कर्मचारियों का राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन में खपाया जाना

5678. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन में भारतीय सांख्यिकी संस्थान के कर्मचारियों को खपाने के बारे में शर्तों और नियमों के प्रश्न पर, काफी विचार-विमर्श के बावजूद भी, कोई समझौता पूर्ण समाधान नहीं हो सका है;

(ख) क्या सम्बद्ध कर्मचारियों को 'समान" सरकारी वेतनमानों का प्रस्ताव किया गया है, जो भारतीय सांख्यिकी संस्थान के वर्तमान वेतनमानों की अपेक्षा कम है;

(ग) क्या जो कर्मचारी भारतीय सांख्यिकी संस्थान के वेतनमानों के विकल्प को स्वीकार करते हैं, उन्हें उन सरकारी प्रतिपूर्ति भत्तों से वंचित होना पड़ेगा, जिनके वे अब तक हकदार थे; और

(घ) यदि हां, तो इन शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जानी है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिकी मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कलकत्ता के कर्मचारियों को सरकारी सेवा में जिन शर्तों के अधीन खपाया जायेगा उनको भारतीय सांख्यिकीय संस्थान की परिषद तथा भारतीय साँख्यिकीय संस्थान श्रमिक संगठन के प्रतिनिधियों के साथ कई बैठकों में विचार-विमर्श करने के उपरान्त अन्तिम रूप दिया गया है। इन शर्तों को उपवर्णित करने वाला सरकारी संकल्प दिनाँक 17 जनवरी 1972 को जारी किया गया। उन प्रतिनिधियों से और अधिक विचार-विमर्श करने के परिणामस्वरूप उक्त सरकारी संकल्प को 30 अप्रैल 1972 को संशोधित किया गया है।

(ख) संस्थान के कर्मचारियों को सरकारी सेवा में प्रारम्भिक तौर पर उन्ही वेतनमानों, भत्तों तथा लाभों पर लिया जायेगा जो वे संस्थान में प्राप्त कर रहे हैं। संस्थान में उन कर्मचारियों द्वारा धारित पदों के प्रत्येक प्रवर्ग के लिए समकक्ष पदों का निर्धारण, सरकार के अधीन वर्तमान पदों में से, इस प्रकार के पदों से सम्बद्ध कर्तव्यों के स्वरूप तथा उत्तरदायित्वों, एवं भर्ती के लिए विहित शैक्षणिक योग्यताओं तथा अनुभव को ध्यान में रखते हुए, किया गया है। प्रत्येक कर्मचारी को ऐसा विकल्प दिया जायेगा कि या तो वह समकक्ष पद से सम्बद्ध सरकारी वेतनमान को सरकारी भत्तों और सरकारी सेवा निवृत्ति लाभों सहित, एक पैकेज के रूप में स्वीकार करे, अथवा उक्त संस्थान के वेतनमान में संस्थान में उसके लिए प्रदत्त भत्तों तथा सेवा निवृत्ति लाभों सहित पूर्ववत बना रहे।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

Arrest of a person in Delhi for selling obscene literature

5679. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether on the 10th April, 1972 a person was arrested in Delhi by the Police, who sold obscene literature and made publicity thereof; and

(b) if so, the action taken against him ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) and (b). Yes, Sir. According to the information received from the Delhi Administration, one person was arrested allegedly while selling obscene books in a shop in Ajmeri Gate, and some obscene books were also recovered from him.

The case registered against him in this connection is under investigation.

Introduction of Telegraphs Scheme in Rural Areas

5680. Shri Mahadeepak Singh Shakya : will the Minister of **Communicatios** be pleased to state :

(a) whether communication service is limited to cities or towns only;

(b) if so, the steps taken by Government to introduce the telegraphs scheme in rural areas; and

(c) if so steps have been taken in this direction, the reasons therefor ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) to (c). No Sir, Communication service is not limited to cities and towns only. However, Telegraphs service is normally provided at a place having postal facility if the scheme works out to be remunerative. But in order to order to extend the telegraphs service to undeveloped areas which cover rural areas also, this facility is provided even on loss at certain categories of stations based on their administrative importance, populations and remoteness from the general telecommunication network. Limited number of tourist centres, Pilgrim centres, Agriculture and Irrigation project sites and townships are also considered for provision of telegraphs facility on loss.

This policy is followed uniformally irrespective of the fact whether the place is a city, town or is situated in rural areas.

Arrest of women on the Charge of Immoral Traffic in Delhi

5681. Shri Mahadeepak Singh Shakya : will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to a news item pulished in the Daily Vir Arjun on the 11th April, 1972 that 87 women have been arrested on the charge of immoral traffic from various brothels in Delhi; and

(b) if so, the names of the places and whether the arrested women belong to Delhi or come from outside ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affars (Shri F. H. Mohsin) : (a) Yes, 87 women were arrested during the years 1970 and 1971.

(b) A statement is attached. [*Placed in the Library See* No. L.T. 2001/72]

Allotment of Land to Unemployed Engineers in Delhi

5682. Dr. Sankata Prasad : will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) whether Government have decided to allot land to the unemployed engineers for setting up industries in Delhi;

(b) if so, the number of unemployed engineers whose applications have been received by Government so far; and

(c) the number of applications so far considered and accepted by Government ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) Yes, Sir.

(a) & (c). 204 applications were received by the Delhi Administration. 26 applicants have already been allotted land while another 55 applications will be sanctioned shortly. 56 applications have been rejected and 67 are under consideration.

Setting up of Engineering Projects in Varanasi (U.P.)

5683. Dr. Sankata Prasad : will the Minister of Industrial **Development** be pleased to state :

(a) whether the Central Government have decided to set up an engineering project in Varanasi (U. P.);

(b) if so, the estimated expenditure to be incurred thereon and the number of persons likely to be benefited thereby; and

(c) the date from which work on this project would be undertaken ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) (a). No, Sir.

(b) & (c). Do not arise.

मध्य प्रदेश में पिछड़े क्षेत्र

5684. श्री रण बहादुर सिंह : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के अधिकारियों द्वारा तैयार की गई पिछड़े क्षेत्रों की सूची में मध्य प्रदेश राज्य के जितने गाँवा और जिलों को सम्मिलित किया गया है वह स्थिति के सही विश्लेषण के आधार पर है;

(ख) क्या उस सूची में उन लगातार सूखे रहने वाले अधिकांश क्षेत्रों को शामिल नहीं किया गया है जो विशेषतया रीवा और सिंधी जिले के पूर्वी भाग में स्थित है; और

(ग) यदि हा, तो क्या केन्द्रीय सरकार मध्य प्रदेश के सम्बद्ध संसद सदस्यों के साथ परामर्श करके स्थिति का अध्ययन करेगी।

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) राज्य सरकारें अपने पिछड़े क्षेत्रों के अभिनिर्धारण तथा उनके सुधार के उपाय करने के लिए सक्षम हैं। इस प्रयोजन से उन्हों ने पर्याप्त प्रशासनिक व्यवस्था भी कर रखी है। यद्यपि योजना आयोग ने मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों से उन के पिछड़े क्षेत्रों के सम्बन्ध में सूचना मंगाई है तथापि उसे राज्य सरकारों द्वारा तैयार की गई सूचियों की समीचीनता की जांच नहीं करनी। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि अपने पिछड़े क्षेत्रों का अभिनिर्धारण करने में राज्य सरकारों ने सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखा तथा इस बात को भी सुनिश्चित करने के लिए कि इस सम्बन्ध में सम्पूर्ण देश में समान मानक अपनाए जाएं, योजना आयोग ने अनुपालन के लिए राज्य सरकारों को पन्द्रह सूत्रांक भेजे। यह प्रश्न कि क्या राज्य सरकारों द्वारा किया गया पिछड़े क्षेत्रों का चयन योजना आयोग की दृष्टि में सही है, नहीं उठता।

(ख) तथा (ग) : पिछड़े क्षेत्रों के विकास स्तरों के आधार पर उनका अभिनिर्धारण करने में जिन सूचकांकों का उपयोग किया गया है वे स्वयं विभिन्न मानवीय, आर्थिक तथा भौगोलिक तथ्यों के प्रभाव की सूचक हैं क्योंकि देश के विभिन्न क्षेत्रों में विकास के जो स्तर उपलब्ध हुए हैं उन पर इसका भी प्रभाव पड़ा है। उपर्युक्त सूचकांकों में प्रदर्शित विकास स्थिति पर सूखा प्रवणता अथवा इसी प्रकार के अन्य भू-भौतिक तथ्यों का निश्चित प्रभाव पड़ता है। अतः मध्य प्रदेश के कतिपय क्षेत्र यदि सूखा प्रवण हैं और इस कारण वे पिछड़े हुए हैं तो आर्थिक सूचकांक इस तथ्य को प्रकट करेंगे और उन क्षेत्रों को पिछड़े क्षेत्रों के वर्ग में रखा जायेगा। इसी आधार पर मध्य प्रदेश सरकार ने सम्पूर्ण रीवा तथा सीधी जिलों को पिछड़ेगा घोषित कर रखा है। सरकार उपर्युक्त आधार पर

अन्य क्षेत्रों को भी इस वर्ग में सम्मिलत करने के सम्बन्ध में माननीय संसद सदस्यों के सुझावों का स्वागत करेगी और उन पर विचार करेगी ।

मध्य प्रदेश में पिछड़े आदिवासी क्षेत्रों में सड़कों की व्यवस्था करने की योजना

5685. **श्री राणबहादुरसिंह :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र (रीवा-सिधी) में उन अत्यधिक पिछड़े आदिवासी क्षेत्रों में सड़कों की व्यवस्था करने के लिए केन्द्रीय सरकार के पास कोई योजना है जहां आम तौर पर ऐसी सुविधाओं के लिए उन्हें राज्य से कोई धन प्राप्त नहीं होता है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : कृषि मन्त्रालय के सूखा-ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत सीधी जिले में पांच सड़कों के निर्माण के लिए एक कार्यक्रम स्वीकार किया गया है । इस कार्यक्रम के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 46 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है ।

केन्द्रीय सरकार आदिवासी क्षेत्रों में इस प्रकार सड़क निर्माण करने के लिए विशेष स्कीमें प्रारंभ नहीं करती । राष्ट्रीय राजमार्ग केन्द्रीय योजना के अंग हैं और उनका पूरा खर्च केन्द्र द्वारा किया जाता है । अन्तरराज्य महत्व की सड़कों का काम भी केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के रूप में केन्द्र द्वारा ही उठाया जाता है । ये सड़कें जब उन क्षेत्रों से गुजरती हैं जहां मुख्य रूप से आदिवासी रहते हैं तो वे क्षेत्र भी इन सड़कों से लाभान्वित होते हैं । अन्यथा आदिवासी क्षेत्रों में पहुंचने के लिए बनाई जाने वाली सड़कें राज्य योजनाओं के अंग हैं । समेवित अनुदानों और समेवित ऋणों के रूप में राज्य योजनाओं को जो केन्द्रीय सहायता दी जाती है, उसके अलावा इस प्रकार की सड़कों के निर्माण के लिए कोई विशेष सहायता नहीं दी जाती ।

भारतीय सिविल सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों को पुनः रोजगार देने के बारे में नीति

5686. श्री रण बहादुर सिंह : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सिविल सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को सेवा निवृत होने के उपरान्त उन्हें पुनः रोजगार देने के बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या नीति है; और

(ख) ऐसे उपरोक्त सेवा निवृत अधिकारियों की संख्या कितनी है जिन्हें गत तीन वर्ष के दौरान पुनः रोजगार दिया गया ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) अनुमान है कि प्रश्न का आशय सेवा-निवृत्ति के बाद वाणिज्यिक रोजगार से है, न कि सरकार के अधीन पुननिर्युक्ति से ।

भारतीय प्रशासन सेवा के सेवा-निवृत्त-सदस्यों को, तथा उन अधिकारियों को जो इस सेवा के सदस्य होने से पहले भारतीय सिविल सेवा के सदस्य थे, सेवा-निवृत्ति के बाद वाणिज्यिक रोजगार स्वीकार करने से पूर्व नियमों के अधीन सरकार से अनुमति लेना तब तक आवश्यक नहीं है, जब तक कि ऐसा रोजगार सेवा-निवृति की तारीख के 2 वर्ष के भीतर न हो ।

पेंशन-प्राप्त व्यक्तियों को सेवा-निवृत्ति के दो वर्ष के भीतर वाणिज्यक रोजगार स्वीकार करने की अनुमति के बारे में सरकार की नीति यह है कि प्रत्येक व्यक्ति के आवेदनों पर गुण-दोषों के आधार पर विचार किया जाए, जिसके लिए निम्नांकित मानदण्ड हैं :—

(1) क्या सेवा के दौरान उस अधिकारी के सम्बन्ध प्रस्तावित एम्प्लायर के साथ ऐसे रहे हैं कि उन से यह सन्देह उत्पन्न हो कि उस अधिकारी ने उस एम्प्लायर के साथ पक्ष-पात किया था ?

(2) क्या वाणिज्यिक रोजगार में उसके कार्य ऐसे होंगे कि वह अपने सरकारी अनुभव तथा ज्ञान के इस्तेमाल से अपने एम्प्लायर को अनुचित लाभ दिला सके ?

(3) क्या उसके कार्य ऐसे होंगे जिससे सरकार के साथ उसका संघर्ष पैदा हो जाए ?

(4) क्या प्रस्तावित रोजगार सब प्रकार से प्रतिष्ठावान है ?

(5) क्या ऐसी असाधारण परिस्थितियाँ हैं कि इस प्रकार की अनुमति न दिए जाने से उसे वास्तविक कष्ट होगा ?

(ख): 1 जनवरी, 1969 से आज तक भारतीय प्रशासन सेवा के 15 सदस्यों को (इस में भारतीय सिविल सेवा के भूतपूर्व सदस्य भी शामिल हैं) सेवा-निवृत्ति के 2 वर्ष के भीतर वाणिज्यिक रोजगार स्वीकार करने की अनुमति दी गई है।

Approval of Newspaper Title

5687. Dr. Laxminarayan Pandey : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the time taken in the disposal of an application received for approval of the title of a newspaper;

(b) the number of such applications from Madhya Pradesh as have been pending disposal for a period of more than one year; and

(c) the number of applications out of these relating to Hindi newspapers ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a). Replies to references received from District Magistrates in regard to clearance of titles for newspapers are ordinarily sent within seven to ten days.

(b) & (c). None.

Committee to Examine Expenditure on Raj Bhavans

5688. Dr. Laxminarayan Pandey : will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether a Committee has been set up to go into the nature of expenditure being incurred on various Raj Bhavans;

(b) if so, the names of members and the terms of reference of the said Committee; and

(c) the names of Raj Bhavans in respect of which the Committee has completed its investigations so far ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) Yes, Sir.

(b) The Committee consists of a representative each of the Ministries of Home Affairs, Finance, External Affairs and the Comptroller and Auditor General. The Committee is required to study the present pattern of expenditure in the Raj Bhavans and recommend measures for rationalisation of this pattern keeping in view the need for maintaining reasonable standards and at the same time curtailing expenditure which is not strictly necessary. The Committee will also suggest changes as may be necessary in the present orders relating to the allowances and privileges of the Governers.

(c) The Committee will submit a consolidated report in respect of all the Raj Bhavans. The investigations have not so far been completed in respect of any Raj Bhavan.

Approval of Title of Ratlam District Hindi Weeklies

5689. Dr. Laxminarayan Pandey : will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the number of applications received from Ratlam District of Madhya Pradesh during the last three years for approval of the titles of the Hindi Weeklies for publication;

(b) the humber of applications accepted and the number of those under consideration; and

(c) the reasons for which the applications are pending consideration ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information & Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) & (b). A statement giving the requsisite information is attached. No application received from Ratlam District for clearance of title for publication of a Hindi weekly is pending in the office of the Registrar of Newspapers.

(c) Does not arise.

Statement Showing the Number of Applications Received From Ratlam District of Madhya Pradesh for Clearance of Newspaper tittes for Weeklies in Hindi Language During the Calander Years, 1969, 1970 and 1971 and Their Disposal.

Year	Number of applications received.	Number of titles recommended for acceptance of declarations.	Number of applications in which titles could not be recommended.
1969	7	2	5
1970	20	12	8
1971	13	7	6

हिमाचल प्रदेश के कारखाने में उत्पादित होने वाले अखबारी कागज का मूल्य

5691. श्री प्रताप सिंह : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में प्रस्तावित अखबारी कागज के कारखाने में उत्पादित होने वाले अखबारी कागज का मूल्य भारत सरकार निर्धारित करेगी;

(ख) क्या मूल्य निर्धारण होने वाले विलम्ब के कारण कारखाने के निर्माण में विलम्ब हो रहा है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) अखबारी कागज पर मूल्य नियन्त्रण नहीं है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

Pak Nationals Gone Underground in the Country

5692. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state;

(a) the estimated number of Pakistani nationals who have gone underground in the entire country at present, State-wise, on the basis of the information collected by Central Government in this regard; and

(b) the steps taken by the State Government so far to trace and deport them and the steps proposed to be taken by the Central Government in this regard in future ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) A statement giving the information so far received is attached. Information in respect of the remaining State Governments and Union Territory Administrations is being collected and will be laid on the Table of the House.

(b) Besides issuing look out notices, efforts are being made to trace and deal with them according to law.

Statement

Name of the State	Number of underground Pakistani nationals as on 31st March, 1972
Andhra Pradesh	310
Gujarat	133
Maharashtra	598
Mysore	71
Nagaland	None
Tamil Nadu	22
Uttar Pradesh	842
Arunachal Pradesh	None
Chandigarh	None
Delhi	36
Goa, Daman and Diu	None
Laccadive Minicoy and Amindivi Islands.	None

Pak Nationals came to Haryana on valid Passports and gone Underground

5693. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Pakistani nationals who came to Haryana on valid passports and got their names registered, District-wise, since the Ist January, 1970 to-date;

(b) the number of Pakistani nationals whose visas have been extended during the said period; and

(c) the present number of Pakistani nationals who have gone underground in the

entire State as per information of the Central and State Government and the steps taken by Government to trace and deport them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs : (Shri F.H. Mohsin) : (a) During the period from 1st January, 1970 to 31st March 1972, their number was:—

Hissar	17
Rohtak	40
Gurgaon	363
Karnal	76
Ambala	34
Jind	13
Mohindergarh	6

(b) 16

(c) None.

Pak Nationals came to Punjab on valid Passports

5694. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Pakistani nationals who came to Punjab on valid passports and got their names registered District-wise since 1st January, 1970-todate ;

(b) the number of Pakistani nationals whose visas have been extended during the said period ; and

(c) the present number of Pakistani nationals who have gone underground in the entire State as per information of the Central and State Government and the Steps taken by Government to trace and deport them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin): (a) to (c): The information is being collected and will be laid on the Table of the Hous.

Persons escaped to Pakistan with huge amount from District Barmer Co-operative Bank, Rajasthan

5695. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 456 on the 17th November, 1971 regarding persons escaped to Pakistan with huge amount from District Barmer Co-Operative Bank, Rajasthan and state :

(a) whether the requisite information has since been collected from the Government of Rajasthan; and

(b) if so, the full facts thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of personnel (Shri Ram Niwas Mirdha (a) & (b) : The Rajasthan Government have intimated that they have no knowledge of 413 persons having fled to Pakistan after having taken loans amounting to Rs. 2 lakhs from the Barmer District Cooperative Bank. However, 390 members of the 24 Cooperative Societies migrated to Pakistan with Rs. 38,400-being the amount of loan outsanding against them. Out of this a sum of Rs. 19,000/-has been recovered from their sureties and necessary action is being taken for the recovery of the remaining amount from the sureties.

Allocation to Madhya Pradesh for modernisation of Police Force

5696. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state the amount allocated or proposed to be allocated to Madhya Pradesh during 1972-73 under the scheme for financial assistance to the States for providing housing facilities to Police personnel and or modernisation of Police force ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin) : The allocation of funds under the schemes of financial assistance to the States for Police housing and modernisation of Police forces for the year 1972-73 is still under examination. These allocations are made, keeping in mind, inter-alia, the needs of the States, the strength of their Police force, the extent housing shortage presently existing and the steps taken by the State Governments to meet the shortage. In respect of the modernisation scheme, allocations are governed by the availability of funds, need of the States and the level of modernisation achieved by the States etc.

डाक व तार विभाग के तकनीकी तथा विकास सर्किल में विकेन्द्रीकरण की योजना

5697. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या **संचार** मन्त्री डाक व तार विभाग के तकनीकी तथा विकास सर्किल में, विकेन्द्रीकरण की योजना के बारे में 19 अप्रैल, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3316 से उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार सर्किल के लिए कितने व्यक्तियों ने अपना विकल्प दिया है; और

(ख) बिहार सर्किल में वापस आने वाले व्यक्तियों की वार्षिक संख्या क्या है ?

संचार मन्त्री (श्रीमती हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) 40

(ख) 1970 में तीन और 1971 में दस ।

तारापुर परमाणु संयंत्र के कार्य की समीक्षा

5698. **श्री बेकारिया** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तारापुर परमाणु ऊर्जा केन्द्र में कार्य तथा प्रगति की कभी समीक्षा की थी; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके बार-बार रुकने तथा समय-समय पर बन्द हो जाने के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिकी मंत्री,गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तारापुर परमाणु बिजली घर के कार्य तथा प्रगति की समीक्षा विभाग लगातार करता रहता है ।

(ख) बिजली घर का व्यवसायिक रूप से संचालन होने की तिथि के बाद बिजलीघर के लम्बे समय तक बंद होने (चार दिन से अधिक के लिए बन्द होने) की घटनाओं का ब्यौरा निम्नलिखित है ।—

क्रम सं०	बन्द होने की अवधि	यूनिट	पावर-ड्राप	
1.	14-7-1970 से 29-8-1970 तक	1	210 मैगावाट	योजनाबद्ध
2.	2-9-1970 से 21-10-1970 तक	11	210 मैगावाट	रूप से बन्द
3.	8-4-1971 से 25-7-1971 तक	11	210 मैगावाट	
4.	26-6-1971 से 8-7-1971 तक	1	210 मैगावाट	योजनाबद्ध
5.	19-11-1971 से 25-11-1971 तक	11	210 मैगावाट	रूप से बन्द
6.	17-8-1971 से 26-4-1972 तक	1	210 मैगावाट	
7.	15-2-1972 से 25-2-1972 तक	11	110 मैगावाट	योजनाबद्ध
8.	23-3-1972 से अब तक	11	210 मैगावाट	रूप से बन्द

क्रम संख्या 1, 2, 4, 5, 7 तथा 8 पर उल्लिखित घटनाओं में बिजलीघर को अनुरक्षण के लिए बन्द किया गया। क्रम संख्या 3 पर लिखी 8-4-1971 से 25-7-1971 तक बिजलीघर के बंद होने की घटना, मजबूरी में लम्बे समय तक बिजलीघर के बन्द रहने की घटना थी जिसका कारण महाराष्ट्र राज्य की विद्युत प्रणाली में दोष का होना था तथा इससे बिजलीघर को बिजली की सप्लाई पूरी तरह रुक गई थी। बिजली की सप्लाई में इस प्रकार की बाधाओं की घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से, महाराष्ट्र तथा गुजरात की विद्युत प्रणालियों में अपेक्षित सुधार करने का काम शुरू किया गया है। पहले यूनिट को ईंधन बदलने तथा अनुरक्षण के लिए 17 अगस्त, 1971 को बन्द करना पड़ा था। उसकी गाइड-ट्यूब को थामने की व्यवस्था में कुछ सुधार करने तथा ईंधन बदलने का काम पूरा करने के बाद इस यूनिट को 27 अप्रैल, 1971 को पुनः चालू कर दिया गया। यूनिट दो को 23 मार्च, से ईंधन बदलने तथा अनुरक्षण के लिए बन्द रखा गया है।

विकास कार्य के लिए गुजरात को धन का आवंटन

5699. **श्री बेकारिया** : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत 10 वर्षों में गुजरात राज्य की जनसंख्या 193 प्रतिशत बढ़ गई है;

(ख) क्या शीघ्र शहरीकरण की दृष्टि से भारत में गुजरात राज्य सबसे अधिक प्रगतिशील राज्यों में एक है; और

(ग) यदि हाँ, तो वित्तीय संसाधनों से और भू-सम्पत्ति की कमी को दृष्टि में रखते हुए क्या केन्द्रीय सरकार का विचार गुजरात राज्य को कम से कम 25 करोड़ रुपया आरम्भिक आवर्ती निधि के रूप में देने का है जिसे गुजरात सरकार का विचार अपनी विकास योजना पर दिल्ली विकास प्राधिकारण की तरह खर्च करने का है।

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां।

(ख) 1971 में गुजरात की कुल संख्या के अनुपात में शहरी जनसंख्या 28.1 प्रतिशत थी जबकि अखिल भारतीय अनुपात 19.9 प्रतिशत है। इस प्रकार गुजरात का समस्त राज्यों में तीसरा स्थान है।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि : (1) राज्य के अपने संसाधनों में सुधार होने के कारण राज्य के चौथी योजना के परिव्यय को 455 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये कर

दिया गया है, (2) आरम्भिक आवर्ती निधि में अंशदान करने के लिए गुजरात राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है, और (3) केन्द्रीय सरकार को समस्त देश के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा निर्धारित कतिपय मानकों के आधार पर उपलब्ध धनराशि का आवंटन करना पड़ता है ।

गुजरात में दोषपूर्ण टेलीफोन लाइनें

5700. श्री बेकारिया : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में विभिन्न भागों में अधिक उत्पादन करने वाले केन्द्रों तथा विभिन्न अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में टेलीफोन लाइन एक्सचेन्ज तथा ट्रंक लाइनों के दोषपूर्ण कार्यकरण के बारे में बार-बार शिकायतें प्राप्त हो रही है;

(ख) क्या उपरोक्त राज्य को देखते हुए सरकार का विचार गुजरात में टेलीफोन के असंतोषजनक कार्य के लिए उत्तरदायी कारणों की जांच करने के लिए विभाग के वरिष्ठ तकनीकी कर्मचारियों क एक समिति नियुक्ति करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार किया गया है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदनी बहुगुणा) : (क) गुजरात में दूर-संचार सेवाओं के बारे में अक्सर शिकायतें नहीं मिलती । शिकायत मिलने पर तत्परता से जाँच की जाती है और उसे दूर करने के लिए कदम उठाये जाते हैं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) एक्सचेन्जों और ट्रंक लाइनों की दक्षता को बनाये रखने के लिए लगातार प्रयत्न किये जा रहे हैं । शिकायत की जाँच के लिए तत्परता से कार्यवाही की जाती है ।

विदेशी तम्बाकू और सिग्रेट उद्योगों द्वारा लाभ आदि बाहर भेजा जाना

5701 श्री भोगेन्द्र झा : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में तम्बाकू और सिग्रेट उद्योग में लगा विदेशी कम्पनियों ने कितना लाभ और लाभांश देश से बाहर भेजा है और इनकी कुल सम्पत्ति का वर्तमान मूल्य क्या हैं;

(ख) इस उद्योग में भारतीय हितों की तुलना में विदेशी कम्पनियों को कितनी और किस रूप में प्राथमिकता मिलती हैं और इसके क्या कारण है; और

(ग) क्या भारतीय कम्पनियाँ सब प्रकार से समान व्यवहार की मांग कर रही है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) (क) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रखा दी जायेगी ।

(ख) और (ग) विदेशी कम्पनियों के प्राथमिकता पाने का प्रश्न ही नहीं उठता । बल्कि इसके विपरीत सरकार की नीति भविष्य में केवल भारतीय स्वामित्व वाली कम्पनियों में विस्तार की अनुमति देने की है ।

बिहार और पश्चिम बंगाल में बन्द पड़े औद्योगिक एकक

5702. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सम्पूर्ण भारत में और विशेषकर बिहार और पश्चिम बंगाल में कुल कितने औद्योगिक उपक्रम बन्द पड़े हैं और इससे कितने कर्मचारी प्रभावित हुये हैं; और

(ख) उन उद्योगों को पुनः स्थापित करने और सक्रिय बनाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) (क) जैसा कि राज्य सरकारों ने बताया है मार्च 1972 तक देश में बन्द एककों की संख्या (महाराष्ट्र को छोड़कर जिसके विषय में जानकारी उपलब्ध नहीं है) 306 थी जिसमें (मैसूर, महाराष्ट्र, जम्मू काश्मीर तथा केरल राज्यों को छोड़कर जिनके विषय में सूचना उपलब्ध नहीं है) 71,300 कर्मचारी प्रभावित थे । इन बन्द एककों में पश्चिम बंगाल के 205 और बिहार के 22 एकक सम्मिलित हैं जिनमें क्रमशः 26,270 तथा 15,800 कर्मचारी प्रभावित है ।

(ख) इस विषय में निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे है ।

(1) केन्द्र तथा राज्य सरकारों, नेशनल टेकसटाइल कारपोरेशन, इंडस्ट्रियल रिकन्स्कशन कारपोरेशन आफ इंडिया तथा अन्य केन्द्र व राज्य के वित्तीय संस्थानों द्वारा ऐसे अन्यथा आर्थिक जीव्यता वाले एककों को ऋण दिया जाना ।

(2) औद्योगिक विवादों को हल करने के लिये राज्य श्रम विभाग द्वारा समझौतों में सहायता ।

(3) जहां किसी मामले में गुणावगुणों के आधार पर औचित्य दृष्टिगोचर हो वहाँ उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के उपबन्धों के उपबन्धों के अधीन, औद्योगिक एककों के प्रबन्ध को हाथ में लेना ।

(4) प्रोत्साहन तथा अन्य प्रकार की सहायता लेकर बन्द एककों के प्रबन्धकों को उन्हें पुनः चालू करने का आग्रह करना ।

(5) एककों को उनकी कच्ची सामग्री तथा अन्य कठिनाईयों पर विजय प्राप्त करने हेतु सहायता पहुंचाना ।

राज्यों में योजना बोर्ड

5703 प्रो० नारायण चन्द पाराशर : क्या **योजना** मंत्री राज्य स्तर पर योजना बोर्ड बनाने के बारे में 22 मार्च, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1046 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जिला परिषद तथा अन्य स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों को भी इन बोर्डो में सम्मिलित किया जायेगा !

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : आन्ध्र प्रदेश और राजस्थान के शीर्ष आयोजन संगडन, जो सलाहकार संगठनों के रूप में कार्य करते हैं मैं जिला परिषदों के प्रति-

निधि भी सम्मिलित हैं। अन्य राज्यों के शीर्ष संगठन आयोजन मंडलों के रूप में कार्य करते हैं और इनमें जिला परिषदों तथा अन्य स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित नहीं किया जाता।

भुवनश्वर स्थित उड़ीसा अनुसंधान परियोजना के राष्ट्र विरोधी क्रियाकलाप

5704 श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भुवनेश्वर में कार्य कर रही उड़ीसा अनुसंधान परियोजना नामक संगठन के बारे में जानकारी है जो पश्चिम जर्मनी की हाइडलबर्ग और फ्रेलबर्ग विश्वविद्यालयों द्वारा प्रायोजित है;

(ख) क्या इसके लिए अनुमति मांगी गई थी और वह दे दी गई थी और यदि नहीं, तो कब और किसके द्वारा;

(ग) क्या सरकार को इस बात का पता चला है कि उपर्युक्त परियोजना के और व्यक्तिगत रूप से इसके सदस्यों के क्रियाकलाप बहुत संदेहस्पद, पक्षपातपूर्ण और राष्ट्र विरोधी पाये गये है;

(घ) क्या सरकार को ज्ञात है कि इस अनुसन्धान परियोजना के प्राधिकारियों ने पुरी के भगवान जगन्नाथ मन्दिर के माँडलपञ्जी की मूल भोज-पत्र पोण्डुलिपि चुरा ली थी और वह पकड़ी गई है; और

(ङ) क्या सरकार इस परियोजना के क्रियाकलापों की तुरन्त विस्तृत जांच करवायेगी ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ङ) तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

जिला मुख्यालयों और राज्य की राजधानियों के बीच सीधी ट्रंक लाइनें

5705 प्रो० नारायण चन्द पाराशर : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सभी जिला मुख्यालयों का अपने अपने राज्य की राजधानियों से सीधे ट्रंक लाइनों (टेलीफोन) द्वारा सम्बन्ध स्थापित है, और

(ख) यदि नहीं, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) (क) अधिकांश जिला मुख्यालयों का अपने अपने राज्यों की राजधानियों से पहले ही सीधी ट्रंक लाइनों से संबंध स्थापित है, लेकिन कुछ ऐसे जिला मुख्यालय भी हैं जिनका उनके राज्यों की राजधानियों से अभी संबंध स्थापित किया जाना है।

(ख) 5वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इनका भी परस्पर सम्बन्ध स्थापित कर दिया जाएगा।

विभिन्न बोलियों और भाषाओं में अकाशवाणी कार्यक्रम

5706. प्रो० नारायण चन्द पाराशर : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के कार्यक्रम किन-किन भाषाओं और बोलियों में प्रसारित किये जाते है; और

(ख) विभिन्न राज्यों के लोगों ने किन-किन और कितनी अन्य भाषाओं एवं बोलियों को उक्त कार्यक्रमों में शामिल करने का अनुरोध किया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) जिन भाषाओं में कार्यक्रम (गृह तथा विदेश सेवा कार्यक्रम सहित) प्रसारित किए जाते हैं, उनके नाम संलग्न विवरण में दिये गए है। बोलियों के सम्बन्ध में सूचना संकलित की जा रही हैं और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

(ख) जब कभी भी अन्य भाषाओं या बोलियों में कार्यक्रम चालू करने के लिए प्रार्थना की जाती है, उस पर गुणों के आधार पर विचार किया जाता है।

विवरण

आकाशवाणी द्वारा जिन भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित किए जाते है उनकी सूची

भाषाएं

(1) हिन्दी	(12) असमिया	(23) पश्तो
(2) पंजाबी	(13) सिंधी	(24) रशियन
(3) कशमीरी	(14) उर्दू	(25) नेपाली
(4) गुजराती	(15) संस्कृत	(26) सिन्हाली
(5) मराठी	(16) अंग्रेजी	(27) स्वाहिली
(6) तेलुगु	(17) अरेबिक	(28) थाई
(7) तमिल	(18) दारी	(29) तिब्बती
(8) कन्नड़	(19) फ्रेंच	(30) बर्मी
(9) मलयालम	(20) इण्डोनेशियन	(31) कैंटोनीज
(10) बंगला	(21) कोयू	(32) भूटानीज
(11) उड़िया	(22) परशियन	(33) सिक्कमी

Higher Pay Scales Payable to officers of All India Services After putting in Specified Number of years Of Service

5708. **Shri Narendra Singh Bisht** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether officers in the Indian Administrative Service and in the All India Services are given higher pay scales automatically after they have completed six years service;

(b) if so, the names of services in which such officers are given higher pay scales and the reasons therefor;

(c) Whether doctors, engineers and highly qualified technologists working in the Central Government Services are also given similar higher pay scale, if not, the reasons therefor and

(d) the steps being taken by Government to remove discontentment among the category of officers mentioned in part (c) above ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel : (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

The Third Pay Commission has been set up to enquire into and make recommendations on, among others things, the principles which should govern, and the desirable and feasible changes in, the structure of emoluments and conditions of service of Central Government employees.

Hindi Teaching Scheme

5709. Shri Narendra Singh Bisht : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Stenographers and Typists given training under the Hindi Teaching Scheme and the percentage thereof who are working in Hindi; and

(b) whether those employees who pass these examinations are suitably rewarded and given advance increments ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram niwas Mirdha) : (a) The total number of employees who have passed Hindi Stenography and Hindi Typewriting examinations under the Hindi Teaching Scheme so far is as under :—

Hindi Stenography	2978
Hindi Typewriting	12700

Many employees are recruited in the employ of the Central Government every year throughout the country; likewise many employees retire every year. As such, it is difficult to workout the percentage of employees who are working in Hindi. Collection of such information will involve labour time and expenditure which may not be commensurate with the results to be achieved.

(b) The following incentives are admissible to the Central Government employees on their passing Hindi Typewriting and or Hindi Stenography examination under the Hindi Teaching Scheme :—

(i) **Cash Awards:**—Cash awards are granted to the L. D. Clerks/Typists and Stenographers for passing meritoriously the Hindi Typewriting and Hindi Stenography examinations on the following scale :

	Hindi Typewriting	**Hindi Stenography**
Cash prize of Rs. 300/- each.	for securing 97% or more marks.	for securing 95% or more marks.
Cash prize of Rs. 200/- each.	for securing 95% or more marks but less than 97% marks.	for securing 92% or more marks but less than 95% marks.

Cash prize of Rs. 100/- each.	for Securing 90% or more marks but less than 95% marks.	For securing 88% or more marks but less than 92% marks.

(ii) **Personal Pay :** Personal Pay, equal in amount to one increment, is granted for 12 months on passing Hindi Typewriting/Hindi Stenography examination. Stenographers whose mother-tongue is other than Hindi, are granted personal pay, equal in amount to two increments, absorbable in future increases of pay, on passing the Hindi Stenography examination.

(iii) **Lump Sum Awards :** Typists/Stenographers who pass Hindi Typewriting/ Hindi Stenography examinations conducted under the Hindi Teaching Scheme, by their own efforts (through private training institutions or those run by the State Governments), from places having no centres under the Hindi Teaching Scheme for teaching these skills, are granted lumb sum awards as under :—

Hindi Typewriting	Rs. 150/-
Hindi Stenography	Rs. 300/-

These lump sum awards are granted in addition to Personal pay/Cash awards to which the emhloyees may, otherwise be eligible.

ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन में वाजोरिया बन्धुओं के शेयर

5710. बेकारिया क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री कृपा बताने की कृपा करेंगे कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् उस समय ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन में वाजोरिया बन्धुओं के शेयरों की स्थिति क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन, लिमिटेड की अधिकृत पूंजी 6.25 करोड़ रुपये है; जिसमें प्रत्येक पाँच रुपये वाले 55 लाख साधारण शेयर, प्रत्येक सौ रुपये वाले 3 लाख संचयी अधिमानी (क्युमूलेटिव प्रीफरेन्स) शेयर हैं । जारी की गई व स्वीकृत पूंजी 4.06 करोड़ रुपये हैं; जिसमें 5 करोड़ वाले 65 लाख साधारण शेयर तथा 100 रुपये वाले 81 हजार संचयी अधिमानी शेयर हैं ।

कारपोरेशन द्वारा रजिस्टार आवं कम्पनीज, कानपुर को 26 जून, 1971 तक दिये गये वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार, विजोरिया कम्पनी के सदस्य, तथा विजौरिया ग्रूप की कम्पनियों के पास क्रमशः 1931 तथा 7,90,018 साधारण शेयर थे ।

ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन के निदेशक मंडल में श्रम प्रतिनिधि की नियुक्ति

5711. श्री आर० वी० बड़े : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन के निदेशक मण्डल में श्रम प्रतिनिधि की नियुक्ति नहीं की है । और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या कर्मचारियों, जनसाधारण और अंशधारियों ने निदेशक मण्डल में श्रम प्रतिनिधि श्री मकबूल अहमद खान को नियुक्त करने की मांग की है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) सरकार वी० आई० सी० के निदेशक मण्डल के निदेशकों की नियुक्ति नहीं कर सकती। यह निदेशक मण्डल द्वारा सहयोजनार्थ सदस्यों का केवल नाम निर्देशित कर सकती है अथवा अंशधारियों की आम वार्षिक बैठक में निदेशक के रूप में चुनाव लड़ने के लिए नाम प्रस्तावित कर सकती है। सरकार को वी० आई० सी० के निदेशक मण्डल के लिए नाम निर्देशन के लिए विभिन्न व्यक्तियों के विषय में प्रस्ताव मिले हैं। विभिन्न प्रस्तावों पर विचार किया जाता है तथा परिस्थिति की आवश्यकता के अनुसार समय समय पर उपयुक्त व्यक्तियों का नाम निदेशित किया जाता है।

ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन द्वारा सरकारी निदेशों को क्रियान्वित किया जाना

5712. श्री आर० वी० बड़े: क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर को जारी किये गये 25 जुलाई, 1970 के निदेशों का पूरी तरह से पालन किया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो किन निदेशों को किन कारणों से अब तक क्रियान्वित नहीं किया गया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन को जारी किये गये नौ निर्देशों में से 6 निर्दश कार्यन्वित किये गये है व निम्नलिखित 3 क्रियान्वयन की प्रक्रिया में है अथवा उन पर विचार हो रहा है।

(1) निर्देश संख्या 5 :—उन क्रय-अधिकारी की नियुक्ति के सम्बन्ध में।

(2) निर्देश संख्या 6 :—एक उच्चतमकार्यशासी तथा एक वित्त-कार्याऊसी की नियुक्ति के सम्बन्ध में।

(3) निर्देश संख्या 8 :—लागत घटाने हेतु सर्वतोमुखी मितव्ययता बर्तने के एक व्यापक कार्यक्रम बनाने के सम्बन्ध में।

ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन द्वारा कम्बलों की बिक्री

5713 श्री आर०वी० बड़े : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन द्वारा भारत सरकार की बिना उत्पादन शुल्क दिये अफ्रीकी देशों को बड़े संख्या में निर्यात किए जाने वाले कंबलों को सरकार ने पकड़ा था।

(ख) क्या ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन ने पाकिस्तान के युद्ध बन्दियों के प्रयोग के लिए उन्हीं कम्बलों को दुगुनी दरों पर सरकार को बेचा था; और

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :(क) भारतीय सुरक्षा नियम 1971 के अधीन विदेश व्यापार मंत्रालय ने जनवरी 1972 में मे० ब्रिटिश इण्डिया कारपो-

रेशन लि० कानपुर से ऊनी कम्बलों को रक्षा उत्पादन विभाग के निरीक्षण निदेशक (जनरल स्टोर) के लिये लेने के विचार से आदेश जारी किया था फरवरी 1972 में ये 50,000 कम्बलों के आदेश वापस ले लिये गये इनका सूडान को निर्यात करने के लिए वादा किया गया था।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

डाक कर्मचारियों द्वारा त्रिवेंदम के पोस्टमास्टर की पिटाई

5714. श्री वयालार रवि : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष मार्च के महीने में एन० एफ० पी० टी० यू० से सम्बन्धित डाक कर्मचारियों ने त्रिवेन्द्रम में एक पोस्टमास्टर की पिटाई की थी।

(ख) यदि हां, तो उन शरारतियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है, और

(ग) एन० एफ० पी० टी० यू० के कार्यकर्ताओं द्वारा अन्य कार्मिक संघों के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध हिंसात्मक कार्रवाईयों को अपनाये जाने से रोकने लिए क्या कार्यवाही की गई है।

संचार मंत्री (हेमवती नन्दन बहुगुणा) (क) जी नहीं।

(ख) ऊपर भाग (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) यदि ऐसा कोई मामला सामने आए तो उस पर गुणदोष के आधार पर विचार करने के बाद समुचित कार्रवाई की जाती है।

A. I. R. Programme on Labourers and Workers

5715. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Information and broadcasting** be pleased to state :

(a) whether any programme is broadcast concerning labourers and workers so as to acquaint them with new labour laws; and

(b) if so, the total time allocated during 1970-71 for this purpose, subject's wise ?

The Minister of state in the Ministry of Informrtion and Broadcasting (Shrimati Nandini Satpathy) : (a) Yes, Sir. This is done in the Industrial programme of the All India Radio.

(b) During 1970-71, the total duration of Industrial programme was 3762 hours 4 minutes from 23 stations.

सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड को कट्टों की सप्लाई

5716 श्री वी० के० दास चौधरी : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमेन्ट कारपोरेशन आफ इण्डिया को कट्टों की सप्लाई करने वाले सप्लायर्स कौन-कौन से हैं और उनके साथ गत तीन वर्षों में किये गये करारों की शर्तें और दरें क्या है;

(ख) क्या सभी सप्लायर्स करार की शर्तों के अनुसार कट्टे सप्लाई करते हैं और सप्लायर्स के साथ ये करार औपचारिक प्रक्रिया के अनुसार किये गये थे; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकारी लेखा परीक्षा दल ने उनमें क्या गलतियां निकाली और आपत्तियाँ उठाई ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) सीमेंट कारपोरेशन को अब तक निम्नलिखित कम्पनियों ने कट्टों का सम्भरण किया है—

1. मे० खेरुका एण्ड कं०, कलकत्ता ।
2. मे० कटारुका एण्ड कं०, पटना ।
3. मे० डंकन ब्रादर्स, कलकत्ता ।
4. मे० जार्डिन एण्ड हेन्डरसन, कलकत्ता ।
5. मे० सराफ एजेन्सीज (प्रा०) लि०, कलकत्ता ।
6. मे० थीसा (इण्डिया) प्रा० लि०, कलकत्ता ।

सामान्यतः प्रत्येक महीने के वितरण के लिए कट्टों की कीमत तत्काल वितरण हेतु गन्नी ट्रेड एसोसिएशन की दैनिक रिपोर्टों में उद्धृत किए गये मानक भारी शुल्क के औसत मूल्य के आधार पर वितरण करने के महीने से दो महीने पूर्व निर्धारित की जाती हैं अर्थात् मार्च में वितरण हेतु जनवरी की औसत दर व्यवस्था लागू होगी ।

कट्टों का सम्भरण जूट टैक्नालाजी के प्रिंसिपल के या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि को निरीक्षण के अधीन निर्धारित विशिष्टीकरण और पैकिंग की आवश्यकताओं के अनुरूप करना ।

(ख) जी हां । कुछ अवसरों को छोड़कर, जबकि सीमेंट के कारखाने में कट्टों की स्टाक स्थिति अधिक निम्न स्तर पर आ गई थी और कट्टों को निर्धारित दरों पर खरीदना पड़ा था ।

(ग) 1970-71 की अवधि के लेखों के सम्बन्ध में सरकारी लेखापरीक्षा दल ने प्रारम्भ में कुछ सुधार त्रुटियां निकाली थी लेकिन निगम द्वारा उनका संतोषजनक उत्तर दिये जाने से ये आपत्तियां समाप्त कर दी गई हैं ।

Issue of licences for setting up of industries in Rajasthan

5717. Shri Panna Lal Barupal : Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state the types of industries which have been set up in Rajasthan during the last 3 years and the location thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : According to the information furnished by the Government of Rajasthan the following are the details of the industries set up in the State during the last 3 years :

1. Machine Tools Plant, Ajmer,
2. Power Cables plant, Kota,
3. Sugar Mill. Keshoraipatan
4. Roller Flour Mill, Kota.
5. Synthetic Plant, Kota.
6. Silico Manganese Plant. Jaipur
7. Textile Mills, Gulabpura
8. 3 Vanaspati and one oil, Plants, Jaipur
9. Extension of 3' textile mills at Pali, Bhawanimandi and Sardarshahr.

भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग द्वारा लद्दाख क्षेत्र का सर्वेक्षण

5718. **श्री कुशक बाकुला :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग ने वनस्पति की खोज के लिए जम्मू और कश्मीर राज्य में लद्दाख क्षेत्र का दौरा किया है; और यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला;

(ख) क्या उपरोक्त क्षेत्र में पौधों और जड़ी बूटियों का सर्वेक्षण करने का विचार है; और

(ग) क्या भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग, उक्त क्षेत्र में पैदा होने वाले पौधों और जड़ी बूटियों की अनेक किस्मों को ध्यान में रखते हुये लद्दाख में एक जड़ी बूटी संग्रहालय को स्थापना करेगा; और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने 'चम्बा लावनी-स्पिति और लद्दाख की वनस्पति खोज' शीर्षक से एक परियोजना आरम्भ की है । इस सम्बन्ध में जुलाई से सितम्बर, 1970 की अवधि में संग्रह के लिए एक दल लद्दाख के दौरे पर भेजा गया था । इस दल ने 341 पौधों के नमूने और 40 विभिन्न किस्मों के बीज एकत्रित किए हैं ।

(ख) जी हाँ, सर्वेक्षण का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है ।

(ग) लद्दाख में वनस्पति संग्रहालय स्थापित करने के लिए अभी कोई प्रस्ताव नहीं है । भारतीय सर्वेक्षण विभाग के देहरादून स्थित उत्तरी मंडल, जिसकी सीमा के अन्तर्गत लद्दाख क्षेत्र आता है, अतएव लद्दाख क्षेत्र से एकत्रित किये गये पौधों को उसी के वनस्पति संग्रहालय में जमा किया जा रहा है ।

भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग द्वारा वनस्पति खोज सम्बन्धी दौरे

5719. **श्री अनादि चरण दास :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग के विभिन्न मण्डलों द्वारा वनस्पति खोज सम्बन्धी कितने दौरे किये गये;

(ख) उपरोक्त दौरों के दौरान इकट्ठे किये गये पौधों और जड़ी बूटियों की संख्या और किस्मों का ब्यौरा क्या है;

(ग) दौरों पर और पौधों के नमूनों के संग्रह एवं परिरक्षण पर कुल कितना धन व्यय किया गया;

(घ) क्या पौधों के नमूनों के संग्रह को देश के वनस्पति शास्त्रियों और पौधा वैज्ञानिकों को उपलब्ध कराया गया था है; और

(ङ.) क्या बगीचों के मालिकों, फार्म मालिकों अथवा वन अधिकारियों को सहायता देने के बारे में कोई योजना भारत के विभिन्न भागों में स्थित वनस्पति सर्वेक्षण कार्यालयों के विचाराधीन है ?

योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) गत तीन वर्ष के दौरान भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा वनस्पति सम्बन्धी खोजों के लिए आयोजित दौरों की कुल संख्या 19 है।

(ख) इन दौरों की अवधि में लगभग 13,498 जातियां और 80,190 नमूने एकत्र किए गये थे।

(ग) रु० 1,01,257.75

(घ) भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण द्वारा माँग होने पर वनस्पति के नमूने अनुसंधान संस्थाओं, विश्वविद्यालयों इत्यादि को भेजे जाते हैं। सर्वेक्षण विभाग के वनस्पति संग्रहालय वैज्ञानिकों के लिए भी खुले रहते हैं और ये उन्हें परामर्श एवं संदर्भ सम्बन्धी सुविधायें प्रदान करते हैं।

(ङ) जी हाँ। सिबपुर में स्थित भारतीय सर्वेक्षण विभाग का भारतीय वनस्पति उद्यान, उद्यानपतियों को परामर्श देता है और अपनी पौध शालाओं से उनको पौधों सम्बन्धी सामग्री उपलब्ध करता है। सर्वेक्षण के क्षेत्रीय मण्डल भी इस कार्य को लघु स्तर पर करते हैं। विशेषकर दुर्लभ जातियों के पौधों के संरक्षण के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग वन विभागों के सहयोग से भी कार्य करता है।

Incid nts of burning alive of Scheduled Castes people and setting their houses on fire in the country

5720. Shri Chhatrapati Ambesh: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of incidents of burning alive the people of scheduled Castes, setting their houses to fire, forcibly occupying their land and insulting them in many other ways that took place in each State during the last three years separately; and

(b) the action taken by Government in respect of each of the aforesaid incidents ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) (a) and (b). Information is being collected from the State Governments.

आकाशवाणी केन्द्रों म अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के कर्मचारियों की संख्या

5721. श्री अम्बेश : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में सभी रेडियो स्टेशनों पर श्रेणी I, II, III और IV के पृथक-पृथक कितने कर्मचारी काम कर रहे है;

(ख) उनमें से अनुसूचित जाति/जनजाति के कितने कर्मचारी है; और

(ग) यदि इन जातियों के लिए आरक्षण का कोटा पूरा नहीं है तो इसके लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

Separate Seniorty Lists for Promotion of scheduled Castes and Scheduled Tribes

5722. Shri Chhatrapati Ambesh : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) Whether Government propose to revise their orders dated 11th July, 1968 in regard to providing reservation for Scheduled Castes in promotion posts; and

(b) Whether Government propose to formulate rules under which a seniority list of Scheduled Cast and Scheduled Tribe employees would be maintained for pu pose of promotion of these employees ?

The Minister of state in the Ministry of Home Affairs and the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) · (a) No, Sir.

(b) The orders issued in the Ministry of Home Affairs Office Memorandum No. 1/12/67—Est (C) dated 11th July 1968 already prescribe the detailed procedure for filling reserved vacancies in the posts filled by promotion. For filling reserved vacancies in Class III ond IV posts, separate select lists of Scheduled Caste/Schedulcd Tribe officers are required to be drawn. Detailed prccedures have also been laid down in the aforesaid orders for promotion of Scheduled Caste and Scheduled Tribe employees from Class III to Class II, within Class II and from Class II to the lowest rung in Class I where no reservations are provided. This procedure has been working satisfactorily and it is therefore not considered necessary to revise the orders of 11th July, 1968 or to formulate any rules for maintaining separate seniority list for Scheduled Castes and Sucheduled Tribes.

केन्द्रीय सरकार का उड़ीसा सरकार को केन्द्रीय सरकार की सहमति के बिना आरक्षित रिक्त स्थान को अनारक्षित मानने का आदेश

5723. श्री गजाधर माझी : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने उड़ीसा सरकार को आदेश दिया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षित रिक्त स्थान को केन्द्रीय सरकार की सहमति के बिना अनारक्षित घोषित किया जा सकता है;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार उस आदेश का पालन कर रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) जी नहीं, श्रीमाव । किसी राज्य सरकार के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए स्थान आरक्षित रखने का सम्बन्ध, संविधान के अनुच्छेद 16(4) और 12 के साथ पठित अनुच्छेद 335 के अन्तर्गत वहाँ की राज्य सरकार से ही है । अत: भारत सरकार इस सम्बन्ध में कोई आदेश राज्य सरकारों को नहीं दे सकती ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली और रांची के बीच सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था

5724. कुमारी कमला कुमारी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली से रांची (बिहार) सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और यह व्यवस्था कब तक आरम्भ हो जायेगी ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) फिलहाल नहीं ।

(ख) इस समय दिल्ली और रांची के बीच ट्रंक यातायात इतना नहीं है कि इसके आधार पर इन दोनों स्थानों के बीच सीधी ट्रंक डायलिंग के मार्ग का औचित्य हो । पहले उन मार्गों का काम हाथ में लिया जा रहा है जिन पर ट्रंक यातायात इस मार्ग से अधिक है । आशा है कि 5वीं योजना के अंत तक रांची-दिल्ली मार्ग पर सीधी ट्रंक डायलिंग की व्यवस्था हो जायेगी ।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो और सतर्कता आयोग का क्षेत्राधिकार

5726. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो और सतर्कता आयोग संयुक्त रूप से एक दूसरे के साथ समन्वित रूप से कार्य कर रहे हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो उनके विशिष्ट क्षेत्राधिकार क्या हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख). केन्द्रीय जांच ब्यूरो केन्द्रीय सरकार की एक जांचकर्ता एजेंसी है और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 के अधीन अधिसूचित कुछ विशिष्ट प्रकार के अपराधों की जांच के लिए जिम्मेदार है । केन्द्रीय सतर्कता आयोग एक सलाहकारी निकाय है जिसका कार्य प्रायः मंत्रालयों/विभागों/केन्द्रीय सरकार के प्रतिष्ठानों के कार्यों को समन्वित करना और प्रशासन में सत्यनिष्ठा बनाए रखने सम्बन्धी मामलों में उन्हें सलाह देना है । केन्द्रीय सतर्कता आयोग जब भी आवश्यक समझे केन्द्रीय जाँच ब्यूरो को प्रारम्भिक जांच या नियमित जांच के लिए सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें अ दि भेजता है ।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो और केन्द्रीय सतर्कता आयोग के बीच समन्वय कार्य को सुदृढ़ करने के लिए, दोनों संगठनों के अधिकारी उचित स्तर पर, जितनी बार आवश्यक हो, बैठकों का आयोजन करते हैं और विचार विमर्श करते हैं ।

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड में प्रतिनियुक्ति पर गए कर्मचारी

5728. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कितने कर्मचारी राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड में प्रतिनियुक्ति पर है;

(ख) क्या इनमें से किसी कर्मचारी को इस निगम में खपा लिया गया है या खपाने का प्रस्ताव है; और

(ग) क्या ऐसे कर्मचारियों द्वारा इस निगम में लिये जा रहे वेतन-क्रम, इनके पद नाम और अन्य लाभ अपने मूल विभागों में उन्हें मिलने वाले लाभों से बेहतर हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम में इस समय 9 अधिकारी प्रत्यायोजित हैं ।

(ख) इन 9 अधिकारियों में से राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम में आमेलन (एब्जार्पसन) हेतु एक अधिकारी ने इच्छा प्रकट की है। दूसरों से चूंकि उन्होंने दो वर्ष पूरे नहीं किये हैं इच्छा विकल्प बताने को नहीं कहा गया है।

(ग) प्रत्यायोजित अधिकारी अपने मूल विभागों से अधिक उपलब्धियां पा रहे हैं, क्योंकि या तो वेतनमान अधिक हैं अथवा उन्हें प्रतिनियुक्ति भत्ता मिल रहा है। जो 1600 रुपये प्रतिमास ले रहे हैं वे भी बोनस लेने के पात्र हैं।

Confirmation of Hindi Translators in Home Ministry

5729. Shri Vijay Pal Singh : will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether 80 percent of temporary posts of Hindi Translators in her Ministry were regularised in March, 1972; and

(b) if so, the number of posts among them, held by Harijans and Scheduled Castes ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin) : (a) & (b). There were 13 temporary posts of Hindi Translators Grade II. Of these, 2 are held by persons belonging to the Scheduled Castes. Out of the 13 posts were created more than 3 years ago. In accordance with the rules, 50% of these 6 Posts, i.e., 5 posts, have been converted into permanent ones. Confirmations against these posts have not yet been made.

सरकारी क्षेत्र के आयात-कर्ताओं द्वारा लघु औद्योगिक इकाइयों को कच्चे माल की सप्लाई

5730. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु औद्योगिक इकाइयों को कुछ आयातित कच्चा माल सरकारी क्षेत्र के आयातकर्ताओं द्वारा उनकी यहां पर उतरने पर लागत से 100 प्रतिशत से भी अधिक कीमत पर दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कच्चे माल के सरकारी क्षेत्र के आयातकर्ता न तो माल की सप्लाई समय पर करते हैं और न ही यह माल आवश्यक किस्म का होता है; और

(घ) क्या लघु औद्योगिक इकाइयों को यह माल बड़ी इकाइयों की तुलना में अधिक भाव पर दिया जाता है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी।

मोलिन्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड का उत्पादन कार्यक्रम

5731. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स मोलिन्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड ने औद्योगिक लाइ से.र के लिए आवेदन-पत्र देते समय अपना क्या उत्पादन कार्यक्रम बताया था;

(ख) इस कार्यक्रम में कोई परिवर्तन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या परिवर्तन किये गये हैं और उनकी तिथियां क्या हैं; और

(घ) परिवर्तनों की अनुमति देने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) सिगरेट बनाने वाली मशीनें या इसके पुर्जे तथा सहायक सामान आदि उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 की प्रथम अनुसूची के अन्तर्गत नहीं आते। मे० मोलिन्स आफ इण्डिया लि० द्वारा 1963 में सिगरेट बनाने वाली मशीनों, पैकिंग मशीनों, कागज लपेटने वाली मशीनों के उत्पादन के विषय में निम्नलिखित प्रावस्थाबद्ध उत्पादन कार्यक्रम का बताया गया था:—

उत्पादन की वस्तु	आयातित वस्तु की मात्रा का प्रतिशत		
	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष
1. सिगरेट बनाने वाली मशीनें	40	30	15
2. पैकिंग मशीनें	30	25	15
3. कागज लपेटने की मशीनें	25	15	$7\frac{1}{2}$
4. तम्बाकू काटने की मशीनें	45	30	15

(ख) कम्पनी ने सरकार के विचारार्थ कोई परिवर्तित कार्यक्रम नहीं दिया है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

मोलिन्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड को लाइसेन्स देना

5732. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **औद्योगिक** विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स मोलिन्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड को गत तीन वर्षों में अतिरिक्त पुर्जों और सी० के० डी० मशीनरी के लिए कितने मूल्य के कितने लाइसेंस जारी किए गए थे और ये लाइसेंस किन करैंसी क्षेत्रों के सम्बन्ध में थे;

(ख) कम्पनी ने अपने पंजीकरण से लेकर अब तक प्रदर्शन एककों के रूप में कितनी और किस प्रकार की तथा कितने मूल्य की मशीनें आयात की;

(ग) यह मशीनें किनको और किस मूल्य पर बेची गई थीं; और

(घ) भारत में सिगरेट मशीनरी के औ कौन से निर्माता हैं तथा उद्योग में उत्पादन मूल्य की दृष्टि से इस कम्पनी का क्या शेयर है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) विगत तीन वर्षों में की अवधि में मे० मोलिन्स इन्डिया लिमिटेड की सिगरेट मशीन बनाने के लिए हिस्सों/पुर्जों का आयात करने के लिए निम्नलिखित तीन आयात लाइसेन्स जारी किये गये थे :-

वर्ष	स्रोत	मूल्य रु० में
1969-70	आई० डी० ए०	18,00,000
1970-71	-वही-	7,82,731
1971-72	ब्रिटेन ए० आई० डी०	2,37,027

इस अवधि में इस फर्म को सी० के० डी मशीनों का आयात करने के लिए कोई भी लाइसेन्स नहीं दिया गया था ।

(ख) और (ग) : केवल प्लग एसम्बली अटेचमेंट सहित एक आर्क 8 मेकर अक्तूबर, 1966 मे निदर्शन एकक के रूप में सी० सी० पी० आधार पर आयात किया गया था ।

इसी का मे० मौलिन्स (इण्डिया) लि० द्वारा मार्च, 1968 में पुनः निर्यात किया गया । ऐसी परिस्थितियों में किसी अन्य पार्टी को मशीनें बेचने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) संगठित क्षेत्र में ये० मौलिन्स इण्डिया प्रा० लिमिटेड सिगरेट मशीनों का निर्माण करने वाला अकेला एकक है ।

केरल में नई कम्पनियों के लिए लाइसेन्स

5733. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1971-72 के दौरान केरल राज्य में नई कम्पनियां स्थापित करने के लिए लाइसेन्स दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन्हें लाइसेन्स दिये गये हैं;

(ग) परियोजनाओं की रोजगार की क्षमता क्या है, और

(घ) क्या सरकार ने कुछ कम्पनियों को वित्तीय सहायता भी दी है, और यदि हां, तो कितनी सहायता दी गई ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) आंकड़े वित्तीय वर्ष वार नहीं रखे जाते हैं । केरल राज्य में वर्ष 1972 (31-3-1972 तक) की अवधि में नये औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना के लिए लाइसेन्स स्वीकृत किए गए हैं परन्तु कलैंडर वर्ष 1971 की अवधि में कोई लाइसेन्स जारी नहीं किया गया है ।

(ख) जारी किये गये लाइसेन्सों/आशय पत्रों और संबंधित उद्योगों के ब्यौरे 'दी वीकली बुलेटन आफ इन्डस्ट्रियल लाइसेंसे इम्पोर्ट लाइसेंसैज एण्ड एक्सपोर्ट लाइसेसैज' साप्ताहिक 'इंडियन ट्रेड जनरल' और मासिक 'जनरल आफ इन्डस्ट्री एण्ड ट्रेड में नियमित रूप से प्रकाशित किये जाते हैं । इन प्रकाशनों की प्रतियां संसद पुस्तकालय को भेजी जाती हैं ।

(ग) दोनों परियोजनाओं की सम्मिलित रोजगार क्षमता की निम्न प्रकार से होने की संभावना है :—

1. प्रबन्धकीय	5
2. परिवेक्षणीय	99
3. लिपिकवर्गीय	51
4. श्रमिक	650
योग	805

(घ) भारत सरकार औद्योगिक कम्पनियों को सीधे कोई अनुदान नहीं देती है।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा के राज्यों में अनुभाग अधिकारियों को कार्यकारी प्रशिक्षण

5734. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के राज्यों में अनुभाग अधिकारियों को कार्यकारी प्रशिक्षण देने की किसी योजना पर मन्त्रिमंडल सचिवालय के प्रशिक्षण डिवीजन द्वारा किये गये मूल्यांकन की रिपोर्ट सरकार को पेश कर दी गई है;

(ख) यदि हाँ, तो इस रिपोर्ट में क्या मुख्य सिफारिशें की गयी हैं;

(ग) क्या इसमें प्रशिक्षण पूरा करने वाले अधिकारियों को अग्रिम वार्षिक-वृद्धियां या द्रुत पदोन्नति के रूप में प्रोत्साहन देने की भी सिफारिश की गई है; और

(घ) यदि हाँ, तो इन सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्यमन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) से (घ) : रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं :-

1. **प्रशिक्षण की अवधि** : प्रशिक्षण की 16 महीने की वर्तमान अवधि समुचित है।

3. **प्रशिक्षणार्थियों का स्तर** : अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में 3 वर्ष की सेवा वाले वे अधिकारी जिनकी आयु 30 वर्ष और 45 वर्ष के दरम्यान हो, उन्हें प्रशिक्षण के लिए पात्र माना जाये।

2. **प्रशिक्षण के तत्व** : प्रशिक्षणार्थियों की कार्यकारी प्रशिक्षण के दौरान और केवल इस बात पर ही न दिया जाये कि वे दूसरे अधिकारियों को कार्य करते हुये देखते रहे बल्कि उन्हें स्वयं भी जिला-हैडक्वार्टर्स सहित कार्य क्षेत्र के वास्तविक कार्यों में संलग्न रहना चाहिए, ताकि उन्हे कानूनी प्रक्रिया का अच्छा ज्ञान हो सके और उनका व्यवहार कुशल दृष्टिकोण उन्नत हो सके।

4. **प्रोत्साहन** : कार्यकारी प्रशिक्षण के लिए चुने गये अधिकारियों को उन्हें दिल्ली में प्राप्त सामान्य वेतन और भत्तों के अलावा उचित मुआवजा-भत्ता दिया जाये ताकि

वे दो जगहों का खर्च बर्दाश्त कर सकें। कार्यकारी प्रशिक्षण पर जाने से पहले जिन अधिकारियों के पास सरकारी आवास है उन्हें प्रशिक्षण की अवधि में उसे सामान्य शर्तों पर रखने की इजाजत दी जाये। केन्द्रीय सचिवालय सेवा के किसी अधिकारी ने यदि कार्यकारी प्रशिक्षण लिया हो तो उस प्रशिक्षण को उसकी पदोन्नति पर विचार करते समय एक अतिरिक्त योग्यता माना जाए। प्रोत्साहनों को छोड़कर, अन्य मुख्य सिफारिशें स्वीकार करने योग्य हैं। प्रोत्साहनों के मामले में यह प्रस्ताव है कि उन पर तीसरे वेतन आयोग द्वारा यथासमय अपनी रिपोर्ट में दिये गये सुझावों के आधार पर विस्तार से विचार किया जाय।

केन्द्रीय सेवा सचिवालय में उप-सचिव के पदों पर नियुक्ति के लिए चयन सूची

5737. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सलैक्शन ग्रेड की प्रथम रचना के बाद से केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अवर सचिवों की उप-सचिव के पदों पर नियुक्ति के लिए चयन सूची में उनके नाम शामिल करने के लिए अर्हता की समय-समय पर लागू शर्तें क्या है;

(ख) क्या यह बात स्वीकार कर ली गई है कि सामान्यतया चयन सूची में शामिल व्यक्तियों के पाँचवे भाग से अनेधिक व्यक्ति ही योग्यता के आधार पर चुने जायेंगे और क्या गत पाँच वर्षों में यह शर्त किसी समय लागू नहीं की गई; यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) प्रत्येक वर्ष में चयन सूचियाँ निकालने के लिए कौन सी तिथियां निश्चित की गई हैं ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सेलेक्शन ग्रेड की रचना अक्तूबर, 1955 में हुई। उसके बाद केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 अधिकारियों की सेलेक्शन ग्रेड में पदोन्नति के लिए चयन सूचियां योग्यता के आधार पर बनाई गई, और योग्यता के आधार पर चुनाव करने की सरकार द्वारा निर्धारित रीति का पालन किया गया। अक्तूबर, 1962 में इस सेवा अन्य ग्रेडों के साथ-साथ ग्रेड-1 और सेलेक्शन ग्रेड को समाविष्ट करते हुए केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियम बनाये गये, और जैसा कि इन नियमों में अपेक्षित है, ग्रेड-1 और सेलेक्शन ग्रेड में पदोन्नति के नियम भी नवम्बर, 1964 में घोषित किये गये। इस समय केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सेलेक्शन ग्रेड के लिए चयन सूचियां पदोन्नति के इन्हीं नियमों के अनुसार बनाई जा रही है।

(ख) जी नहीं श्रीमान्।

(ग) चयन सूचियां निकालने के लिए कोई तिथियां निश्चित नहीं हैं। तथापि, बिना अनुचित देरी किए इन चयन सूचियों को तैयार करने और जारी करने के लिए एक समयावधि का पालन किया जा रहा है।

पंजाब और हरियाणा से उद्योग स्थापित करने के लिये आवेदन-पत्र

5738. **श्री भानसिंह भौरा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में उद्योग स्थापित करने के लिये पंजाब और हरियाणा से लघु उद्योग निदेशक को कितने आवेदन-पत्र मिले हैं; और

(ख) उद्योग स्थापित करने सम्बन्धी कितने आवेदन-पत्र स्वीकार किये गये हैं और कितने रद्द किये गये हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) लघु उद्योग स्थापित करने के लिये सामान्य रूप से सरकार से कोई मंजूरी अथवा लाइसेन्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती है ।

Shortage and Black Market of Cement

5739. **Shri K. Mallanna** : Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that cement is being sold in black market in the country these days;

(b) whether such shortage of cement occur once in a year but even then it continues to be available in the black market; and

(c) if so, whether Government contemplate to take any measures for removing this shortage on a permanent basis ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) & (b) : Normally, during the poriod May to September every year, local shortages of cement arise in certain regions in the country due to diversion of railway wagons for the movement of food grains.

(c) Various measures are being implemented to remove these seasonal shortage like improving the wagon supply position, increasing production of cement, transporting cement to scarcity areas even over longer leads at higher freights, creation of cement dumps near such areas and thereafter moving it by road and/or rail etc. Further, the State Governments have also been empowered to fix the selling price For instance, the Delhi Administration has issued an order on the 28th April 1972, bringing cement under the purview of the Delhi Specified Articles (price control) Order, 1971, fixing the retail price of cement in the Union Territory of Delhi.

Alleged looting of Cash from a Delhi Milk Scheme Employee in Paharganj, New Delhi

5740. **Shri K. Mallanna** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether some robbers looted the eutire cash from the possession of a Delhi Milk Scheme employee in Paharganj in broad.day light a few days ago;

(b) whether the robbers had fired shots in the air also;

(c) whether the robbers have not so far been apprehended; and

(d) if so, the full facts in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Monsin) : (a) Yes.

(b) No.

(c) They have not been apprehended so far.

(d) Shri K. L. Verma Cashier in the Delhi Milk Scheme was on cash collection duty in the morning of 24.5.1972 in vehicle No. DLL 1724. He collected a sum of Rs. 3629.44

from four milk booths located at different places in Paharganj area and at about 7.15 A. M. he reached milk booth No. 279 in Nehru Bazar and received a sum of Rs. 77. .38P from that Depot, bringing total amount collected to Rs. 4401.82P. He kept his bag on the table of the booth containing the entire money along with Rs. 40/- his personal money, some official documents and a book on Shakespear. As he was signirg the sale proceed statement, a young boy aged about 22/24 years entered the milk booth and asked for change of Rs. 10 Shri K. L. Vermani refused to oblige, and continued signing the sale proceed statement. The young boy picked the cash bag from the table and ran towards Doctor's Lane. Shri K. L. Vermani raised an alarm and chased the boy. The van staff also joined in the chase. At a distance of about 60 yards from the milk booth, the boy passed over the bag to one of the two boys of his age group standing near a waiting chocolate coloured Ambassador car No. DLK-3902. When Shri K.L. Vermani reached the boy, he threatened him with some weapon resembling a pistol. All the three boys escaped in the car towards Basant Road. A case has been registered under FIR No. 321 dated 24.4.1972 u/s 392 IPC P. S. Pahargani Delhi. The particulars of the car No. DLK-3902 were traced. It is a Fiat car owned by a lecturer Mr. Ram Sharma resident of C-9 Nizamuddin. It shows that the culprits were using fictitious number plates. The culprits have not been apprehended so far. Investigation is in progress.

कार्मिक दल (टास्क फोर्स) का मध्यप्रदेश डाकू-ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा

5741 श्री एम० राजंगम : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार द्वारा बनाये गये कार्मिक दल ने 22 और 23 अप्रैल, 1971 को मध्य प्रदेश में डाकू-ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो डाकूओं के आतंक को समाप्त करने के लिए इस दल ने क्या उपाय सुझाये हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्र द्वारा किस प्रकार की और कितनी सहायता दी जायेगी ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) । दल, जिसका गठन चम्बल घाटी क्षेत्र में डकैती उन्मूलन के लिए योजना तैयार करने हेतु किया गया था, स्वयं को मौके पर ही समस्याओं से परिचित कराने और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श करने के लिए उस क्षेत्र में गया था । जब केन्द्रीय सहायता, यदि कोई हो, पर विचार किया जायगा, तो दल यथा समय अपनी सिफारिश देगा ।

डाक विभाग के न्यस्त डाक अनुभाग (पोस्ट रेस्टेन्टे सैक्शन) का विस्तार

5742 श्री एम० राजंगम : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक विभाग के न्यस्त डाक अनुभाग (पोस्ट रेस्टेन्टे सेक्शन) को जनता के लिए अधिक उपयोगी और लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से सरकार का विचार देश के सभी बड़े नगरों में उसका विस्तार करके उसमें तदनुसार कर्मचारी रखने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) न्यस्त डाक (पोस्त रेस्तांत) सेवा संतोषजनक ढंग से काम कर रही है और जो लोग इससे लाभ उठाना चाहते हैं, उनकी आवश्यकताएं समुचित ढंग से पूरी कर रही है । इसलिए इस सेवा का विस्तार करने या डाकघरों में सम्बन्धित अनुभागों में पर्याप्त स्टाफ रखने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

साधारण डाक से डालर और स्टर्लिग का प्राप्त होना

5743 **श्री एम० राजंगम** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में विभिन्न पतों पर साधारण डाक से डालर और स्टर्लिग मुद्रा की भारी नकद राशि प्राप्त की जाती है,

(ख) यदि हाँ, तो ऐसी कितनी राशि प्रति माह प्राप्त की जाती है, और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी नहीं। भारतीय डाकघर विदेशों से साधारण या रजिस्ट्री डाक से आने वाली ऐसी डाक वस्तुएं स्वीकार नहीं करते।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) यदि किसी डाक वस्तु के बारे में यह सन्देह होता है कि उसके भीतर ऐसी चीजें रखी हुई हैं जिनसे सरकारी आदेशों का उल्लंघन होता है, तो वह वस्तु सीमाशुल्क अधिकारी के पास सीमा-शुल्क विनियमों के अन्तर्गत आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाती है।

अखबारी कागज के नियतन की नीति के बारे में इन्डियन एण्ड ईस्टर्न न्यूज पेपर्स सोसाइटी के अध्यक्ष का वक्तव्य

5744. **श्री एम० राजंगम** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इण्यिन एण्ड ईस्टर्न न्यूज पेपर्स सोसाइटी के अध्यक्ष के उस वक्तव्य को देखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि अखबारी कागज के नियतन की नई नीति का समाचार पत्रों की अर्थव्यवस्था और विकास पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) प्रत्यक्ष रूप से इस बात पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि समाचार पत्रों की अर्थ-व्यवस्था विकास पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। तथापि, सरकार किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हाल ही में नियुक्त तथ्य अन्वेषक समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा करना चाहेगी।

तमिलनाडु में मध्यम दर्जे के उद्योग

5745. **श्री एम० राजंगम** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में मध्यम दर्जे के कितने उद्योग हैं और इनमें कौन-कौन सी वस्तुओं का उत्पादन होता है ;

(ख) राज्य में उन उद्योगों पर कुल कितनी पूंजी लगी हुई है; और

(ग) इनमें कितने व्यक्ति काम करते हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). मध्यम

क्षेत्र के उद्योगों के अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते। बड़े और मध्यम क्षेत्र के उद्योगों का अलग से वर्गीकरण भी नहीं है।

बम्बई और महद के बीच तार और टेलीफोन लाइनें

5746. **श्री शंकरराव सावन्त** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1971 से 31 मार्च, 1972 तक बम्बई और महद के बीच कितनी बार तार और टेलीफोन लाइनें खराब हुई;

(ख) दोनों लाइनें खराब होने के क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है,

(ग) 1 अप्रैल, 1971 से 31 मार्च, 1972 के दौरान उक्त दो स्थानों के बीच कितनी तारें डाक द्वारा भेजी गई जहां टेलीफोन और तार लाइनें खराब थीं; और

(घ) क्या तार भेजने के लिए वसूल की गई धन-राशि, जितनी डाक सेवा से अधिक ली गई थी, प्रेषकों को लौटाई गई थी. और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवन्ती नन्दन बहुगुणा) (क) 189 बार।

(ख) यह मुख्य रूप से तांबे के तारों की चोरी के कारण हुआ है। इनकी जगह मुलम्मा चढ़े लोहे के तार लगा दिये जायेंगे।

(ग) बम्बई से महद को	.....	3,896
महद से बम्बई को	.....	6,616
कुल	.. ...	10,512

(घ) जी हां, जब कभी उचित पाया गया, यह धन-राशि लौटा दी गई थी।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए टेलीफोन सलाहकार समितियां

5747. **श्री शंकरराव सावन्त** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई और पूना जैसे नगरों के लिए टेलीफोन सलाहकार समितियों की तरह ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी ऐसी सलाहकार समितियाँ बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख). जिन एक्सचेंजों की अपनी सलाहकार समितियाँ हैं, उन्हें छोड़कर मंडलों के आधार पर टेलीफोन सलाहकार समितियां बनाने का प्रश्न इस समय सरकार के विचाराधीन है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

नया टेलीफोन प्राप्त करने के लिए तीन सौ रुपये जमा करवाना

5748. **श्री मोहनस्वरूप** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नया टेलीफोन प्राप्त करने के लिए स्थापन खर्च, तिमाही किराये के अतिरिक्त उपभोक्ता को तीन सौ रुपये भी डाकखाने में जमा करने को कहा जाता है,

(ख) क्या अग्रिम किराये की उपरोक्त धनराशि पर कोई ब्याज दिया जाता है, और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उस अग्रिम किराये की राशि का ब्याज उपभोक्ताओं को अदा करने का है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) सिर्फ प्रमाणित दर प्रणाली वाले क्षेत्रों में 'अपना टेलीफोन योजना' के अलावा अन्य टेलीफोन कनेक्शन लेने के इच्छुक प्रत्येक टेलीफोन उपभोक्ता को टेलीफोन कनेक्शन देने से पहले उससे तिमाही किराये और स्थापना शुल्क के अलावा एक वर्ष का पेशगी किराया भी लिया जाता है । यह किराया टेलीफोन कनेक्शन के किसी टेलीफोन प्रणाली के स्थानीय क्षेत्र के भीतर होने पर 320 रुपये या 400 रुपये हैं ।

उत्तर प्रदेश के टेलीफोन और डाक डिवीजनों में कर्मचारियों की कमी

5749. श्री मोहन स्वरूप : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सर्किल के टेलीफोन तथा डाक डिवीजनों में श्रेणी 3 के कर्मचारियों की कमी है,

(ख) क्या पूर्ण संख्या में कर्मचारी न होने के कारण कार्य में अपेक्षित दक्षता सम्भव नहीं है,

(ग) कार्य के लिए कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है और वास्तव में वहां कितने कर्मचारी हैं, और

(ग) उत्तर प्रदेश सर्किल के विभाग के उपरोक्त दोनों भागों में अपेक्षित दक्षता लाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) कार्यालयों में अस्थायी तौर पर कर्मचारियों की कमी होती रहती है जिसे नयी भर्ती करके और कर्मचारियों को समयोपरि काम के लिए भत्ता देकर पूरा किया जाता है ।

(ख) इसका प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि आवश्यक स्थानों पर कर्मचारी रखने और दक्षता बनाए रखने के लिये प्रयत्न किये जाते है ।

(ग) **आवश्यक कर्मचारी**

डाक सम्बन्धी···15674

टेलीफोन सम्बन्धी···6143

काम पर लगे कर्मचारी

डाक सम्बन्धी···14289

टेलीफोन सम्बन्धी···5638

(घ) इससे यह स्पष्ट है कि कर्मचारियों की कमी 8 प्रतिशत है जिसे दूर करने के लिए

शीघ्रता से भर्ती की जा रही है । कार्यालयों में दक्षता बनाये रखने के लिए और स्टाफ की कमी पूरी करने के लिये अल्पकालिक कर्मचारियों से भी काम लिया जा रहा है ।

दिल्ली में पकड़े गये निषिद्ध सोने के बिस्कुटों को बनाने वाली फैक्टरी

5750. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नई दिल्ली में एक ऐसी फैक्ट्री पकड़ी गई थी जो निषिद्ध सोने के बिस्कुट बनाती थी;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये तथा वहाँ से कितनी मात्रा में सोना पकड़ा गया; और

(ग) इस प्रकार की गति विधियों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां ।

(ख) दो व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे । एक कार, प्रेसें, डाईयां, बिजली की मोटर, रासायनिक बैट्री सैल, कन्टैनर, 41 निषिद्ध सोने के बिस्कुट और 9 अपरिष्कृत बिस्कुट तथा अन्य उपकरण बरामद हुए ।

(ग) इस मामले में शामि । अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार करने, निषिद्ध सोने के बिस्कुट बनाने में कच्चे माल के स्रोत, बेचने के तरीके और उन ऐजेन्टों का जिनके माध्यम से निषिद्ध सोने के बिस्कुट बेचे जा रहे थे, पता लगाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं । इस मामले में जांच की जा रही है ।

भारी पानी (हैवी वाटर) का निर्यात

5751. **श्रीकृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार भारी पानी (हैवी वाटर) का दूसरे देशों को निर्यात कर रही है;

(ख) क्या सरकार अपने देशों में ही भारी पानी (हैवी वाटर) का उपयोग करने के लिये प्रयास कर रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, इलैक्ट्रानिकी मन्त्री, गृह मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, हाँ ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

औद्योगिक क्षेत्रों में उत्पादन

5752. **श्री कृष्ण चंद्र पांडे** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चौथी पंचवर्षीय योजनाविधि के दौरान विभिन्न मुख्य औद्योगिक क्षेत्रों में अनुमानित उत्पादन स्तर

की तुलना में उत्पादन का वास्तविक स्तर क्या रहा है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : एक विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2002/72]

निर्यात किये जाने वाले चलचित्रों पर कड़ा सेंसर

5753. **श्री कृष्णचन्द्र पाण्डे** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय जीवन और संस्कृति का वास्तविक प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करने के लिये निर्यात किये जाने वाले चलचित्रों के सेंसर पर कड़े नियंत्रण के बारे में समय समय पर विभिन्न सुझाव प्राप्त होते रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) प्राक्कलन समिति ने (अपनी द्वितीय रिपोर्ट, 1967-68) में तथा फिल्म सेंसर सम्बन्धी जांच समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ विदेशों में प्रदर्शन हेतु नियत फिल्मों का केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा सेंसर किए जाने की सिफारिश की थी।

(ख) केवल उन्हीं फिल्मों के निर्यात की अनुमति दी जाती है जो या तो केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा प्रमाणित हों अथवा भारत से बाहर प्रदर्शन हेतु निर्यात की जाने वाली भारतीय फिल्मों की जांच के लिए वित्त मन्त्रालय द्वारा गठित सलाहकार मण्डल, जिसमें केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड का प्रतिनिधि भी शामिल हैं, द्वारा स्वीकृत हों।

आकाशवाणी से व्यापारिक प्रसारण

5754 **श्री कृष्णचन्द्र पांडे** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1971-72 में व्यापारिक प्रसारणों से कितनी आय होने का अनुमान है; और

(ख) वर्ष 1972-73 में इस सेवा का विस्तार करने के लिये अग्रेतर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) कुल आय 4,23,00,000 रुपए है।

(ख) 1971-72 के दौरान वाणिज्यक प्रसारण सेवा का विस्तार किसी नए केन्द्र में नहीं किया गया। किन्तु अगले दो वर्ष के दौरान इस सेवा का 10 और केन्द्रों में विस्तार करने का प्रस्ताव है।

नेफा में रेडियो स्टेशनों की स्थापना

5755. **श्री कृष्णचन्द्र पांडे** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेफा में पांच रेडियो स्टेशनों की स्थापना के सम्बन्ध में सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है और यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है;

(ख) क्या नेफा के पश्चिमी भाग के लिए एक और अधिक शक्तिशाली स्टेशन स्थापित करने का कोई निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो निर्णय की रूपरेखा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) और (ख): नेफा प्रशासन, जिनको सर्वेक्षण करने के लिए कहा गया था, ने बाद में रिपोर्ट दी कि उस क्षेत्र में लघुशक्ति के ट्राँसमिटर वाले बड़ी संख्या में रेडियो स्टेशनों के स्थान पर वे डिब्रूगढ़ के उच्चशक्ति के ट्रांसमिटर, जो पूर्वी नेफा को कवर करता है, को ज्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए पश्चिमी नेफा के लिए तेजपुर में एक उच्चशक्ति का ट्रांसमिटर लगाना ज्यादा पसन्द करेंगे। तदनुसार तेजपुर में एक उच्चशक्ति का ट्राँसमिटर लगाने के लिये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है।

(ग) इस पर 90 लाख रुपये खर्च आने का अनुमान है जिसमें ट्रांसमिटर, स्टुडियो, स्टाफ के मकान तथा श्रवण सुविधाएं सम्मिलित हैं।

आर० एम० एस० क्लास III एम्पलाइज यूनियन, मदुरे

5756. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में आल इण्डिया आर० एम० एस० एम्पलाइज यूनियन क्लास III की मदुरै शाखा से कोई अभ्यावेदन मिला है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका सारांश क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) डाक-तार बोर्ड को हाल ही में अखिल भारतीय आर०एम०एस० कर्मचारी यूनियन श्रेणी III से कोई अभ्यावेदन नहीं मिला है। प्रशासन और स्टाफ के बीच वार्तालाप के लिए जो पद्धति निर्धारित है उसके अनुसार मान्यता प्राप्त यूनियनों/एसोसिएशनों से केन्द्रीय स्तर पर जो ज्ञापन/अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं, सिर्फ उन्हीं पर आवश्यक कार्यवाही करने के लिए डाक-तार बोर्ड के स्तर पर विचार किया जाता है। यूनियनों की शाखाओं से आने वाले अभ्यावेदनों/ज्ञापनों पर नीचे समुचित स्तर पर विचार किया जाता है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

इलैक्ट्रिक बाँयलिंग स्पिरिट का भण्डार बनाने के लिए केरल, तमिलनाडु और मैसूर से प्राप्त विचाराधीन आवेदन-पत्र

5757. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1972 को चीफ इन्सपैक्टर्स आफ एक्सप्लोसिव्स, नागपुर के पास केरल, तमिलनाडू और मसूर स्थित औद्योगिक एककों द्वारा इलैक्ट्रिकल बाँयलिंग स्पिरट का भण्डार बनाने के लिए कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन थे,

(ख) क्या इस अधिकारी के विरुद्ध किसी उद्योग से अथवा जनता के अन्य वर्गों से कोई शिकायतें मिली हैं, और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गयी हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) ऐसा समझा जाता है कि अपेक्षित जानकारी "स्पेशल वायलिंग प्वाइन्ट स्प्रिट" (जिसे एस० पी० वी० स्प्रिट एन-हेक्साने नाम से भी बेचा जाता है) तथा एक रासायनिक उत्पाद है और अनेक उद्योगों में विलेयक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है के स्टोरेज के लिए प्राप्त आवेदन-पत्रों के सम्बन्ध में है । विस्फोटकों के प्रमुख निरीक्षक, नागपुर के पास अनिर्णीत पड़े आवेदन पत्रों की स्थिति इस प्रकार है :—

केरल	2
तामिनाडू	1
मैसूर	1

(ख) और (ग) ऊपर (क) में उल्लिखित चार मामलों में से केवल एक पार्टी से तथा उन्हीं के लिए ट्रावनकोर चैम्बर आफ कामर्स, अलेप्पी से लाइसेंस जारी करने में हुए विलम्ब के सम्बन्ध में एक शिकायत प्राप्त हुई है । जैसे ही इस शिकायत का नागपुर विस्फोटकों के प्रमुख निरीक्षक को पता चला प्रस्ताव की जाँच की गई तथा सैद्धान्तिक स्वीकृति की सूचना दे दी गई ।

लाइसेंस मंजूर करने के लिए शुल्क तथा अन्य आवश्यक दस्तावेजों के सम्बन्ध में अतिरिक्त जानकारी पार्टी से मांगी गई है ।

चौथी पंचवर्षीय योजना में केरल में उद्योगों की स्थापना

5758. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में केरल राज्य में कितने उद्योग स्थापित किये गये हैं; और

(ख) उनका जिलावार ब्यौरा क्या हैं ?

ओद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) अब तक केरल राज्य में केन्द्रीय क्षेत्र अन्तर्गत स्थापित योजनायें निम्न प्रकार हैं :—

1. हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स, अलवाय	(जिला इरनाकुलम)
2. एच० एम० टी०, कलमशोरी	(वही)
3. कोचीन रिफाइनरी, कोचीन	(वही)
4. एफ० ए० सी० टी०, अलुवाय	(वही)
5. कोचीन फर्टीलाइजर्स, कोचीन	(वही)
6. रेयर अर्ज फैक्टरी, अलुवाय	(वही)

निम्नलिखित केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना/पूरा करने के लिए चतुर्थ पंच वर्षीय योजना में प्रावधान किया गया है :—

1. सैंकिड शिपयार्ड, कोचीन	(जिला इरनाकुलम)
2. एफ० ए० सी० टी० (विस्तार का 4 चरण), अलुवाय	(वही)
3. कोचीन फर्टिलाइजर, कोचीन	(वही)
4. कोचीन रिफाइनरी विस्तार)	(वही)
5. ट्रावनकोर टिटानियम (केन्द्रीय हिस्सेदारी) अलुवाय	(वही)
6. प्लांटेशन (केन्द्रीय हिस्सा)	(वही)

केरल राज्य के लिए विगत तीन वर्षों की अवधि में, गैर सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत प्राप्त औद्योगिक लाइसेंस आवेदन पत्रों और जारी किए गये लाइसेंसों एवं आशयपत्रों की संख्या नीचे दी जाती है :—

वर्ष	उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 में अधीन प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	जारी किए गए लाइसेंसों की संख्या	जारी किए किये आशयपत्रों की संख्या
1969	45(21)	2(1)	10(3)
1970	46(20)	10(1)	15(8)
1971	45(21)	7(—)	25(10)

टिप्पणी : कोष्टक में दिये गये आंकड़े नये औद्योगिक उपक्रमों के बारे में है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त विगत तीन वर्षों में उद्योग निदेशक, केरल द्वारा पंजीकृत लघु उद्योगों की संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	31 दिसम्बर को समाप्त	वर्ष की अवधि में
1969	7873	
1970	10554	2681
1971	12682	2128

इन लघु उद्योगों का जिलेवार ब्यौरा प्राप्त नहीं है।

चौथी पंचवर्षीय योजना में केरल में लघु उद्योगों के लिए धन की व्यवस्था

5759. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय सरकार ने केरल राज्य को लघु उद्योग स्थापित करने के लिए कितनी धन राशि दी है,

(ख) अब तक कितनी धन राशि का उपयोग किया गया है, और

(ग) स्थापित किये जाने वाले नये उद्योगों का ब्यौरा क्या है और किन उद्योगों में क्षेत्रवार कार्य आरम्भ हो गया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिक बस्ती बसाने तथा लघु उद्योगों की स्थापना हेतु संघ सरकार द्वारा केरल राज्य के लिए 462 लाख रुपये का आबंटन किया गया था ।

(ख) मार्च, 1972 के अन्त तक 240.21 लाख रुपये खर्च किये गये थे ।

(ग) राज्य सरकार से सूचना देने का अनुरोध किया गया है जो प्राप्त होने पर सभापटल पर रख दी जायेगी ।

Setting up of Factory near Forest Area in Bihar

5760 **Shri Ishwar Chaudhary** : will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration any scheme to set up any factory near the forest area in Bihar; and

(b) if so, the main features thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

उत्तर-प्रदेश में सेन्चुरी पल्प द्वारा कागज बनाने के कारखाने लगाना

5761. श्री ए० शफी : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त उपक्रम योजना के अन्तर्गत सेन्चुरी पल्प (एक एकाधिकारी गृह) द्वारा उत्तर प्रदेश में कागज बनाने का एक कारखाना स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है, और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य बातें क्या हैं और वन उत्पाद के नियतन के सम्बन्ध में इस क्षेत्र में लाइसेंस प्राप्त एकक पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) योजना उत्तर प्रदेश में नैनीताल जिले के तराई क्षेत्र में उपलब्ध कच्चे माल पर आधारित है और उसमें (1) 30,000 मी० टन रसायनिक पल्प (2) 20,000 मी० टन विलीय ग्रेड पल्प (3) 10 000 मी० टन स्पेशलिटी (विशिष्ट) पल्प (4) संयंत्र और मशीनरी के अधिकाधिक प्रयोग के आधार पर प्रति वर्ष 30,000 मी० टन लिखने और छापने में काम आने वाले कागज के निर्माण का विचार है । इस यूनिट की स्थापना से क्षेत्र में लगे अन्य औद्योगिक यूनिटों के लिये कच्चे माल की उपलब्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान आंध्र प्रदेश में लघु उद्योगों की स्थापना

5762. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गत तीन वर्षों में आंध्र प्रदेश के पिछड़े जिलों में कौन-कौन से लघु उद्योग स्थापित किए गये :

(ख) उनको वित्तीय मामलों संबंधी प्रशिक्षण, विद्युत, क्रय-विक्रय की तथा अन्य क्या सुविधायें दी गई हैं,

(ग) उक्त राज्य के पिछड़े जिलों में, जिलावार, वर्ष 1972 और वर्ष 1973 में कौन-कौन से लघु उद्योग स्थापित करने का विचार है, और

(घ) इस प्रयोजन के लिए कितनी धन-राशि नियत की गई है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). राज्य सरकार से आवश्यक सूचना देने का अनुरोध किया गया है जो प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) वर्ष 1972-73 में कुटीर तथा लघु उद्योगों के लिए अनुमोदित कुल परिव्यय 152 लाख रुपये है।

आन्ध्र प्रदेश द्वारा शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों के लिए मांगी गयी वित्तीय सहायता

5763. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने शिक्षित व्यक्तियों में बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिये एक योजना प्रस्तुत की है और इस प्रयोजन के लिये वित्तीय सहायता माँगी है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) कितनी धन राशि दी गई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) : 1971 में आन्ध्र प्रदेश सरकार ने जो प्रस्ताव भेजे थे उन सात मुख्य वर्गों की स्कीमों के लिये चौथी योजना अवधि के दौरान 1365 लाख रुपये का परिव्यय चाहिये था। स्कीमों के ये सात मुख्य वर्ग हैं चिकित्सा तथा जनस्वास्थ्य इन्जीनियरी (35 लाख रूपये) कृषि उद्योग निगम (26 लाख रुपये) औद्योगिक स्कीमों (696 लाख रुपये), आद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के तकनीशियन को अपना धन्धा शुरू करने के लिये (205 लाख रुपये), सिविल इन्जीनियरी तथा अन्य (389 लाख रुपये) तथा मुद्रण उद्योग बस्ती के लिये (14 लाख रुपये)। राज्य सरकार ने इतनी ही केन्द्रीय सहायता की भी मांग की थी। परन्तु वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण 1971-72 में इन पर विचार नहीं किया जा सका। 1972-73 के वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुये योजना आयोग ने राज्य सरकार को सलाह दी है कि वह रोजगार चाहने वालों के लाभ के लिये समुचित विशेष रोजगार कार्यक्रम तैयार करे। इस प्रयोजन से राज्य सरकार को 1972-73 में अधिक से अधिक 2.13 करोड़ रुपये तक केन्द्रीय सहायता भी दी जा सकती है परन्तु ऐसा यह मानकर किया जायेगा कि इस प्रकार के विशेष कार्यक्रमों के लिये कम से कम उतनी ही मात्रा में राज्य सरकार भी अतिरिक्त संसाधन जुटायेगी। तदनुसार राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह 1972-73 के लिये 4.26 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा के अंतर्गत विस्तृत स्कीमें तैयार करें और उन्हें शीघ्र योजना आयोग के विचारार्थ भेज दें।

सैन्ट्रल इलेक्ट्रानिक्स एन्डइन्जीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, पिलानी द्वारा अर्जित रायल्टी का वितरण

5764. **श्री शिवनाथ सिंह :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सैन्ट्रल इलैक्ट्रानिक्स एण्ड इन्जनियरिंग रिसर्च इस्टीट्यूट, पिलानी (राजस्थान) द्वारा निकाली गई मदों पर 31 मार्च, 1972 तक कितनी रायल्टी अर्जित की गई है और वह राशि किस-किस को दी गई है; और

(ख) रायल्टी प्राप्त करने वाले व्यक्तियों में रायल्टी की राशि वितरित करने का मापदंड क्या है ?

योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) (क) सैन्ट्रल इलैक्ट्रोनिक्स इन्जीनियरी रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पिलानी की एन० आर० डी० सी० द्वारा वितरित प्रविधियों पर अर्जित रायल्टी/प्रीमियम की राशि का 21 दिसम्बर, 1971 तक उपलब्ध विवरण निम्नलिखित है:—

(1) प्रीमिया और रायल्टी के रूप में एन० आर० डी० सी० द्वारा प्राप्त कुल धनराशि रु0 6, 17, 631.00

(2) उत्पादनरत प्रक्रमों के लिये एन० आर० डी० सी० से सी० एस० आई० आर० द्वारा प्राप्त की गई धनराशि रु० 3, 38, 192.00

(3) सी० एस० आई० आर० द्वारा सी० ई० ई० आर० आई० पिलानी को हस्तांतरि त की गई धनराशि रु० 65, 800.00

(4) सी० एस० आई० आर० द्वारा सी० ई० ई० आर० आई०, पिलानी को हस्तांतरित की जाने वाली धनराशि रु० 1, 27, 442.00

(5) शोधकर्ताओं के अंशदान के रूप में पहले ही वितरित धनराशि रु० 65, 800.00

उपर्युक्त धनराशि को प्राप्त करने वालों के नामों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी 2003/72]

इसके अतिरिक्त अपने प्रक्रमों को स्वयं उद्योगों को देने के फलस्वरूप सैन्ट्रल इलैक्ट्रानिक्स इन्जीनियरी अनुसंधान संस्थान, पिलानी ने रु. 6000 सीधे प्राप्त किये हैं। इन प्रक्रमों का अभी तक वितरण नहीं हुआ है।

(ख) राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों द्वारा उद्योगों को दिये गये प्रक्रमों/उत्पादों द्वारा प्राप्त प्रीमिया/रायल्टी की धनराशि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की शासी सभा द्वारा स्वीकृत निम्नलिखित आधारों पर वितरित की जाती है—

(1) एन० आर० डी० सी० के माध्यम से उद्योगों के उपयोगों के उपयोग के लिये दी गयी अथवा अन्य प्रक्रमों के व्यापारिक उपयोग से प्राप्त प्रीमिया/रायल्टी।

(क) प्रयोगशाला/संस्थान के निदेशक की सिफारिश पर और कार्यकारी परिषद के परामर्श से शोधकर्ताओं एवं अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों को ... 40%

(ख) राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम··· 30%

(ग) सी० एस० आई० आर० (औद्योगिक अनुसंधान कोष)··· 30%

(2) जब उपक्रमों के पेटेन्ट सीधे सी० एस० आई० आर० द्वारा उद्योगों को दिये जाते हैं:

(क) प्रयोगशाला/सस्थान के निदेशक की सिफारिश पर और कार्यकारी परिषद के परामर्श से शोधकर्ता एवं अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों को··· 40%

(ख) सी० एस० आई० आर० (औद्योगिक अनुसंधान कोष)··· 60%

वर्ष 1970 और 1971 में उत्तर प्रदेश के डाक कर्मचारियों का मुअत्तिल किया जाना

5765. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970 और 1971 में उत्तर प्रदेश सर्किल में धोखाधड़ी के सन्देह में अथवा अनुशासन के छोटे-मोटे उल्लंघन के कारण कितने डाक कर्मचारियों को मुअत्तिल किया गया;

(ख) कितने मामलों का सामयिक पुनर्विलोकन किया गया और कितने मामले मुकदमा चलाने के लिये न्यायालय को भेजे गये;

(ग) कितने मामलों में मुअत्तिल होने का समय एक वर्ष से अधिक हो चुका है और उनका शीघ्र निपटान करने के लिए समय पर और नियमित रूप से क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) वर्ष 1970 और 1971 में (एक) धोखाधड़ी के सन्देह (दो) छोटी-मोटी अनियमितताओं के कितने मामले अन्तिम रूप से निपटा दिये गये हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ऐसे मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) उत्तर प्रदेश सर्किल में वर्ष 1970 में 121 और वर्ष 1971 में 115 डाक कर्मचारियों को मुअत्तल किया गया।

(ख) सभी मामलों का सामायिक पुनर्विलोकन किया गया। उनमें से 38 मामले मुकदमा चलाने के लिए न्यायालय को भेजे गये।

(ग) 96। वे मामले जिनमें पुलिस की तफतीश पूरी नहीं हुई है, उनके बारे में पुलिस अधिकारियों से लिखा-पढ़ी की गई है और उनसे व्यक्तिगत रूप से भी सम्पर्क स्थापित किया गया है ताकि वे अपनी तफतीश जल्दी पूरी करें। मंडल डाक अधिकारियों से भी कहा गया है कि वे अनुशासन सम्बन्धी मामलों का यथाशीघ्र निपटारा करें अथवा यदि वे उचित समझें तो मुअत्तली मंसूख कर दें ।

		वर्ष 1970	वर्ष 1971
(घ)	धोखाधड़ी के सन्देह के मामले	2	12
	छोटी-मोटी अनियमितताओं के मामले	22	30

(ङ) हर महीने नियमित रूप से इन मामलों की छान-बीन की जाती हैं और मंडल अधीक्षकों से कहा जाता है कि वे मुअत्तिली सम्बन्धी मामलों का जल्दी ही निपटारा करें।

राजनीतिक दलबदल रोकने के लिये कानून बनाया जाना

5766. श्री **बनमाली पटनायक** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजनीतिक दलबदल रोकने के लिये कानून का मसौदा तैयार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो यह कानून कब तक पेश करने का विचार हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख):—गृह मंत्रालय की अनुदान-मांगों पर बहस का उत्तर देते समय प्रधान मंत्री ने सरकार के विचाराधीन इस सम्बन्ध में विधान के क्षेत्र का उल्लेख किया था। यथाशीघ्र संसद में उचित विधान पुरःस्थापित किया जाएगा।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

Calling Attention to a Matter of Urgent Public Importance

नागार्जुन परियोजना के परिव्यय में कटौती

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी (चित्तूर) : श्रीमन्, मैं सिचाई और विद्युत मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें।

आन्ध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर परियोजना के कार्यान्वित सम्बन्धी परिव्यय में बहुत अधिक कटौती कर दिये जाने और उसके परिणामस्वरूप हजारों इन्जीनियरों तथा कुशल और अकुशल कर्मकारों को सेवानिवृत्त किये जाने का खतरा पैदा हो जाने का समाचार।

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : नागार्जुनसागर परियोजना पर 1972-73 के लिए प्रस्तावित परिव्यय 7 करोड़ रुपये का है, जो गत वर्षों की तुलना में लगभग 3 करोड़ रुपये कम है। राज्य सरकार ने भारत सरकार को यह सूचित किया है कि वह 731 इन्जीनियरों, तकनीकी और लिपिक वर्ग के 1113 कर्मचारियों और चतुर्थ श्रेणी के 992 कर्मचारियों की छंटनी करने पर विचार कर रही है और उसने भारत सरकार से कुछ विशेष सहायता मांगी है ताकि इन कर्मचारियों को फिर से काम पर लगाया जा सके। इन्हें यथासंभव नौकरी देने की संभावनाओं पर, अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकार के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : सरकार को इस समस्या की गम्भीरता का पता है कि योजना परिव्यय में कटौती किये जाने पर बहुत से कर्मचारियों को हटा दिया जायेगा। मैं आशा करता हूँ कि सरकार शीघ्र ही कोई ऐसा उपाय करेगी जिससे उक्त स्थिति को टाला जा सके। इस महत्वपूर्ण परियोजना के परिव्यय में भारी कटौती किये जाने से इसके कार्यान्वियन की गति धीमी पड़ जायेगी। दुःख का विषय है कि सरकार का रवैया उदासीन रहा है।

यह परियोजना 1955 में आरम्भ की गई थी । परिव्यय की कमी के कारण योजना के पूरा होने में विलम्ब होता रहा है और इसीलिये कर्मचारियों की छंटनी भी होती रही है ।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान वक्तव्य के इस वाक्य, यथा "·····इन कर्मकारों को पुनः रोजगार देने हेतु" की ओर दिलाना चाहता हूं । उन्हें पुनः रोजगार देने का तात्पर्य यह है कि उन्हें सेवा से हटाये जाने का खतरा है और साथ ही परियोजना के कार्यान्वयन की गति भी धीमी पड़ जायेगी । अतः इन दोनों पहलुओं की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए ।

पुनरीक्षित योजना में कटौती का प्रतिशत मूल योजना की तुलना में 18.5 प्रतिशत है । यह समस्या अब एक प्रकार की स्थायी समस्या बन गई है और ऐसा केवल अभी ही नहीं हो रहा है अपितु वर्ष प्रति वर्ष तथा योजना प्रति योजना ऐसा होता आ रहा है अतः इस ओर मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिये ।

इन बातों को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि कर्मचारियों की छंटनी नहीं की जायेगी तथा राष्ट्रीय महत्व की इस परियोजना की क्रियान्विति की गति को धीमा नहीं पड़ने दिया जायेगा ।

क्या केन्द्रीय सरकार इस परियोजना के आगे के कार्यान्वयन को हाथ में लेगी अथवा श्री सैलम परियोजना को हाथ में लेगी और राज्य सरकार को इस योग्य बनायेगी कि वह इस परियोजना को समय पर पूरा करने के लिये अपेक्षित संसाधन जुटा सके ।

डा० के० एल० राव : माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है कि छंटनी को रोका जाना चाहिए, इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूँ कि यह सम्भव नहीं है कि छंटनी को पूर्णरूपेण रोका जाये फिर भी हम जो कुछ कर सकते हैं, करने का प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को काम मिला रहे, परन्तु कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता है । दुर्भाग्यवश, वहां कर्मचारी पूरी संख्या में हैं अतः हमें उनकी संख्या को थोड़ा व्यवस्थित करना होगा ।

आंध्र प्रदेश को अपनी योजना के लिए बहुत थोड़ी धनराशि मिली है जिससे परियोजना को क्षति पहुंच रही है । गैर-योजना सहायता के अतिरिक्त इस योजना के लिये राशि में वृद्धि करना संभव नहीं है ।

जहां तक परियोजना को केन्द्रीय सरकार द्वारा हाथ में लेने का प्रश्न है, ऐसा करना संभव नहीं है क्योंकि सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार प्रत्येक राज्य को अपने पांव पर खड़ा होना चाहिए ।

श्री टी० बालकृष्णैया (तिरुपति) : श्रीमन् नागार्जुनसागर परियोजना तथा श्रीसैलम परियोजना में सम्बन्धित कर्मचारी सम्बद्ध है तथा दोनों परियोजनाओं में लगभग 3000 कुशल तथा अकुशल कर्मचारी हैं, राज्य सरकार धनाभाव के कारण मई 1972 के बाद इन कर्मकारों की छंटनी करेगी जिससे राज्य में बेरोजगारी की समस्या बढ़ जायेगी । उन्हें पंचायती राज सड़क एवं भवन आदि अन्य विभागों में भी रोजगार नहीं मिल सकेगा ।

क्या मंत्री महोदय उन कर्मकारों को सेवा में रहने देने के लिए केन्द्रीय सरकार से कुछ धनराशि का आवंटन करने के लिए आग्रह करेंगे ?

आंध्र प्रदेश में बिजली की कमी के कारण एक सीमेंट कारखाने को बन्द करना पड़ा जिससे अधिक बेरोजगारी हो गई है अतः राज्य को बिजली देने के लिए श्रीसैलम परियोजना को शीघ्र पूरा किये जाने की आवश्यकता है। क्या मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में कोई आश्वासन देंगे ?

डा० के० एल० राव : माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है, ठीक ही कहा है परन्तु मैं इस बारे में कोई आश्वासन नहीं दे सकता हूँ। कुछ दिन पूर्व हमारे मंत्रालय के सचिव आंध्र प्रदेश गये थे तथा वह इस बात का विस्तार से पता लगा रहे हैं कि किस प्रकार सहायता दी जा सकती है।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : आंध्र प्रदेश के लिए धनराशि का आवंटन करने से समस्या का समाधान होगा न कि मंत्री महोदय के सद्भावनापूर्ण शब्दों से।

कई वर्ष पहले आंध्र प्रदेश में कुछ इन्जीनियरों को सेवा से हटा दिया गया था और उन्हें बस कन्डक्टर बना दिया गया था। क्या किसी राज्य अथवा केन्द्रीय सरकार के लिए ऐसा करना अपमानजनक नहीं है ? इतना ही नहीं, नागार्जुनसागर परियोजना की लागत के लिए मूलतः 90 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया था जो इसके पूरा होने में विलम्ब के कारण अब 180 करोड़ रुपये से भी अधिक हो रहा है। इस समय सुपरिंटेंडिंग इन्जीनियरों के दो सर्किल समाप्त किये जा रहे हैं। अतः 731 इन्जीनियर, 1,113 तकनीकी तथा लिपिक कर्मचारी और 992 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को सेवा से हटा दिया जायेगा। इन कर्मचारियों को सेवा से न हटाने के लिये कम से कम 3 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की जानी चाहिए। एक बार जब परियोजना का कार्य पूरा हो जाये तो उन्हें अन्य परियोजनाओं में स्थानान्तरित किया जा सकता है तथा देश के हित में उनकी कुशलता तथा अनुभव का उपयोग किया जा सकता है।

डा० के० एल० राव : आजकल प्रति वर्ष 7 करोड़ रुपये के आबंटन में से लगभग 2.7 करोड़ रुपये कर्मचारियों के वेतन आदि पर लग जाते हैं। हम यह प्रयास कर रहे हैं कि इस कटौती से जिन लोगों पर प्रभाव पड़ेगा उन्हें अन्य प्रयोजनाओं में रोजगार मिले। परन्तु कर्मचारियों आदि के व्यय को कम करना होगा अन्यथा परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कोई राशि नहीं बचेगी।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

Papers Laid on the Table

इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड, भारतीय इलेक्ट्रोनिक्स निगम लिमिटेड, और भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड, जादुगुड़ा के कार्य की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ :—

(1) (एक) इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड, बम्बई, के वर्ष 1970-71 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड, बम्बई, का वर्ष 1970-71 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1993/72]

(2) (एक) भारतीय इलैक्ट्रोनिक्स निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1970-71 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय इलैक्ट्रोनिक्स निगम लिमिटेड, हैदराबाद, का वर्ष 1970-71 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1994/72]

(3) (एक) भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड, जादूगुड़ा के वर्ष 1970-71 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड, जादूगुड़ा का वर्ष 1970-71 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ। [ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1995/72]

केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रमों का कार्यचालन सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रमों के कार्यचालन सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1996/72]

अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधि-सूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद-संख्या निर्धारण) तीसरा संशोधन विनियम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनाँक 29 अप्रैल, 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 266 (ड.) में प्रकाशित हुए थे।

(2) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 का वर्ष 1972 का पाँचवाँ संशोधन, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल, 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 267 (ड.) में प्रकाशित हुए थे।

(3) भारतीय वन सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल, 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 493 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1997/72]

कराधान विधि (संशोधन) विधेयक

Taxation Laws (Amendment) Bill

प्रवर समिति का प्रतिवेदन तथा साक्ष्य

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : मैं आय-कर अधिनियम, 1961, धन-कर अधिनियम 1957 और दान-कर अधिनियम, 1958 का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ ।

साक्ष्य

श्री भागवत झा आजाद : मैं आयकर अधिनयम, 1961, धनकर अधिनियम, 1957, और अधिनियम, और धन कर अधिनियम 1958 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर प्रवर समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ ।

वियतनाम की हाल की घटनाओं के बारे में वक्तव्य

Statement on Recent Developments in Vietnam

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : जैसा कि सदन को मालूम है कि राष्ट्रपति निक्सन ने 8 मई को घोषणा की थी कि उन्होंने निम्नलिखित कदम उठाने के आदेश दिए हैं जिन पर अमल शुरू हो गया है :

(1) उत्तर वितनाम के सभी बन्दरगाहों के सभी प्रवेश मार्गों पर सुरंगे बिछा दी जाएंगी जिससे कि इन बन्दरगाहों में प्रवेश न किया जा सके और इन बन्दरगाहों से उत्तर वियतनाम की नौसैनिक कार्यवाही न हो सके ।

(2) अमरीकी सेनाओं को यह आदेश दे दिया गया है कि उत्तर वियतनाम के आंतरिक और प्रादेशिक समुद्र में सभी समुचित उपाय बरते जायें जिससे कि किसी भी तरह की सप्लाई को पहुंचने से रोका जा सके ।

(3) रेल और दूसरे संचार साधनों को जितना अधिक काटा जा सकेगा उतना काट दिया जाये ।

(4) उत्तर वियतनाम में सैनिक ठिकानों पर हवाई जहाजों से और जहाजों से हमले जारी रहेंगे ।

इसके साथ ही उत्तर वियतनाम में तथा दक्षिण वियतनाम के उन इलाकों पर जो इस समय अस्थायी क्रांतिकारी सरकार के नियंत्रण में हैं बड़े पैमाने पर हवाई जहाजों से और जहाजों से कार्यवाही की जा रही है । पिछले कई हफ्ते से हनोई, हाईफोंग तथा उत्तर और दक्षिण वियतनाम की कई अन्य रिहायशी बस्तियों पर भी जबर्दस्त बममारी की जा रही है । लाखों लोग अपनी जान गवां बैठे हैं और इससे भी कहीं अधिक संख्या में बेघर और बेसहारा हो गये हैं । मानवीय संवेदना रखने वाला कोई भी व्यक्ति इस स्थिति को अनदेखा नहीं कर सकता । युद्ध को इस तरह

बढ़ाने का कोई न्यायोचित कारण नहीं हो सकता। इससे न तो शांति ही स्थापित की जा सकती है और न ही वे लक्ष्य प्राप्त किये जा सकते हैं जिनकी घोषना राष्ट्रपति निक्सन ने नवीनतम सैनिक कार्यवाही के लिए अपने आदेशों के साथ की थी।

यह बड़े दुख की बात है कि अमरीकी सरकार ने पेरिस की शांतिवार्ता, जो अभी हाल ही में फिर शुरू हुई थी, इकतरफा तरीके से भंग कर दी। इससे भी कहीं अधिक चिन्ता की बात यह है कि वियतनाम की लड़ाई के अधिक बड़ी और अधिक व्यापक संघर्ष में बदल जाने का खतरा बढ़ रहा है।

मुझे पूरा विश्वास है कि इस लड़ाई को बढ़ाने की भर्त्सना करने में यह सदन मेरे साथ है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग का चैयरमैन होने के नाते हमारा यह विशेष उत्तरदायित्व है तथा इससे बहुत सी नई जटिलताएं उत्पन्न होती हैं। इसलिये इस पर चर्चा करने का हमें अवसर दिया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : जो हम चाहते हैं वह यह है कि इस मामले में सरकार कोई सक्रिय कार्यवाही अथवा पहल करे।

श्री स्वर्ण सिंह : मैंने बताया है कि समूचा सदन सैनिक कार्यवाही के बढ़ाने की भर्त्सना करने के लिए सरकार के साथ है।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं संसदीय कार्य मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इसे स्वीकार करें तथा इस सभा को अमरीकी साम्राज्यवाद के अमानवीय एवं नृशंस कृत्य की भर्त्सना करने के लिए हमें अवसर प्रदान करें।

कार्य मन्त्रणा समिति

Businss Advisory Committee

ग्यारहवां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

कि यह सभा कार्य-मंत्रणा समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन से, जो 9 मई, 1972 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य-मंत्रणा समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन से, जो 9 मई, 1972 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was Adopted

अनुदानों की मांगें 1972-73

Demands for Grants 1972-73

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

श्री एस० एल० पेजे (रत्नागिरि) : जब मैसर्स चौगुले स्टीम कम्पनी ने यात्री भाड़े में वृद्धि की माँग की थी तो महाराष्ट्र सरकार ने एक समिति नियुक्त की थी तथा उस समिति ने तात्कालिक यात्री भाड़े में 15 प्रतिशत वृद्धि की सिफारिश की थी। परन्तु सरकार ने मैसर्स चौगुले स्टीम कंपनी को यात्री भाड़े में 7 प्रतिशत वृद्धि की अनुमति दी है। इस वृद्धि के बावजूद भी यह कम्पनी तट पर निर्धारित समय पर अपनी सेवा प्रदान नहीं कर सकी है। बाद में इस कम्पनी ने कई पत्तनों पर भी अपनी सेवा बंद कर दी जिससे यात्रियों को बहुत असुविधा हुई। बम्बई की कुल जनसंख्या का पाँचवा भाग रत्नागिरि तथा कोलाबा जिलों का है। तटवर्ती सेवा के लिए तटवर्ती यात्री ट्रैफिक पर्याप्त है। सरकार को तटवर्ती यात्रा सेवा आरम्भ करने पर विचार करना चाहिये। तटवर्ती सेवा अगले सितम्बर, अक्टूबर के मौसम से आरम्भ की जानी चाहिये। वर्षा के कारण मई के अन्त में स्टीमर सेवा बन्द हो जाती है अतः कुछ छोटे पत्तनों में सुधार करके उन पर नाविक सुविधायें प्रदान की जानी चाहिए यथा जेरी का निर्माण किया जाना चाहिये।

रेल पत्तन तथा सड़क की संचार सुविधायें न होने से कोंकण क्षेत्र-विशेषकर कोलाबा तथा रत्नागिरि जिले पिछड़े हुये हैं। इस क्षेत्र का विकास किया जाना चाहिए ताकि नये-नये उद्यमी वहां उद्योग-धन्धे स्थापित करने के लिए आकर्षित हो सकें।

इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये मेरा सरकार से अनुरोध है कि ढाबोल पत्तन का प्रमुख पत्तन के रूप में विकास किया जाये। इस प्राकृतिक पत्तन का डुबाव 30-35 फुट का है, जिसमें बड़े-बड़े पोत सुरक्षा से लंगर डाल सकते हैं। यदि एक बार इस ढाबोल पत्तन का प्रमुख पत्तन के रूप में विकास किया जाय तो बम्बई के पत्तन को व्यापार के अत्यधिक दबाव से राहत मिलेगी। इसमें 100 से अधिक पौतों के खड़े होने की क्षमता है।

मीरिया खाड़ी के कार्य का विकास करने में, जिसमें पत्तन के लिए लंगरगाह योजना शामिल हैं, 1500 फुट के जल-पृथककरण सम्बन्धी निर्माण, एक घाट के निर्माण और भूमि सुधार आते हैं जिससे कि वहां अधिकतम लंगर डाला जा सके। राज्य सरकार ने सुझाव दिया है कि लंगरगाह परियोजना का अधिकतम और उत्तम उपयोग करने के लिए 1500 फुट के जल-पृथककरण को बढ़ाकर 2500 फुट कर दिया जाए। इस सुझाव पर शीघ्रता से और गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए और राज्य को वित्तीय सहायता भी दी जानी चाहिए।

भगवती समिति ने सिफारिश की है कि केरल, मैसूर, गोआ, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और अन्य राज्यों में अन्तर्देशीय जल परिवहन का विकास किया जाये।

सड़क परिवहन के बारे में समुद्र तटीय सड़कों को बढ़ाने संबंधी सरकार ने उचित निर्णय लिया है। मेरा अनुरोध है कि इस कार्य के लिए केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को उचित धन दे।

सरकार ने रत्नगिरि में एक अलुमिनियम का कारखाना स्थापित करने का निर्णय किया है। परन्तु रत्नागिरि जिले का मुख्यालय दोनों ओर से दो बड़े-बड़े नालों से अलग हो गया है। इन

नालों को मिलाया जाना चाहिए । यह राज्य सरकार की पहुंच के बाहर है । अत: मेरा केन्द्र से अनुरोध है कि इन दोनों नालों को मिलाने के हेतु राज्य सरकार को पर्याप्त वित्तीय सहायता दी जाए ।

Shri Ishaq Sambhuli (Amroha) : It is good that the Shipping Corporation has earned a profit of Rs. 6.75 crores where as at the other porivate shipping compains are running in loss, But this is not enough. This Corporation should undertake manufacture of ships for which we have depend on forige Countries where to incur huge expenses and time on the tours of officers who go abroad for getti ng ships manufactured from the foreign Countrise.

Various Corporations have been set up in the Country and the purpose of setting up these Corporations is to eliminate Government interference so that they may work independently and remain free from out side pressure. But in actual practice, these corporations have because estates of the bureaucrats; Government should see that such things are removed from the functioning of these Corporations. In order to save these corporations from becoming estates of the bureaucrats workers should be associated with the management of the Corporations.

The lower sleeping berths of the secently acquired new ship 'Akbar' are so low that luggage can not be kept under them. Moreover, there is no water out let in the ship. On reaching Bombay. The lower part of the ship was inundated and the luggage of the 'Haj' pilgrims was spoiled and stained with derty water. The 'Haj' pilgrims had to experience great incovnience while travelling due to these defacts in this new ship 'Akbar' Moreover there is no proper and adequate Catering arrangement in this ship Government should look into these matters.

There is a scheme of constructing Indo-Nepal Border Road. This road from Bareily to Amingunj (Assam) on the Indo. Nepal border has developed branches at several places for a pretty long time. This should be repaired immediately.

Recently, Government has taken over bus transport service in Delhi and has set up a Delhi transport Corporation. There is no doubt that the has been some improvement in the bus service in the Capital. But this is not enough. The passengers have to want for the buses for hours together. In order to eliminate this incovenience to the passengers, the number of buses should be increased considerably and bus-time Tables should be displayed at the bus stops,

श्री सुबोध हंसदा (मिदनापुर) : बताया गया है कि हावड़ा पर दूसरे पुल का निर्माण करने हेतु प्रधानमन्त्री द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था । परन्तु शिलान्यास हुआ नहीं है और इसके इस महीने किए जाने की संभावना है । कलकत्ता की यातायात समस्या सर्व विदित है । दूसरे हावड़ा पुल के निर्माण से यातायात की भीड़-भाड़ कम होगी । किन्तु इस समस्या का समाधान केवल शिलान्यास से ही नहीं होगा । अत: मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि निर्माण कार्य तुरन्तु आरम्भ किया जाये जिससे यह कार्य कुछ वर्षों में पूरा हो जाये । इससे केवल यातायात की समस्या ही हल नहीं होगी अपितु रोजगार की सम्भावनायें भी बहुत सीमा तक बढ़ेंगी और बहुत से लोगों को रोजगार मिलेगा ।

कलकत्ता स्थित केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम ने पिछले कुछ समय में विशेषकर भारत-पाक युद्ध में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभायी । इस निगम ने बंगला देश के शरणार्थियों को वापस ले जाने और देश के एक भाग से दूसरे भाग में खाद्यान्न लाने ले जाने में बहुत सहायता की । इस

निगम का गठन 1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान भारत के एक भाग से दूसरे भाग में व्यक्तियों और सामग्री लाने ले जाने के लिए किया गया था। निस्संदेह इस निगम ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न किया परन्तु यह आरम्भ से घाटे में चल रही है। सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने हाल ही में इसकी जांच की और यह मत व्यक्त किया कि यह संगठन अनेक वर्षों से घाटे में चल रहा है, इसलिए इसको समाप्त किया जाए। परन्तु मैं नहीं चाहता कि ऐसे संगठन को समाप्त किया जाए। लेकिन देश के धन का इस प्रकार दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिये। अतः इस संगठन की स्थिति में सुधार करना जरूरी है।

अन्तर्राज्यीय परिवहन आयोग अन्तर्राज्यीय मार्गों पर चलने वाले वाहनों, जिनके पास अन्तर्राज्यीय परमिट हैं, के लिए मोटर-वाहन कर के भुगतान के बारे में एक समान व्यवस्था लागू करने में विफल रहा है। इससे अन्तर्राज्यीय मार्गों पर दूरस्थ स्थानों के लिए यातायात अबाध्य परिचालन में रुकावट उत्पन्न हो गई है। इस कर के भुगतान की न्यूनतम अवधि 6 महीने है। इसे घटाकर 15 दिन कर दिया जाना चाहिए।

देश के समस्त अविकासित जिले विशेषतया जन-जातीय क्षेत्र सड़क परिवहन की सुविधा से प्राय वंचित हैं। इन क्षेत्रों के औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए उचित संचार व्यवस्था का होना बहुत आवश्यक है। इसलिए इन क्षेत्रों को सड़क परिवहन से मिलाने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इन कार्यक्रमों के लिए राशि निर्धारित की जानी चाहिए।

पश्चिम बंगाल में हावड़ा-आमता रेलवे और पुरुलिया-खोतसिला रेलवे लाइन नामक दो परियोजनायें हैं। ये दोनों परियोजनायें बहुत समय से बन्द पड़ी है। इनको पुनः चालू करने की मांग की जा रही है। हांलाकि ये दोनों परियोजनायें परिवहन मंत्रालय के अन्तर्गत आती हैं, परन्तु राज्य सरकार का भी इनमें हस्तक्षेप है। राज्य सरकार के पास इतना धन नहीं है कि वे उन्हें पुनः चालू कर सके। इसलिए मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि राज्य सरकार को कुछ वित्तीय सहायता दी जाए जिससे उन्हें चालू किया जा सके।

सरकार को यह पता है कि हल्दिया परियोजना के लिए भूमि का अर्जन करते समय अनेक लोगों को वहाँ से विस्थापित किया गया था। यह परियोजना निर्माणाधीन है और निर्माण का प्रथम चरण पूरा होने वाला है। इस परियोजना से अनेक लोगों को रोजगार मिलेगा। मन्त्री महोदय ने कुछ समय पहले जब इस परियोजना का दौरा किया था तो उन्होंने स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया था कि इसमें उन लोगों को रोजगार दिया जायेगा जिन्हें इस स्थान से हटाया गया है। परन्तु हुआ इसके विपरीत है। मन्त्री महोदय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लोगों तथा स्थानीय लोगों को इन परियोजनाओं में रोजगार के अवसर प्राप्त हों।

कलकत्ता पत्तन की समस्या के बारे में मन्त्री महोदय को पूरी जानकारी है। वहाँ भारी मात्रा में रेत जमा हो जाने से गहरे डुबाव काले पोत पत्तन में प्रवेश नही कर सकते। यद्यपि वहां तलकर्षण की व्यवस्था है, परन्तु यह संतोषजनक नहीं है। अब हल्दिया पत्तन बनने वाला है परन्तु वहां भी डुबाव बहुत उथला है और बड़े बड़े जहाजों को पत्तन के अन्दर जाने मे कठिनाई होती है। हल्दिया पत्तन में तलकर्षण की व्यवस्था नहीं है। अतः सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि हल्दिया पत्तन भागीरथी नदी तक चैनल का तलकर्षण करने की व्यवस्था की जाये।

हल्दिया पत्तन परियोजना अत्यन्त मिश्रित परियोजना है, वहां अनेक परियोजनायें बन रही हैं। वहां अनेक प्रकार के कार्यों का प्रशिक्षण देने हेतु, एक तकनीकी स्कूल की व्यवस्था होनी चाहिए।

हल्दिया में जहाज निर्माण परियोजना के लिए पर्याप्त सम्भावनाएं हैं। सरकार ने विशाखापत्तनम में पहले ही एक परियोजना आरम्भ की है और अब कोचीन में भी एक परियोजना है। विशाखापत्तनम और कोचीन के जहाज निर्माण यार्डों से यह समस्या पूरी तरह हल नहीं होगी। इसलिए हल्दिया में एक और जहाज निर्माण परियोजना होनी चाहिए। इस परियोजना की व्यवस्था पाँचवीं योजना में की जानी चाहिये।

बड़ी प्रसन्नता की बात है कि शिप्पिग कारपोरेशन आफ इंडिया के पास इस समय 79 पोत हैं और 31 और अधिक जहाजों की व्यवस्था करने का विचार है। इस निगम का कार्य भार बढ़ता जा रहा है। अतः इस निगम को दो भागों में बांटा जाना चाहिए एक कार्यालय कलकत्ता में दूसरा बम्बई में होना चाहिए।

श्री पी० के० देव (कालाहाँडी) : उड़ीसा का समुद्र तट लगभग 300 मील लम्बा है और इसका सामुद्रिक इतिहास बहुत उज्जवल रहा है और देश की संस्कृति की झाँकी रही है। परन्तु ब्रिटिश साम्राज्य ने इस भू-भाग के प्रति न्याय नहीं किया और अब भी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

प्रकृति ने उड़ीसा को पारादीप जैसा शानदार पत्तन दिया है जो देश में सब से गहरा पत्तन है, परन्तु पत्तन को रेल यातायात, संचार अथवा राजपथ से नहीं मिलाया गया है। इस प्रदेश में लौह अयस्क और मैंगनीज के भारी मात्रा में निक्षेप होते हुए भी वहां संचार व्यवस्था की दशा बहुत दयनीय है। पारादीप पत्तन के प्रदेश में संचार की समुचित व्यवस्था करने हेतु वहां बन्सपाली-जकपुरा रेलवे लाईन पर कार्य आरम्भ किया जाना चाहिए और इसे क्रियान्वित किया जाना चाहिए। तकनीकी आर्थिक सम्भाव्यता सर्वेक्षण दल ने इसकी अनुमति दे दी है। किन्तु बजट में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है।

भारत सरकार में विदित स्वार्थों द्वारा उड़ीसा के साथ जान-बूझ कर अन्याय किया गया है। वे चाहते हैं कि समूचा लौह अयस्क हल्दिया पत्तन से होकर ले जाया जाए और देश के विकास में पारादीप को उसके उचित स्थान से वंचित रखा जाए। किन्तु उड़ीसा इस अन्याय को सहन नहीं कर सकता। यद्यपि वित्त मंत्रालय ने जून 1971 में हरिदासपुर से होकर पारादीप पतन की राष्ट्रीय राजपथ से मिलाने की अनुमति दे दी है। परन्तु परिवहन मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं किया है। अतः पारादीप पतन का अत्यधिक विकास किया जाना चाहिए।

गोपालपुर एक चालू पतन था और इसका एक छोटे पतन के रूप में विकास करने का सुझाव दिया गया था और इसके लिए चौथी योजना में 2.75 करोड़ रुपये की राशि नियत करने की सिफारिश की गई थी, जिससे इस पतन में दो लाख मीटरी टन माल चढ़ाया-उतारा जा सके। अब पता चला है कि वहां इलमेनाईट और सिलमेनाईट के भारी निक्षेप हैं जिनका पता परमाणु अर्जा विभाग के अधीन दि इण्डियन रेयर अर्थस लिमिटेड ने लगाया है। उन्होंने वहां मिनरल सैण्ड सेपरेशन संयंत्र स्थापित करने का निर्णय किया है। उनका अनुमान है कि इस पतन पर तीन

लाख मीटरी टन का अतिरिक्त लदान हो सकेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए गोपालपुर पतन के विकास के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा सुझाये गये नये स्थान के सम्बन्ध में सरकार को विचार करना चाहिए और इस पतन का निर्माण कार्य आरम्भ किया जाना चाहिए।

चान्दबाली एक छोटा पतन है जो अब बेकार पड़ा है। इस पत्तन के द्वारा कलकत्ता के साथ व्यापार होता था। परन्तु धामरा नदी के मुहानें में रेत भर जाने से यह पत्तन अब बेकार पड़ा है। अतः धामरा नदी के मुहाने से रेत हटायी जानी चाहिए और चान्दवाली पत्तन को उपयोग करने योग्य बनाया जाना चाहिए।

गत लोक सभा में तत्कालीन मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि रामपुर-बरहामपुर सड़क को राष्ट्रीय राजपथ बनाया जायेगा। परन्तु इस सम्बन्ध में अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है।

नदियों के ऊपर पुलों का निर्माण किया जाना चाहिए और वीर्ण-शीर्ण पुलों को तोड़कर नये पुल बनाये जाने चाहिए। राजपथ संख्या 5 और 6 को मिलाने के लिए एक नियमित राष्ट्रीय राजपथ का निर्माण किया जाना चाहिए।

बौध में महानदी के ऊपर एक पुल का निर्माण किया जाना चाहिए। इससे दक्षिणी उड़ीसा का उत्तरी उड़ीसा के साथ सम्पर्क स्थापित हो जायेगा, इसलिए इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

श्री मोहनराज कॉलगारामर (पोलाची) : गृह मंत्रालय की प्रबन्धक परामर्श सेवा ने वर्ष 1970-71 में सड़क खण्डों के कार्य संचालन का विस्तृत अध्ययन किया। उनकी एक मुख्य सिफारिश यह थी कि राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण करने और उनका रख रखाव के लिए राज्य सरकारों को और अधिक शक्तियां दी जाएं कि राष्ट्रीय राज मार्गों के दोनों छोरों को जोड़ने के लिए राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय सरकार की अनुमति लेना आवश्यक नहीं होना चाहिए जिससे कि छोटे छोटे कार्य करने में विलम्ब न होने पाये।

नौवहन और परिवहन के पुनर्गठन सम्बन्धी अध्ययन कार्य को अब तक अन्तिम रूप दे दिया जाना चाहिये था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कांडला पतन न्यास के यातायात विभाग के अध्ययन में की गई सिफारिशों को कार्यान्वित किया गया है ?

राष्ट्रीय मोटर परिवहन वित्त निगम की शीघ्र ही स्थापना की जानी चाहिये। बस सेवा की अखिल भारतीय समय-सारिणी अत्यन्त आवश्यक है। देश के परिवहन चालक जाली परमिटों का बहुत उपयोग कर रहे हैं। इसे रोकने के लिये उपाय किए जाने चाहियें।

वाणिज्यिक बैंकों की परिवहन उद्योग की ओर 4.5 करोड़ रुपये की राशि बकाया है। किन्तु अब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया है, इसलिये इस बकाया राशि का भुगतान न करने वाले दोषी व्यक्तियों से इस राशि को वसूल करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

देश में अन्तर्देशीय जल परिवहन की सुविधाओं का विकास करने हेतु राज्य सरकारों की सहायता करने के लिये अन्तर्देशीय जल परिवहन वित्त निगम की स्थापना की जानी चाहिये।

सेथुसामुद्रम परियोजना एक महत्वपूर्ण परियोजना है जो लगभग एक शताब्दी पुरानी है। इस परियोजना से नौ प्रस्ताव सम्बन्धित हैं, परन्तु इन में से किसी एक को भी सक्रिय रूप नहीं दिया गया है। इस परियोजना के बारे में सब से महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के पश्चिमी

तट से पूर्वी तट तक आने जाने वाले पोतों के लिये एक छोटे जल मार्ग की व्यवस्था की जानी है। इस परियोजना के भावी महत्व को समझते हुये, भारत सरकार ने विश्वसनीय परियोजना का अनुमान लगाने हेतु वर्ष 1964 में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति ने 55.60 करोड़ रुपये की लागत की मन्दापम क्रासिंग की तुलना में 37.50 करोड़ रुपये की लागत से इस परियोजना को आरम्भ करने के लिये रामेश्वरम क्रासिंग के निर्माण की सिफारिश की है।

पूर्वी समुद्र तट से पश्चिमी समुद्र तट की ओर जाने वाले जहाजों को श्री लंका का चक्कर लगाकर जाना पड़ता है जिससे 600 समुद्री मील की अधिक यात्रा करनी पड़ती है क्योंकि मनार की खाड़ी और पाक स्ट्रेट में जहाजरानी नहीं की जा सकती है। दूसरे तूतीकोरिन पत्तन के भावी विकास के लिए इसकी वर्तमान यातायात सम्बन्धी स्थिति का सेथुसामुद्रम परियोजना के मूल्य और उसकी उपयोगिता से सीधा सम्बन्ध है। अतः तूतोकोरिन और सेथुसामुद्रम का एक साथ विकास करने के कार्य की आवश्यकता को आरम्भ से अनुभव किया गया है। सेथुसामुद्रम आर्थिक दृष्टि से बहुत पुष्ट है। सेथुसामुद्रम परियोजना से होने वाली कुल आय का 80 प्रतिशत विदेशी मुद्रा के रूप में होगी। यात्रा मार्ग की दूरी कम होगी, जिससे भारत सरकार को आयकर के रूप में 2.4 करोड़ रुपये की आय होगी। तूतीकोरिन पत्तन और सेथुसामुद्रम केनल परियोजना के विकास से वहां औद्योगिक सम्भावनाएं बढ़ेंगी। सेथुसामुद्रम केनल के दोनों तट अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक आकर्षण का केन्द्र बनेंगे और आय बढ़ेगी। अतः इस परियोजना में पर्याप्त धनराशि लगेगी, और यह परियोजना तकनीकी रूप से दृढ़ और वाणिज्यिक रूप से उपयुक्त है। मंत्री महोदय को इस परियोजना पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए।

Shri Shiva Chandika (Banka) : It is a matter of great satisfaction that the Ministry of shipping and transport is aware of the growing needs of the country's communication and it is doing its best to met them.

The Delhi Transport Corporation has been set up at an appropriate time for the purpose of providing better transport facilities to the citizens of Delhi.

The report highlights that the Ministry has made efforts to improve the industrial relation and to create hormony in its industrial units and has set up a local demands committee for the purpose. The committee has been set up to keep hormony in the relation of workers and their employers which would result in increased production. In case the working of the committee is satisfactory, the day to day grievances of the workers shall be reduced and there will be peace in the industries and thier production will incerase.

Bhagalpur District of Bihar has been declared most backward in the State by the government. This district is really very backward and the means of communication are quite inadequate. There the roads have breaches since preindependence period. Railway and transport facilities have not been provided there to the people. Even after 25 years of independence, no benifit has been given to the people so far as communicatons and transport are concerned. I request the hon. Minister to ensure that full Financial Assistance is give to Bihar State Government so that *pucca* roads are constructed in the area.

An all-weather road should be constructed connecting Santhal Paragana, Bhagalpur and Manglyr. This is necessary in the interest of the nation as well. A sixteen mile long road from Tarapur to Rajapohar being an approach road to national highway, should be constructed.

The existing old road from Amarpur to Bhagalpur should be repaired. An all-weather road from Banka to Jaipur should be constructed as it will provide a shorter route between

Bhagalpur and Ranchi, construction of road from Sivan-Bazar to Simultala and Simultala to chakai is necessary for the development of the Santhals. Therefore, these should be taken in hand.

Road construction work shall provide employment to the unemployed villagers steps should be taken in this direction so that unemployment problem may be minimised.

A bridge should be constructed on Ganga at Bhagalpur because if will reduce the distance from Bhagalpur to Asasm and reduce the transportation distance between Bhagalpur and Assam. With the construction of this bridge on Ganga employment and industrial pc tentialities will increase in Bhagalpur.

In the border roads organisation, the Civilian Officers are not being treated well by the Military Officers. The Civilian officers in this organisation should get all facilities available to the Military Officers there.

I would only request to the Minister that at best roads should be contructed in the villages after 25 years of indepence, If it is not possible culvert, should be constracted on 'Nalbh' falling on 'kucha' roads which would facilitate trafic throughout the year and villagers would atleast feel that they have also been facilitated with independance.

श्री सुरेन्द्र महन्ती (केन्द्र पाडा) : इस मंत्रालय के कार्य में पर्याप्त प्रगति हुई है और इसके लिये मंत्री महोदय बधाई के पात्र हैं। हिन्दुस्तान शिपयार्ड से कार्य में सुधार हुआ है। अब यहां पर पहले से बड़े जहाज बनने लगे हैं। यहां पर जहाजों की मरम्मत के कार्य में भी सुधार हुआ है।

भारतीय जहाज निर्माण उद्योग में कोचीन शिपयार्ड का विशेष स्थान है। इसके निर्माण के पूरा हो जाने पर यहां पर 85,000 डी० डब्ल्यू० टी० श्रमता के जहाज बनने लगेंगे।

परन्तु इस प्रगति के बाद भी जो एक बात खटकती है वह यह है कि भारतीय व्यापार का केवल 45 प्रतिशत भाग ही भारतीय जहाजों द्वारा ढोया जाता है और 'बल्क, सामान के ढोने की प्रतिशतता केवल 20 ही है। इस बारे में सुधार की अपेक्षा प्रतीत होती है। मंत्री महोदय को इस स्थिति का स्पष्टीकरण करना चाहिये।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the Chair*]

सड़क विकास कार्यक्रम पिछड़ा न रह कर सुचारू रूप से चल रहा है। परन्तु सरकार को इसे और सुधारना चाहिये।

पराद्वीप बन्दरगाह न केवल भारत का ही अपितु सारे दक्षिण पूर्वी एशिया का सब से गहरा बन्दरगाह है। इस बन्दरगाह का सामरिक महत्व भी पिछले भारत-पाक युद्ध से स्पष्ट हो चुका है। परन्तु इसके विपरीत माननीय मंत्री इस बन्दरगाह की ओर अपेक्षित ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस बन्दरगाह की स्थिति में प्रति दिन खराबी आ रही है। इस स्थिति को जानने के लिए इतना ही पर्याप्त होगा कि हम देखें कि 1970-71 में इस बन्दरगाह के लिए बजट में कुल कितनी व्यवस्था थी और उसमें से कितनी धनराशि व्यय की गई। 1970-71 में इस पर केवल 1.34 करोड़ रुपये का व्यय हुआ जब कि इसके लिए बजट में तीन करोड़ रुपये की व्यवस्था थी। हल्दिया में स्वीकृत योजना 10 करोड़ की थी, परन्तु वास्तविक व्यय 10.07 करोड़ था और कलकत्ता बन्दरगाह के लिए स्वीकृत योजना 1.54 करोड़ रुपये की थी जबकि वास्तविक व्यय 1.52 करोड़ रुपये हुआ। इस स्थिति की जिम्मेदारी लापरवाह प्रशासन पर ही आती है।

पारादीप बन्दरगाह पर लगाए गए विभिन्न संयंत्र और उपकरण अभी लाइसेंस प्राप्त क्षमता से कम पर कार्य कर रहे हैं। स्थापित संयंत्रों और उपकरणों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने से बन्दरगाह के राजस्व में भी वृद्धि होगी, जिसमें इस समय घाटा हो रहा है।

बन्दरगाह के प्रशासन में बहुत अधिक भ्रष्टाचार व्याप्त है, 2.50 करोड़ रुपये से अधिक की राशि को अग्रिमों के रूप में दिखाया गया है परन्तु लेखे में इस राशि का कोई हिसाब किताब नहीं है। लेखा परीक्षा प्रतिवेदन से पता चलता है कि लेखे रखे नहीं आ रहे अथवा अनियमित रूप से रखे जा रहे हैं जबकि इन्हें केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की संहिता के अनुसार रखा जाना चाहिए था।

बन्दरगाह अधिकारियों ने दो कर्णनावों की खरीद के लिए मैसर्स ईष्ट बंगाल रिवट स्टीम सर्विसेज लिमिटेड के साथ करार किया। 1971 के अन्त तक 92.8 लाख रुपये की राशि उक्त कम्पनी को अदा की जा चुकी थी परन्तु अभी तक केवल एक ही कर्णनाव प्राप्त हुई है, जबकि इन की डिलीवरी प्रथम अदायगी से 18 महीनों की अवधि के भीतर की जानी थी। उचित यह था कि करार पूरा न करने के कारण कम्पनी पर जुर्माना किया जाए परन्तु गैर-सरकारी क्षेत्र की इस कम्पनी द्वारा 6.3 लाख रुपये की और अदायगी की मांग की जा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस कम्पनी में और अधिकारियों में कुछ सांठ-गांठ है।

बन्दरगाह द्वारा एक ओर तो लेखे में हानि दिखाई जा रही है परन्तु दूसरी ओर पत्तन न्यास द्वारा अधिकारियों के लिए वाहनों का प्रबन्ध होने के बावजूद अधिकारियों को घर से कार्यालय लाने और घर छोड़ने पर पत्तन-न्यास द्वारा प्रति वर्ष 48,000 रुपये व्यय किये जा रहे हैं।

पारादीप बन्दरगाह में श्रम सम्बन्धों की ओर भी अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा। अधिकारियों द्वारा एक यूनियन के प्रतिद्वन्दी के रूप में दूसरी यूनियन को खड़ा किया जा रहा है ताकि भ्रष्टाचार का यह चक्र बिना किसी चुनौती के चलता रहे माननीय मन्त्री को इन विषयों की ओर ध्यान देना चाहिए।

Shri Krishna Chandra Pandey (Khalilabad) : Uttar Pradesh is the most backward state in our country. During the year 1971 the Uttar Pradesh Government had requested the Central Government for additional amount of Rs. 50 crores for construction of roads and bridges on rivers. It is hoped that the Central Government would accede to this request.

There is a need for constructing a bridge on River Saryu at Bidhar Ghat floods in this river effect the people living in Bhasti Area. This bridge would also be useful from national security point of view. If this bridge is constructed journey from Allahabad to Kathmandu would take only 10 hours.

There is a road from Allahabad to Varanasi via Faizabad and Azamgarh. In between it stretches upto Bidhar Ghat via Jahangir Gunj. It should be linked with Mukhlispur Road and expended upto Nepal border via Mehandanal Fasendha. This road could prove very useful from security point of view also.

Today roads are very important for the development of the country. Means of communication are back bone of a country. A national highway is under construction in Basti, Gonda area of eastern Utter Pradesh for the last four years. Digging for the construc-

tion of this road is done when formers cultivate their lands. In this manner, standing crops have to be felled but no compensation has so far been paid to the affected formers, though District authorities and state authorities have been approached in the matter.

Buses being plied under Delhi Transport Corporation are in very deplorable condition. Many of these buses are very old and have out lined their life. They emit smoke, which affects other road uses. Fares in Mini Buses are very high, these should be reduced.

Shri Bhagirath Bhanwar (Jhauna) : The areas which lack in means of communication are still backward. Hence roads are very important for the development of backward areas. While undertaking construction of roads. Central Government should accord priority to backward areas.

Most of National Highways are in very deplorable state. There are National Highways where buses are hold up for hours during rainy season. Condition of such roads should be improved. Central Government should play buses under its own control on these National Highways. It would be in the interest of people at large

Bombay-Agra National Highway is a very old highway, but even then certain Bridges falling in between are not being properly looked after. Trafic comes to stand still on Kalghat Bridge on river Narbada. It would be much better if its name is changed to Bombay-Delhi National Highway. This highway should be reconstructed and widened highway linking Khandwa, Indore, Ratlam, Neemuch, Nasirabad and Ajmer should be declared a National Highway. There are many Cantonements situated on this Highway.

Country has progressed much in the field of water transportation. Work is in progress in respect of Narbada Bihar. This should be expedited. It would help in the development of adjoining areas.

Shri Candrika Prasad (Balia) : Government should take over private secter shipping companies such as Scindia, Great Eastern Dempo, India steamship and chowgule" and form a corporation comprising these companies. Boys living in coastal areas should be givin training in shipping, preferance in this regard should be given to backward areas.

It is a matter of pleasure that plans are being prepared for water transportation for those areas which lack means of communication. A Committee, known as Gokhale Committee was set up to study the problems of coastal people. But its report has not been implemented. Similarly the report of Bhagwati Committee has also not been implemented. Bhagwati Committee recommended six projects with an outlay of Rs. 2.74 crores. But only one project with an outlay of Rs. 1.10 lakhs has been sanctioned. The reason for this state of affairs is that there is no technical organisation work to attend to the work relating to planning and hydrographic surveys etc. We should set up a proper technical organisation under Inland Water Transport Directorate .

Inland water transportation service has been introduced from Patna to Gazipur. Similarly, Water Transportation service should be introduced from Riwalganj up to Dohrighat in Ghagra River, as per recommendation of Bhagwati Committee. It has not even been felt necessary to have a survey in this regard. I request that hon. Minister should take personel interest and order immidiate introduction of this service.

There was a Dredger in service between Patna and Banaras. This has been sent to Calcutta, though this channel needs it. It should immediately be brought back from calcutta.

Inter-state roads and Bridges should be constructed in Bundelkand area of uttar Pradesh. Patel Committee had recommended the construction of a Bridge over River Ghagra in order to link Belkhara Bazar to Bhagalpur. It would provide direct link with Bihar *via* Dewaria and Gorekhpur and take this area towards the path of development.

Government shou'd pay attention towards this. Similarly, demands have been raised for bridges over Ghagra in order to provide links to Bihar and uttar Pradesh. But no attention has been paid towards this.

Bhagwati Committee recommended that Ganga, Ghagra, Brahmputra, Mandwi, Juari, Godhawari and Narbada Rivers be declard National Waterways. This recommendation should be accepted forthwith.

Shri Shankar Dev (Bidar) : The work with regard to Mangalord Harbour Project in progressing at very slow speed. Funds are not being released in time. Attention should be paid towards expediting the work. The Draft of the Harbour should be raised upto 40-45 ft, so that modern carriers could enter the harbour.

West Coast area is very appropriate for the establishment of Minor Ports, which could be used for fishing.

Kanour is an appropriate location for the setting up of a Ship Building yard similar to Vishakhapatnam.

Certain Percentage of contracts for road building works should be entrusted to people belonging to scheduled Castes, scheduled tribes and back word classes.

संसदीय कार्य तथा नौवहन ओर परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : यह कहा गया है कि हम अपने देश में नौवहन का निर्माण नहीं कर सके हैं। यह भी कहा गया है कि हम विदेशी औद्योगिकी और विदेशी शिपयार्डों पर निर्भर हैं। हमें यह मालूम होना चाहिए कि विदेशी शासन काल में हमारे राष्ट्रीय नौवहन का टनभार नगण्य मात्रा तक पहुँच चुका था। स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय हमारे नौवहन का टनभार 1.92 लाख जी० आर० टी० था और इस समय यह 25.3 लाख जी० आर० टी० है। यह छोटी बात नहीं है। इसके लिये हमने निरन्तर प्रयास किए हैं।

नौवहन विकास निधि संस्थान सरकारी क्षेत्र में नौवहन निगम की स्थापना आदि कार्यों से इस शिक्षा में पर्याप्त प्रगति हुई हैं। नौवहन विकास निधि द्वारा हमने विभिन्न नौवहन कम्पनियों को 442.38 करोड़ रुपये के ऋण दिये हैं। इन ऋणों का मुख्य भाग सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को दिया गया। अतः कुछ सन्तोष के साथ हम यह कह सकते है कि नौवहन के क्षेत्र में हमारी प्रगति 12 गुना हुई है जब कि समस्त विश्व की प्रगति के आँकड़े तीन गुना हैं। एशियाई राष्ट्रों और विकासशील राष्ट्रों में से इस समय नौवहन के मामले में हमारे देश का स्थान जापान के बाद आता है।

हमारे नौवहन के कुल टनभार में से 50 प्रतिशत टनभार सरकरी क्षेत्र के नियन्त्रण में है। नौवहन के मामले में सरकारी क्षेत्र का रिकार्ड बहुत अच्छा है। 23.45 करोड़ रुपये की प्रदत्त पूंजी पर सरकारी क्षेत्र को 1970-71 में 6.91 करोड़ रुपये का लाभ हुआ और इस वर्ष यह लाभ 7.25 करोड़ रुपये है। 1970-71 में 32 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई परिवहन निगम से 1960-61 से अब तक 34.74 करोड़ रुपये का लाभ कमाया है।1974 वर्ष के अन्त तक टनभार में 20 लाख डी० डब्ल्यू टी० की और वृद्धि कर दी जायेगी। सरकारी उपद्रवों के कार्यकरण की हमेशा भर्त्सना की जाती है. परन्तु हमारे नौवहन निगम के कार्य को देश की किसी भी नौवहन कम्पनी के कार्य से तुलना की जा सकती है। इसके कार्यकरण को देखते हुए हमें इस निगम के श्रमिकों, अधिकारियों और प्रबन्धकों की सराहना करनी चाहिये।

यह कहा गया है कि पोत निर्माण के बारे में हमने कुछ नहीं किया है। वास्तव में पोत निर्माण अत्यन्त आधुनिक उद्योग है। इस उद्योग के बारे में कोई देश अपनी जानकारी किसी दूसरे

देश को देना नहीं चाहता । इतना होते हुये भी, हमने देश में हिन्दुस्तान शिपयार्ड की स्थापना की है । इस शिपयार्ड का कार्य निष्पादन पर्याप्त सन्तोषजनक रहा है । इस शिपयार्ड को राज सहायता पर निर्भर रहना पड़ता है । परन्तु अब कुछ इस प्रकार के उपाय सुनिश्चित किए गए हैं कि आगामी 7-8 वर्षों में इसकी आर्थिक स्थिति में पर्याप्त सुधार होगा । और यह वित्तीय सहायता के बिना कार्य करने के समर्थ होगा ।

शिपयार्ड के पास इस समय 14 क्रया देश हैं और जब तक यह पूरे होंगे तब तक और क्रयादेश प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास किये जायेंगे ।

मुख्य पत्तनों सम्बन्धी आयोग की 160 सिफारिशों में से हमने अब तक 45 सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है । 57 सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है और यह विचार अन्तिम अवस्था पर हो केवल 20 सिफारिशों पर विस्तृत रूप से विचार किया जाना शेष है ।

अकबर का निर्माण डेनमार्क में हुआ था और इसे 13 नवम्बर 1971 को मुगल लाइन्स को दिया गया था, निर्माण के पर्यवेक्षण के लिए मुगल लाइन्स के सुपरिटैंडिंग इन्जीनियर को वहां पर नियुक्त किया गया था । प्रत्येक नौवहन कम्पनी द्वारा यही प्रथा अपनाई जाती है । प्रबन्धक निदेशक केवल जहाज को प्राप्त करने के लिए 3 अथवा 4 दिन के लिए वहां पर गये थे । उसके वातानुकूलित उपकरणों में कुछ त्रुटि थी और यात्रियों से इसका किराया अभी नहीं लिया गया ।

जहाँ तक रत्नगिरि पतन का सम्बन्ध है महाराष्ट्र सरकार- बम्बइ पोर्ट ट्रस्ट तथा परिवहन और नौवहन मन्त्रालय के प्रतिनिधियों को एक समिति खान मन्त्रालय द्वारा स्थापित की गई है और इसका प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात ही इस बात का निर्णय किया जायेगा कि केन्द्र द्वारा चौथी योजना में इससे लिए और कितनी सहायता अथवा ऋण दिया जाना चाहिए ।

डाभोल प्रश्न के विकास की जिम्मेदारी महाराष्ट्र सरकार की हैं हम ऋण देकर इसके विकास में सहायता कर सकते हैं । इस बारे में हमें महाराष्ट्र सरकार से अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

1971-72 में बड़े पत्तनों पर 59.29 मिलियन टन माल उतारा तथा चढ़ाया गया है । यह एक रिकार्ड है ।

गत 11 वर्षों में भारत के पतनों पर यातायात में 4.5 प्रतिशत की वार्षिक दर से वृद्धि हुई है । बड़े बन्दरगाहों पर प्रति जहाज जो विलम्ब हुआ है वह एक दिन से भी कम का है ।

बम्बई बन्दरगाह के विकास कार्यक्रम के भी व्यय में कमी का कारण इस्पात जैसे कच्चे माल की उपलब्धता में विलम्ब तथा तलवर्धक जहाजों के लिए क्रया देशों का देना है जिसकी टाइप के बारे में तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा अभी निर्णय किया जाता है ।

मास्टर प्लान के देर से प्राप्त होने के कारण नवशवा बन्दरगाह के लिए भूमि अर्जन कार्य आरम्भ नहीं हो सका ।

कलकत्ता पत्तन पर व्यय माल के उतारे-चढ़ाने का एक कारण यह है कि अब हम खाद्यान्नों के यातायात पर तथा इस्पात कारखानों के लिए भारी मशीनों के आयात पर निर्भर नहीं करते । औद्योगिक अशान्ति, इन्जीनियरिंग उद्योगों में मन्दी तथा कोयले के निर्यात में कमी के कारण भी कलकत्ता पत्तन पर कम माल चढ़ाया तथा उतारा गया है । परन्तु इसके साथ उसके कर्मचारियों पर होने वाले व्यय में कमी नहीं हुई । यही कारण है कि वहां पर गत वर्ष लगभग 6 करोड़ रुपये

की हानि हुई। मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की क्रियान्विति के कारण भी 3.5 करोड़ रुपये प्रति वर्ष का व्यय बढ़ा है।

जहां तक सेथुसामुद्रम नहर का सम्बन्ध है हमें योजना आयोग द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार ही कार्य करना है। इसके साथ-साथ इसके रेखांकन का प्रश्न भी हल किया जाना है जोकि परिवहन और नौवहन मंत्रालय के साथ-साथ अन्य सम्बन्धित मंत्रालयों को भी स्वीकार हो।

पारादीप पत्तन का विकास किया जा रहा है जिससे यहां से 40 लाख टन अयस्क का लदान किया जा सके। योजना आयोग के परामर्शदाता की अध्यक्षता में एक अध्ययन दल पहले ही नियुक्त किया जा चुका है।

रेलवे द्वारा कटक-पारादीप रेल लाइन बिछाई जा रही है। गोपालपुर में सर्वेक्षण तथा प्रारम्भिक कार्य के लिए केन्द्र द्वारा 4.22 लाख रुपये पहले ही दिये जा चुके हैं। योजना आयोग द्वारा अपेक्षित यातायात के आंकड़ों की प्राप्ति के पश्चात इस योजना को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जायेगा।

उड़ीसा सरकार ने 1964-65 में ईस्ट बंगाल इन्जीनियरिंग वर्क्स को दो टनों के लिए क्रयादेश दिया था। विदेशी मुद्रा तथा अन्य कठिनाईयों के कारण इनकी डिलीवरी में विलम्ब हुआ है। हाल में कम्पनी द्वारा एक टग सप्लाई कर दिया गया है परन्तु उसमें काफी त्रुटियां है। कम्पनी को उन्हें ठीक करने तथा दूसरा टग सप्लाई करने के लिए कहा जा रहा है। यार्ड को भुगतान कर दिया गया है और इसके लिये उन्हें सरकार का अनुमोदन प्राप्त था।

हल्दिया परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए सभी सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं। गोदी पद्धति के 1973 में पूरा हो जाने की सम्भावना है। इतना कहना ही काफी होगा कि हम इसको शीघ्र पूरा करने पर ध्यान दे रहे हैं।

फरक्का बांध पर फरवरी 1972 तक 105.88 करोड़ रुपये व्यय हो चुके थे। परियोजना काफी हद तक पूरी हो चुकी है।

सड़कों के निर्माण कार्य में अब तक लगभग 96 प्रतिशत प्रगति हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में 398 मील में से केवल 70 मील सड़कों का बनाया जाना शेष है। बिहार में 328 मील में से केवल 17 मील सड़क का बनाया जाना शेष है। कुल 873 मील में से केवल 138 मील लम्बी सड़कों का बनाया जाना शेष है।

23 में से 21 पुल बनकर तैयार हो चुके हैं। रोनकाई तथा गंडक के पुलों का बनना शेष है। 128 मध्यम श्रेणी के पुलों में ये 116 पुल बन चुके हैं और 151 छोटे पुलों में ये 149 पुल बन चुके हैं।

पोरबसगंज दरभंगा सड़क के निर्यात में कुछ बाधा पड़ी है। इसका कारण कोसी पर पुल बनाने के लिए स्थान का चयन था। अब स्थान का चयन कर लिया गया है और मुझे आशा है कि यह बाधा शीघ्र ही दूर हो जायेगी।

जहां तक पटना में गंगा नदी पर पुल बनाने का सम्बन्ध है यह राज्य की सड़क निर्माण व्यवस्था के अन्तर्गत आता है। फिर भी हमने आश्वासन दिया है कि हम इसके लिये यथासम्भव वित्त जुटाने का प्रयास करेंगे।

राजस्थान में सामरिक महत्व की सड़कों की मरम्मत तथा रखरखाव के लिए हमने हाल में काफी धन दिया है।

जहां तक पश्चिमी तट का सम्बन्ध है इसे राष्ट्रीय राजपथ घोषित कर दिया गया है और हम इसकी देखभाल पर पूरा ध्यान देंगे।

हुगली पुल निर्माण कार्य शुरू होने के बाद पांच वर्ष में पूरा होगा। इसका ठेका दे दिया गया है। हम वित्त से यथासम्भव सहायता करेंगे।

हरीदासपुर पारादीप पत्तन सड़क को भी जुलाई 1971 में राष्ट्रीय राजपथ संख्या 5ए घोषित कर दिया गया था।

बिहार सरकार के सहयोग से पटना-घासीपुर सेवा को 10 नवम्बर 1971 को शुरू कर दिया गया था। इस सेवा के परिणामों को देखकर मिर्जा की ओर तथा फरक्का की ओर सेवा को बढ़ाने पर विचार किया जायेगा। यह सेवा अभी तक अच्छी सिद्ध हुई है।

जहां तक भगवती समिति की सिफारिशों का सम्बन्ध ह, 19 योजनाओं को जिन पर 566.60 लाख रुपये खर्च होंगे, मंजूरी दी जा चुकी है। 1971-72 तक राज्य सरकार को ऋण के रूप में 66.32 लाख रुपये दिए गए थे और 1972-73 के बजट में 116.75 लाख रुपये की और व्यवस्था की गई है।

जहां तक कलकत्ता और आसाम के बीच सेवा आरम्भ करने का प्रश्न है श्री एल० एन० मिश्र ने बंगला देश सरकार के साथ एक समझौता किया है। आशा है यह सेवा शीघ्र शुरू हो जायेगी, आशा है इससे इस क्षेत्र के लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी उत्पन्न हो जायेंगे।

यह सच है कि सड़क यातायात से केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों को पर्याप्त राजस्व प्राप्त होता है, परन्तु इस सारे राजस्व को इसी पर खर्च नहीं किया जा सकता। हम इस बात को सिद्धांत रूप से भी स्वीकार नहीं कर सकते।

योजना के गत तीन वर्षों में इंजीनियरों तथा तकनीकी कर्मचारियों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है और इनकी संख्या में चौथे वर्ष में और वृद्धि की जायेगी। जहां तक केन्द्रीय सड़कों का सम्बन्ध है, हमें अतिरिक्त 2600 इन्जीनियरों की आवश्यकता होगी। राज्यों में सड़कों के लिए हमें 2000 इन्जीनियरों की आवश्यकता होगी। अतः 1972-73 के अन्त तक लगभग 4600 इन्जीनियरों की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे कार्यों की जांच तथा सर्वेक्षण के लिए 2000 अतिरिक्त इन्जीनियरों की आवश्यकता पड़ेगी। पाँचवीं योजना पर अग्रिम कार्यवाही आरम्भ करने पर 10500 और इन्जीनियरों की आवश्यकता होगी। अतः सड़क निर्माण के अतिरिक्त 8570 इन्जीनियरों की आवश्यकता होगी।

सड़क परिवहन में प्रति गाड़ी औसतन ग्यारह व्यक्तियों को रोजगार मिलता है। इस प्रकार चौथी योजना के शुरू में सरकारी क्षेत्र में 363,000 व्यक्ति थे तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में इनकी संख्या 572,000 थी। चौथी योजना में सड़कों पर अतिरिक्त बसें चलाने के लिए अतिरिक्त 330,000 व्यक्तियों को रोजगार मिल सकेगा। इनके अतिरिक्त मेरे मंत्रालय के अन्य विंगों में हजारों-लाखों व्यक्ति पत्तनों में, जहाजों में, लाइट हाऊस में काम करते हैं। मैं इन सबके कार्य की सराहना करता हूं।

जहां तक दिल्ली परिवहन निगम का सम्बन्ध है, इसमें काफी सुधार हुआ है। अब प्रतिदिन पहले से अधिक ट्रिप होते हैं। अब प्रतिदिन 1222 बसें सड़कों पर चलती हैं जब कि पहले केवल 1089 बसें ही चलती थीं। प्रति बस आय भी 192 रुपये से बढ़कर 213 रुपये हो गई है। प्रति एक लाख किलोमीटर पर दुर्घटनाओं की संख्या 2·32 से घट कर 1·59 रह गई है। इसके लिए मैं निगम के कन्डक्टरों, ड्राइवरों तथा इन्जीनियरों को बधाई देता हूं। हम कर्मचारियों के लिए चाहे वे दिल्ली परिवहन निगम के हों अथवा अन्य संगठनों के, अधिक अच्छी सुविधाओं की व्यवस्था कर रहे हैं। अत: अन्त में, मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस मंत्रालय ने काफी अच्छा कार्य किया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : क्या माननीय मंत्री यह आश्वासन दे सकते हैं कि फरक्का बाँध के उद्देश्य में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा अर्थात हुगली नदी में 40,000 क्यूसेक्स जल डाला जायेगा ताकि इसको नौवहन के लिए चालू रखा जा सके ?

दूसरे क्या माननीय मंत्री पायलटों के वेतनों में वृद्धि करने पर विचार करेंगे, क्योंकि इस समय लगभग पायलटों के 30 स्थान रिक्त पड़े हैं और इनके लिए कोई उम्मीदवार नहीं आ रहा है।

क्या यह सच है कि नौवहन कम्पनियों द्वारा खरीदे जाने वाले बड़े टैंकर तथा मालवाहक जहाज भारतीय पत्तनों में लंगर नहीं डाल सकते ? इस कठिनाई पर काबू पाने के लिए क्या कार्य-वाही की जा रही है ?

श्री बसंत राव पुरूषोत्तम साठे (अकोला) : क्या माननीय मंत्री राष्ट्रीय आधार चुंगी सम्बन्धी नीति अपनाने पर विचार करेंगे ताकि सड़क परिवहन को अधिक दक्ष बनाया जा सके ?

Chaudhary Ram Sewak (Jalaun) : May I know whether Government intend to construct a bridge on yamuna at kalpi on top priority basis and if so when the work will start and how much expenditure is likely to be incurred on it.

उपाध्यक्ष महोदय : सर्वश्री बड़े, शास्त्री तथा झारखण्डेराय ही प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री आर० वी० बड़े (खारगांव) : दिल्ली को शुष्क पत्तन करने का प्रश्न अनेक वर्षों से विचाराधीन है, सरकार ने इस बारे में क्या निर्णय किया है ?

श्री विश्वनारायण शास्त्री (लखीमपुर) : माननीय मंत्री ने आश्वासन दिया है कि कलकत्ता से आसाम तक अन्तर्देशीय जल परिवहन सेवा शीघ्र आरम्भ हो जायेगी। ऐसे समाचार आये हैं कि इसका भाड़ा रेलवे से दुगुना होगा तो ऐसी हालत में यह किस प्रकार काम कर सकेगी ?

Shri Jharkhande Rai (Ghosi) : May I know whether Government have fixed any target date for the complition of lateral road project ?

जहां तक कलकत्ता बन्दरगाह की आवश्यकताओं का प्रश्न है मुझे विश्वास है कि डा० के० एल० राव० जो कि स्वयं एक इंजीनियर हैं, उनका ध्यान रखेंगे क्योंकि फरक्का बांध की स्थापना भी इसी लिए की जा रही है।

विशाखा पत्तनम, मद्रास और मरमागोआ बन्दरगाहों का जो विकास किया जा रहा है उससे 100,000 डी० डब्ल्यू० टी० क्षमता के मालवाहक जहाज और टैंकर उनमें जा सकेंगे।

विभिन्न स्थानों पर चुंगी वसूल करने की प्रतिक्रिया सरकार भी समाप्त करना चाहती है। परन्तु उससे पूर्व हमें वैकल्पिक संसाधन जुटाने हैं और नगरपालिकाओं/स्थानीय निकायों आदि की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के अन्य तरीके निकालने हैं। परिवहन विकास परिषद ने इसे समाप्त करने के लिए लगभग एकमत से सिफारिश की है। महाराष्ट्र सरकार ने इस दिशा में कुछ कार्य-वाही की भी है। मुझे आशा है कि अन्य राज्य भी इसका अनुसरण करेंगे।

सरकार ने कालपी के रेलवे पुल से 804.8 मीटर ऊपर एक पुल के निर्माण के लिए 150 लाख रुपये की राशि मंजूर की है। इस पुल के निर्माण के लिए टेंडर मांगे गये हैं और उनकी जांच की जा रही है।

जहां तक बंगला देश होते हुए अन्तर्देशीय जल-परिवहन को पुनः प्रारम्भ करने का प्रश्न है कुछ समय के लिए हमें अधिक भाड़ा देना पड़ सकता है परन्तु यातायात में वृद्धि हो जाने पर रेल तथा सड़क परिवहन से स्पर्धा हो सकेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गदाधर साहा, श्री भोगेन्द्र झा और श्री भरतसिंह चौहान ने बहुत से कटौती प्रस्तावों की सूचना दी है। मैं उन सब को इकट्ठा ही मतदान के लिए रखूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

All the cut Motions were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा नौवहन और परिवहन मंत्रालय की निम्नलिखित मांगे मतदान के लिए रखीं गईं तथा स्वीकृत हुईं

The Following demands in respect of Ministry of Transport shipping were put and adopted

माँग संख्या	शीर्षक	राशि (रुपये)
1	2	3
69.	नौवहन और परिवहन मंत्रालय	1,44,14,000
70.	सड़कें	21,14,95,000
71.	नौवहन	7,58,36,000
72.	प्रकाश स्तम्भ और प्रकाश पोत	1,12,09,000
73.	बन्दरगाह	4,44,14,000
74.	सड़क और अन्तर्देशीय जल परिवहन	40,83,000
126.	सड़कों पर पूंजी-परिव्यय	71,35,88,000
127.	बन्दरगाहों पर पूंजीपरिव्यय	8,50,08,000
128.	नौवहन और परिवहन मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	14,66,93,000

निर्माण और आवास मंत्रालय
Ministry of works and Housing

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम निर्माण और आवास मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 82-84 और 132-134 पर चर्चा और मतदान करेंगे । दो घंटे का समय इसके लिए नियत है । जो भी सदस्य कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहें वे 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर पर्चियाँ भेज दे* और उन प्रस्तावों को प्रस्तुत किया माना जायेगा ।

वर्ष 1972-73 के लिए निर्माण और आवास मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गई

The following demands for the year 1972-73 in respect of the Ministry of works & Housing were presented

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
1	2	3
82	निर्माण और आवास मंत्रालय	2,54,80,000
83	लोक निर्माण कार्य	35,72,37,000
84	लेखन सामग्री और छपाई	13,96,75,000
132	लोक निर्माण कार्य पर पूंजी परिव्यय	10,45,21,000
133	दिल्ली पूंजी परिव्यय	6,02,00,000
134	निर्माण और आवास मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	2,26,31,000

* निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए माने गए :

1—4; 30—39; 11—15; 16—27 और 28—29

*** डा० सरदीश राय** (बेलपुर) : सरकार ने 'गरीबी हटाओं' और समाजवाद का नारा दिया है । परन्तु वास्तविकता कुछ और है । मंत्रियों और बड़े-बड़े लोगों को बड़े-बड़े बंगले रहने के लिए दिये गए हैं । परन्तु सभाज के निर्धन वर्ग और भूमिहीन लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया गया है । मंत्रालय के प्रतिवेदन में बताया गया है कि सरकार का विचार ग्रामीण जनता को आवास के लिए भूमि देने का है । परन्तु इस बारे में यह नहीं बताया गया है कि कितनी भूमि आवंटित की जानी है और अभी तक वस्तुतः कितनी आवंटित की जा चुकी है अथवा देश में क्या किसी स्थान पर ऐसा किया भी जाता है । इससे पता चलता है कि सरकार समाजवाद में कितनी निष्ठा रखती है ।

* बंगाली में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर

Summarised Hindi version of the English Translation of the speech delivered in Bengali

प्रतिवेदन में कहा गया है कि सरकार ने बागान मजदूरों को आवास न देने का उत्तरदायित्व गृहण कर लिया है परन्तु 7900 मकानों के लिए व्यवस्था के पश्चात अब तक केवल 1800 मकानों का निर्माण हुआ है। सरकारी कर्मचारियों को क्वार्टरों के लिए बहुत वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। 20 वर्षों का सेवा काल पूरा करने वाले सरकारी कर्मचारियों को अभी टाइप III तथा IV के क्वार्टर दिये जाने हैं।

आकाशवाणी को अपना इंजीनियरिंग विभाग स्थापित करने की अनुमति दी गई है। इसका कोई औचित्य नहीं है। यदि इसी प्रकार अन्य सभी विभागों ने अपने इंजीनियरिंग विभाग स्थापित कर लिए तो केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की कोई आवश्यकता नहीं रह जायेगी।

[श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए
Shri K. N. Tiwary *in the Chair*]

प्रतिवेदन में बताया गया है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में 17933 कर्मचारी कार्य करते हैं। इनमें से अधिकतर कर्मचारी कार्य भारित हैं और ये अस्थायी हैं। आज के समाजवाद के युग में इन कर्मचारियों को अनिश्चित काल के लिए अस्थायी रखने में कोई औचित्य नहीं है। अतः इन्हें तत्काल स्थायी बनाया जाना चाहिए।

ठेकेदारों द्वारा काम पर लगाये गए श्रमिकों को नौकरी की कोई सुरक्षा प्राप्त नहीं है। उन्हें बोनस और अन्य सुविधाएं नहीं मिलती। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इन मजदूरों के लिए इतना सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इन्हें नियमित छुट्टी मिले तथा सेवा वेतन और अन्य सुविधाओं के बारे में कुछ सुरक्षा प्राप्त हो।

देश में इस समय 15 सरकारी मुद्रणालय हैं। प्रतिवेदन में बताया गया है कि इन का कार्य सुचारु रूप से नहीं चल रहा। इसका एक कारण कागज की कमी बताया गया हैं। परन्तु कागज की इस कमी का क्या कारण है ? क्या कागज की कमी का प्रभाव सरकारी मुद्रणालयों पर ही पड़ता है। गैर-सरकारी क्षेत्र के मुद्रणालयों का कार्य संचालन तो इस कमी से बिलकुल ही प्रभावित प्रतीत नहीं होता।

प्रतिवेदन में बताया गया है कि कोयम्बटूर के मुद्रणालय में दूसरी पारी प्रारम्भ की गई है। परन्तु वास्तविकता इसके विपरीत है। यह प्रस्ताव अभी कागज पर ही है। इस मुद्रणालय के 52 कर्मचारियों को उत्पीड़ित किया जा रहा है। कर्मचारी यूनियन के सचिव को बिना किसी कारण के एक मास में दो बार निलम्बित किया गया। इन घटनाओं के कारण कर्मचारियों में पर्याप्त असन्तोष व्याप्त है।

कलकत्ता में पेय जल की बहुत कमी है। गलियों में से कूड़ा हटाने के समुचित प्रबन्ध नहीं किए गए।

गोल मार्कीट, दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के लिए बनाए गए क्वार्टरों की स्थिति बहुत खराब है। पेय जल की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई नही की जा रही। यहां तक की नालियों को साफ करने के लिए भी पर्याप्त पानी नहीं है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यकरण में भ्रष्टाचार व्याप्त है। सीमेंट काला बाजार में बेचा जा रहा है जिसके परिणाम स्वरूप उसके द्वारा बनाई गई इमारते ठीक नहीं बन रहीं क्योंकि वहां उचित मात्रा में सीमेंट का प्रवेश नहीं होता है।

Shri Sarju Pandey (Gazipur) : Sir. we have received a telegram that 40 lakh weakness of Uttar Pradesh have decided to go on strike. I would request the Minister to make a statement in this regard.

Mr. Chairman : There is a time fixed for these things. You may raise this issue tomarrow after the question hour.

Shri T. Sohan Lal (Karolbagh-Delhi) : There are many Jhuggi-jhompries and slums in my area. At present slum clearance work is entrusted to Municipal Corporation. I would request that this may be taken over by the Central Government.

It appears that either C. P. W. D. is not fit for the work entrusted to it or it is not doing it properly. While planning the construction of Guardens in Gole Market it was not ensured that the ground level is above the level of roads so that rain water does not enter them. Similar is the case with Subhadra Colony, Inspite of Engineers and Technical persons these defects in planning have crept in.

It is well known that cement is not mixed in correct proportions and cement thus saved is sold in Black market. This practice on the other hand shortenes the life of buildings. I would request that when such defects are noticed in buildings, concerned Overseers and S.D.O.'s should be dismissed summarily. Inspection of newly constructed buildings should be done by Chief Engineer or Executive Engineers and only then the final payments should be made to the contractors.

Similarly there is wide-spreed corruption in Delhi Development authority. Its predecessor body, i.e. Delhi Improvement Trust did not do the work properly. Even peons working in that body became wealthier people. If the working of D.D.A. is not improved Delhi would not develop properly even in 50 years. Bogus claims are being made and payments made. The whole factory areas in Rohtak Road, karolbagh is unauthorised but factory owners have got licences, electricity connections and other such facilities. There is no body to check them. But on the other hand if jhoogies are constructed by poor people there are immediately demolished. Government should pay its attention towards improving the working of D.D.A.

Shri Jharkhande Rai (Ghosi) : Housing problem is very serious in our country. No doubt much progress has been made in this direction after independence, but still much remains to be done. There are 60-70 lakh people who sleep on the Foot-paths. People are shifting to cities from rural areas with the result that housing problem is becomming accentuated in the cities. Due to this situation slums are being created in cities. Effective steps should be taken to solve this problem.

There are Industrial Townships in Kanpur and Lucknow. Even those persons who are occupying houses in these colonies for the last 10-12 years are living there under constant fear of being evicted. This problem should be solved keeping in view the interest of those occupants who are working is various Departments of Central as well State Government.

Similarly our villages are also suffering from this problem. Crores of Harijans, landless labourers etc. are living in jhugies and jhompries constrcted by themselves. But still they do not own that land. They can at any time be evicted from that land on which his Jhuggi or Jhonpri is constructed.

Government should promulgate an ordinance and ownership rights for such land, where they have constructed their jhuggies etc. should be vested in such landless labourers, Adivasis and Harijans, so that they cannot be evicted from that land.

Slum areas in cities should be improved and their place taken by clean and developed colonies. Low income and middle income employees should be provided with houses. Big

palaces belonging to princes and big buildings belonging to capitalists should be taken over and utilised to solve the housing problem of the people.

Government officials in Delhi, Lucknow and other capitals of states construct their own houses. They themselves live in Government accommodation and let out their own houses. This practice should not be allowed.

Shri Vasant Sathe (Akola): Housing is a basic necessity of life like bread and clothing. It is therefore an important part of 'Garibi Hatao' movement. In the matter of housing we should accord first priority to the people living in villages and poor people living in cities. Next priority should be accorded to middle class people.

Solution of this problems calls for a dynamic outlook. If we continue thinking and the present manner large sums of money may be required, which cannot be mobilised. We should therefore, keep in mind that our people is villages have been living traditionally in 'thached huts'. These houses lack is ventilation and sanitation. If we could provide these necessities in their houses and in addition could improve roads and provide drainage in rural areas we may not be required to invest large in the construction of cement and concrete houses there.

There are big bungalows with vacant lands in cities for high officials. We should construct flats on that area for people belonging to lower and middle classes. At the time of setting up of big industries townships for employees should also be set up.

***श्री ई० आर० कृष्णन** (सलेम) : निर्माण तथा आवास मंत्रालय की मांग संख्या 82 के अन्तर्गत 1971-72 वर्ष में 7.42 लाख रुपये की बचत दिखाई है। इसी प्रक र मांग संख्या 84 के अन्तर्गत 90.37 लाख की बचत दिखाई गई है। परन्तु दूसरी ओर मांग संख्या 83— लोक निर्माण कार्य शीर्षक के अन्तर्गत 4.49 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राशि खर्च की गई है। इस अतिरिक्त खर्च का कारण यह बताया गया है कि वर्ष के दौरान भवन निर्माण सामग्री के मूल्यों में वृद्धि हुई है। जब स्थिति यह है तो वर्ष 1972-73 में इस माँग के अधीन 7-720 करोड़ रुपये कम क्यों नियत किए गए हैं। यह स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिये।

चौथी योजना में गोदी श्रमिकों के आवास हेतु 2.5 करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है। परन्तु योजना के पहले तीन वर्षों में इस कार्य के लिए केवल 55 लाख रुपये की राशि ही व्यय की गई है। इस स्थिति के क्या कारण हैं ?

आवास तथा नगर विकास निगम का गठन 1971-72 में किया गया था। इस निगम को 200करोड़ रुपये की आवर्ती निधि बनानी थी। परन्तु यह निगम अभी तक इस दिशा में सफल नहीं हुआ है। जब तक इस निधि का निर्माण नहीं किया जाता तब तक यह निगम राज्य सरकारों और अन्य संस्थाओं को मकान निर्माण के लिए वित्तीय सहायता देने में असमर्थ रहेगा।

देश के ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों के निर्माण के लिए आवंटित निधि का 6 प्रतिशत ही अभी तक व्यय किया जा सका है। यह बहुत ही दुख की बात है। समझ में नहीं आता कि यह उपेक्षा-पूर्ण रवैया कब तक चलेगा ?

हमारी राष्ट्रीय प्रयोग शालाओं ने भवन निर्माण के नए तरीके निकाले हैं परन्तु भवन निर्माण अभिकरणों ने अभी तक उन तरीकों को अपनाया नहीं है। इसके क्या कारण हैं ?

---

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version of the English translation of the speech delivered in Tamil.

बम्बई में शैल-टाइप गोदामों के निर्माण के केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की कमियों के कारण सरकार को बहुत अधिक हानि उठानी पड़ी है । मध्यस्थ का फैसला सरकार के विरुद्ध गया है । नियमों में यह व्यवस्था है कि मध्यस्थ के फैसले के 30 दिन के भीतर अपील की जा सकती है। परन्तु केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने ऐसा कदम नहीं उठाया। ऐसे महत्वपूर्ण मामलों में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग उचित ध्यान नहीं देता है ।

योजना आयोग ने तमिलनाडु गन्दी बस्ती सफाई बोर्ड की प्रशंसा की है । इस बोर्ड ने 40 करोड़ रुपये की लागत पर एक 7 वर्षीय योजना बनाई है जो गंदी बस्तियां हटाने तथा बहुमंजलीय मकान बनाने में सहायक होगी ।

इसी प्रकार केन्द्रीय गंदी बस्ती सफाई बोर्ड है जो, ऐसा लगता है, गन्दी बस्तियां बनाये रखना चाहता है ।

तमिलनाडु गंदी बस्ती सफाई बोर्ड के कार्य की कई मंत्रियों ने प्रशंसा की है परन्तु केन्द्रीय सरकार ने इस बोर्ड को अनुदान अथवा ऋण के रूप में कोई वित्तीय सहायता नहीं दी है ।

1971-72 में जीवन बीमा निगम ने इस कार्य के लिए 1.50 लाख रुपये की राशि आवंटित की थी जब कि इस कार्य को पूरा करने के लिए समूचे देश की माँग 882 लाख रुपये की है । मंत्री महोदय को इस कार्य के लिए जीवन बीमा निगम से अधिक वित्तीय सहायता लेनी चाहिए । अब तक जीवन बीमा निगम ने कुल कितनी वित्तीय सहायता दी है और उस सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

मद्रास में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए 9902 मकानों की आवश्यकता है जब कि 210 मकान बनाये गए हैं ।

अप्रैल-मई 1970 में किये गए सर्वेक्षण के अनुसार दिल्ली में सार्वजनिक भूमि पर अनधिकृत कब्जा करने वालों की संख्या 20072 थी । पता नहीं सरकार को सार्वजनिक भूमि से इन अनधिकृत कब्जा करने वालों को हटाने में कितना समय लगेगा ।

सम्पदा निदेशालय के कलकत्ता, बम्बई, नागपुर, फरीदाबाद और मद्रास शाखा कार्यालयों में किराए की बकाया राशि 22.86 लाख तक हो गई है । इस बड़ी राशि को वसूल करने में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

यदि सरकारी प्रेसों में दो-तीन पारी और चला दी जाये तो देश में लोगों को रोजगार मिल सकेगा ।

निर्माण और आवास मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गए :

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
82	1	डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय	लोधी कालोनी, नई दिल्ली में टाईप 3 और टाईप 4 के क्वाटरों के लिए गैरिजों का शीघ्र निर्माण करने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाए

1	2	3	4	5
82	2	,,	लोधी कालोनी में टाइप 3 के क्वाटरों में वाश-बेसनों की व्यवस्था करने में असफलता ।	,,
82	3	,,	लोधी कालोनी, नई दिल्ली, में सरकारी क्वाटरों के आगे घास के मैदानों का अनुरक्षण करने में असफलता ।	,,
82	4	,,	लोधी कालोनी, नई दिल्ली, के सरकारी क्वाटरों में पानी की नालियों के पाइपों को बदलने में असफलता ।	,,
82	30	,,	नौरोजीनगर के सरकारी क्वार्टरों में पावर कनेक्शन देने में अनावश्यक विलम्ब ।	राशि में से 100 रु० घटा दिए जायें
82	31	,,	नौरोजीनगर के सरकारी क्वार्टरों में पावर कनेक्शन देने के लिए सरकारी कर्मचारियों के आवेदन पत्रों पर शीघ्र कार्यवाही करने की आवश्यकता ।	
82	32	,,	सरकारी क्वार्टरों में पावर कनेक्शन देने के लिए आवेदन पत्रों पर कार्यवाही करने की प्रक्रिया को सरल बनाने की आवश्यकता ।	,,
82	33	,,	देश के विभिन्न भागों में काम करने वाले केन्द्रीय कर्मचारियों के लिये उन स्थानों में सरकारी आवास की व्यवस्था करने में असफलता ।	,
82	34	,,	देश के बड़े नगरों में गन्दी बस्तियों का सुधार करने तथा वहां उपयुक्त और स्वच्छ आवास व्यवस्था करने में असफलता ।	,,
82	35	,,	निम्न आय वर्ग के लिए गृह निर्माण योजना का कार्यक्रम प्रादेशिक स्तर पर चलाने में विलम्ब ।	,,
82	36	,,	सरकारी कर्मचारियों के लिए रिहायशी तथा कार्यालय आवास की व्यवस्था करने में सरकार की उपेक्षा ।	,,

1	2	3	4	5
82	37	डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय	सेवानिवृत सरकारी कर्मचारियों के लिए रिहायशी आवाम की व्यवस्था करने में असफलता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें
82	38		सेवानिवृत सरकारी कर्मचारियों की सरकारी क्वाटरों से जबरन बेदखली को तुरन्त रोकने की आवश्यकता ।	,,
82	39		सेवा-निवृत सरकारी कर्मचारियों के लिए मानवीय आधार पर रिहायशी आवास की व्यवस्था करने का विचार करने में असफलता ।	,,
82	11	श्री दशरथ देव	केन्द्रीय सरकार के दूसरी और तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए आवास संबंधी सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता ।	,,
82	12	,,	दिल्ली में और अन्य स्थानों पर मंत्रियों तथा उच्च अधिकारियों के लिए बड़े बंगलों के निर्माण पर प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता ।	,,
82	13	,,	केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों और उच्च अधिकारियों के निवास स्थानों पर कीमती फर्नीचर की सप्लाई कम करने की आवश्यकता ।	,,
82	14	,,	सरकारी उपक्रमों के निगमित क्षेत्रों में विभागीय अतिथि-गृहों के रूप में कीमती और विशाल भवनों के निर्माण को रोकने की आवश्यकता ।	,,
82	15	,,	विभिन्न नगरों में विभिन्न सरकारी उपक्रम निगमों द्वारा चलाये जा रहे अतिथि-गृहों की सुविधाए सभी वर्गों के कर्मचारियों को प्रदान करने की आवश्यकता ।	,,
82	16	श्री रामावतार शास्त्री	गोल मार्केट, नई दिल्ली के निकट मन्दिर मार्ग पर चार मंजिलों वाले सरकारी क्वाटरों में अनियमित जल सप्लाई ।	,,
82	17	,,	गोल मार्केट, नई दिल्ली के निकट मन्दिर मार्ग पर चार मंजिलों वाले सरकारी क्वाटरों का, घटिया निर्माण ।	,
82	18	,,	डी० आई० जैड० एरिया, नई दिल्ली में चार मंजिलों वाले सरकारी क्वाटरों में लिफ्टों की व्यवस्था करने में असफलता ।	

1	2	3	4	5
82	19	,,	सरकारी कर्मचारियों के लिए गोल मार्केट क्षेत्र में, टाइप तीन और चार के क्वाटरों का शीघ्र निर्माण करने में असफलता ।	,,
82	20	,,	जिन सरकारी कर्मचरियों को कार्यालय में देरी तक बैठना पड़ता है, उनके लिए आउट-आफ-टर्न आवास की व्यवस्था करने में असफलता ।	,,
82	21	,,	पन्द्रह वर्ष से अधिक सेवा वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकारी आवास की व्यवस्था करने में असफलता ।	,,
82	22	,,	जिन सरकारी कर्मचारियों को संसदीय कार्य के सिलसिले में देरी तक कार्यालयों में बैठना पड़ता है, उनके लिए उनके कार्यालयों के निकट पर्याप्त संख्या में आउट-आफ-टर्न क्वाटर अलाट करने में असफलता ।	,,
82	23	,,	केन्द्रीय सरकार के सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को उचित दरों पर आवास को उपलब्ध कराने में असफलता ।	,,
82	24	,,	केन्द्र में सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद मामूली कम राशि पर उनके क्वाटरों में रहने की अनुमति देने की आवश्यकता ।	,,
82	25	,,	सरकारी बस्तियों में कुछ ऐसे क्वाटरों का एक पूल बनाने की आवश्यकता, जिन्हें जरूरतमन्द निवासियों को मामूली किराये पर अपने बच्चों के विवाह के प्रयोजन के लिये उपलब्ध कराया जा सके ।	
82	26	,,	सरोजिनी नगर, नई दिल्ली में ऊपर के फ्लैटों में पेय जल की सप्लाई बढ़ाने में असफलता ।	,,
133	27	,,	सरोजिनी नगर, नई दिल्ली में टाइप 3 के सरकारी क्वाटरों के आगे घास मैदानों का अनुरक्षण करने में असफलता ।	,,

1	2	3	4	5
82	28	श्री भोगेन्द्र झा	शहर और गांवों के सभी भूमिहीनों के लिए मकान एवम् आवास की भूमि का प्रबन्ध करने में विफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
82	29	,,	तीसरी एवम् चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए अनिवार्यत: मकान की व्यवस्था न करना।	,,

Shri Dalip Singh (Outer Delhi) : The Master plan for Delhi was prepared in 1962 and efforts were made to implement it the same year.

The population of Delhi is increasing at the rate of 2 lakhs per year. According to the report of the Ministry about 10,003 flats are constructed every year. Assuming that every five persons need one flat there will be need of 40,000 more flats.The number of constructed houses in not adequate and consequently the people belonging to lower income group have purchased their own small plots and constructed houses. This has resulted in springing up a number of unauthorised colonies. The unauthorised colonies should be regularised.

I want to give a suggestion for tackling the housing problem in Delhi. The land which is meant for residential use under the Master Plan should be demand and a layout plan prepared and plots given to people and they should be allowed to get their plans approved for constructing the houses. Development can take place later on and at that time the Government can take development charges. If it is done, those colonies will not be called unauthorised colonies.

There are about 110 urban villages in Delhi. The land which was a source of livelihood for the people of those villages has been acquired and they are facing great difficulty. The Government has given land to the House Building Co-operative Societies and those societies are constructing markets on that land. The people of those villages should be given shops in those markets so that they can earn their livelihood.

The condition of J. J. Colony Hostal, Seemapuri and Madangiri is very bad. In J. J. Colony there are no proper facilities of drinking water, electricity, road etc. Government should take steps to improve the condition of J.J. colony.

Shri Lalji Bhai (Udaipur) : It was aimed to improve the housing condition in rural areas. It is expected from every state to enact suitable legislation to give the land to the landless workers on which their huts stand.

As against the demand of 97,134 Government quarters in Delhi, there are only 41,269 Government quarters out of which 33,782 quarters are meant for low income group employees. The Government should construct some hotels of the standared of people of middle income group and government servants where these people can avail this facility. Working girls have to face difficulty on account of lack of proper hostels for them. The Government should provide hostels for the working women throughout the country. Bodies like D.D.A. should be set up in all the States so that they can help the people in meeting their housing needs. It is observed that there is corruption in the sale and purchase of land. It should be stopped.

Shri M. C. Daga (Pali) : A larger portion of the money has been allocated for the people lining in Delhi. It is not so in case of other States. The Government gave a proposal about Rajasthan that a some of Rs. 3000 will be given for the landless persons to construct houses. The hon. Minister should tell the House as to how many people of this type have been given land free of cost.

May I know the names of the landless persons in States, district-wise, who have been given land ?

The persons having land in villages, do not want to vacate that land. Apart from that the procedure of land acquisition is tedious one.

A person has to pay heavy cost for taking loan for constructing a house. People have to take loan of Rs. 3000 in instalments and the way in which loan is given is inconvinient.

I would like to know the figures regarding allotment of houses after 1971 to the poor people, state-wise.

Shri H.K.L. Bhagat (East Delhi) : The Ministry has done commendable work through D.D.A in certain spheres. But the housing problem in Delhi has become acute because about 2 lakhs people come from the neighbouring states every year and they settle here. There are 10 to 12 lakh people in Delhi who have built their own houses. They do not want any loan from the Government but their only demand is that the colonies in which they have built houses are unauthorised ones and they should be regularised.

The Master Plan and the Zonal Plans have become unrealistic because so many un-authorised colonies have come up. The Government should revise the Master Plan and the Zonal Plans and approve the unauthorised colonies.

There is acute shortage of drinking water and sanitation facilities in J.J. colony. The Government should provide these facilities in J. J. colony. The Slum Clearance Work which is under the Municipal Corporation. should be entrusted to the D.D.A.

The beautification work in Delhi is commendable and the former Lt.Governor of Delhi, the D.D.A.the Minister of works and Housing and the Prime Minister deserve congratulation of this work.

Shri Nageshwar Dwivedi (Machhlishahr) : The efforts being made to tackle the housing problem are commendable. But still the Government employees are not getting Government quarters inspite of their long service.

If the Housing Department is given the shape of industry, the housing problem can be tarkled and at the same time the unemployment problem also can be eased.

The Government should not give government quarters to those employees who have their own houses.

The Government should construct houses and give them to the people against easy instalments. In this way this problem can be solved.

श्री आर० डी० भंडारे (बम्बई मध्य) : मैं इस घोषणा के लिए मंत्रालय और मंत्रियों को बधाई देता हूं कि दिल्ली के लिए तैयार की गई बृहद योजना में यदि आवश्यक हुआ तो परिवर्तन किया जायेगा । बृहद योजना को स्वीकार करने से झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों की कठिनाइयां और परेशानियां बहुत बढ़ गई हैं । बम्बई, मद्रास, कलकत्ता और दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों की समान स्थिति को देखकर आश्चर्य और दुःख होता है । जब तक उनकी दयनीय स्थिति की ओर ध्यान नहीं दिया जाता । हम इस बात का दावा नहीं कर सकते कि हम समाजवादी समाज की ओर अग्रसर हो रहे हैं और देश में सामाजिक न्याय की स्थापना की जा रही हैं ।

झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में रहने वाले लोगों की कठिनाइयों की ओर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है। यहां तक कि महाराष्ट्र जैसे प्रगतिशील राज्य में भी श्री गाडगिल द्वारा जो योजना आयोग के अध्यक्ष थे, प्रस्तुत कार्यक्रम को क्रियान्वित नहीं किया गया है।

जनता के लिये कुछ भी नहीं किया गया है और उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मैं क्रान्ति के बारे में वर्ष 1940 से सुनता आ रहा हूँ। लेकिन अभी तक कोई ऐसा आमूल परिवर्तन नहीं हुआ है जिसे क्रान्ति की संज्ञा दी जा सके।

अब महाराष्ट्र आवास बोर्ड ने यह निश्चय किया है कि जब आवास बोर्ड मकानों अथवा इमारतों का निर्माण करेगा तब वह पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिये 25 प्रतिशत मकान आरक्षित रखेगा। मंत्री महोदय को इसी सिद्धान्त को स्वीकार करना चाहिये और उन राज्य सरकारों से जिन्होंने केन्द्रीय सरकार से सहायता प्राप्त होती है, यह अनुरोध करना चाहिये कि वह भी अपने राज्यों में ऐसी ही योजना लागू करें।

Shri Amarnath Vidyalankar (Chandigarh) : The problem of housing is very serious in Chandigarh. The houses are not being Construced for the poor people. Appropriate Compensation has not been given to the villagers whose lands have been acquired by the Government Hardly two percent of Central Government employees have accommodation there.

There is no Rate Restrictions Act prevailing in Chandigarh. The landlords can increase the rent as much as they like. The Government should look into this matter try to solve this problem.

It was assured in the house that arrangements regarding accommodations will be made to Villages. But the Government have not provided houses to the villagers who have been uprooted. I want to know the programme of the Government to solve the housing problem in the country.

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : I want to attract the attention of the Government towards the great difficulties suffered by the Member of Parliament in connection with the accommodations. They are not allotted furnished houses. The bunglows allotted to them are not worth living. Disparity between the Minister and the Member of Parliament should be removed.

The Government is not Canstructing houses in the Villages. The houses are being Constructed in cities 80 percent of the populations of the Country lives in Villages so the Government should Construct the houses for the people living in the Villages.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : A large number of Defence and other Government employees are in occupation of houses in Kanpur under the Industrial Housing Schemes. I want to know whether some decision has been taken regarding them? They are facing eviction proceedings. I Congratulate the Minister for Stopping eviction proceedings against them. I want to know whether any agreements has been made between the state Government and the Central Government under which these employees may not be asked to evict their houses and they will be allowed to live in those nouses ? The Defence employees are ready to purchase those houses on hire purchase system.

We are Celebrating the silver Jubilee of our independence this year. At this occasion a statue of Mahatma Gandhi should be installed at India Gate at the place where the statue of George V had been removed. A statue of Netaji Subhas Chandra Bose Should also be installed at Red Fort.

It is good that Birla House has been acquired. But it is not known that what Government is going to do in this regard. I want to know whether the Government intend to raise any memorial of Mahatma Gandhi in the Birla House where the Father of the Nation had sacrificad his life ?

Shri Shashi Bhushan (South Delhi) : About two and a half lakh people are living in Delhi in Jhuggis and Jhoparies. They have been evicted lequently from one place to another and have become nomadic. There should be a co-ordinated place to rehabilitate them.

There is lack of proper planning with ragard to housing in Delhi. There is acute shortage of water in some lower Catagories of Government employees Colonies in R.K. Puram. while is the flats of high officers there is plenty of water Government should take immediate steps to remove scarcity of water in those Colonies.

A large number of people in Delhi are disposing of their properties. Government should bring an ordinance prohibiting the sale of property till a Bill on urban Ceiling is passed by the Parliament. This Bill should be brought as early as possible,

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री आई० के० गुजराल) : देश में आवास की समस्या बहुत गम्भीर है देश की 40 करोड़ जनता आवास की संतोषजनक स्थित में नहीं है एक व्यक्ति जो गन्दी बस्ती अथवा झुग्गी झोपड़ी में रहता है अथवा सड़क पर सोता है उसे मकान में रहने वाला व्यक्ति नहीं कहा जा सकता। अत: आवास की समस्या बहुत खराब और दु:खद है। देश में शहरों में उपलब्ध मकानों में लगभग 60 प्रतिशत मकान में शौचालयों की व्यवस्था नहीं है। 49 प्रतिशत मकानों में केवल एक ही कमरा है। मुझे यह कहते हुए दु:ख होता है कि कलकत्ते जैसे नगर में एक कमरे में तीन या इससे अधिक व्यक्ति रहते हैं और एक परिवार औसतन 100 से 125 वर्ग गज में रहता है।

तीसरी योजना तक हम केन्द्र से विभिन्न आवास योजनाओं, गन्दी बस्तियों को हटाने आदि के लिये अनुदान और ऋण देने का प्रयास करते रहे हैं। लेकिन चौथी योजना से स्थिति में परिवर्तन हो गया है और राज्य सरकार को इकट्ठा अनुदान और ऋण देने की व्यवस्था हो गई है। इस प्रणाली के लागू किये जाने के बाद आवास योजना को सबसे अधिक धक्का पहुंचा है क्योंकि अनेक कारणों से आवास योजना के स्थान पर अन्य योजनाओं को प्राथमिकता दी जाती रही है,

नई ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत राज्यों को राज्य की सारी भूमि और पंचायत की सारी भूमि को ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि हीन लोगों को वितरित करने का अधिकार हैं। इसके बाद आवश्यक भूमि प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार प्राप्त की गई भूमि के विकास, जिसमें जल:, नि:सारण सड़क पर पटटी बनाना, पीने के पानी के कुओं की व्यवस्था करना शामिल है, के लिए केन्द्रीय सरकार 100 प्रतिशत सहायता देती है। यह योजना गत अक्तूबर से आरम्भ की गई है। दुर्भाग्य से अक्तूबर से मार्च तक इसमें कोई प्रगति नहीं हुई। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसी भी राज्य ने कोई परियोज्ना हमारे सामने नहीं रखी है। इस योजना में संघ राज्य क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है।

ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत हमने राज्य सरकार से उन लोगों के बारे में आंकड़े देने को कहा था जिनके पास ग्रामीण क्षेत्रों में मकान नहीं हैं। हरिजनों के पास मकान नहीं हैं। भूमिहीन श्रमिकों के पास भी मकान नहीं हैं। वे एक छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं।

हाल ही के चुनाव के बाद स्थिति में सुधार हुआ है। केरल ने इस बारे में बहुत अच्छी योजना प्रस्तुत की है। यह कहा गया है कि तीन वर्षों के भीतर एक लाख परिवारों को भूमि दे दी जायेगी। इसके लिये उसने केन्द्रीय सरकार को एक परियोजना प्रस्तुत की है जिस पर 8 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। हमने इस परियोजना को स्वीकार कर लिया है और हम केरल राज्य को 7 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि देंगे।

केरल सरकार ने उन एक लाख स्थानों पर एक वर्ष के भीतर मकान बनाने के लिये प्रगतिशील कार्यवाही भी की है,

उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 जिलों में 24 खंड स्थापित करने के बारे में योजना प्रस्तुत की है। बिहार और उड़ीसा सरकार ने भी ऐसी ही योजनायें प्रस्तुत की हैं। हमने सब राज्यों से जून के अन्त तक योजनायें प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है। आशा है आगामी तीन वर्षों में गाँवों में मकानों के लिये भूमि की समस्या हल हो जायेगी,

मैं इस बात से सहमत हूं कि 100 वर्ग गज भूमि का प्लाट छोटा होता है। योजना में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन कठिनाई इस बात की है कि इस बारे में योजनायें प्राप्त नहीं हो रही हैं।

बुरी आवास तथा गन्दी बस्तियों सम्बन्धी स्थिति के कारण कलकत्ते में अनेक सामाजिक-राजनीतिक समस्यायें उठ खड़ी हुई हैं। अतः हमें इस ओर ध्यान देना चाहिये कि कलकत्ते की भांति ऐसी समस्यायें अन्य नगरों में भी न फैल जायें।

भारत के झुग्गी झोपड़ी और गन्दी बस्तियों वाले अन्य नगरों में एक दिन में मकान बनाना सम्भव नहीं है। मकान निर्माण के लिए भारी पूंजी की आवश्यकता होगी। यह अनुमान लगाया गया है कि नगरों में लगभग 2 करोड़ मकानों की आवश्यकता होगी और प्रत्येक मकान पर 10,000 रुपये लागत आयेगी।

माननीय सदस्य ने पानी और बिजली की कमी का उल्लेख किया है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने एक योजना आरम्भ की है जिसके अन्तर्गत हमने पानी, बिजली और फ्लश शौचालयों की व्यवस्था पर 100 प्रतिशत सहायता देने का निश्चय किया है।

इस बारे में हमने ऐसे मुख्य 11 नगरों को चुना है जिनकी जनसंख्या 8 लाख से अधिक है। इस वर्ष हमने 200 करोड़ रुपये की स्वीकृति देने का निश्चय किया है। दिल्ली के लिए हम 12 लाख रुपये की पहले ही मंजूरी दे चुके हैं। झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में उक्त सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को निदेश दे दिये गये हैं। हम इस कार्य पर इस वर्ष 20 करोड़ रुपये खर्च करना चाहते हैं।

गांवों में नौकरी प्राप्त न करने के कारण लोग शहरों में आते हैं अतः यह महत्वपूर्ण है कि नागरीकरण और आर्थिक योजना में निकट सम्बन्ध होना चाहिये।

योजना इस प्रकार बनाई जानी चाहिये कि रोजगार की सम्भावनाएं छोटे कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी हों जिससे लोगों को नगरों में न जाना पड़े। दूसरे, प्रत्येक बड़े कस्बे के

निकट छोटे-छोटे कस्बे बनाये जाने चाहिए जिनमें नौकरी उपलब्ध हो जिससे लोगों को नौकरी के लिये बड़े नगरों में न जाना पड़े। दिल्ली के लिये भी इसी प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिये जिससे लोगों को नौकरी के लिये कस्बों में न जाना पड़े।

कानपुर में कुछ मूल सुविधाएं होनी चाहिए। वहां पानी की कमी है। गन्दी बस्तियों की संख्या बढ़ती जा रही है और मकानों की भारी कमी होती जा रही है। मैंने उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध किया है कि वह दिल्ली विकास प्राधिकरण की भांति एक विकास प्राधिकरण की स्थापना करे जिससे कानपुर के विकास की योजना तैयार की जा सके। एच. यू. डी. सी. ओ. अथवा अन्य वित्तीय संस्था की सहायता से राज्य में और अधिक मकान बनाये जायेंगे।

आज भूमि की कीमत बहुत बढ़ गई है। 10 वर्ष पूर्व जो भूमि एक रुपये प्रति वर्ग गज थी उसकी कीमत आज 100 रुपये प्रतिवर्ग गज है। इससे जमींदारों को लाभ हुआ है। वास्तव में यह लाभ समुदाय को मिलना चाहिए। हमने इस प्रकार का प्रयोग दिल्ली में सफलतापूर्वक किया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने धनराशि एकत्र करनी आरम्भ की और आज उसके पास 90 करोड़ रुपये मूल्य की परिसम्पत्ति है।

समाजवाद में सब लाभ समुदाय को पहुँचने चाहिए जिससे मकान निर्माण के लिए धन-राशि एकत्र की जा सके। तभी देश में मकानों की समस्या को हल किया जा सकेगा।

दिल्ली की वृद्ध योजना की आलोचना की गई है। यदि वास्तव में दिल्ली की रक्षा वृहद् योजना द्वारा ही कि गई है। हमने नगर का विस्तार इस सुनियोजित ढंग से किया है कि संसद् भवन के निकट कोई कारखाना न खोला जाये इंडिया गेट के निकट कोई मन्दिर न बनाया जाये। वृहद् योजना न केवल दिल्ली के लिये होनी चाहिए बल्कि सब जगह के लिए होनी चाहिए। वृहद् योजना के मूल्यांकन से यह अभिप्राय नहीं है कि योजना में संशोधन किया जायेगा, लेकिन इसका अभिप्राय परिवर्तित स्वरूप को ध्यान में रखते हुए योजना को और अधिक व्यापक, वैज्ञानिक और उपयुक्त बनाना है।

जहां तक अनधिकृत बस्तियों का प्रश्न है बहुत सी ऐसी बस्तियों को नियमित कर दिया गया है। शेष बस्तियों को नियमित करने के लिए पुनः जांच कार्य आरम्भ करने को कहा गया है। किन्तु समस्या यह है कि आगे अनधिकृत बस्तियों के निर्माण को कैसे रोका जाय। इस सम्बन्ध में संसद् में एक विच्छेद लाने का प्रस्ताव है जिसके अन्तर्गत अनधिकृत बस्तियों के निर्माण को रोकने के लिये कड़ी व्यवस्था होगी। हाल में भगवती समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें ग्रामीण आवास योजनाओं पर प्रकाश डाला गया है। इस समिति के अनुसार, भवन निर्माण उद्योग में रोजगार की भारी क्षमता है क्योंकि इसके अन्तर्गत 2500 व्यक्तियों को रोजगार मिलता है। इसके प्रतिवेदन को स्वीकार किये जाने के बाद सरकार कुछ कार्य करने में समर्थ होगी।

दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों को आवास की भारी कठिनाई है। इस समय 43 प्रतिशत सरकारी कर्मचारियों को आवास प्राप्त हैं। चालू योजना में सरकार ने 17 करोड़ रुपयों की लागत से मकान बनाने का कार्यक्रम आरम्भ किया है जिससे दिल्ली में 8000 मकान और बन सकेंगे। इससे आवास सम्बन्धी कठिनाई किसी हद तक दूर हो जायगी।

सरकार ने सेवानिवृत सरकारी तथा सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों को आवास सुविधा देने के लिए भी एक योजना बनाई हैं। क्योंकि ऐसे कर्मचारियों को सेवा निवृत्त होने पर आवास की बहुत कठिनाई होती है यह योजना दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा लागू की जायेगी तथा इस कार्य के लिये आवास तथा नगरीय विकास निगम द्वारा वित्त पोषण किया जायेगा। इसके लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों से भी वित्तीय सहायता मांगी जायेगी। इस योजना के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारी अंशदान करते रहेंगे तथा सेवानिवृत होने पर शेष राशि को किश्तों में चुका देंगे। इस प्रकार इन कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के तुरन्त बाद आवास मिल सकते हैं। योजना के पहले चरण में 570 मकान बनाने का प्रस्ताव है।

सरकार ने आवास तथा नगरीय विकास निगम के पास आवर्ती तिथि बनाई है तथा इस निगम ने अपनी 9 महीने की अवधि में विभिन्न नगरों और शहरों को 37.5 करोड़ रुपये के ऋण दिये हैं। इससे 70 करोड़ रुपये का निर्माण कार्य सम्पन्न हो सकेगा जिसमें 38,000 मकानों का निर्माण होगा तथा 20,000 नये प्लाटों का विकास किया जायेगा। उक्त निगम का 325 करोड़ रुपयों का ऋण देने का प्रस्ताव है तथा 1976-77 तक भवन निर्माण उद्योग को 15 करोड़ रुपयों की वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव है। इस प्रकार एक मकान पर 15,000 रुपयों की मूल लागत के हिसाब से उक्त निगम 1975-76 तक 3,25,000 मकानों को निर्माण के लिए वित्त पोषण करेगा।

भूमि की पट्टेदारी अथवा पूर्ण अधिकार को लेकर भी विवाद है। सरकार समझती है कि यदि सभी नगरीय भूमि पर पूर्ण अधिकार को समाप्त करके पट्टेदारी कर दिया जाये तो यह कदम अधिक प्रगतिवादी रहेगा। पट्टेदारी के सम्बन्ध में कुछ कठिनाइयां अवश्य है जिन्हें दूर करने के लिए हाल में एक समिति बनाई गई हैं जो पट्टेदारी की समस्याओं को सुलझाने के लिये उपयुक्त उपायों को सुझाव देगी।

मैं सदन में सहर्ष घोषणा करता हूं कि अब देश में कोई ऐसा सरकारी कार्मचारी नहीं होगा जिसका मासिक वेतन 250 रुपये से कम हो। इसके साथ-साथ टाइप एक और दो के मकानों को स्थायी कर देने का प्रस्ताव है। इस श्रेणी के बड़े परिवार वाले सरकारी कर्मचारियों की कठिनाइयों को ध्यान में रखकर अब ऐसे मकानों का डिजाइन बनाने का प्रस्ताव है जिसका क्षेत्र वर्तमान टाइप दो के क्वार्टरों से कुछ कम तथा टाइप एक के क्वार्टरों में कुछ अधिक होगा। इस प्रकार के मकानों में दो बड़े कमरे होंगे तथा एक बालकोनी होगी। इस प्रकार इन क्वार्टरों में अधिक सुविधा से जीवन निर्वाह हो सकेगा।

दिल्ली में आवास की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बहुमंजिली इमारतें बनाने का निर्णय किया है। ऐसी तीन इमारतों की मंजूरी दी गई थी जिसमें एक होस्टल कर्जन रोड पर है तथा पूरा होने पर इसमें 128 मकान दो कमरे वाले होंगे तथा 8 मकान एक कमरे वाले होंगे। दूसरा होस्टल मिंटो रोड पर बनाया जा रहा है। इसमें 64 मकान दो कमरे वाले होंगे तथा 128 एक कमरे वाले। ये होस्टल इसी वित्तीय वर्ष में बनाए जाने हैं तथा कलकत्ता और बम्बई में भी ऐसी ही इमारतें बनाने का प्रस्ताव है। श्रेणी चार के ऐसे कर्मचारियों के लिए मकान बनाने का निर्णय किया गया है जिनके परिवार उनके साथ नहीं रहते। इन तीन बहुमंजिले होस्टलों के अतिरिक्त दो अन्य होस्टलों के निर्माण की मंजूरी दी गई है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने भी अपने निर्माण कार्य में प्रगति की है। सरकार ने यह निर्णय भी किया है कि प्रतिभाशाली गैर सरकारी इंजीनियरों की सेवाओं का केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई जा रही इमारतों के लिये उपयोग किया जाये जिससे इस विभाग पर अधिक कार्य-भार न पड़े तथा नये स्थापत्य कलाविदों को अभी प्रतिभा दिखाने का अवसर भी मिल सके। ऐसे लोगों को 20 प्रतिशत काम देने का प्रस्ताव है।

जहां तक नगरीय सम्पत्ति का प्रश्न है, सरकार इससे सम्बन्धित विधेयक पर अंतिम निर्णय नहीं कर पाई है। कुछ राज्य सरकारों ने इस सम्बन्ध में कुछ कदम उठाये हैं। माननीय सदस्य के सुझावों को ध्यान में रखा जायेगा।

कानपुर में औद्योगिक आभास समस्या का सरकार को पता है तथा इस सम्बन्ध में कार्य-वाही की जा रही है। इस बारे में अगले सप्ताह बैठक होनी निश्चित हुई है। जहाँ तक गांधी जी और नेताजी की मूर्तियों का 15 अगस्त तक निर्माण कराने का प्रश्न है, मैं माननीय सदस्य की इस माँग से सहमत नहीं हूं। किसी प्रतिभाशाली कलाकार से 15 अगस्त तक अनिवार्यतः मूर्तियां बनाने को कहना उचित नहीं है क्यों कि इतनी जल्दी उत्तम मूर्तियां बनाना कठिन है। मूर्तियों से सम्बन्धित एक समिति बनाई गई है जिसमें संसद-सदस्य भी सम्मिलित किए गए हैं। मूर्ति सलाह-कार समिति का पुनर्गठन किया गया है। यह मामला उन्हीं को सौंपा गया है।

बिड़ला हाउस के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि उसका नाम अब गांधी सदन रख दिया गया है तथा सरकार का विचार है कि उसका नाम गांधी स्मृति रखा जाये। इतना ही नहीं, हम चाहते हैं कि इसमें एक संजीव संस्थान बनाया जाये तथा उसमें विभिन्न गतिविधियाँ चलती रहें। प्रधान मन्त्री के सभापतित्व में इस बारे में एक समिति बनाई गई है जो एक व्यापक योजना बना रही है। योजना तैयार होने पर उसे सभा के समक्ष लाया जायेगा।

श्री विभूति मिश्र द्वारा संसद-सदस्यों के मकानों में स्नान गृहों से सम्बन्धित उठाई गई कठि-नाइयों के बारे में मेरा निवेदन है कि प्रत्येक सदस्य किसी न किसी प्रकार का परिवर्तन कराना चाहते हैं। कोई सदस्य अंग्रेजी किस्म का स्नानग्रह चाहते हैं। तथा कुछ भारतीय किस्म का। इन समस्याओं को मैं संसद सदस्यों की आवास समिति को सौंपता हूं। मेरा निवेदन है कि उक्त समिति ही इस प्रकार की समस्याओं का समाधान करेगी।

श्री अमरनाथ विद्यालंकार ने चण्डीगढ़ के सम्बन्ध में कुछ समस्याओं का उल्लेख किया हैं। वास्तव में हमें चण्डीगढ़ के सौंदर्य तथा स्थापना कला पर गर्व है। किन्तु वहां पर बनाने वाली गन्दी बस्तियों के सम्बन्ध में मैं भी चिंतित हूं। इस सम्बन्ध में गृह मन्त्रालय से विचार-विमर्श किया गया है तथा वहां 6,000 से 8000 अतिरिक्त मकान बनाने के लिए यह आवश्यक है कि गन्दी बस्तियों के सम्बन्ध में तुरन्त कार्यवाही की जाये।

मैं गृह मंत्रालय से यह भी अनुरोध कर रहा हूँ कि चण्डीगढ़ के गांवों को नगरीय किस्म का बनाया जाए क्यों कि किसी भी मकान को तोड़ने से आवास के लिये निर्धारित विधि पर अत्यन्त प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

दिल्ली के मास्टर प्लान के बारे में मैं स्पष्टीकरण दे चुका हूं। जहाँ तक मिली जुली बस्तियों का प्रश्न है, मेरे विचार से आवास बोर्ड की ऐसी ही नीति हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मकान

दिये जाने की प्रक्रिया को जटिल बनाया गया है। इसकी ओर मैं राज्य सरकारों का ध्यान दिलाऊंगा, क्यों कि यह विषय उन्हीं का है।

बस्तियों को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में मैं बताना चाहता हूं कि 103 बस्तियां पहले ही नियमित की जा चुकी हैं। 6 बस्तियां विचाराधीन हैं तथा 59 अन्य बस्तियों को भी नियमित किया गया है। इस प्रकार कुल 204 बस्तियां नियमित की गई हैं। 36 बस्तियाँ ग्रीन बैल्ट में हैं तथा उनके बारे में जाँच की जा रही है। इस सम्बन्ध में हमारा प्रयास यह रहेगा कि किसी बस्ती को उठाने की अपेक्षा उसकी मदद की जाये तथापि अधिकतर जनता के लाभ लिये ने किन्हीं व्यक्तियों को कठिनाई भी हो सकती है।

ग्रामीण क्षेत्रों के विस्थापित व्यक्तियों को नगरीय क्षेत्रों में रोजगार दिलाने के प्रश्न की मैं जाँच करूंगा। दिल्ली में गन्दी बस्तियों में निर्मित मकानों के अधिक किराये के सम्बन्ध में मैं सरकार की वर्तमान नीति का उल्लेख करना चाहता हूं। इस समय गन्दी बस्तियों के मकानों के निर्माण पर आने वाली कुल लागत की आधी राशि को ध्यान में रख कर मकान किराया निर्धारित किया जाता है। सरकार यह समझती है कि कुछ व्यक्ति इतना किराया देने में भी असमर्थ हैं। अतः यह आवश्यक है कि गन्दी बस्ती के मकानों में निम्न आय वर्ग के लोगों से इतना किराया लिया जाये जितना वे दे सकें।

तमिलनाडु सरकार द्वारा गन्दी बस्तियों की समस्या को सुलझाने के लिए की गई कार्यवाही की मैं सराहना कर चुका हूँ। किन्तु इस समस्या की व्यापकता को देखते हुए यह उपाय पर्याप्त नहीं है। यह सच है कि वहां की सरकार इस वर्ष इस कार्य पर 8 करोड़ रुपया खर्च करना चाहती है किन्तु गन्दी बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों को अन्य सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। इसी विचार से तमिलनाडु सरकार के लिए इस वर्ष हमने $2\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।

यह खेद का विषय है कि देश में कागज की भारी कमी है। हमने उद्योग मंत्रालय से इस सम्बन्ध में अनुरोध किया है तथा स्थिति में कुछ सुधार हुआ है।

शहरों और कस्बों के सिविल लाइन इलाकों में मकान न बनाये जाने के बारे में मेरा कहना है कि योजना के अनुसार नगरों के मध्य में बड़े-बड़े प्लाटों को खाली नहीं छोड़ा सकता। अधिकतर मकान ऐसे व्यक्तियों के लिए बनाये जाने हैं जो वित्तीय कठिनाइयों में है। अत. नगरों के प्राधिकारियों से इस आशय का अनुरोध किया जा रहा है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग पर लगाए गये भ्रष्टाचारों के आरोप के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के आरोपों से कोई लाभ नहीं है। यदि कोई विशिष्ट घटना का उल्लेख किया जाए तो उस बारे में कार्यवाही की जा सकती है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्य प्रमाणित कर्मचारियों को नियमित किये जाने के बारे में वित्त मंत्रालय से पत्र-व्यवहार किया गया है तथा आशा है उनकी मांगों को पूरा करने में हमें सफलता मिलेगी।

अन्त में मेरा निवेदन है कि राज्यों तथा स्थानीय निकायों के सहयोग से सरकार आवास समस्या को सुलझाने में समर्थ होगी। इस सम्बन्ध में हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है।

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : I have come to know that Bihar Government have sent a scheme to the Centre for the clearance of slums in Patna. May I know whether Government have taken any decision on its ?

Shri I. K. Gujral : We have not received any such scheme. Therefore, the question of our decision does not arise. We will welcome any scheme for clearance of slums in Patna.

सभापति महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

All the cut motion were put and negatived

सभापति महोदय द्वारा निर्माण और आवास मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं

The following Demands in raspect of the Ministry of Works and Housing were put and adopted

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
82	निर्माण और आ वास मंत्रालय	2,54,80,000
83	लोक निर्माण कार्य	35,72,37,000
84	लेखन सामग्री और छपाई	13,96,75,000
132	लोक निर्माण कार्य पर पूंजी परिव्यय	10,45,21,000
133	दिल्ली पूंजी परिव्यय	6,02,00,000
134	निर्माण और आवास मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	2,26,31,000

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय

सभापति महोदय : अब सदन में स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय की मांग संख्या 35, 36 और 117 पर विचार किया जाएगा । इसके लिये तीन घंटे का समय निर्धारित किया गया है ।

जो माननीय सदस्य कटौती प्रस्ताव रखना चाहे वे कृपया अपनी पर्चियां सभा-पटल पर पहुँचा दें । कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत किया गया मान लिया जाएगा ।

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय की वर्ष 1972-73 की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
35	स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय	1,31,43,000
36	चिकित्सा और लोक-स्वास्थ्य	26,02,73,000
117	स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	21,40,95,000

[श्री आर० डी० भण्डारे पीठासीन हुए
Shri R. D. Bhandare *in the Chair*]

****श्री ई० आर० कृष्णन** (सलेम) : मैं द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की ओर से इस मंत्रालय की मांगों पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ ।

मांग संख्या 35, 36 और 117 के अन्तर्गत क्रमश: 7.83 लाख, 188.30 लाख और 3.39 रुपयों की बचत से ज्ञात होता है कि किन्हीं योजनाओं पर निर्धारित राशि खर्च नहीं की गयी । मांग संख्या 36 के बारे में बताया गया है कि मितव्ययता के परिणामस्वरूप सम्बद्ध राशि की बचत की गई है । जन स्वास्थ्य की योजना को क्रियान्वित न किये जाने का यह कारण वैसे उपयुक्त है ?

केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित जनस्वास्थ्य योजनाओं के लिए नियत राशि में चौथी योजना के मध्यावधि पुनरीक्षण के दौरान 159.66 लाख रुपयों की कटौती की गई । इसके अतिरिक्त, किसी भी वर्ष इस शीर्षक में नियत राशि का पूरी तरह उपयोग नहीं किया गया । मैं जानना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य सम्बन्धी पुनरीक्षित योजनाओं को कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ।

छूत की बीमारियों को दूर करने का उत्तरदयित्व केन्द्र सरकार पर है, किन्तु इस सम्बन्ध में योजनाएं बनाने में असाधारण देरी के कारण अन्य योजनाएं प्रभावोत्पादक रूप से लागू नहीं की जा सकीं । मंत्री महोदय इस बात की ओर ध्यान दें ।

परिवार नियोजन के लिए 1966-67 से 1970-71 तक वर्षों में नियत राशि का पूरा उपयोग नहीं किया गया ।इसके अतिरिक्त, नसबन्दी आदि कार्यक्रम में भी कोई प्रगति नहीं हुई । मैं इनके कारण जानना चाहता हूं ।

चौथी योजना के पहले दो वर्षों में 264 प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्रों के स्थान पर केवल 169 केन्द्र स्थापित किये गये हैं । इसी प्रकार इस अवधि में अस्पतालों में 26,000 अतिरिक्त बिस्तरों की व्यवस्था के स्थान पर केवल 10,500 बिस्तरों की ही व्यवस्था की गई है । यह व्यवस्था भी अधिकतर नगरीय क्षेत्रों के अस्पतालों में की गई है तथा ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा की गई है । ग्रामीण क्षेत्रों के 2050 प्रारम्भिक चिकित्सा केन्द्रों के अपने भवन नहीं हैं । स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं के बारे में अभी तक कोई कानून नहीं बनाया गया है जैसा कि हाल की गोष्ठी में सुझाव दिया गया था । चिकित्सा विशेषज्ञों को पर्याप्त वेतन तथा सुविधाएं न दिये जाने के कारण विशेषज्ञ इन प्रयोगशालाओं में कार्य करने के लिए तैयार नहीं है । अत: माननीय मंत्री को इस ओर अधिक ध्यान देना चाहिये ।

समाचार पत्रों के अनुसार, गोरखपुर में लगाए गए नसबंदी के लिए शिविर में आपरेशन के बाद आठ व्यक्तियों की मृत्यु हो गई तथा 6 व्यक्तियों की हालत गम्भीर थी । मंत्रालय ने इस दुर्घटना की जांच करने के लिये गोरखपुर में अधिकारियों का एक दल भी भेजा था । मैं जानना चाहता हूं कि भविष्य में ऐसी दुर्घनाओं को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जारही है ।

****तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपांतर ।**

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

मेरा सुझाव है कि कालेजों में जनसंख्या की वृद्धि तथा उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न कठिनाइयों तथा परिवार नियोजन सम्बन्धी विषयों की भी शिक्षा दी जानी चाहिये। सलेम की जनता बहुत दिनों से मांग कर रही है कि वहां एक क्षेत्रीय चिकित्सा कालेज खोला जाना चाहिए। मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री इस बारे में आवश्यक कदम उठाएं।

खेद का विषय है कि तमिलनाडु में नसबन्दी करने वाले व्यक्तियों को प्रति व्यक्ति केवल 30 रुपये दिये जाते हैं जब कि गुजरात, केरल और उत्तर प्रदेश में उन्हें 80 रुपये दिये जाते हैं। मेरी माँग है कि इस प्रकार का भेद भाव नहीं बरता जाना चाहिये।

तमिलनाडु में परिवार नियोजन कार्यक्रम की व्यापक क्रियान्वित के कारण वहां जनसंख्या की वृद्धि पर नियन्त्रण हुआ है। वर्ष 1971-72 में वहां 1,99,740 व्यक्तियों ने आपरेशन कराया जिनमें से 99,105 व्यक्तियों को प्रति व्यक्ति 50 रुपये दिये गये तथा शेष को 30-30 रुपये दिए गये। तमिलनाडु में 1,73,883 व्यक्तियों की नसबन्दी के लक्ष्य निर्धारित किया गया था जबकि वास्तव में 2,45,845 व्यक्तियों ने नसबन्दी कराई। निरोध का उपयोग करने वालों की संख्या निर्धारित लक्ष्य से 7.1 प्रतिशत अधिक रही। किन्तु तमिलनाडु सरकार द्वारा राष्ट्रीय हित में उठाये गये इन कदमों का परिणाम यह हुआ है कि वहां के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 41 से घटाकर 39 कर दी गई है। अच्छे कार्य का यह फल दिया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है। मेरा सुझाव है कि सरकार संविधान में इस प्रकार का संशोधन करे कि परिवार नियोजन कार्यक्रम की उपलब्धियों के परिणामस्वरूप किसी राज्य में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या नहीं घटाई जायेगी अन्यथा परिवार नियोजन कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता।

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय की माँगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये

मांग सं०	कटौती प्रस्ताव सं०	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
35	1	डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	मधुमेह के रोगियों को तीन महीने की प्रारम्भिक अवधि के बाद सामान्य रूप से मधुमेह चिकित्सा के लिए केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के औषधालयों से दवाइयां सप्लाई करने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रु० कर दी जाये।
35	2	,,	मधुमेह के रोगियों को तीन महीने की प्रारम्भिक अवधि के बाद केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के औषधियों से दवाइया सप्लाई करने के मामले में विशेषज्ञ के प्रमाण पत्र की शर्त को समाप्त करने की आवश्यकता।	,,
35	5	डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टरों की आवश्यकता।	100 रु०

1	2	3	4	5
35	6	डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सामान्य चिकित्सा सुविधाओं का अभाव ।	100 रु०
35	7	,,	विशेष रूप से ग्राम्य क्षेत्रों में पेय जल की व्यवस्था करने में असफलता ।	100 रु०
35	8	,,	देशी चिकित्सा पद्धतियों विशेषकर आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहन देने में असफलता ।	100 रु०
36	33	,,	चिकित्सा स्नातकों को पर्याप्त सुविधायें देने में असफलता ।	100 रु०
36	34	,,	विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोगों को रोकने में असफलता ।	100 रु०
35	12	श्री रामावतार शास्त्री	रामकृष्णापुरम सैक्टर 2 में केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के औषधालय में दवाइयां उपलब्ध न होना ।	100 रु०
35	13	,,	सफदरजंग एन्क्लेव, बी-2 ब्लाक में रहने वालों को नौरोजी नगर के केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के औषधालय से दवाइयां प्राप्त करने की सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता ।	100 रु०
35	14	,,	सफदरजंग एन्क्लेव, ए और बी ब्लाक में रहने वालों के लिए केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना का एक पृथक औषधालय खोलने में असफलता ।	100 रु०
35	15	,,	केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना औषधालयों में डाक्टरों तथा अन्य कर्मचारियों द्वारा अपने मित्रों और सम्बन्धियों की ओर अधिक ध्यान देकर और उनके साथ घण्टों तक गप्पें मारकर रोगियों का समय नष्ट किये जाने से रोकने में असफलता ।	100 रु०
35	16	,,	केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के जंगपुरा औषधालय से मंहगी दवाओं की चोरी रोकने में असफलता ।	100 रु०
35	17	,,	केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के जंगपुरा स्थित औषधालय की किसी केन्द्रीय स्थल (जंगपुरा भोगल) पर स्थानान्तरित करने की आवश्यकता ।	100 रु०

1	2	3	4	5
35	18	श्री रामावतार शास्त्री	रामकृष्णापुरम्, सेक्टर 2 स्थित केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना औषधालय के कार्य में सुधार करने की आवश्यकता ।	100 रु०
35	19	,,	राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत सफदरजंग एन्क्लेव में मच्छरों के उन्मूलन के लिए कदम उठाने की आवश्यकता ।	100 रु०
35	20	,,	जनकपुरी, नई दिल्ली ब्लाक बी-1, बी-2 और बी-3 के निवासियों के लिए केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के एक अलग औषधालय की व्यवस्था करने में असफलता ।	100 रु०
35	21	,,	नौरोजीनगर, लक्ष्मीबाई नगर और सरोजिनी नगर स्थित केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य औषधालयों में साधारण औषधियों का भी न मिलना ।	100 रु०
35	22	,,	नौरोजीनगर, नई दिल्ली, स्थित केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना औषधालयों से लाभ उठाने वालों के लिए 24 घंटे की चिकित्सा सेवा की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	100 रु०
35	23	,,	सरकारी बस्तियों, अर्थात नेताजीनगर, सरोजिनी नगर और लक्ष्मीबाईनगर स्थित केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना औषधालय के कार्य में सुधार करने की आवश्यकता ।	100 रु०
35	24	,,	नेताजीनगर, नौरोजनीनगर और सरोजनीनगर के निवासियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरोजनी नगर में आयुर्वेदिक केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना औषधालय खोलने की आवश्यकता ।	100 रु०
35	25	,,	केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना औषधालयों में अचानक निरीक्षण करने तथा लाभ प्राप्तकर्ताओं की कठिनाईयों पर ध्यान देने में मंत्रालय के पदाधिकारियों की असफलता ।	100 रु०
35	35	डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	सरकारी अस्पतालों और डिस्पेंसरियों को दी जाने वाली औषधियों की चोर बजारी को रोकने में असफलता ।	100 रु०

1	2	3	4	5
36	36	डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली चिकित्सा सुविधायें संसद सदस्यों को उनके स्थायी निवास स्थानों पर भी उपलब्ध कराने जी आवश्यकता ।	100 रु०
36	37	,,	वर्तमान योजना अवधि में अगरतला में एक मेडिकल कालेज शीघ्र खोलने की आवश्यकता ।	100 रु०
36	38	श्री दशरथ देव	त्रिपुरा में रायमा-सरमा क्षेत्र में एक अस्पताल स्थापित करने की आवश्यकता ।	100 रु०
36	39	,,	त्रिपुरा के आदम जाति क्षेत्रों में औषधालयों की स्थापना करने के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	100 रु०
36	40	,,	त्रिपुरा में कुष्ठ रोग के पृथक केन्द्र की स्थापना के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	100 रु०
35	42	श्रीमती भार्गवी तनकप्पन	ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता ।	100 रु०
35	43	,,	केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना की डिस्पेंसरियों में रोगियों की भारी भीड़ के लिए अधिक डाक्टरों की नियुक्ति करने की आवश्यकता ।	100 रु०
36	44	,,	चालू योजना अवधि के दौरान केरल में शीघ्र एक आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय स्थापित करने की आवश्यकता ।	100 रु०
36	45	,,	केरल राज्य में चिकित्सा-स्नातकों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करने में असफलता ।	100 रु०
36	46	,,	केरल राज्य में कैंसर रोग का पता लगाने के लिए एक केन्द्र स्थापित करने और कैंसर के विशेष उपचार के लिए सुविधायें प्रदान करने की आवश्यकता ।	100 रु०
117	47	,,	देश में ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल की भारी कमी ।	100 रु०

डा० जी० एस० मेलकोटे (हैदराबाद) : महात्मा गांधी के आदर्शों के अनुरूप चिकित्सकों को ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर काम करना चाहिए। चीन में प्रत्येक चिकित्सक को प्रशिक्षण के दौरान कुछ समय के लिए गांव में रहने के लिए बाध्य किया जाता है।

सूचिवेधन द्वारा चिकित्सा की प्रक्रिया अब चीन से यूरोप और अमरीका में जा रही है। इस चिकित्सा प्रक्रिया का उद्भव भारत में ही हुआ था। परन्तु अफसोस की बात है कि हम अब उसका उपयोग स्वयं नहीं कर रहे। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए और योग, आयुर्वेद, यूनानी आदि से सम्बन्धित सूत्रों का अर्थ जानने के लिए किसी सैल की स्थापना की है ? यूनानी का पाठ्यक्रम तो निर्धारित है, परन्तु अध्ययन के लिए पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं होतीं। उन्हें प्रकाशित करने के लिए सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए।

योग और आयुर्वेद आधुनिक विज्ञान की अपेक्षा कहीं अधिक आधुनिक हैं। ऋग्वेद के अन्दर ध्वनि की गति 1 85,300 मील प्रति सेकिण्ड दी गई है, जो आधुनिक विज्ञान के अनुसार सही है। सापेक्षवाद का सिद्धान्त आदि जैसे सभी सिद्धान्त पहले से ही शास्त्रों और पुराणों में उपलब्ध हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सक सफलतापूर्वक चिकित्सा कर रहे हैं और यह आधुनिक चिकित्सा प्रणाली की अपेक्षा बेहतर सिद्ध हुई है।

अमेरिका में 10,000 मधुमेह के रोगियों का परीक्षण करने से पता चला है कि डायबेनेस और रोस्ट्रोनान से रोग में विकार पैदा हुआ। वहां की सरकार के मानक विभाग ने यह आदेश जारी किया कि इस औषधि के अन्धाधुन्ध उपयोग को रोकने के लिए इस पर 'जहर' शब्द अंकित होना चाहिए। आयुर्वेदिक प्रणाली और योग द्वारा चिकित्सा में वैकल्पिक औषधियां उपलब्ध हैं।

भारत सरकार द्वारा आयुर्वेद बोर्ड के गठन का कार्य सराहनीय है। कुछ राज्य सरकारों ने आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा के लिए अलग मन्त्रालयों की स्थापना की है। आन्ध्र प्रदेश ने भी इस प्रकार के मंत्रालय की स्थापना की है।

केन्द्रीय सरकार को बिना किसी विलम्ब के केन्द्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना करनी चाहिए, जिसमें यूनानी, सिद्ध और योग की भी व्यवस्था हो।

केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद ने तीन चार साल की छोटी अवधि में सराहनीय कार्य किया है। भारतीय चिकित्सा पद्धति में प्रशिक्षित वैद्यों और डाक्टरों से लाभ उठाने के लिए शीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिए।

मैं भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद और अखिल भारतीय औषध विज्ञान संस्थान से सम्बद्ध रहा हूं। इन संस्थाओं में 750 बिस्तर और ख्याति प्राप्त चिकित्सक हैं। डाक्टरों का समय छोटे-छोटे प्रशासनिक मामलों पर नष्ट नहीं होना चाहिए। प्रशासनिक कार्यों के लिए एक अलग संवर्ग बनाया जाना चाहिए ताकि डाक्टर मरीजों की देखभाल पर ज्यादा समय दे सकें।

इन अनुसन्धान संस्थाओं को स्वायत्तशासी कहा जाता है, परन्तु उन पर सरकार का पूर्ण नियन्त्रण है। इस नियन्त्रण में कमी होनी चाहिए। आखिल भारतीय औषध विज्ञान संस्थान और पाण्डिचेरी एवं चण्डीगढ़ स्थित संस्थाओं में हो रहे अनुसन्धान कार्यों का मूल्यांकन होना चाहिए और यदि किसी व्यक्ति का कार्य असन्तोषजनक पाया जाय, तो उसे हटा दिया जाना चाहिए।

जनसंख्या में वृद्धि के कारण रोगियों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। इलाज के स्तर में गिरावट आ रही है। डाक्टर और मरीजों की संख्या में उचित अनुपात स्थापित किया जाना चाहिए। धनाभाव के कारण अनुसन्धान संस्थाएं आधुनिक उपकरण खरीदने में असमर्थ हैं। इन उपकरणों के प्रयोग में उचित प्रशिक्षण पाने के लिये लोगों को विदेश भेजा जाना चाहिए। हैदराबाद स्थित पोसादार अनुसंधान संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए विदेशों से छात्र आ रहे हैं। इस संस्थान की सहायता के लिए पर्याप्त मात्रा में वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए।

स्वास्थ्य मन्त्रालय को और अधिक धन उपलब्ध किया जाना चाहिए, ताकि वह अच्छा कार्य कर सके।

***श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** (अडूर) : स्वाधीनता के पिछले 25 वर्षों के दौरान तीन पंचवर्षीय योजनायें पूरी हो चुकी है और चौथी योजना क्रियान्वित की जा रही है। परन्तु ग्रामीण जनता को स्वास्थ्यप्रद भोजन और पेय जल अब भी उपलब्ध नहीं है। गांवों में पर्याप्त संख्या में अस्पताल नहीं हैं और जहां सरकारी अस्पताल हैं भी, वहाँ पर्याप्त संख्या में डाक्टर और नर्सें नहीं हैं। डाक्टरी शिक्षा के अध्ययन में छात्रों को प्रतिव्यक्ति शुल्क (कैपीटेशन फीस) आदि के रूप में भारी व्यय करना पड़ता है, जो गांवों के निर्धन लोगों से अर्जित नहीं किया जा सकता। प्रति व्यक्ति शुल्क की समाप्ति के लिए सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए।

हजारों की संख्या में डाक्टर बेरोजगार है। अनेकों औषधालय और प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र ऐसे हैं जहां एक भी डाक्टर नहीं है, वहां इन बेरोजगार डाक्टरों की नियुक्ति की जानी चाहिए।

केरल में अलेपी स्थित टी० डी० मैडीकल कालेज को केन्द्रीय सरकार ने मान्यता नहीं दी है। चिकित्सा परिषद ने वर्ष 1969 में कहा था कि कालेज में पर्याप्त सुविधायें नहीं हैं, इसलिए उसे मान्यता नहीं दी जा सकती। अब वहाँ सभी सुविधायें हैं, इसलिए उस कालेज को शीघ्र मान्यता दी जानी चाहिए।

जिन लोगों का एलोपैथी से इलाज नहीं हो पाता, वे आयुर्वेदिक औषधियों से ठीक हो जाते हैं। केरल ने आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रस्ताव भेजा था, परन्तु उस प्रस्ताव को अभी तक मंजूरी नहीं दी गई है।

केरल में कोई भी कैन्सर संस्थान नहीं है। केरल के निर्धन कैन्सर पीड़ित रोगियों को तमिलनाडु के अडयार में इलाज के लिए जाना पड़ता है। इस बारे में मन्त्री महोदय को आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए।

परिवार-नियोजन के प्रचार-कार्यक्रम पर होने वाला व्यय पूर्णतया व्यर्थ है। ग्रामीण और अशिक्षित लोगों पर इस प्रचार-कार्य का कोई प्रभाव नहीं होता। प्रचार-कार्य के लिए नियत धनराशि का उपयोग बेरोजगार लोगों को रोजगार उपलब्ध करने में किया जाना चाहिए। सीमित आय अर्जित करने वाला व्यक्ति स्वतः परिवार-नियोजन कर लेता है। इस प्रकार परिवार-नियोजन कार्यक्रम पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ेगा।

---

*मन्त्रालय में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

Summarised translated Version based on English translation of the speech delivered in Malayalam.

डा० कैलास (बम्बई दक्षिण) : स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय की रिपोर्ट बहुत छोटी है और इसमें वह जानकारी नहीं है जो संसद को दी जानी चाहिए थी। पिछले वर्ष दिये गये भाषणों और सुझावों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मैंने पिछले वर्ष अखिल भारतीय चिकित्सा सेवा गठित करने का सुझाव दिया था। उस समय उत्तर यह दिया गया था कि चिकित्सा सेवा गठित करने सम्बन्धी प्रस्ताव राज्य सरकारों की राय जानने के लिए भेज दिया है। स्वाधीनता से पहले इस प्रकार की सेवा हुआ करती थी और राष्ट्र की एकता के लिए इसका गठन आवश्यक है। मैं सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूँ कि केन्द्रीय सरकार ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में मैडीकल कालेज खोलने चाहिए, ताकि एक मैडीकल कालेज से दूसरे में अध्यापकों का स्थानान्तरण किया जा सके और इनमें अध्ययन करने वाले छात्र ग्रामीण जनता की सेवा कर सकें। इससे डाक्टरी प्रशिक्षण के अध्ययन पर व्यय में कमी होगी और जिन ग्रामों में चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध नहीं है, वहां वे सुविधायें उपलब्ध की जा सकेंगी।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम का कार्यकरण संतोषजनक नहीं है। जहां उद्योग अधिक संख्या में हैं, वहाँ निगम को अस्पतालों की स्थापना करनी चाहिए। बम्बई, अहमदाबाद, कानपुर और मद्रास जैसे नगरों में कर्मचारी राज्य बीमा निगम को टी० बी० व अन्य सामान्य अस्पताल स्थापित करने चाहिएं। जब तक ऐसे अस्पताल नहीं बन जाते, तब तक अस्पतालों में स्थान आरक्षित करने के लिए निगम ने पाँच वर्ष पूर्व 12 रुपये प्रति बिस्तर प्रतिदिन व्यय देना निर्धारित किया था, जबकि प्राइवेट ट्रस्ट एक विस्तार पर 21 रुपये प्रतिदिन व्यय करता है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम को यह राशि बढ़ाकर कम से कम 16 रुपये प्रति बिस्तर प्रतिदिन कर देनी चाहिए।

पेटेन्ट अधिनियम कुछ वर्ष पहले पारित किया गया था परन्तु अभी तक नियम नहीं बन सके हैं। पेटेन्ट अधिनियम को तुरन्त लागू किया जाय। औषधियों का निर्माण करने वाली विदेशी कम्पनियों का तत्काल राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए।

आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी आदि भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के विकास के लिए अधिक धन-राशि नियत की जानी चाहिए। आयुर्वेद और होम्योपैथी सम्बन्धी अखिल भारतीय परिषद के बारे में रिपोर्ट में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

योजना के मध्यावधि मूल्यांकन से पता चलता है कि प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों और चलते फिरते औषधालयों के बारे में लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हो सकी है।

***श्री माधुर्य्य हालदार** (मथुरापुर) : जब स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय की माँगों पर यहां बहस की जा रही है, तो स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री सदन में उपस्थित नहीं हैं। यह संसद का अपमान है।

मन्त्रालय की रिपोर्ट से पता चलता है कि वर्ष 1970 में चेचक से मरने वाले रोगियों की संख्या 1800 थी, जो वर्ष 1971 में बढ़कर 1959 हो गई। वर्ष 1971 में 320 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य था, जब कि 80 लाख को ही टीका लगाया जा सका। 1150 लाख लोगों के दुबारा टीका लगाने का लक्ष्य था, परन्तु दुबारा टीका 230 लाख को ही लगाया जा सका। हैजा

* बगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर

Summarised translated version based on English translation of the speech delivened in Bangali.

से देश में प्रति वर्ष 9000 व्यक्ति मरते हैं। वर्ष 1970 में अकेले बिहार में 4700 व्यक्ति हैजे के शिकार हुए। वर्ष 1971 में बिहार में हैजे और चेचक से 3500 व्यक्ति काल के जाल में चले गये।

[श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए
Shri K. N. Tiwary *in the Chari*]

देश में 200 लाख व्यक्ति क्षयरोग से पीड़ित हैं। 20 लाख व्यक्तियों की स्थिति बहुत गम्भीर है और वे इस भयंकर बीमारी को सर्वत्र फैला रहे हैं। इनके इलाज के लिए सरकार ने पर्याप्त मात्रा में धन व्यय नहीं किया। देश में प्रति वर्ष 50 लाख व्यक्ति कैन्सर से मरते हैं। कलकत्ता स्थित चितरंजन कैन्सर अस्पताल धनाभाव के कारण बन्द होने की स्थिति में आ गया है। 200 लाख व्यक्ति देश में रतिरोग से और 100 लाख व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित हैं। डी० डी० टी०, फ्लिट और अन्य कीटनाशक दवाओं का मच्छरों पर प्रभाव नहीं होता है, इसलिए अन्य प्रभावकारी कीटनाशक दवा का अविष्कार किया जाना चाहिए। कुष्ठरोग पर अनुसन्धान के लिए सुविधायें उपलब्ध की गई है, परन्तु मन्त्रालय की रिपोर्ट में इसका कोई उल्लेख नहीं है। पोसाहार के अभाव में विटामिन की कमी के कारण ढाई करोड़ बच्चे अन्धेपन के शिकार हो रहे हैं।

गांव के लाखों बच्चों के लिए चेचक, पिफ्थीरिया, काली खांसी और पोलियो के लिये टीके लगाने की कोई व्यवस्था नहीं है। महामारी फैल जाने पर रोकथाम के प्रबन्ध किये जाते हैं। सरकार को पहले से ही प्रतिबन्धात्मक उपाय करने चाहिएं।

पेय जल की सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में कुओं से प्राप्त होने वाला 75 प्रतिशत पेय जल स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है। हरिजनों को विशेष रूप से पेय जल की समस्या का सामना करना पड़ता है।

मन्त्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 179 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कोई डाक्टर नहीं है, जब कि 2157 स्वास्थ्य केन्द्रों में केवल एक एक डाक्टर हैं। हर तरह का कार्य वहाँ डाक्टर को स्वयं करना पड़ता है। जब कलकत्ता और दिल्ली जैसे शहरों में मरीजों को घंटों प्रतीक्षा करनी पड़ती है और फिर भी औषधियां नहीं मिल पाती, तब गाँव की स्थिति की कल्पना की जा सकती है। कलकत्ता में अधिक संख्या में अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता है।

आजकल प्रत्येक वस्तु में मिलावट पाई जाती है। खाद्य सामग्री में तो मिलावट होती ही है। औषधियां भी मिलावट से अछूती नहीं हैं।

प्रत्येक मेडीकल कालेज में 5 प्रतिशत स्थान अन्य राज्यों के लिए आरक्षित करने का निर्णय किया गया था, परन्तु उसे अब तक क्रियान्वित नहीं किया गया है। कलकत्ता मैडीकल कालेजों में पश्चिम बंगाल के लिए 8000 स्थान हैं, जिनके लिए इस वर्ष 35000 छात्रों ने आवेदन किया है।

प्राइवेट मैडीकल कालेजों में प्रवेश के लिए भारी रकम रिश्वत के रूप में देनी पड़ती है। कलकत्ता में कुछ व्यक्तियों को परिवार नियोजन केन्द्रों का कार्यभार सौंपा गया है, परन्तु उन्हें परिवार नियोजन का कोई प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है।

संसद ने कुछ समय पूर्व गर्भ समाप्ति सम्बन्धी अधिनियम पारित किया था। दिल्ली के एक चिकित्सक ने मुझे बताया कि उसे अपनी अन्तरात्मा की आवाज के विरुद्ध गर्भपात करना पड़ा।

जब हम जीवन दे नहीं सकते तो उसे लेने का हमें क्या अधिकार है। इसलिए अधिनियम में यह संशोधन किया जाना चाहिए कि डाकटर को अनिच्छा से गर्भपात करने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा।

Shri Shivnath Singh (Jhunjunu) : I support the demands of the Ministry of Health and Fanily Planing.....

Mr. Chairnan : He may Continue his speech tomorrow.

इसके पश्चात लोकसभा गुरूवार 11 मई, 1972, 21 वैशाख, 1894 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थागित हुई।

The Lok Sabha then adjounrned till Eleven of the clock on Thursday, the 11th May, 1972/21 Vaisakha 1894 (Saka)

Sumer Printing Press, New Delhi-18